खण्ड-358, अंक-5
बुधवार, 3 भाद्रपद, शक संवत् 1904
(25 अगस्त, 1982 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 358 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	715–719
प्रश्नोत्तर	721–818
विधान सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन	818–819
नव निर्वाचित अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह को बधाई	819–826
बलिया जनपद के ग्राम खानपुर डुमरिया में पड़ी डकैती तथा पुलिस निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	826–827
मुजफ्फरनगर जनपद में पशुओं में फैली महामारी तथा दवाओं की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	827
उत्तर प्रदेश गन्ना संघ के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	828
जनपद चमोली में खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	828–829
बरेली जनपद के वकीलों द्वारा पुलिस दुर्व्यवहार के विरुद्ध अदालतों के बहिष्कार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	829
गोरखपुर जनपद के विकास खण्ड बैलघाट में घाघरा नदी से कटाव तथा बचाव कार्य में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	829–830
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड में कार्य करने हेतु विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव..(स्वीकृत) ..	830
उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था के प्रशासकीय बोर्ड में कार्य करने हेतु विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	830–831
जिला कानपुर देहात के दस्तमपुर गांव में डकैतों द्वारा दस व्यक्तियों की हत्या के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना तथा कार्य स्थगन प्रस्तावों की अन्य सूचनाएं ..	831–841
पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982..(पारित किया गया) ..	841–867
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1982 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1982 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित ..	867–880

विषय		पृष्ठ संख्या
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव..(स्वीकृत)	..	880–882
प्रदेश में सूखे से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा	..	882–904
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	..	904
इलाहाबाद में पुलिस की पिटाई से एक छात्र की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	..	904–909
मतियां	..	911–925

विधान भवन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 25 अगस्त, 1982

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री यादवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 393

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह. श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अंसारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयबीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी, (एटा)
कदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काजी गोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर मण्डलोई, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री, (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री ((बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टण्डन. श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)

गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्द्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैया, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ीगढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोण्डा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री, (बाराबंकी)
जगदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, विकल साकेती, श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
थक्मान सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दलसिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)

दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नारायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभु नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)

फखरे आलम, श्री (बदायूं)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा0 (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (गाजियाबाद)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद, श्री (एटा)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा (आगरा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पान्डेय, श्री बस्ती
माधव प्रसाद, श्री फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री एटा
मान बहादुर, श्री गोंडा
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री सीतापुर
मुरलीधर मुनीम, श्री गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री इलाहाबाद
मोहम्मद उमर, डाक्टर गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी रायबरेली
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री वाराणसी
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री गोंडा
रघुवीर सिंह यादव, श्री मैनपुरी
रणजीत सिंह जूदेव, श्री झांसी
रती राम, श्री बिजनौर
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)

राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अबध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम करन श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोबिन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रायजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, एडवोकेट, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बार बंकी)
राम सिंह, श्रीं (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)

रेवती रमण सिंह (उर्फ मणि जी) (इलाहाबाद)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
बासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजयशंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री टिहरी (गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री, (बिजनौर)
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री (बांदा)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
बीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायण सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)

श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखबीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैयद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पान्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पान्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

نمونه برگ امتحانی

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 25 अगस्त, 1982 ई0

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

वाराणसी रोडवेज को त्रिपाल की आपूर्ति

*1--श्री ऊदल (अनुपस्थित)--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1972 अथवा 73 में वाराणसी रोडवेज के लिए तीन लाख रुपए का त्रिपाल खरीदा गया था, जो मौके पर पहुंचा हो नहीं ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि सारी कार्यवाही फर्जी तरीके से की गयी है ? इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इस सम्बन्ध में सी0 आई0 डी0 से भी जांच कराई जा रही थी ? यदि हां, तो उसमें क्या हुआ ?

परिवहन एवं पर्वतीय विकास मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)--

सन् 1972 अथवा 1973 में वाराणसी रोडवेज के लिए तीन लाख रु0 का त्रिपाल नहीं खरीदा गया था बल्कि वाराणसी क्षेत्र द्वारा सन् 1972 में केवल 212 त्रिपाल केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर में स्थित केन्द्रीय भंडार से प्राप्त किया गया था, जिनका मूल्य 88,549.00 रु0 था । सन् 1973 में वाराणसी क्षेत्र को 100 त्रिपाल उप प्रधान प्रबन्धक, भंडार के क्रय आदेश के अन्तर्गत सीधे सप्लाई किए गए जिनका मूल्य 28,476·00 रु0 था । यह सत्य नहीं है कि यह त्रिपाल मौके पर नहीं पहुंचे थे । अतः फर्जी कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता । सी0 आई0 डी0 की जांच के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है ।

ड्रेनेज एवं बाढ़ डिवीजन, गोरखपुर में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायत की जांच

*2--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि गत 6 माह में प्रश्नकर्त्ता एवं अन्य प्रतिनिधियों द्वारा ड्रेनेज एवं बाढ़ डिवीजन, गोरखपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार, शासकीय धन की लूट एवं धोखाधड़ी के सम्बन्ध में उन्हें माननीय मुख्य मन्त्री को प्राप्त पत्रों में कोई जांच करायी गयी ? यदि हां, तो कब और किस अधिकारी द्वारा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री गोपाल राम दास)--

ड्रेनेज एवं बाढ़ डिवीजन, गोरखपुर के भ्रष्टाचार, शासकीय धन की लूट एवं धोखाधड़ी के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता सदस्य के शिकायती-पत्र दिनांक 3-11-81 एवं 2-12-81 के आरोपों पर दिनांक 18-3-82 से सतर्कता अधिष्ठान द्वारा खुली जांच प्रचलित है ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही के शिकायती-पत्र दिनांक शून्य की जांच मुख्य अभियंता (गन्डक) द्वारा की जा रही है ।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी के शिकायती-पत्र दिनांक 11-8-1981 की जांच अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई निर्माण मंडल, गोरखपुर द्वारा की जा रही है ।

श्री हरिकेश बहादुर, संसद सदस्य के शिकायती-पत्र दिनांक 11-8-1981 तथा 8-10-1981 की जांच तत्कालीन मुख्य अभियन्ता (बाढ़) द्वारा की गयी । जांच में कोई आरोप सिद्ध नहीं पाया गया ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने आरोप-पत्र दिये हैं उनकी मुख्य शिकायतें क्या हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)---

मान्यवर, अलग-अलग शिकायतें हैं श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी ने सुधाकर त्रिपाठी, सहायक अभियंता बाढ़, गोरखपुर के खिलाफ शिकायत की थी । इसी प्रकार वहां के विधायक, शाही जी ने वहां के एस० ई० शेर सिंह के बारे में शिकायत की थी । माननीय ओझा जी ने भी इसी तरह की शिकायत की है । इसके बारे में सतर्कता विभाग को जांच के लिए दे दिया गया है और विजिलेंस द्वारा जांच की जा रही है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, मैंने यह प्रश्न इसलिए पूछा था ताकि सदन को महसूस हो जाय कि कितने गम्भीर आरोप हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए मंत्री जी ने तत्काल कौन-सी कार्यवाही इन अधिकारियों के विरुद्ध की ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जो और महानुभावों ने शिकायतें की हैं, उसकी जांच मुख्य अभियन्ता द्वारा की जा रही है, लेकिन माननीय ओझा जी ने विजिलेंस से जांच के लिए कहा था तो उस पर विजिलेंस द्वारा जांच की जा रही है ।

श्री रियासत हुसैन---

जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा विजिलेंस को जांच के लिए मामला दे दिया है । विजिलेंस को देने से पहले विभाग ने जांच की होगी और उसमें प्राइमाफेसाई केस बना होगा तब विजिलेंस को दिया होगा । जब विभाग ने जांच की होगी तो उसके आधार पर उन अधिकारियों को कोई सजा दी गयी या नहीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मैंने कहा और शिकायतों की जांच तो मुख्य अभियंता कर रहे हैं लेकिन ओझा जी ने कहा था कि इसकी जांच विजिलेंस से कराई जाय, इसलिए विजिलेंस को दिया गया, उसकी जांच हो रही है ओझा जी ने कहा था, आरोप गम्भीर हैं इसलिए विजिलेंस को दिया गया ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, इसी प्रश्न के सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आज के अपने ही अतारांकित प्रश्न संख्या 163 की ओर ले जाना चाहता हूं जिसमें मंत्री जी का उत्तर है कि सूचना एकत्र की जा रही है। इसमें नाम भी दिया है और इसमें नाम नहीं है। तो मैं उनसे स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा कि प्रथम दृष्टया यह साबित हो चुका है कि इन लोगों ने लाखों का घपला किया है, तो क्या आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए तत्काल उनको निलम्बित करने के आप आदेश देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, इसमें एक जांच रिपोर्ट एस0 ई0 की आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह आरोप निराधार हैं, उन्होंने उसमें कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं बताया था, लेकिन जब ओझा जी ने कहा और कुछ चीजों का हवाला दिया, तो उस पर उसको विजोलेंस जांच के लिए दे दिया गया। अब जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक किसी के खिलाफ कोई ऐक्शन लेना उचित नहीं होगा।

उन्नाव जनपद के ग्राम पाही हरदो के निवासियों का जंगली खेड़ा तथा पाही हरदो के पानी निकासी हेतु ड्रेन बनाये जाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*3---श्री भगवती सिंह विशारद---

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 6-11-81 के साथ ग्राम पाही हरदो, विकास खंड बीघापुर, जिला उन्नाव के निवासियों के हस्ताक्षर युक्त कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र मिला है, जिसमें हस्ताक्षर-कर्त्ताओं ने अपने गांव जंगली खेड़ा तथा पाही हरदो के पानी निकासी हेतु नाला (ड्रेन) निर्मित कराने की मांग की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री गोपाल राम दास--

जी नहीं, किन्तु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22 सितम्बर, 1981/5 अक्टूबर, 1981 क प्राप्त हुआ था तथा जिसके साथ कृषकों का प्रश्न में उल्लिखित आशय का प्रार्थना-पत्र भी संलग्न था। ग्राम जंगली खेड़ा तथा पाही हरदो का पानी निकालने हेतु सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

श्री भगवती सिंह विशारद---

क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि सितम्बर, 1981 में प्रार्थना-पत्र मिला था कि उसमें सर्वेक्षण कराया जा रहा है, तब उसमें और विलम्ब होने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय सदस्य ने कहा था कि गांव पाही-हरदो का पानी निकाल दिया जाए, लेकिन उसके आस-पास और भी कई गांव थे, वहां भी कई नाले और झील हैं, तो यह किया गया कि ड्रेन बनाकर उन समस्त

गांवों का पानी निकाला जाए, जिससे सारे एरिया का फायदा हो जाए । साईफन बनाने से तो केवल एक गांव का फायदा होता । इसलिए ड्रेन बनाने का सर्वेक्षण किया जाएगा और उसके बाद उसे बनाने की कार्यवाही की जाएगी ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

इसके सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो रहा है, तो मंत्री जी इसके निर्माण का कार्य कब शुरू कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सर्वेक्षण कार्य में वहां के कृषकों ने आपत्ति की थी कि उनकी भूमि चली जाएगी, जिससे बाधा हुई थी, लेकिन अब उनको समझाने-बुझाने से और विशारद जी के सहयोग से सब हो गया है और वहां पर जल्दी उसे बनाने की कार्यवाही की जाएगी ।

शारदा सहायक नहर से सीतापुर के उत्तरी भाग, लहरपुर क्षेत्र के कतिपय ग्रामों में जल भराव तथा जल निकासी की योजना

*4--श्री हरीकिशन श्रीवास्तव---

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि शारदा सहायक नहर से लहरपुर जनपद सीतापुर के उत्तरी भाग के ढखेरा, अकेचनपुर, टप्पा, पतबारा, बनी सराय, रंगवा आदि अनेकों गांवों की हजारों एकड़ भूमि सीपेज से जलमग्न हो जाती है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र से पानी के निकास की क्या कोई योजना बनायी गयी है ?

श्री गोपाल राम दास--

जी नहीं, सीतापुर के लहरपुर क्षेत्र के प्रश्नगत ग्रामों में जल भराव की समस्या सीपेज से न होकर उक्त ग्रामों में स्थित झीलों के कारण है । जल निकासी हेतु अभी कोई योजना नहीं बनी है ।

श्री हरीकिशन श्रीवास्तव--

आज ही के दिन के अतारांकित प्रश्न संख्या 18 की ओर मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए इस उत्तर के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने उसमें स्वीकार किया है कि शारदा सहायक के कारण सीपेज से इस समय 7,588 एकड़ भूमि वहां प्रभावित है, तो आपने जिन ग्रामों के बारे में उत्तर दिया है, क्या यह ग्राम उस क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह बात सही है कि जो हमारी शारदा सहायक की चैनेल्स हैं, उससे सीपेज हो रहा है, लेकिन उससे एक किलोमीटर तक सीपेज होता है, जबकि लहरपुर गांव तीन-साढ़े तीन किलोमीटर दूरी पर है । वहां पर छोटी-छोटी झीलें हैं और वहां पर कुवानों नदी है, उसके कारण से वहां जलभराव की

समस्या रहती है इसलिए सोच रहे हैं कि सीतापुर की ड्रेनेज का एक मास्टर प्लान बनाया जाय ताकि वहां से कैसे पानी निकाला जाय और उसको व्यवस्था की जायेगी ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, हमारे जिले सीतापुर में सीपेज की बहुत गम्भीर समस्या है । शारदा नहर हमारे लिए एक प्रकोप बन गयी है । इसके पूर्व जब शारदा नहर को बनाने की बात थी तो हमने जिले की हजारों एकड़ भूमि किसानों से दिलवायी थी और अब हजारों एकड़ भूमि उनकी सीपेज को शिकार हो रही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या इन्होंने प्रकोप को दावत देकर बुलाया है ?

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, सुल्तानपुर आदि जिलों की सिंचाई के लिए सीतापुर का बलिदान किया गया है । मंत्री जी ने कहा कि यह गांव 3 किलोमीटर है और यहां पर सीपेज झील के कारण हो रहा है । तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि ये झीलें वहां पर कितने दिनों से हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ये आज से नहीं, बहुत पुरानी हैं । मैंने कहा कि जो झीलें हैं या डिप्रेशन है उसके कारण सीपेज है । दूसरे, कुवानों नदी में पानी के कारण भी है । इसलिए सीतापुर में ड्रेनेज का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है कि कैसे वहां का पानी निकाला जाय ।

श्री हर गोविन्द वर्मा--

जो उत्तर आया है, वह सत्य के आधार पर दिया गया है या झूठ के आधार पर है ? यह मेरे क्षेत्र का मामला है, और मैं अपनी जानकारी के आधार पर कहता हूं कि वहां पर एक भी झील नहीं है । यह झील जो बनायी गयी वह परियोजना के बाद बनायी गयी है । कम से कम वहां पर 30 गांव ऐसे हैं जो पानी से भरे हैं । पिछली बार जब मैं गया तो वहां पर दलदल बन गयी है । गांवों के अन्दर घरों में रोटी पकाते समय पानी निकलता है । इनके अधिकारी जिन्होंने उन्हें यह रिपोर्ट दी है, झूठ बोलते हैं ।

(व्यवधान)

एक भी झील उस क्षेत्र में अगर हो तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न कीजिए ।

श्री हर गोविन्द वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी एक कमेटी बनाने पर विचार करेंगे जो उस इलाके का सर्वे करे ? दूसरे अगर उस इलाके में एक भी झील निकले तो जिन अधिकारियों ने रिपोर्ट दी है, उनको नौकरी से निकालने के आदेश देने की कृपा करेंगे, उनको सस्पेण्ड करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जाहिर है इसके लिए माननीय सदस्य को चिन्ता होनी चाहिए । वहां पर जल भराव है, सीपेज की बहुत बड़ी समस्या है । अभी अगले एक प्रश्न का जब उत्तर आयेगा, जिस पर एक माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, स्थिति स्पष्ट हो जायेगी । सरकार स्वयं चाहती है कि सीपेज कैसे रोका जाय, तरह-तरह के उपाय हम करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

इनके प्रश्न का उत्तर नहीं आया । उन्होंने पूछा है कि क्या आप कोई कमेटी बनाने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

यह जो झीलें बनी हैं छोटी-छोटी यह पुरानी नहीं हैं, यह नहर बनने के बाद बनी हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

उनका तो कहना है कि लेक हैं ही नहीं ।

श्री बीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, झील न हो तो डिप्रेशन हो सकता है, जहां पर पानी भर रहा हो, मान्यवर, मैंने खुद कहा कि नहर बनने के बाद जो पानी निकलता है वह सीपेज के जरिये बहता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

उनका कहना है कि आप अपनी जांच कराने के लिए कोई कमेटी बनाने वाले हैं ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, इसकी आवश्यकता नहीं है ।

(श्री हर गोविन्द वर्मा के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बिना बुलाये हुए खड़े हो जाते हैं । आप को अपने पर नियंत्रण करना चाहिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आपने माननीय मंत्री जी का उत्तर सुना होगा । माननीय मंत्री जी ने मूल उत्तर में बताया कि वहां पर झील नहीं है, सीपेज के जरिये पानी आया ।

यह शारदा कैनाल बनने के कारण यहां पर पानी की अधिकता से सीपेज हो गया। अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि यहां पर झील हैं। यह मेरा निश्चित आरोप है कि मंत्री जी झूठ बयान दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि झील नहीं हैं। मैंने तब कहा कि वर्मा जी ने कहा कि झील नहीं है, सीपेज है, तो मंत्री जी ने कहा डिप्रेशन है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरी मदद कर दिया, इसलिए मंत्री जी को मानना पड़ा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा आपने यह बताया कि इसके लिए मास्टर प्लान बनाया जायगा, कब मास्टर प्लान वहां बनाया जायगा ? यह मास्टर प्लान के तहत है कि नहीं ? अगर वहां पर सीपेज के अप्रत्यक्ष प्रभाव के कारण जल भराव है तो अब तक योजना न बनाने का क्या कारण है ? आप कहते हैं कि झीलें हैं और हम सब एक स्वर से कहते हैं कि झील नहीं हैं। अगर झीलें हैं, तो आप झीलों का नाम बता दें ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

सीपेज से प्रत्यक्ष रूप से नुक्सान नहीं हुआ है। यह कहा जाता है यह किवानो नदी में जो सीपेज का पानी जाता है, उससे जल भराव हो जाता है। सीतापुर जिले का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। इसके लिए योजना बना कर कार्यवाही की जायगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने साफ जानना चाहा है कि वहां पर कोई झील है, तो उसका नाम बता दें। मान्यवर, गांव में ताल-तलैया तो होती ही हैं। अगर आपने झील शब्द का प्रयोग किया है, तो आप यह बता दें कि वहां पर संदर्भित झील के नाम क्या-क्या हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंन झील नहीं कहा, उन्होंने डिप्रेशन कहा।

श्री मुख्तार अनीस--

जो लिखित उत्तर है, उसमें झील लिखा हुआ है। मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि वहां पर झील नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि वहां पर झील नहीं है। मेरा निश्चित आरोप है कि माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। अगर वहां पर झील है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हू कि वह उनका नाम बता दें कि वहां पर कौन-कौन सी झीलें हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

हो सकता है माननीय मंत्री जी ने डिप्रेशन का मतलब झील से लगा लिया हो।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

या तो क्षमा याचना करें । माननीय मंत्री जी ने सदन को गुमराह किया है । श्रीमन्, मेरी प्रार्थना है आप प्रश्न को स्थगित कर दें क्योंकि मेरी आशंका है आगे भी मास्टर प्लान फर्जी नामों से बनाया जायेगा । माननीय मंत्री जी स्वतः चलें जायं मौके पर और उचित समझे तो विधायकों को भी साथ ले लें । हम सही स्थिति से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहते हैं ।

श्री बीर बहादुर सिंह—

माननीय गुप्त जी को भ्रम हो गया । इसको डिप्रेशन या झोल कर लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मंत्री जी को एपोलाजी करनी होगी । इसके लिये सदन में क्षमा याचना करनी होगी ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, इसके लिखित उत्तर को आप देख लें इसमें उत्तर दिया है जल निकासी हेतु कोई योजना नहीं बनी है और अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि मास्टर प्लान बना है इन गांवों को जोड़ दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने कहा योजना नहीं बनी है । फिर कहा मास्टर प्लान बन रहा है बना नहीं है बन रहा और बना है दोनों की स्थिति में अन्तर है ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, शारदा सहायक में सीवेज की जो समस्या है, इसको सामने रखकर क्या उस तरफ देखने का कष्ट करेंगे कि इसका मुख्य कारण नानब्रेकेबुल वाल का घटिया होना है । यह फाल्टी है, इस सम्बन्ध में मैंने बलबीर सिंह, सिंचाई मंत्री जी को इसको दिखाया था । तो जिन इंजीनियरों ने यह गड़बड़ी की है, उनकी जांच आप करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न नहीं बन रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

सीवेज के बारे में सरकार की अदूरदर्शिता और माननीय मंत्री जी के द्वारा किये जा रहे झूठे बयान के विरोध में मैं अपने दल के समेत सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री मुख्तार अनीस--

मैं कह रहा हूं लहरपुर क्षेत्र में 12-12 किलोमीटर तक पानी भरा हुआ है । आज से हम लोगों का आन्दोलन शुरू हो गया है ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप प्रश्न कर रहे हैं या लेक्चर दे रहे हैं ?

श्री मुख्तार अनीस—

मैं इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री मुख्तार अनीस सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री सन्तबक्श रावत—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शारदा सहायक परियोजना से सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 10 हजार एकड़ कृषि भूमि सीपेज से प्रभावित है जिसमें से अकेले मोहनलालगंज तहसील में 5 हजार एकड़ जलमग्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, इसलिये आप बैठ जायं ।

श्री हर गोविन्द वर्मा—

मान्यवर, मंत्री जी ने किवानो नदी की बात किया है तो मैं जानना चाहता हूं कि यह किवानो नदी कहां से निकलती है और कहां गिरती है ?

(व्यवधान)

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

(अगला प्रश्न पुकारे जाने पर ।)

श्री हर गोविन्द वर्मा—

मान्यवर, मंत्री जी ने हाउस को गुमराह किया है । सीतापुर के सीवेज को लेकर यदि यहां चर्चा नहीं होती है तो मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री हर गोविन्द वर्मा सदन त्याग कर चले गये ।)

बेलरुड़ बांध में कटान के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र पर जांच

*5—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 14 सितम्बर, 1981 को उरुका बेलसड़ बांध वहां के सहायक अभियन्ता की अकर्मण्यता के कारण कट गया ? क्या इस सम्बन्ध में वहां के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर एवं प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री एवं सिंचाई मन्त्री को पत्र माह अगस्त, सितम्बर एवं अक्तूबर, 1981 में प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपाल राम दास—

जी नहीं ।

प्रश्नगत बांध सहायक अभियन्ता की अकर्मण्यता के कारण नहीं कटा था बल्कि उसे उरुका के ग्रामीणों ने काट दिया था ।

इसके सम्बन्ध में श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री अम्बिका सिंह, श्रीमती कमला साहनी एवं श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (प्रश्नकर्ता) के शिकायती पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें

बांध के काटने के साथ अन्य आरोप भी लगाये गये थे। इसकी जांच आख्या अपेक्षित है।

सहायक अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि प्रश्नगत बांध उसकी अकर्मण्यता के कारण नहीं कटा था।

श्री मथुरा प्रसाद पांडेय--

क्या मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर कि इस बांध पर मिट्टी न डालकर उसके इधर-उधर मिट्टी डाली गयी थी जिससे बांध कट गया था, अब उस बन्धे को मजबूत करायेंगे ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह जमींदारी बन्धा था इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है और उसकी मरम्मत की गयी थी लेकिन बूढ़ी राप्ती में बाढ़ एक बार आयी थी जिससे यह हुआ कि बन्धे को लोगों ने काट दिया अपने बचने के लिए। इसलिए माननीय सदस्य की बात है कि उस बन्धे को मजबूत किया जाय, तो उसका प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री माता प्रसाद पांडेय--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जैसा कहा कि गांव वाले बन्ध को काट दिए। तो क्या इस प्रकार की कोई व्यवस्था है कि गांव वालों ने बन्धा को काट दें तो उन पर मुकदमा चलाया जाय। इसलिए चूंकि वह बन्धा काटा गया तो क्या मुकदमा चलाया गया है ? यदि नहीं, तो स्पष्ट है कि इंजीनियरों की अकर्णण्यता के कारण बांध जो कटा है, तो उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं किया है ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

बन्धे की देख-रेख विभाग द्वारा की जाती है लेकिन रात में लोग मिटटी बन्धे को हटा दिया तो उनके ऊपर किस प्रकार एफ0 आई0 आर0 की जाय। यदि बन्धे को काटते हुए लोग पाये जायं तो उन पर कार्यवाही हम करते भी हैं।

[बुधवार, 25 अगस्त, 1982 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

समाज कल्याण विभाग के अनुदान से पोषित विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम का अनुपालन तथा अध्यापकों/कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें

*1--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग की अनुसूचित जातियों/जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग की कल्याण योजना के अन्तर्गत उक्त विभाग के अनुदान से पोषित विद्यालयों को जिन्हें इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट, 1921 तथा उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत मान्यता प्रदान की गयी है, उपर्युक्त अधिनियमों तथा उसके अन्तर्गत निर्मित विनियमों तथा उ0 प्र0 शिक्षा संहिता के प्राविधानों से मुक्त किए जाने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई आदेश जारी किए है ? यदि हां, तो प्रश्नगत विद्यालयों

के अध्यापक कर्मचारी की भर्ती, सेवा की शर्तें और अन्य शर्तें किस अधिनियम तथा नियमावली से नियंत्रित होती हैं ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि क्या संबंधित संस्था को एजूकेशन ऐक्ट के प्राविधान से छूट दी गयी है ? मंत्री जी ने जवाब दिया है कि नहीं क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट, 1921 के प्राविधानों के तहत स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन लागू होनी चाहिए । वह संबंधित विद्यालय में लागू है कि नहीं ?

दूसरी बात यह है कि इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा दूसरे कर्मचारियों के बारे में उनको सेवा में लिए जाने का अनुमोदन जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया गया है या नहीं किया गया है ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, यह स्वैच्छिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं जिनको कि हम अनुदान देते हैं और जो मान्यता प्राप्त हैं। एजूकेशन ऐक्ट का पालन वह कर रही है, यह देखने का उत्तरदायित्व शिक्षा विभाग का है । हम शिक्षा विभाग द्वारा जो मान्यता प्राप्त हैं केवल उन्हें अनुदान देते हैं ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, विधान मंडल के बनाए हुए कानून हैं । माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त जितनी संस्थायें हैं, सब पर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम लागू होगा। विधान मंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को इन संस्थाओं ने लागू नहीं किया है तो क्या राज्य सरकार ने उनको छूट प्रदान की है किसी आदेश के जरिए ।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, जब यह मालूम हुआ कि स्वैच्छिक संस्थायें और स्कूल इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो एक नयी व्यवस्था इस सम्बन्ध में 17 जुलाई को की गयी है । आदेश किया गया है कि जो संस्थायें अनुदान के लिए प्रार्थना-पत्र देंगी उनको डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स द्वारा रिकमेन्ड कराना होगा तभी हम अनुदान देंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि नियम लागू होते हैं या नहीं यह देखने का काम शिक्षा विभाग का है । क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि शिक्षा विभाग की ओर से समय-समय पर कई मामलों में आपके पास इस तरह की रिपोर्ट भेजी गयी है कि नियम लागू नहीं होते ? मिसाल के तौर पर अयोध्या प्रसाद मिश्र, संगीत अध्यापक के बारे में जिला विद्यालय निरीक्षक ने उनकी बहाली की थी । श्रीमती माधुरी पांडेय के सम्बन्ध में सचिव ने आदेश पारित किया था तो उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी है या नहीं ? क्या मंत्री जी ने

इसके बारे म कोई जानकारी की है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी है आदेशों का न पालन करने के सम्बन्ध में ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, मैंने कहा कि एक नया आदेश जारी किया गया है अब हम केवल उन्हीं संस्थाओं को अनुदान देंगे जिनको डी० आई० ओ० एस० रिकमेन्ड करेंगे। माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ संस्थायें नियमों का पालन नहीं कर रही हैं तो हमने शिक्षा विभाग के अधिकारियो और अपने अधिकारियों के साथ बैठ कर 17 जुलाई को निर्णय लिया कि जो संस्थायें अनुदान के लिए प्रार्थना-पत्र देंगी तो डी० आई० ओ० एस० देखेंगे कि वह मान्यता प्राप्ति के जो सिद्धांत हैं उनको पालन कर रही हैं तभी वह हमको रिकमेन्ड करेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, क्या मंत्री जी स्पष्ट आश्वासन देंगे कि अयोध्या प्रसाद मिश्र और श्रीमती माधुरी पांडेय के बारे में जो आदेश किया गया है उसका पालन उस संस्था द्वारा सुनिश्चित करायेंगे और पालन न किए जाने पर उसके अनुसार बन्द करने की घोषणा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, हमने बहुत कड़ा आदेश लागू किया है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, जिनके बारे में मैंने पूछा उनके बारे में जवाब दिलवा दें। मुझे विश्वास है कि मंत्री जी जितने मोटे-ताजे हैं उतने कड़े भी होंगे। मैंने जो पूछा है उनके बारे में शिक्षा विभाग द्वारा पारित आदेश का पालन करा सकेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें कोई दो राय नहीं है कि माननीय मंत्री जी मोटे हैं, लेकिन और चीजों में आप भी कम मोटे नहीं हैं।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, इन दो अध्यापकों के बारे में क्या करने जा रहे हैं, इसका जवाब दिलवा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय समाज कल्याण मंत्री यह केवल यह जानना चाहते हैं कि आप इन दोनों अध्यापकों के बारे में क्या करने जा रहे हैं ?

श्री गुलाब सेहरा—

प्रश्न मान्यवर, इन्होंने जनरल किया था और एक ही विद्यालय में दो अध्यापकों की बात कर रहे हैं, बात कुछ समझ में नहीं आ रही है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा प्रश्न साफ है कि इन दो अध्यापकों के बारे में शिक्षा विभाग द्वारा आदेश पारित किए गए हैं, क्या इन आदेशों का पालन सन्दर्भित विद्यालय द्वारा

करायेंगे और यदि इन आदेशों का पालन नहीं किया जाता है तो क्या उक्त विद्यालय का अनुदान बन्द करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो एक जनरल प्रश्न है, जो बनता नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

शिक्षा विभाग से पारित दो अध्यापकों के बारे जो आदेश किए गए है, उनका क्रियान्वयन संदर्भित विद्यालय द्वारा करायेंगे अथवा नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें न तो किसी स्कूल का नाम है और न ही किसी अध्यापक का नाम है ।

श्री सूबेदार सिंह--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से एक बात तो स्पष्ट है कि जो हरिजन समाज कल्याण द्वारा विद्यालय संचालित हैं, उनमें नियुक्ति के नियम व सेवा शर्तें उन विद्यालयों से भिन्न हैं, जो प्राइवेट संस्था के अधीन हैं । तो मैं इस सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के क्या कोई भी प्राविधान या अधिनियम विधान मंडल द्वारा पारित नहीं किए गए हैं कि उनकी सेवा शर्तें और नियुक्ति सम्बन्धी नियम पृथक् है तो क्या ऐसे विद्यालय शासन के अधिनियमों का उल्लंघन कर सकते हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपका यह प्रश्न कुछ क्लियर नहीं हो सका है ।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि जो सेवा सामान्य स्कूलों पर लागू है, वह प्राइवेट संस्थाओं के स्कलों पर भी लागू हो ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो उत्तर माननीय मंत्री जी ने दे दिया है कि जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, उन्हीं को सहायता देते हैं ।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ के छात्रों तथा कर्मचारियों के बीच झगड़े की घटना

*2--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ में कक्षा 10 के छात्र डोमन व गूजर को आश्रम के रसोइयां कर्मचारियों द्वारा खाना न दिए जाने पर दिनांक 21-4-82 तथा 24-4-82 के मध्य छात्रों, रसोइया तथा स्कूल कर्मचारियों के बीच कोई झगड़ा हुआ था और संस्था के अध्यक्ष कार्यवाहक अधीक्षक ने रसोइयां कर्मचारियों को आदेश दिए थे कि किसी भी छात्र को खाना न दिया जाय और छात्रों को निर्ममता से पिटवाया गया ? क्या इस घटना की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गयी ? यदि हां, तो प्रथम

सूचना रिपोर्ट का पूर्ण विवरण क्या है ? जांच के दौरान क्या तथ्य प्रकाश में आए और सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

सूचना एकत्र की जा रही है । इस हथियार का प्रयोग कब तक करते रहेंगे और हमारे सवाल का जवाब कब तक दे देंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

यह तो एक शैक्षिक संस्था है, जिसको हम केवल अनुदान देते हैं, कई पत्र देने के बाद भी वहां से उत्तर नहीं मिल सका, लेकिन अब हमने उन्हें लिख दिया है कि एक हफ्ते के अन्दर यह सूचना अवश्य भेज दें ।

श्री उपाध्यक्ष --

यह प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि यह लखनऊ से ही सम्बन्धित ह, कहीं बाहर का नहीं है । इसलिए आप इस प्रश्न का उत्तर अगले बुधवार को अवश्य दे दें ।

जोया नलकूप कोठी, मुरादाबाद के पेड़ों की नीलामी

*3--श्री रियासत हुसैन--

क्या सिचाई मन्त्री को विदित है कि जनवरी, 1982 में जोया नलकूप कोठी, मुरादाबाद डिवीजन फर्स्ट के पेड़ नीलाम करके काटे गये हैं ? यदि हां, तो इस नीलामी की क्या आवश्यकता थी और किसके आदेश पर इसका नीलाम हुआ ?

श्री गोपाल राम दास--

प्रश्नगत भवन के अन्तर्गत चहारदीवारी के निर्माण हेतु कुछ पेड़ गिराये गये थे, तथा उनकी नीलामी अधिशासी अभियन्ता के आदेश से जनवरी/फरवरी, 1982 में की गई । यह पेड़ चहारदीवारी के निर्माण के समरेखन में आ रहे थे, अतएव इसको गिराया गया ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि वह दीवार कब बनी थी और पेड़ कब नीलाम हुए ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

11-12-80 को दीवार बनाने के लिए आगणन स्वीकृत किया गया था, उसके बाद नीलाम 3-1-82 को हुआ । स्थिति ऐसी थी कि पेड़ काटने से ही दीवार बन सकती थी । जो सूचना है उसके अनुसार दीवार बनाने के लिए पेड़ काटा गया ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि शीशम की अच्छी लकड़ी के पेड़ थे, जिनको काटकर असिस्टेंट इंजीनियर और इंजीनियर साहब के व्यक्तिगत मामलों के लिए पेड़ों को पहुंचा दिया गया । बाद में प्रश्न होने पर बहुत थोड़ी लकड़ी को नीलाम करके धोखा दिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, श्रीमन्, जांच कराकर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

पेड़ कितने रुपये में नीलाम हुए थे और कुल कितने पेड़ थे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

कुल 9 पेड़ थे, जो कि 6700 रुपया में नीलाम हुए ।

परिवहन निगम में कार्यरत लेखाकारों की आडिटर व सीनियर आडिटर के पद पर नियुक्ति

*4--श्री पंचानन राय--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम बोर्ड के संकल्प संख्या 568/77 द्वारा सृजित सेल में 5 वर्षों के बाद नियुक्तियां किए जाने का क्या औचित्य है ? परिवहन निगम में कार्यरत लेखाकारों को आडिटर एवं सीनियर आडिटर के पद पर नियुक्त न करने के क्या प्रमुख कारण हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, 14 जनवरी को सवाल सरकार को भेज दिया गया । इसमें सूचना भी यहीं से मंगवानी थी । मेरा एक सवाल और था जो अतारांकित में है, मैंने पूछा था कितना घाटा हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप इसी प्रश्न के संदर्भ में बोलें ।

श्री पंचानन राय--

मेरा सवाल चल रहा है कि 2 करोड़ का घाटा है, उससे ज्यादा सही हो गया । इसका उत्तर इसी सत्र में अगले बुधवार को दिलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

किस चीज को इसी सत्र मे ले लिया जाय, किस चीज का उत्तर दिलवा दें ?

श्री पंचानन राय—

प्रश्न संख्या 4 का जवाब अगले बुधवार को इसी पत्र में दिलवा दें। अगले बुधवार के लिए लिस्ट करवा दें।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

माननीय, मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया, जो उत्तर वह चाहते थे, वह आज नहीं मिल सका, सूचना एकत्रित करने में कुछ विलम्ब हुआ। मैं प्रयास करूंगा कि अगले बुधवार को माननीय सदस्य को यह सूचना मिल जाय। उम्मीद है कि यह सूचना मिल जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

अगले बुधवार को इस प्रश्न का उत्तर आ जायेगा।

*5—श्री प्रभू नारायण सिंह—

[11वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजकीय विकलांग कर्मशाला एवं उत्पादन केन्द्र, उन्नाव के प्रशिक्षणार्थियों का अधीक्षक के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

*6—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि उन्हें मास जनवरी या फरवरी, 1982 में राजकीय विकलांग कर्मशाला एवं उत्पादन केन्द्र, उन्नाव में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों का कोई ऐसा शिकायती-पत्र मिला है जिसमें उन्होंने अधीक्षक, राजकीय विकलांग कर्मशाला एवं उत्पादन केन्द्र के विरुद्ध गम्भीर शिकायतें की हैं? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां। राजकीय विकलांग कार्यशाला एवं उत्पादन केन्द्र, उन्नाव के संवासीगण से 25 जनवरी, 1982 का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें वस्त्रों की उचित व्यवस्था का अभाव, असंतुलित भोजन की व्यवस्था तथा दवा की उचित व्यवस्था का न होना आदि की शिकायत की गई थी। इन शिकायतों के निराकरण के लिए निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा 24 अप्रैल, 1982 के केन्द्र अधीक्षक को आवश्यक निर्देश दे दिये गए हैं।

श्री भगवती सिंह विशारद—

मान्यवर, क्या श्रम मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो उनको प्रार्थना-पत्र मिला तो इस पर उन्होंने क्या आदेश किए थे?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, इस पर एक डिप्टी डाइरेक्टर महिला जो कार्यक्रम देखती हैं, उसको डेप्यूट किया गया था कि वह उक्त शिकायतों पर जांच करे और उसकी रिपोर्ट शासन को दे।

श्री भगवती सिंह विशारद--

मान्यवर, एक प्रश्न और कि जिस अधिकारी ने जांच की उन्होंने अपनी जांच की क्या रिपोर्ट दी है ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, उन्होंने कहा कि संघासीगण के प्रतिनिधियों से बात-जीत करने के बाद 4 बिन्दुओं पर सहमति तय हो गयी और उसके अनुरूप आदेश कर दिये गये ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

जिस अधिकारी ने यह अनियमितताये की हैं, उसके विरुद्ध आप अब क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, एक अनियमितता दवाइयों के वितरण के सम्बन्ध में थी और उसके एक नर्स पर आरोप थे, उसको चेतावनी दे दी गयी है और साथ ही उसको स्थानान्तरण के आदेश भी दिये गये हैं ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

उसका नाम तो बता दीजिये ?

श्री गुलाब सेहरा--

निर्मला नाम था । कहिये तो फोटो भी दे दूं ।

ग्राम चन्द्रहापाल बलिया के निर्माणाधीन अहिरौली राजबहा के समरेखन में परिवर्तन

*7--श्री राजकुमार राय, श्री कुवेर भंडारी तथा श्याम नारायन तिवारी--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद के निर्माणाधीन अहिरौली राजबहा माइनर दोहरीघाट नहर के लिए पहले रेखांकन बलिया जिले के सिकन्दरपुर परगना के ग्राम चन्द्रहापाल के पुराने भूक्षेत्र संख्या 470, 495, 496. 481, 482, 483 से स्वीकृत हुआ था और उसी के अनुसार ब्लूप्रिंट भी तैयार हुआ था ? यदि हां, तो क्या कारण है कि अब उसे चन्द्रहापालपुर उपरोक्त के भूक्षेत्र संख्या 502 (बाग) 589, 570, 518, 484 कब्रिस्तान 486 पोखरा से बनाने के लिए कार्यवाही हो रहा है ? क्या पुराना रेखांकन रद्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

श्री गोपाल राम दास--

ग्राम चन्दहापाल परगना सिकन्दरपुर गर्वी तहसील रसड़ा जनपद बलिया के निर्माणाधीन अहिरौली राजबहा के स्वीकृत रेखांकन में पुराने क्षेत्र नम्बर 495, 496, 481, 482 एवं 483 पड़ते थे । जनहित में नहर का रेखांकन बदलकर पुराने खेत नं० 502 बाग 484 एवं 486 से कर दिया गया । नहर का नया समरेखन कब्रिस्तान के लिए सुरक्षित भूमि एवं अधिक उपजाऊ भूमि को प्रभावित होने से बचाने के लिए आवश्यक था । इस प्रकार किया गया समरेखन अधिकतम ऊसर, परती एवं ग्राम समाज की भूमि से होकर जाता है जिससे सिंचाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

श्री राज कुमार राय--

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि क्या रेखांकन का ब्लू प्रिन्ट तैयार हुआ था और यदि तैयार हुआ था, तो कब हुआ था और क्या उसे रद्द कर दिया गया है या नहीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, इसमें तारीख तो नहीं है लेकिन इसमें जो एनायलमेन्ट बना था वह बाद में बदला गया और रास्ता बदलने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कब्रिस्तान के लिए जो रिजर्व भूमि पड़ी है और उपजाऊ जायज भूमि पड़ती है, यह सब देखते हुए थोड़ा सा बदलाव किया गया है ।

(संसदीय कार्य मंत्री द्वारा किसी सदस्य से आपस में बात करने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी आप बजाय सदन की तरफ मुखातिब होने के बातों में ज्यादा रस ले रहे हैं ।

श्री राजकुमार राय--

ब्लूप्रिंट कब रद्द हुआ ? मेरी यह निश्चित सूचना है कि ब्लूप्रिंट नेता विरोधी दल जो तत्कालीन सिंचाई मन्त्री थे उनके जमाने में रद्द किया गया है जान बूझ कर । मैं पूछना चाहता हूं कि जब यह प्रश्न प्राप्त हुआ कि भूक्षेत्र संख्या 502 बाग 484 कब्रिस्तान और 486 पोखरा है तो इसको वहां से हटा कर कौन सा जनहित किया गया ? इस तरह से हजारों लाखों रुपया जो गरीबों पर खर्च किया जा सकता था उसके बजाय उससे कई बड़े-बड़े ठेकेदारों और इंजीनियरों का ही पेट भरेगा और इस तरह से एक बड़े काश्तकार के खेत को निकालने के लिए 24 छोटे-छोटे काश्तकारों के खेतों को ले लिया गया तो इससे कौन सा जनहित हुआ ? बाग कब्रिस्तान और पोखरा के बारे में प्रश्न में ही लिखा गया है कि भूक्षेत्र 502 बाग, 484 कब्रिस्तान और 486 पोखरा है ...

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय राजकुमार जी, अभी थोड़ी देर पहले माननीय भगवती सिंह जी विशारद प्रश्न कर रहे थे । मैं चाहूंगा कि आप उनके प्रश्न करने का तरीका ही इस्तेमाल करें । प्रश्न बिल्कुल सीधा होना चाहिये । उन्होंने एक अच्छा नमूना रखा ।

श्री राजकुमार राय--

प्रश्न में ही इसका उल्लेख है कि भूक्षेत्र 502 बाग, 484 कब्रिस्तान और 486 पोखरा है जिससे नहर ले जाने का संरेखन किया गया था तो फिर इसको बाग और कब्रिस्तान से ले जाने में कौन सा जनहित हो रहा है जब कि पहले नहर का रेखांकन हो गया था ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

भूक्षेत्र 486 पोखरा नहीं है वास्तव में वह समतल भूमि है और बेकार पड़ी हुई है । जहां तक भूक्षेत्र 484 नं0 की बात है जिसे कब्रिस्तान कहा जाता है, तो कब्रिस्तान से नहीं बल्कि उसके किनारे से नहर निकालने की बात की गई है ।

श्री राज कुमार राय--

मान्यवर, 489 नं0 भी उसमें संरेखन हुआ है और माननीय मन्त्री जी ने इसके बारे में कोई उत्तर नहीं दिया । मौके पर और कागजात में यह पोखरा अंकित है । उसकी फोटो स्टेट कापी भी मेरे पास मौजूद है, जो नहर का संरेखन हुआ है उसकी कमी भी मेरे पास मौजूद है । यदि आप चाहें तो इसको देख लें । माननीय मन्त्री जी ने कहा कि वहां कोई कब्रिस्तान नहीं है जब कि कागज में कब्रिस्तान दर्ज है । तो क्या मेरी सूचना को सही मानकर माननीय मंत्री जी इसका निरीक्षण करा लेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय सदस्य कहते हैं तो मैं उसकी जांच करा लूंगा ।

बलिया जनपद में ग्राम सभा रामपुर चीटक क्षेत्र में टोन्स नदी से कटान रोकने हेतु योजना

*8--श्री गौरी शंकर भैय्या--

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि बलिया जनपद के ग्राम सभा रामपुर चीटक टोन्स नदी के कटान से खतरा उत्पन्न हो गया है ? क्या इसको रोकने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपाल राम दास--

जी हां ।

प्रश्नगत क्षेत्र में कटान रोकने हेतु 10.96 लाख रुपये की योजना बनाई गई है जिस पर कार्य प्रारम्भ हो गया है ।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि रामपुर चीटक में कितनी दूरी में कटान हो रहा है और जो कार्य प्रस्तावित है, वह क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जो कटान हो रहा है उसको रोकने के लिए 6 डैम्प बनाये जा रहे हैं । यह टी0 ए0 सी0 से भी एप्रूव हो चुका है और 10,96,000 रुपये की स्कीम है जिस पर काम चल रहा है ।

श्री राम गोविन्द--

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर चीटक में जो कटान हो रहा है, उसके कारण वहां जो लिफ्ट पम्प नहर योजना है, उसको भी गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि ऐसा है तो सरकार उसको बचाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, इसको दिखवा लिया जायेगा और जो कार्यवाही आवश्यक होगी वह की जायेगी ।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

क्या माननीय मन्त्री जी मेरी सूचना को सही मानकर कि वहां पर 2 कि० मी० में कटान हो रहा है और वहां पर सरकार की जो लिफ्ट पम्प नहर योजना है वह भी उससे प्रभावित हो रही है, यह जो धनराशि है यह उस कटान को रोकने के लिए काफी नहीं होगी। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस धनराशि को बढ़ाकर 2 कि० मी० में लगातार पिचिंग करने का आदेश देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उसको दिखवा लिया जायेगा कि क्या करने से क्या फायदा होगा और तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश की नहरों की सिंचन क्षमता

*9—श्री जयदीप सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित नहरों की बढ़ती सिंचन क्षमता एवं प्रत्येक वर्ष इन नहरों द्वारा वास्तविक सिंचाई के गिरते हुए प्रतिशत का क्या कारण है ? वास्तविक सिंचाई का प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या-क्या प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

श्री गोपाल राम दास—

योजना काल से पूर्व नहरों से प्रदेश की सिंचन क्षमता 2587 हजार हेक्टेयर थी, जो बढ़कर जून, 1981 तक 6282 हजार हेक्टेयर हो गई है। नवीन योजनाओं से सिंचन क्षमता का सृजन तो हो जाता है परन्तु उसके उपभोग में 7 वर्ष का समय लगता है सींच में कमी का कारण पम्प नहरों हेतु विद्युत की कमी भी है। वर्ष 1981 के अंत तक निर्धारित मापदन्ड के अनुसार, उपयोगी सिंचन क्षमता 5235 हजार हेक्टेयर होती है, जिसके समक्ष, वास्तविक उपयोग 4912 हजार हेक्टयर है। यह लगभग 94% है। नई बड़ी सिंचन प्रणालियों जैसे गण्डक नहर, रामगंगा परियोजना व शारदा सहायक परियोजना में समादेश क्षेत्र प्राधिकरणों की स्थापना की गई है जो सृजित सिंचन क्षमता के शीघ्र उपयोग हेतु कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री जयदीप सिंह—

मान्यवर, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए माननीय मंत्री जी के सिंचाई विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने एक नई कैटगरी बनाई है जो उपयोगी सिंचन क्षमता की है। आज तक जो आंकड़े थे वह सिंचन क्षमता के और उसके वास्तविक उपयोग के थे। तो इनके आंकड़ों के अनुसार लगभग 69 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन हो चुका है जिसमें वास्तविक उपयोग 49 लाख हेक्टेयर है। तो यह जो अनुपयोगी क्षमता 20 लाख हेक्टेयर की है, क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इसका कारण सिंचाई परियोजनाओं का गलत डिजाइन, सिंचाई परियोजनाओं का सही रखरखाव और सफाई न होना और कच्ची नहरों से लीकेज है ? यदि हां, तो क्या इस 20 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता का उपयोग करने के लिए मंत्री जी कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाता है और यह 7 वर्ष में 100 प्रतिशत हो जाता है ।

पिथौरागढ़ जनपद में बड्डा-क्वीतड़ मोटर मार्ग का निर्माण

*10-श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में बड्डा-क्वीतड़ मोटर मार्ग को स्वीकृत हुए 4 वर्ष हो गये हैं ? क्या उक्त मार्ग में निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्नगत मार्ग के प्रथम 3·00 किलोमीटर लम्बे भाग की स्वीकृति दिनांक 9 फरवरी, 1979 को दी गई और मार्ग के शेष भाग 15.00 किलोमीटर की स्वीकृति दिनांक 21 अप्रैल, 1980 को दी गई ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ जनपद के मौजा सारहु कस्बा के किसानों की अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा

*11-श्री खैरुल बशर--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मौजा सारहु, कस्बा परगना मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ में टोंस नदी के दक्षिण किनारे पर नगर सुरक्षा बांध के निर्माण हेतु 1977 में किसानों की कृषि योग्य भूमि एक्वायर की गई थी जिसका मुआवजा सरकार ने अब तक नहीं दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार उन काश्तकारों को मुआवजा देने के लिए क्या कर रही है और कब तक तमाम किसानों को मुआवजा मिल जाएगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

प्रतिकार के भुगतान की स्वीकृत के सम्बन्ध में सचिव, राजस्व परिषद, लखनऊ एवं आयुक्त, गोरखपुर मंडल द्वारा कुछ आपत्तियां की गई थीं । अब प्रश्नगत मामला पुनः उप भूमि अध्याप्ति अधिकारी, संयुक्त संगठन, आजमगढ़ द्वारा आयुक्त, गोरखपुर मन्डल की प्रतिकर स्वीकृत हेतु प्रेषित किया गया है । स्वीकृति मिल जाने पर मुआवजे का वितरण कर दिया जायेगा ।

फैजाबाद बस स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा हेतु निर्मित ओवर हेड टैंक

*12-श्री अकबर हुसैन--

क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि फैजाबाद बस स्टेशन पर सन् 1978 में 5 लाख रुपए की लागत से यात्रियों के लिए पानी की सुविधा हेतु ओवर टैंक

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उपरान्त तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

बनाया गय था ? यदि हां, तो अब तक यात्रियों को पानी की सुविधा उपलब्ध न कराने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी नहीं ।

वर्ष 1979 में लगभग 56,000 रु0 की लागत से फैजाबाद डिपो कार्यशाला में बसों की समुचित धुलाई एवं पेय जल की अधिक सुविधा प्रदान करने हेतु एक ओवरहेड टैंक का निर्माण सम्पन्न कराया गया था । इस टंकी को यथाशीघ्र चालू करने की कार्यवाही की जा रही है । विलम्ब के कारणों की जांच कराकर उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी ।

आजमगढ़ जनपद के ग्राम गोपाल पट्टी में सिंचाई विभाग द्वारा अध्याप्त भूमि का मुआवजा

*13--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 78 में शारदा सहायक खण्ड 14, फैजाबाद नगर के निर्माण हेतु 25 एकड़ 170 कड़ी जमीन ग्राम गोपाल पटटी, तहसील फूलपुर, जिला आजमगढ़ में उक्त नगर निर्माण हेतु ली गयी थी ? क्या जिन-जिन की जमीनें ली गयीं उनको प्रतिकर का धन शासन द्वारा भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

सिंचाई विभाग द्वारा प्रतिकर की धनराशि 7,35,000 रु0 विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, आजमगढ़ को वर्ष 1980-81 में उपलब्ध करा दी गयी थी तथा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा ग्राम गोपाली पट्टी का भूमि प्रतिकर प्रपत्र तैयार किये जा रहे हैं और शीघ्र मुआवजा वितिरित किया जायेगा ।

सिंचाई विभाग में ठेकेदारी-प्रथा

*14--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार सिंचाई विभाग में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करेगी और निर्माण कार्य विभागीय स्तर पर कराया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं, क्योंकि सिंचाई विभाग के सभी कार्य विभागीय तौर पर कराना व्यवहारिक नहीं है ।

विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त नलकूप परियोजना

*15--श्री थम्मन सिंह गहलौत--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश शासन को एक हजार नलकूप लगाने के लिए ऋण देना स्वीकार किया है?

यदि हां, तो वह एक हजार नलकूप कहां–कहां किस आधार पर लगाए जाने का कार्यक्रम शासन द्वारा बनाया जा रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

जी नहीं ।

परन्तु 500 नलकूप की परियोजना पर विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त की गई थी। इस परियोजना में सभी नलकूप छिद्रित हो गये हैं ।

पर्वतीय क्षेत्र के योजना परिव्यय में असंगतियों के लिये आरक्षित धनराशि

*16––श्री कुंवर सिंह नेगी––

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982–83 में पर्वतीय आय–व्ययक इनटाइटिलमेंट प्रतिशत में से असंगतियों आदि हेतु आरक्षित 20 प्रतिशत के अन्तर्गत जो 12·55 करोड़ की जिला सेक्टर की परिव्यय की धनराशि रखी गयी है उसका उद्देश्य क्या है और कौन उसे व्यय की अनुमति देगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य––

पर्वतीय क्षेत्र की वर्ष 1982–83 योजना परिव्यय में पर्वतीय जनपदों की जिला सेक्टर योजनाओं हेतु देय कुल धनराशि (इन्टाइटिलमेन्ट) में 20 प्रतिशत अर्थात् 12·55 करोड़ रु0 की धनराशि प्रारम्भ में उत्पन्न होने वाली असंगतियों के लिये आरक्षित की गई थी ।

पूर्व में विभिन्न जनपदों में योजनाओं का कार्यान्वयन तत्समय आंकी गई आवश्यकताओं के अनुरूप किया जा रहा है । विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत शासन द्वारा जिला सेक्टर की योजनाओं के लिए धनराशि के आवंटन हेतु कुछ मानक निर्धारित किये गये जिनका इससे पूर्व में उसी अनुपात में ध्यान नहीं रक्खा जाता रहा है । ऐसी स्थिति में असंगतियां स्वभाविक थीं ।

असंगतियों के लिये आरक्षित धनराशि के व्यय की अनुमति शासन स्तर से दी जा चुकी है ।

अकबरपुर, फैजाबाद में परिवहन डिपो वर्कशाप

*17––श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी तथा श्री प्रियदर्शी जेतली––

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जनपद फैजाबाद में डिपो हो जाने के बावजूद भी कोई नियमानुसार वर्कशाप अब तक नहीं स्थापित हुआ ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त कार्यवाही विभाग द्वारा कब तक की जायेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य––

जनपद फैजाबाद के अकबरपुर में अभी तक डिपो वर्कशाप स्थापित नहीं किया गया है । अकबरपुर अभी एक उपडिपो है और वहां पर केवल 20–22 बसों का ही संचालन होता है । अतः उनकी मरम्मत एवं रख रखाव की व्यवस्था इस समय कुछ तकनीकी स्टाफ एवं कुछ आवश्यक उपकरण लगा कर बस स्टेशन के ही एकशेड में कर दी गयी है । संचालित बसों की संख्या कम होने के कारण इस समय अकबरपुर में डिपो वर्कशाप बनाने का कोई विचार नहीं है ।

शारदा सहायक परियोजना की नहरों के निर्माण पर व्यय, सीपेज से हुई क्षति की पूर्ति तथा सीपेज की समस्या का निदान

*18—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक परियोजना में बनी नहर पर सरकार का कितना पैसा खर्च करने की योजना थी ? क्या उस योजना के अन्तर्गत नहर को पक्का बनाना भी था ? क्या सरकार यह भी कृपया बतायेगी कि इससे जो लाखों एकड़ जमीन सीपेज से नष्ट हो गयी है उनके किसानों की फसलों का मुआवजा देकर नहर को पक्का बना कर तथा ड्रेनेज गहरी बना कर नदी में मिला कर सीपेज समाप्त करने का प्रयास किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शारदा सहायक परियोजना में बनी नहरों पर 314·85 करोड़ रुपये की धनराशि के व्यय का प्राविधान है । परियोजना की 258·8 कि0 मी0 लम्बी शारदा सहायक पोषक नहर को कुछ भागों में लगभग 70·0 कि0 मी0 की लम्बाई में, पक्का करने का प्राविधान था जो पूरा किया जा चुका है ।

शारदा सहायक प्रणाली पर सीपेज से इस समय लगभग 7528 हेक्टेयर भूमि प्रभावित है । सीपेज से हुई क्षति के लिए मुआवजा देने का प्राविधान नहीं है । समस्त नहरों को पक्का बनाना प्रस्तावित नहीं है ।

सीपेज की समस्या के निदान हेतु पोषक नहर एवं वितरण प्रणाली की मुख्य शाखों के दोनों किनारों पर सीपेज ड्रेन्स का निर्माण किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त कमाण्ड क्षेत्र में भी नई ड्रेन्स का निर्माण किया जा रहा है एवं वर्तमान ड्रेन्स की क्षमता आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा रही है ।

अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग का आरक्षण कोटा पूरा करने हेतु शिक्षण केन्द्र

*19—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अनुसूचित एवं अनुसूचित जन-जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षित कोटे को पूरा करने के लिए सरकार हर जिला केन्द्रों पर या कमिश्नरी स्तर पर शिक्षण केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है ताकि प्रतियोगिताओं में अच्छे प्रतियोगी बन सकें ? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षित कोटे को पूरा करने के लिए जिला केन्द्रों या कमिश्नरी स्तर पर शिक्षण केन्द्र खोलने सम्बन्धी कोई योजना नहीं है ।

श्री प्रेम चन्द्र, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड टिहरी द्वारा अनियमित रूप से कराई गई निविदाएं

*20—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड टिहरी, दिनांक 10 जनवरी, 1981 को अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नत किए गए और उन्होंने जिला पिथौरागढ़ में कार्यभार भी ग्रहण कर लिया था ? यदि हां, तो इसके बाद भी उन्होंने टिहरी सिंचाई खण्ड में बिना निविदाय आमंत्रित किए कई लाख के ठेकों के अनुबन्ध किए हैं ? यदि हां, तो क्यों और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शासन के दिनांक 10 दिसम्बर, 1980 के आदेश द्वारा श्री प्रेम चन्द्र, अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड टेहरी को अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर पिथौरागढ़ में स्थापित किया गया । उन्होंने पिथौरागढ़ मंडल में अधीक्षण अभियंता के पद का कार्यभार दिनांक 13 दिसम्बर, 1980 को संभाला तथा सिंचाई खन्ड, टेहरी के अधिशासी अभियंता के पद का कार्यभार दिनांक 10 जनवरी, 1981 को छोड़ा । श्री प्रेम चन्द्र 13 दिसम्बर, 1980 से 10 जनवरी, 1981 की अवधि में पिथौरागढ़ के अधीक्षण अभियंता के पद के कार्यभार में रहते हुये बिना उच्चाधिकारियों की स्वीकृति के अपने पूर्व पद (अधिशासी अभियंता, सिंचाई खन्ड, टेहरी) पर बने रहे । उक्त अवधि में उन्होंने 12 निविदाय 62,340 रु0 से 4·00 लाख रु0 तक के बिना सूचना निदेशालय के माध्यम से किसी समाचार-पत्र में प्रकाशित कराये और प्राप्त करके खोली तथा उनके अनुबंध किये । उक्त अनियमितता के लिए श्री प्रेम चन्द्र के विरुद्ध आरोप-पत्र बनाने का आदेश दे दिया गया है ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कृषि योग्य वन भूमि भूमिहीनों को आवंटित किए जाने पर विचार

**1—श्री मित्रसेन तथा श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनों की बढ़ती हुई संख्या एवं बेरोजगारी को देखते हुए कृषि योग्य वन भूमि को भूमिहीनों में आवंटित करने पर प्रदेश सरकार कोई विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री संजय सिंह)—

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है क्योंकि प्रदेश में वन क्षेत्र को बहुत कमी है और राष्ट्रीय वन नीति, अर्थ व्यवस्था, पर्यावरण, भूमि एवं जन संरक्षण की दृष्टि से भी वन भूमि को कृषि के प्रयोजनार्थ दिया जाना सम्भव नहीं है ।

श्री मित्र सेन—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूमिहीन हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में वन विभाग के लिए भूमि ली गई, जिस पर

जमींदारी एबोलिशन से आज तक वन विभाग वालों ने वृक्षारोपण नहीं कर सके, उस जमीन को ग्राम समाज में स्थानान्तरित करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसका उत्तर उन्होंने दे दिया कि ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, जमींदारी एबोलिशन के बाद साढ़े 14 लाख एकड़ जमीन वन विभाग को दी गई । 10 प्रतिशत जमीन पर जंगल लगे हैं, बाकी जमीन खाली पड़ी हुई है और लोगों के अनाधिकार कब्जे में है । वन विभाग के कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं । जब तक उस पर जंगल नहीं लगा सके तब तक उसको भूमिहीनों को देने में या टांगिया सिस्टम पर प्लान्ट कराने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री संजय सिंह--

मान्यवर, इस तरह के प्लान्टेशन की ओर विभाग द्वारा व्यवस्था हो रही है । भूमिहीनों के लिए हम लोगों ने सनद सिस्टम किया है, जो वन लगाना चाहते हैं उनके लिए ऐसी व्यवस्था की है ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहत हूं कि जो सीलिंग से जमीन निकली है और बड़े-बड़े प्लांट हैं वह वनों के अन्दर ले लिए गये हैं, वह जमीन भूमिहीनों को वितरित नहीं की गई है और वन विभाग भी उस पर वन लगाने में ऐक्टिव नहीं है बल्कि उसके कर्मचारी रुपया लेकर दूसरों से उस जमीन को जुतवाते हैं । सीलिंग से निकली जमीन को भूमिहीनों को देना अच्छा है या उस पर वन लगाना ?

श्री उपाध्यक्ष--

सीलिंग की जमीन जंगल के लिए नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन--

वह जमीन भूमिहीनों को नहीं दी जा रही है, वन विभाग को दी जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

कौन कह रहा है ?

श्री रियासत हुसैन--

रेवेन्यु डिपार्टमेंट कह रहा है । मैं गांव का नाम बता सकता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप गांव का नाम न बतायें, प्रश्न कीजिए ।

श्री रियासत हुसैन--

जो सीलिंग से जमीन निकली है उसमें 5-5 एकड़ से ज्यादा के प्लाट हैं। उनको रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट भूमिहीनों को इसलिए नहीं आवंटित कर रहा है क्योंकि यह वन विभाग के लिए सुरक्षित है। और वहां वन नहीं लगाये। वन विभाग द्वारा और पुराने जमींदारों से मिलकर वहां पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है इसलिये क्या मन्त्री जी ऐसी पालिसी के ऊपर विचार करेंगे कि जो वन विभाग के कब्जे में सीलिंग की निकली हुई जमीन है, उसको भी भूमिहीनों में कृषि के लिये वितरित करेंगे ?

श्री संजय सिंह--

मान्यवर, वन विभाग के पास जो भी जमीन है, वह राष्ट्रीय वन नीति के हिसाब से कम है, ऐसी कोई नीति नहीं है जो वन विभाग की जमीन है वह भूमिहीनों में आवंटित की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

उनका प्रश्न यह था कि जो सीलिंग से निकली जमीन है, जिसके बारे में चकबन्दी विभाग यह कहता है कि वह वन विभाग के कब्जे में है, क्या उसको भूमिहीनों में आप वितरित करेंगे।

श्री संजय सिंह--

मान्यवर, यह राजस्व विभाग से सम्बन्धित प्रश्न है। यह नीति विषयक मामला है। एसी कोई नीति नहीं है कि इस तरह की भूमि को आवंटित किया जाय।

(व्यवधान)

श्री हुकम सिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि सीलिंग से जो सरप्लस जमीन निकली उसमें काफी जमीन वन विभाग को दी गई। वह कितनी जमीन है और क्या उसमें खेती हो रही है या खाली पड़ी है अथवा उसमें वन लगाये जा रहे हैं ?

श्री संजय सिंह--

वन लगाये जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है। इसी से सम्बद्ध प्रश्न पूछिये।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, मैंने आपकी अनुमति से प्रश्न किया था और काफी रेलिवेन्ट था लेकिन माननीय मन्त्री जी काफी तेज स्पीड से चल रहे हैं, मैं फिर पूछ रहा हूं कि सीलिंग में जो सरप्लस जमीन घोषित हुई उसमें काफी जमीन वन विभाग को आवंटित की गई, वह कितनी है और....

श्री उपाध्यक्ष--

आप फिर विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री भीखा लाल--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग की जमीन के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने बताया कि यह राजस्व विभाग से सम्बन्धित है लेकिन यह मसला वन विभाग से ही सम्बन्धित है। मैं लखीमपुर की मिल नं0 तीन जिसके बारे में मैंने यहां पर प्रश्न भी किया था, जिसमें 100 एकड़ जमीन सीलिंग से निकली थी, वह वन विभाग को दी गई थी क्या आपने उसको टांगिया प्लान्टेशन के अन्तर्गत लिया है या उस भूमि को भूमिहीनों में आवंटित कर दिया है ?

श्री संजय सिंह--

उस भूमि को आवंटित करने की कोई नीति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

जो जमीन सीलिंग से निकली है और वन विभाग को दी गई है, जब तक उसमें आप वन नहीं लगाते हैं तब तक क्या आप उस भूमि को किसानों में आवंटित करेंगे ?

श्री संजय सिंह--

ऐसी सरकार की कोई नीति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री भीखा लाल--

ऐसी नीति है।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक नया सनद सिस्टम लागू किया गया है और उसमें लोगों को जमीन दी है और उसमें पेड़ लगवा दिये हैं। उसकी रूपरेखा क्या है और कहां पर यह सिस्टम लागू किया गया है ?

श्री संजय सिंह--

अगर कोई वन विभाग की जमीन में पेड़ लगाना चाहता है तो उसके लिए उसे इजाजत दे दी जाती है कि वह उसमें पेड़ लगा ले और उसकी रक्षा करें। यह सनद सिस्टम है।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सनद सिस्टम सूबे में कहीं लागू भी हुआ है ?

श्री संजय सिंह--

यह सिस्टम पूरे प्रदेश में लागू है। जो वन लगाना चाहता है उसको तो भूमि दिये जाने का अधिकार नहीं है, पर जो वृक्ष लगाना चाहता है उसमें वृक्ष लगाने वाले को उस वृक्ष पर पूरा अधिकार रहता है, केवल उसे काटने के लिये आज्ञा प्राप्त करनी होती है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या मेरी सूचना को सही मानकर माननीय मंत्री जी ऐसा आश्वासन देंगे कि वन विभाग की भूमि पर जो लोग 20-20 सालों से अपना मकान बना कर रह रहे हैं वह भूमि उन्हीं लोगों को दे दी जायेगी, जो रह रहे हैं ?

श्री संजय सिंह--

ऐसी कोई सूचना हमें नहीं है, पर अगर कोई सूचना मिलेगी तो उसको देख लिया जायगा ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

सड़कों के किनारे गांवों के पास कटीले तार लगाकर वन विभाग वाले वृक्ष लगाते हैं, जिससे गांव के लोगों तथा जानवरों का निकलना कटीले तारों की वजह से मुश्किल हो जाता है । तो क्या सरकार ऐसे आदेश देंगे कि गांव के किनारे वनों की भूमि अधिग्रहण न करके वहां वन न लगाये जांय ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न इस प्रश्न से कहां उठता है, आप अलग से यह प्रश्न कर लें ।

(अगला प्रश्न लिये जाने पर)

(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ वर्मा--

आप मुझे प्रश्न नहीं करने दे रहे हैं, मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री गोपीनाथ वर्मा सदन त्याग कर चले गये)

आटो ट्रैक्टर्स लि0, प्रतापगढ़ के जनरल मैनेजर के पद हेतु साक्षात्कार

**2--श्री रामेश्वर नाथ चौबे तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 19-2-1982 को आटो ट्रैक्टर्स लि0, प्रतापगढ़ के जनरल मैनेजर के पद हेतु मुख्य सचिव (श्री टी0 पी0 तिवारी) की अध्यक्षता में साक्षात्कार किया गया था ? यदि हां, तो अभी तक उसका परिणाम घोषित न करने का क्या कारण है ? इस बीच उक्त पद के कार्य-संचालन हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

आटो ट्रैक्टर्स लि0, प्रतापगढ़ के जनरल मैनेजर (प्रोडक्शन) के पद पर चयन हेतु प्राधिकृत चयन समिति द्वारा तत्कालीन मुख्य सचिव, श्री टी0 पी0 तिवारी की अध्यक्षता में दिनांक 19 फरवरी, 1982 को साक्षात्कार हुआ था । योग्यता, अनुभव आदि का मूल्यांकन करने के उपरान्त ब्रिगेडियर के0 एस0 एस0 भगत को चुना गया था किन्तु ब्रिगेडियर भगत द्वारा उक्त पद को स्वीकार न करने के कारण रिक्त पद की पूर्ति हेतु पुनः राष्ट्रीय समाचार पत्रों में मांग प्रकाशित कर प्रार्थना-पत्र मांगे गए । इस पद हेतु साक्षात्कार माह सितम्बर, 1982 के द्वितीय सप्ताह में होगा ।

जनरल मैनजर की अनुपस्थिति में ट्रैक्टर बनाने सम्बन्धी सारे प्राविधिक कार्य की देखरेख और समन्वय वरिष्ठ प्रबन्धक (उत्पादन) ने किया।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब ब्रिगेडियर भगत का चयन किया गया था तो क्या उन्होंने दरखवास्त दी थी और यह साक्षात्कार में आये थे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, साक्षात्कार में आये थे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा चयन की प्रक्रिया होती है, जिन लोगों का चयन होता है, उससे 25 प्रतिशत अधिक व्यक्तियों को सूचित किया जाता है और एक से अधिक लोगों का सूचा बनाई जाती है इसमें भी बनायी गयी होगी ताकि अगर नम्बर एक का आदमी पद पर आने से अस्वीकार कर दे तो दो नम्बर के आदमी को लिया जा सके । इसमें दूसरे नम्बर के आदमी को चयनित न करने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह बात सही है कि वेटिंग लिस्ट नहीं बनी । इसमें कुल 16 प्रार्थना-पत्र आये थे, जिसमें साक्षात्कार में केवल भगत को चुना गया था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

नियम यह है कि जब चयन किया जायेगा उसमें 25 प्रतिशत आदमियों को बुलाकर वेटिंग लिस्ट बनेगी । तो उस चयन सूची में किस क्रम से चयन किया गया; जब श्री भगत नहीं आये तो नम्बर दो के व्यक्ति को न लेने का क्या कारण है ? यह कहेंगे कि ज्वाइन करके छोड़ गये तो उनकी नियुक्ति कब हुई थी और उनके बाद अस्वीकृति कब भेजी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मेरे पास यह सूचना नहीं है कि चयन में भगत के अलावा कोई और रखा गया । यह जो सूची है इसमें भगत का चयन 19 फरवरी को हुआ है और उसके बाद उन्होंने मई, 1982 में अस्वीकृति भेजी और कहा कि वह आटो ट्रैक्टर का कार्यभार नहीं संभाल सकेंगे । किसी प्राइवेट में उनको ज्यादा पैसा मिल गया इसलिए ज्वाइन नहीं करेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जो मूल विज्ञापन निकला था उसमें आयु सीमा क्या थी और श्री भगत की आयु क्या थी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

श्रीमन्, पत्रावली में विज्ञापन जरूर होगा। एक सामान्य नियम है कि वेटिंग लिस्ट जरूर बनेगी। मान लीजिये पहले आदमी ने ज्वाइन नहीं किया या वह दिवंगत हो गया तो फिर बार-बार साक्षात्कार करें और उसमें व्यय हो उसके लिए वेटिंग लिस्ट बनती है। चूंकि वहां के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक से इनकी बनती नहीं थी और जो विज्ञापन हुआ था उसमें 45 साल की अधिकतम आयु सीमा थी और श्री भगत 54 वर्ष के हैं। तो यह सब क्यों किया गया इसके बारे में क्या माननीय मुख्य मन्त्री जो सारे तथ्यों की जांच कराने की कृपा करेंगे ? यह केवल आपसी रागद्वेष के कारण किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या आर्डी के आदमी को छूट नहीं मिलती है ?

श्री वीरबहादुर सिंह--

इसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गयी है और वह सारे रूल्स के अनुसार चयन करते हैं। जो चयन समिति ने किया है, वह ठीक है, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरी आपत्ति चयन समिति द्वारा चयन करने के लिए नहीं है। एज की जो बात है, उसमें चयन समिति पर बात आती है। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि जो नम्बर दो का व्यक्ति है उसको न लेने पर क्या आपत्ति है ? उनको अधिकतम सीमा पार करा लिया गया।

श्री वीरबहादुर सिंह--

भगत जी ने कहा था कि हम उसको ज्वायन करेंगे, लेकिन बाद में जब उनको कोई अच्छी आय वाली जाब मिल गई तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। पहले उन्होंने कहा था कि हम इसको ज्वायन करेंगे।

श्री रियासत हुसैन--

उस हाई पावर कमेटी ने बावजूद इसके कि 6 आदमी इन्टरव्यू में आए, कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनाई और विज्ञापन के अनुसार 45 से 50 वर्ष की आयु सीमा होते हुए भी उनको चुनाव किया जो 54 वर्ष के थे, तो क्या उस हाईपावर कमेटी ने यह टिप्पणी दी थी कि हालांकि 45 से 50 वर्ष की आयु के 6 आदमी इन्टरव्यू में आए, हमने इस रीजन से 54 वर्ष वाले को चुना है और हमने मेरिट-लिस्ट इस कारण नहीं बनाई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मैंने कहा है कि इसकी हमें सूचना नहीं है, लेकिन यह सही है कि कमेटी ने इन सारी चीजों को देखकर ही सबसे उपयुक्त आदमी को चुना है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब प्रश्नों का समय समाप्त।

नोट :--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

अतारांकित प्रश्न

सिंचाई विभाग के ड्रेनेज खण्ड प्रथम, बस्ती के हेड मुन्शी, स्वर्गीय श्री अजीज हसन रिजवी के पुत्र श्री सैय्यद जहीर हसन रिजवी की नियुक्ति

1—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री सैयद जहीर हसन रिजवी, जिनके पिता श्री अजीज हसन रिजवी, जो सिंचाई विभाग के ड्रेनेज खन्ड, प्रथम, बस्ती में हेड मुन्शी थे, की सेवाकाल में ही 12 अप्रैल, 1981 को मृत्यु हुई थी, को शासनादेश संख्या 6/12/1973 नियुक्ति-4, दिनांक 21 दिसम्बर, 1973 के अन्तर्गत अभी तक नियुक्ति में क्यों नहीं लिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शासनादेश संख्या 6/12/1973 नियुक्ति 4, दिनांक 21-12-73 के अन्तर्गत श्री सैय्यद जहीर हसन रिजवी को नैत्यिक कोटि लिपिक के पद पर नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है।

शारदा सहायक कैनाल से जिला गाजीपुर के कतिपय ग्रामों की भूमि का जल प्लावन, मुआवजा तथा शारदा सहायक के पुलों का निर्माण

2—श्री रामधनी तथा श्री राम करन—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक कैनाल प्रखन्ड 23 से ग्राम जगदीशपुर सेमरौली, गहनी प्यारेपुर, तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर में सैकड़ों एकड़ जमीन विभागीय अव्यवस्था के कारण जल प्लावित है ? यदि हां, तो जल प्लवित खेतों का मुआवजा दिया जायगा ? क्या मन्त्री महोदय यह भी बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक कैनाल प्रखन्ड 23-बी की सभी पुलियां तीन वर्ष पूर्व तोड़ दी गयी हैं ? पुलिया तोड़वाने में कितना खर्च पड़ा है ? कितनी नई पुलियां बनी और कितनी शेष हैं तथा वे कब तक बनेंगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ग्राम जगदीशपुर, सेमरौली, गहनी तथा प्यारेपुर, तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर में सिंचाई विभाग के कारण कोई फसल जल प्लावित नहीं हुई और न ही कोई मुआवजा दिया जाना है ।

ठेकमा राजबाहे पर पुराने 67 पुल तोड़ गये हैं तथा नय सभी पुलों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है । लालगंज राजबाहे पर पुराने 67 पुल थे, जिनमें से 64 को तोड़ा जाना था शेष 3 पुल उपयोग के लिए उपयुक्त हैं । 61 पुलों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा 3 का निर्माण कार्य प्रगति में है, जिनमें से 2 पुल 30 नवम्बर, 1982 तक तथा एक पुल जून, 1983 तक पूर्ण कर लिया जायेगा । पुराने पुलों की तोड़ाई पर अभी तक लगभग 60,000 रुपया व्यय हुआ है ।

सिंचाई विभाग, बलिया जिले में कई वर्षों से कार्यरत अवर अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता तथा उनका स्थानान्तरण

7—श्री राम गोविन्द तथा श्री गौरीशंकर भैय्या—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि बलिया जिले में सिंचाई विभाग के कितने ऐसे सहायक अभियन्ता और प्रवर अभियन्ता हैं जो पिछले 5 वर्ष से लेकर पिछले 9 वर्ष से इसी जिले में काम करते हैं ? क्या सिंचाई मन्त्री यह भी बतायेंगे कि इन उपरोक्त कर्मचारियों के इस अवधि में कितने-कितने बार और कब-कब स्थानान्तरण हुए और रोके गये ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत बलिया जिले में 30-6-82 को स्थिति पर 6 अवर अभियन्ता 5 वर्ष एवं उससे अधिक अवधि से कार्यरत हैं ।

इनमें से एक अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण एक बार 11-6-82 को किया गया है जिसे रोका नहीं गया है ।

एक अन्य अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण एक बार दिनांक 22-4-80 को किया गया जिसे दो बार स्थगित किया गया ।

कोई सहायक अभियन्ता 5 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत नहीं है ।

परिवहन निगम के बलिया जनपद के डिपो में बसों का विवरण

4—श्रीमती गौरी देवी तथा श्री गौरीशंकर भैया—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम के बलिया जनपद के डिपो में 31-12-81 को कुल कितनी बसें चालू तथा खराब हालत में ह ? क्या मन्त्री महोदय डिपो की बसों की खस्ता हालत की जांच करा कर अच्छी बसें बलिया जनपद में चलाने का कष्ट करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

बलिया जनपद के डिपो में दिनांक 31-12-81 को चालू बसों की संख्या 60 थी तथा खराब हालत में बसों की संख्या 19 थी ।

खराब बसों की मरम्मत के उपरांत अब केवल 7 बसें डिपो में आफ रोड हैं । इस प्रकार सुधार करके बलिया जनपद में यथासंभव अच्छी बसों को ही चलाया जा रहा है ।

बलिया जनपद के निर्वाचन क्षेत्रवार नहरों का विवरण तथा उनका सोलिंग व पिचिंग कार्य

5—श्री गौरी शंकर भैय्या—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि बलिया जनपद के किन-किन निर्वाचन क्षेत्रों में कितने किलोमीटर लम्बाई में नहरें हैं और गत वित्तीय वर्ष सन 1980-81 में कितने किलोमीटर नहर पटरियों की ईंट सोलिंग व पीच का कार्य किया गया है ? वर्तमान वित्तीय वर्ष 1981-82 में विधान सभा क्षेत्र के अनुसार कितने-कितने किलोमीटर कार्य लिए जायेंगे तथा उसके क्या आधार होंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बलिया जनपद के निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत नहरों की लम्बाई तथा नहरों की पटरियों पर की गई सोलिंग व पिचिंग का विवरण निम्न प्रकार है :--

नाम निर्वाचन क्षेत्र	नहर की लम्बाई कि0 मी0 में	वित्तीय वर्ष 1980-81 में सोलिंग व पिचिंग का कार्य कि0 मी0 में	वित्तीय वर्ष 1981-82 में सोलिंग व पिचिंग का कार्य कि0 मी0 में
1	2	3	4
1--बलिया	12	..	1.4
2--कोपाचिट	60	1.80	2.4
3--चिलकहर	129	6.11	1.4
4--सियर	45	0.15	1.4
5--सिकन्दरपुर	91	1.4	1.4
6--बांसडीह	54	..	1.0
7--रसड़ा	111	..	..
योग ..	502	9.46	9.00

वर्तमान वर्ष 1982-83 में सोलिंग व पिचिंग का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

सोलिंग के कार्य से नहरों की सुरक्षा तथा उसके रख-रखाव में होने वाले व्यय में बचत के साथ-साथ यातायात में जनता को जो सुविधा उपलब्ध हुई उसे दृष्टिगत करते हुए यह कार्य कराया गया, यही इसका आधार है ।

हरदोई नहर क्षेत्र की नहरों की पटरियों की मरम्मत आदि सम्बन्धी जांच पर कृत कार्यवाही

6--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सप्तम विधान सभा के द्वितीय सत्र 1979 के लिए श्री बाबू लाल वर्मा के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 519/5-79 के सन्दर्भ में उन्नाव-हरदोई नहर क्षेत्र की नहरों में बांस के खूंटे गाड़ने एवं नहरों की पटरियों की मरम्मत सम्बन्धी जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो क्या-क्या तथ्य प्रकाश में आये और किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

मिट्टी की ड्रेसिंग सभी स्थानों पर शत प्रतिशत ठीक प्रकार से न कराने की कमी पायी गयी थी । इस कमी के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

7—श्री भागीरथ—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

रौशनदौला कचेहरी, लखनऊ के दक्षिण गेट पर प्राइवेट टैक्सी स्टैंड

8—श्री अकबर हुसैन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी रौशनदौला कचेहरी, लखनऊ के दक्षिण गेट पर शर्मा होटल के पास क्या कोई प्राइवेट टैक्सी स्टैंड शासन से स्वीकृत है ? यदि नहीं, तो गोसाईगंज, नमराम, मोहनलालगंज, मौरावां आदि स्थानों की मिनी बसें व मेटाडोर किसके आदेश से उस स्टैंड से आती-जाती हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

ऐसे कोई आदेश किसी के द्वारा जारी किए जाने की सूचना शासन को नहीं है ।

उन्नाव खंड शारदा नहर, उन्नाव के अन्तर्गत षष्टम तथा सप्तम उपखंड, रायबरेली में प्रशासनिक फेरबदल

9—श्री कृष्ण कुमार शुक्ल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव खंड शारदा नहर, उन्नाव के अन्तर्गत षष्टम उपखंड तथा सप्तम उपखंड रायबरेली प्रशासनिक नियन्त्रण में माह अगस्त, 1981 से अब तक कितनी बार फेर बदल किया गया और उनका औचित्य क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उन्नाव खंड शारदा नहर, उन्नाव के अन्तर्गत षष्टम् उपखंड तथा सप्तम उपखंड, रायबरेली के प्रशासनिक नियन्त्रण में अब तक केवल निम्न प्रकार फेर बदल किया गया :—

(1) सप्तम उपखंड का प्रशासनिक नियन्त्रण उन्नाव खंड शारदा नहर, उन्नाव से सिंचाई निर्माण खंड, उन्नाव को 15-1-82 से बदला गया ।

(2) षष्टम उपखंड का प्रशासनिक नियन्त्रण दिनांक 20-3-82 को उन्नाव खंड शारदा नहर, उन्नाव से सिंचाई निर्माण खंड, उन्नाव को बदला गया ।

उन्नाव ब्रान्च के मील 33 के नीचे डलमऊ बी पम्प कैनाल परियोजना के कार्यों में अतिरिक्त कार्यभार हो जाने के कारण, कार्यों में यथासम्भव प्रगति लाने के दृष्टिकोण से कार्यों का बंटवारा करना एवं उपखंडों का प्रशासनिक नियंत्रण बदलना आवश्यक समझा गया ।

बाराबंकी से देवां–कुर्सी–महमूदाबाद मार्ग पर बस–सेवा संचालन की मांग

10––श्री रामस्वरूप निम––

क्या सरकार बताने को कृपा करेगी कि अक्तूबर, 1980 से निरन्तर कुर्सी–टिकैतगंज–महमूदाबाद मार्ग के आस-पास की जनता क्षेत्रीय [जन प्रतिनिधि तथा प्रश्नकर्ता विधायक, प्रदेश के मुख्य मंत्री, परिवहन मंत्री, परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त तथा प्रधान प्रबन्धक, उ० प्र० परिवहन निगम से जनता की सुविधार्थ बाराबंकी से देवा–कुर्सी होकर महमूदाबाद मार्ग पर बसें चलाने की मांग कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मार्ग पर जनता की सुविधार्थ बसों की व्यवस्था करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य––

जी हां । इस सम्बन्ध में सदस्य महोदय का दिनांक 2–4–81 का एक मांग पत्र प्राप्त हुआ था ।

देवा–कुर्सी–महमूदाबाद मार्ग पर निगम द्वारा बस चलाने के लिए दिनांक 11–8–82 को अस्थायी परमिट जारी कर दिया गया है । अब इस मार्ग पर बस–सेवा संचालित की जा सकेगी ।

देवरिया–महुवाडीह–हाटा मार्ग पर बस सेवा संचालन की मांग

11––श्री नन्दकिशोर सिंह––

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत देवरिया से महुआडीह होते हुए हाटा तक बस चलायेंगे ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य––

मार्ग का कुछ भाग अराष्ट्रीयकृत होने के कारण देवरिया से महुआडीह होते हुए हाटा तक रोडवेज बस चलाया जाना संभव नहीं है ।

केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर से प्रधान प्रबन्धक कार्यालय, लखनऊ को स्थानान्तरित कर्मचारियों को सुविधायें

12––श्री हरिवंश सहाय––

क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि शाखा कानपुर के कर्मचारी प्रधान प्रबन्धक कार्यालय, लखनऊ में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें हेडक्वार्टर में रहने की सुविधाएं दी जाती हैं ? यदि नहीं, तो उसका कारण क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

वर्ष 1972 में केन्द्रीय कार्यशाला संगठन से क्रय विभाग के अलग किए जाने के फलस्वरूप कानपुर स्थित क्रय शाखा में कार्यरत कुछ कर्मचारी पद सहित मुख्यालय लखनऊ को स्थानान्तरित हुये थे। इन कर्मचारियों के कर्तव्यों एवं दायित्वों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः उनके तत्कालीन पद एवं वेतनमान के अनुसार देय सुविधा दी जा रही है।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रधान प्रबन्धक कार्यालय में विगत वर्षों में हुई नियुक्तियों में आरक्षण कोटा

13—श्री हरिवंश सहाय—

क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि प्रधान प्रबन्धक कार्यालय, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लखनऊ के क्रय शाखा में विगत 5 वर्षों में कितनी नियुक्तियां हुईं तथा उनमें कितने अनुसूचित जाति के हैं? क्या आरक्षण का कोटा पूरा है? यदि नहीं है, तो क्या भविष्य में उसे पूरा किया जायगा?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

विगत 5 वर्षों में परिवहन निगम की क्रय शाखा में 16 नियुक्तियां की गईं जिनमें से एक पद पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को नियुक्ति हुई। वर्तमान में 16 तृतीय श्रेणी के कार्यरत कर्मचारियों में से 2 अनुसूचित जाति के कर्मचारी हैं। चतुर्थ श्रेणी के तीन कर्मचारियों में से 2 अनुसूचित जाति के कर्मचारी हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का आरक्षण कोटा पूरा है। लेकिन तृतीय श्रेणी में एक कम है। भविष्य में होने वाले रिक्त पदों को भरते समय कोटा पूरा करने का ध्यान रखा जायेगा।

गोंडा जनपद के करनैलगंज एवं परसुपुर विकास खण्डों में सरजू नहर परियोजना तथा प्रभावित ग्राम

14—श्री उमेश्वर प्रसाद सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद के करनैलगंज एवं परसुपुर विकास खण्डों में कितने किलामीटर सरजू नहर परियोजना में निर्माण होना है? गांव की सूचीवार तथा कितने हेक्टेयर की सिंचाई की योजना है तथा कार्य की प्रगति क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सरजू नहर परियोजना में गोण्डा जनपद के करनैलगंज विकास खंड में लगभग 11 कि0 मी0 लम्बी प्रणाली का निर्माण होना है जिससे लाभान्वित 19 ग्रामों में नहरों से सिंचाई हेतु कृषि योग्य क्षेत्र 2000 हेक्टेयर है। परसुपुर विकास खंड के अन्तर्गत लगभग 104 कि0 मी0 लम्बी प्रणाली का निर्माण होना है जिससे लाभान्वित 86 ग्रामों में नहरों से सिंचाई हेतु कृषि योग्य क्षेत्र 23,500 हेक्टेयर है। यह स्पष्ट नहीं है कि गांव की सूचीवार से क्या तात्पर्य है। फिर भी उक्त दोनों विकास खंडों में प्रभावित ग्रमों की सूची संलग्न है। निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 1982–83 में वर्षा ऋतु की समाप्ति पर प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 91 पर)।

आजमगढ़ जनपद में हैदराबाद गांव से गोरखपुर व आजमगढ़ तथा बेलकुण्डा गांव से आजमगढ़ तक बस सेवा

15—श्री पंचानन राय—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में स्थित हैदराबाद गांव तक राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें चलाए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-10-81 क्षेत्रीय प्रबन्धक को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र की प्रमुख बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां, सदस्य महोदय का पत्र दिनांक 26-10-81 क्षेत्रीय प्रबन्धक को प्राप्त हुआ है । पत्र में प्रमुख रूप से गांव हैदराबाद से गोरखपुर व आजमगढ़ के लिए बस चलाये जाने की मांग की गयी है । दिनांक 16-2-81 से एक अप व एक डाउन सेवायें क्रमशः गांव हैदराबाद से गोरखपुर एवं आजमगढ़ के लिए चला दी गयी हैं ।

16—श्री पंचानन राय—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के रौनापार-लाट घाट मार्ग पर स्थित बेलकुण्डा गांव तक राज्य सड़क परिवहन निगम की बस चलाए जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र 6-7-81 क्षेत्रीय प्रबन्धक को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सदस्य महोदय का इस सम्बन्ध में दिनांक 6-2-81 का पत्र क्षेत्रीय प्रबन्धक को प्राप्त हुआ है । बेलकुण्डा के पास ही ताहिरपुर से आजमगढ़ की सेवा संचालित है । बेलकुण्डा से आजमगढ़ बस चलना अलाभकर होने के कारण संभव नहीं है ।

बलिया जनपद में गंगा तथा टोंस नदी के कटान से प्रभावित ग्रामों को बचाने की योजना

17—श्रीमती गौरी देवी तथा श्री गौरी शंकर भैय्या—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि बलिया जनपद में गंगा नदी के कटान से ग्रामसभा बड़काखेत, ग्राम सभा शाहपुर बभनौली तथा टोंस नदी के कटान से ग्राम सभा रामपुर, ग्राम सभा बघेंजी तथा गंगहरा बुरी तरह से प्रभावित हैं ? यदि हां, तो इन ग्रामों को कटान से बचाने के लिये क्या स्थानीय स्तर पर कोई योजना विचाराधीन है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, ग्राम बड़काखेत, शाहपुर बभनौली एवं रामपुर चित को कटान से बचाने के लिये योजना राज्य तकनीकी सलाहाकार समिति द्वारा दिनांक 2 फरवरी, 1982 को स्वीकृत हो चुकी है तथा कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही हो गई है । ग्राम बघेंजी 1980 से पहले प्रभावित था, उसको रोकने के लिए 3 अदद डैम्पनर्स 1980-81 में निर्मित किये जा चुके हैं । ग्राम गंगहरा में मामूली कटान हुआ है, जिस पर ध्यान रक्खा जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश परिवहन, लखनऊ क्षेत्र में शिशिक्षु कर्मियों की नियुक्ति

18—श्री प्रताप नारायण द्विवेदी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रशिक्षण योजना ऐक्ट के अन्तर्गत नियमित पदों पर सवेतन शिशिक्षु कर्मियों के रखने की योजना भारत सरकार ने लागू की है उसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश परिवहन, लखनऊ क्षेत्र में सत्तर (70) सवेतन शिशिक्षुओं के नतीजे घोषित किये जाने के बाद भी अब तक रोजगार न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार प्रधान प्रबन्धक (मुख्यालय) कार्यालय में सवेतन शिशिक्षुओं के पदो पर इन्हें रखने के लिये विचार कर रही है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

माह जुलाई, 1981 में लखनऊ क्षेत्र में सफल घोषित किये गये 70 शिशिक्षुओं की नियुक्ति अदेश पारित होने के पूर्व ही रोडवेज इम्पलाइज यूनियन का परिवाद उप प्रधान प्रबन्धक (मध्य जोन) को प्राप्त हुआ। इसकी जांच सहायक शिशिक्षु परामर्शदाता से कराई गई और उनकी राय के अनुसार इस चुनाव को निरस्त कर दिया गया। दुबारा चुनाव के लिये प्रशिक्षण निदेशालय से विस्तृत अनुदेश प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी। चयन निरस्त हो जाने के फलस्वरूप इनको मुख्यालय में रखने का प्रश्न नहीं उठता।

बांदा विधान सभा क्षेत्र में नवनिर्मित राजकीय नल कूपों का विवरण

19—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1977-78, 1978-79, 1979-80 व 1980-81 में कितने राजकीय नलकूप किन-किन ग्रामों में लगाये गये ? वर्ष 1981-82 में कितने नलकूप लगाये जायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बांदा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1977-78 से 1980-81 तक नव निर्मित राजकीय नलकूपों का वर्ष वार विवरण निम्न प्रकार है :

वर्ष	नव निर्मित नलकूपों की संख्या	ग्राम का नाम
1977-78	5	बरगहनी, दरदरिया, जौरही, पल्हरी और जनवारा
1978-79	3	बिसन्डा, केरी, बदौली।
1979-80	6	मिलाथ, बड़ागांव, अलिहा द्वितीय, जौरही छिनेहरालालपुर, गुरेह
1980-81	2	सया, महोखर

वर्ष 1981-82 में इस क्षेत्र में 15 राजकीय नलकूपों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित था।

नलकूप खण्ड शाहजहांपुर के अवर अभियन्ता के विरुद्ध जांच

20--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप खण्ड, शाहजहांपुर में भण्डार की कमी के सम्बन्ध में अवर अभियन्ता के विरुद्ध विभागीय व पुलिस द्वारा जांच की जा रही है ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि जांच अधिकारी एवं पुलिस को दिनांक 31 अगस्त, 1981 तक बराबर लिखने के पश्चात् भी रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । माह जनवरी, फरवरी, 1981 में रिकार्ड कई बार थाना सदर बाजार शाहजहांपुर भेजा गया परन्तु प्रभारी अधिकारी ने रिकार्ड जमा नहीं कराया । तत्पश्चात् दिनांक 27 फरवरी, 1981 को रिकार्ड श्री के0 सी0 पन्त, जांच अधिकारी को भेज दिये गये । श्री बी0 बी0 शुक्ला अवर अभियन्ता के अनुरोध पर तथा विधान सभा प्रश्नों के उत्तर देने हेतु दिनांक 25 अप्रैल, 1981 को रिकार्ड खण्डीय कार्यालय में वापस मंगा लिये गये थे जो पुनः सितम्बर, 1981 में जांच अधिकारी को भेज दिये गये । शेष प्रश्न नहीं उठता

देवकली पम्प कैनाल के बौरवा से गाजीपुर जाने वाले राजबहा से कतिपय ग्रामों की भूमि में जल भराव व किसानों से सिंचाई कर की वसूली

21--श्री रामधनी तथा श्री राम करन--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवकली पम्प कैनाल के बौरवा से गाजीपुर जाने वाली राजबहा के अन्तर्गत बौरवा, खजुरा, कान्दर के किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि नहर के पानी का जमाव या बन्धों के स्राव के कारण बिना बोये रह जाती है ? क्या यह भी सत्य है कि बिना सिंचाई किये ही सिंचाई रेट उक्त किसानों से वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सिंचाई विभाग ने कोई ऐसा प्लान बनाया है जिससे उक्त किसानों को नहर के नमी से बचाया जा सकता है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत राजबहा के अन्तर्गत ग्राम खजुरा में लगभग 10 एकड़ तथा बौरवा में लगभग 4 एकड़ भूमि नहर के किनारे नशेबी (नीची) होने के कारण रबी की बुआई में विलम्ब एवं अवरोध होता है, किन्तु ग्राम कान्दर में बुवाई में कठिनाई नहीं होती ।

सिंचित क्षेत्र का ही सिंचाई कर लगाया जाता है ।

ग्राम खजुरा व बौरवों के इस भूमि की जल निकासी हेतु सर्वेक्षण कराया जाना प्रस्तावित है ।

निचली गंगा नहर निर्माण खंड, प्रथम के ठेकेदारों द्वारा कटौती, पेनाल्टी व अतिरिक्त कार्य के सम्बन्ध में पत्र

22—श्री बलबीर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि निचली गंगा नहर निर्माण खन्ड प्रथम के अनुबन्ध संख्या तीन ई0ई0 76-77 के अनुसार कार्य पूर्ण हो जाने पर कटौती, पेनाल्टी व अतिरिक्त कार्य के विषय में ठेकेदारों ने दिनांक 14-9-78 व 17-11-78 को अधीक्षण अभियन्ता, निचली गंगा नहर निर्माण मन्डल व 31-10-77 व 14-4-79 को अधिशासी अभियन्ता निचली गंगा नहर निर्माण खंड, अलीगढ़ को पत्र लिखे ? यदि हां, तो वह पत्र क्या है ? और उन पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

उक्त चारों पत्रों में ठेकेदार ने पेनाल्टी कटौती न करने एवं शीघ्र भुगतान करने तथा अतिरिक्त कार्यों का क्लेम स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया था ।

फरवरी, 79 में कार्य को विलम्ब से पूरा करने के कारण ठेकेदार से अनुबन्ध के अनुसार कार्य की अनुमानित लागत के 10 प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत जुर्माना लगा कर भुगतान की स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दी गई । अतिरिक्त कार्यों के क्लेम विचारोपरान्त अस्वीकृत कर दिये गये ।

अधिशासी अभियन्ता ने उक्त अनुबन्ध का अन्तिम भुगतान दिनांक 24-4-79 को कर दिया ।

मिर्जापुर जिले के धधरौल बांध से सिंचित क्षेत्र

23—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि धधरौल बांध जो मिर्जापुर जिले में स्थित है किस वर्ष एवं किस उद्देश्य से बनाया गया था इसके द्वारा कितने क्षेत्रफल में किन-किन गांवों में किस-किस फसलों में सिंचाई होती है ? और प्रत्येक फसल को कितने बार पानी दिया जाता है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

धधरौल बांध का निर्माण वर्ष 1913 में मुख्यतः सिंचाई हेतु हुआ था । नगवा बांध के निर्माण के उपरान्त इस बांध से धधरौल बांध में जल दिये जाने के कारण इस जलाशय की सिंचन क्षमता में वृद्धि हुई । इस जलाशय का विवरण प्रणाली द्वारा 551 ग्रामों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है । इन ग्रामों की सूची मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है, जहां देखी जा सकती है । वर्तमान प्रस्तावित सिंचन क्षेत्र खरीफ में 30465 हेक्टेयर तथा रबी में 6914 हेक्टेयर है उक्त के विरुद्ध पिछले 5 वर्षों का औसत सिंचन क्षेत्र खरीफ में 32964 हेक्टेयर तथा रबी में 13748 हेक्टेयर है । वास्तविक सींच जलाशय में जल उपलब्धि एवं जल की मांग पर निर्भर करती है । इस कारण विभिन्न वर्षों में सिंचित क्षेत्र एवं फसलों में जल देने की संख्या भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होती है । नहरों द्वारा सिंचाई में यह रिकार्ड नहीं रखा जाता है कि सिंचित खेत में कितनी बार पानी दिया गया ।

मिर्जापुर जनपद के विकास खंड नारायनपुर के ग्राम बघेड़ा में अरुणोदय कृषक बालिका विद्यालय में नलकूप

24--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके पत्रांक सं0 1369, दिनांक 7-4-81 को सिंचाई विभाग को अरुणोदय कृषक बालिका विद्यालय, परसबन्धा, ब्लाक नरायनपुर, जिला मिर्जापुर के प्रांगण में एक नलकूप लगाने का आदेश दिया गया था परन्तु अभी तक नलकूप नहीं लगा ? ऐसा क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद मिर्जापुर के विकास खंड नरायनपुर के ग्राम बघेड़ा में, अरुणोदय कृषक बालिका विद्यालय से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक राजकीय नलकूप निर्माण कराना प्रस्तावित है जिसके कमान्ड क्षेत्र में उक्त विद्यालय भी पड़ता है ।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, मुरादाबाद द्वारा लिपिकों तथा परिचालकों की कथित नियुक्ति

25--श्री मुहम्मद आजम खां--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्षेत्रीय प्रबन्धक, मुरादाबाद द्वारा 1980-81 में कितने व्यक्ति बिना रोजगार दफ्तर से नाम मंगाए क्लर्क तथा परिचालक के पद पर रखे गये ? क्या यह सही है कि इनमें मुरादाबाद मंडल का कोई व्यक्ति न होकर सभी पूर्वी जिलों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर सम्बन्धित अधिकारियों को दन्डित करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी नहीं ।

मुरादाबाद क्षेत्र में वर्ष 1980-81 में परिचालकों का कोई भी चयन नहीं हुआ, और न ही लिपिकों का कोई चयन किया गया । इसी कारण किसी को दंडित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

इलाहाबाद जनपद के कतिपय ग्रामों में राजकीय नलकूपों की गूलों का निर्माण

26--श्री राधे श्याम पटेल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम जमुई व कटरा दयाराम, विकास खंड मऊआयमा, तहसील सोरांव तथा ग्राम पूरेहिच्छा उर्फ चकश्याम व त्रिलोकपुर विकास खंड बहरिया, तहसील फूलपुर, जनपद इलाहाबाद में नलकूप बिना समुचित नालों के चल रहे हैं ? यदि हां, तो नालों का निर्माण कब तक करा दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ग्राम त्रिलोकपुर में स्थित राजकीय नलकूप जो कि विकास खंड बहरिया तहसील फूलपुर जनपद इलाहाबाद में स्यित है का गूल निर्माण कार्य पूरा हो चुक

हैं । ग्राम जमुई में स्थित राजकीय नलकूप तथा ग्राम कटरा बया राम में स्थित राजकीय नलकूप जो कि विकास खंड मऊआयमा, तहसील सोरांव में हैं तथा ग्राम पूरेहिच्छा में स्थित राजकीय नलकूप, जो कि विकास खंड बहरिया, तहसील फूलपुर, जनपद इलाहाबाद में हैं, का गूल निर्माण कार्य प्रगति पर हैं जो वर्तमान वित्तीय वर्ष पर पूरे होने की सम्भावना हैं तथा निर्मित नालियों से सिंचाई हो रही हैं ।

बेसिक हरिजन प्राइमरी पाठशाला, रामपुर, श्रीपालपुर, देवरिया के सहायक अध्यापक, श्री राम प्रताप प्रसाद को नियुक्ति तथा वेतन की व्यवस्था

27—श्री द्रुप राय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बेसिक हरिजन प्राइमरी पाठशाला, रामपुर, श्रीपालपुर, देवरिया के सहायक अध्यापक श्री राम प्रताप प्रसाद के नियुक्ति के अनुमोदन एवं वेतन की व्यवस्था हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3 मार्च, 1981 प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी नहीं । तथापि स्थिति इस प्रकार हैं कि बेसिक हरिजन प्राइमरी पाठशाला, रामपुर, श्रीपालपुर, देवरिया के व्यवस्थापक ने अनधिकृत रूप से श्री राम प्रताप प्रसाद को अवैतनिक अध्यापक के रूप में अपने विद्यालय में दिनांक 1-1-1978 से रख लिया था । नियमानुसार किसी भी आवर्तीय अनुदानित विद्यालय में बिना पूर्व स्वीकृति के और बिना हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी के अनुमोदन के अध्यापक रखना आपत्तिजनक हैं । विद्यालय के व्यवस्थापक से श्री राम प्रताप प्रसाद की नियुक्ति के सम्बन्ध में अभिलेख जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, देवरिया को 21-1-82 को प्राप्त हुआ हैं, जिसके सम्बन्ध में उप निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को यह निर्देश दिये गये हैं कि वे नियुक्तियों की वैधता को देखते हुए अनुदान की बचत से भुगतान करें ।

श्री राजेश्वर सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री यदुनाथ सिंह, भूतपूर्व परिचालक को सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में पत्र

28—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 25/27-4-81 बाबत श्री राजेश्वर सिंह पुत्र स्व0 श्री यदुनाथ सिंह, भूतपूर्व परिचालक, जिनकी मृत्यु सेवाकाल में वर्ष 1976 में ही हो गयी थी, को शासनादेश के अनुसार सेवा में लिए जाने के बारे में प्रधान प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को प्राप्त हुआ हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

मथुरा जनपद के ग्राम उघई के एक नलकूप की खराबी

29—श्री राम स्वरूप निम—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप नं0 14, ग्राम उघई, तहसील सादाबाद, जिला मथुरा का निर्माण कब पूरा हुआ था तथा कब तक कितनी सिंचाई की गई है ? क्या सरकार को ज्ञात है कि 8-11-81 से वह खराब पड़ा है और किसान की फसल नष्ट हो रही है ? क्या उसे ठीक कराकर दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नलकूप संख्या 14, ग्राम उघई तहसील सादाबाद, जिला मथुरा का निर्माण नवम्बर, 1979 में पूरा हुआ था। इस नलकूप से अब तक 36 एकड़ सिंचाई की गयी है।

यह नलकूप 5-11-81 से खराब था तथा इसको ठीक करके 18-12-81 से चलाया गया है परन्तु उसका निकास बहुत कम प्राप्त हुआ जिससे सिंचाई नहीं हो सकी तथा बन्द है। इस पर सुधारात्मक कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है। मथुरा जिले में भू-गर्भ जल स्थिति अधिकतर खराब है। अतः कोई व्यक्ति दोषी नहीं है तथा किसी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

उन्नाव खण्ड षष्टम् उप खण्ड शारदा नहर, उन्नाव के ठेकेदार श्री कालीशंकर पाल को कार्यादेशों की धनराशि का भुगतान

30—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि द्वितीय सत्र 1981 के 1ले बुधवार दिनांक 16-9-81 के अतारांकित प्रश्न 170 के उत्तर के संलग्नक के क्रमांक 10, 11, 13 एवं 19 का कार्यादेश उक्त ठेकेदार को किस तिथि को किसके हस्ताक्षर से कितने धन का जारी किया गया ? क्या उन कार्यादेशों की प्रति उस समय ठेकेदारों को दी गयी ? यदि नहीं, तो क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

दिनांक 16-9-81 के अतारांकित प्रश्न संख्या 170 के उत्तर के संलग्नक के क्रमांक 10, 11, 13 एवं 19 के जो कार्यादेश निर्गत किये हैं, उनका विवरण निम्न प्रकार है :—

क्रमांक	कार्यादेश निर्गत करने की तिथि	निर्गत करने वाले अधिकारी का नाम	कार्यादेश की धनराशि
10	14-10-79	श्री पंकज देय सिंह, सहायक अभियन्ता	2,300
11	14-10-79	तदेव	2,500
13 (1)	6-12-79	तदेव	4,000
(2)	5-12-79	तदेव	3,600
(3)	20-12-79	तदेव	4,600
(4)	7-12-79	तदेव	4,600
19	29-12-79	तदेव	2,500

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

शाहजहांपुर बस स्टेशन में कैन्टीन भवन की मरम्मत

31—श्री मोहन सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृप करेंगे कि शाहजहांपुर बस स्टेशन में कैन्टीन भवन काफी जर्जर अवस्था में है और वर्षा के समय उसमें बैठे यात्रियों को जलपान करने में काफी कठिनाई होती है ? यदि हां, तो कैन्टीन भवन की मरम्मत के लिए अविलम्ब कार्यवाही किए जाने के आदेश देंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां । शाहजहांपुर में अस्थायी कैन्टीन भवन के छत पर टीन की चादरें काफी पुरानी हो गयी थीं । वर्षा में पानी टपकने के कारण यात्रियों को कष्ट होता था । टीन की चादरों को मई, 1982 में बदला दिया गया है ।

मैनपुरी जनपद में हरिजनों को बकरी पालन तथा अन्य लघु उद्योगों को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा दिया गया अनुदान

32—श्री सूबेदार सिंह—

क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1979 में बकरी पालन तथा अन्य लघु उद्योगों के लिए उ0 प्र0 अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम द्वारा मैनपुरी जनपद के कितने हरिजनों को अनुदान स्वीकार किये गये थे ? उनमें से कितने का भुगतान कर दिया गया है और कितने का भुगतान पड़ा है ? इसका भुगतान न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री गुलाब सेहरा—

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, लखनऊ द्वारा वर्ष 1979 में जनवरी, 1979 से दिसम्बर, 1979 तक जनपद मैनपुरी के अनुसूचित जाति के 179 व्यक्तियों को बकरी पालन हेतु रु0 1,81,500 का अनुदान स्वीकृत किया गया जिसमें से 147 व्यक्तियों को रु0 1,48,500 का भुगतान किया गया तथा इसी अवधि में अन्य लघु उद्योगों हेतु 131 व्यक्तियों को रुपया 1,30,350 का अनुदान स्वीकृत किया गया जिसमें से 103 व्यक्तियों को रु0 1,02,050 का भुगतान किया गया । बकरी पालन हेतु अवशेष 32 व्यक्तियों को रु0 33,000 तथा लघु उद्योग हेतु 28 व्यक्तियों को रु0 28,300 का भुगतान निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ति न होने के कारण नहीं हो पाया ।

उ0 प्र0 परिवहन निगम, आगरा परिक्षेत्र में परिचालकों का साक्षात्कार

33—श्री सूबेदार सिंह तथा श्री रामहर्ष राय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उ0 प्र0 सड़क परिवहन निगम, आगरा परिक्षेत्र में वर्ष 1981 में परिचालकों का कोई साक्षात्कार हुआ था ? यदि हां, तो अभी तक उसके परिणाम घोषित न किये जाने के क्या कारण हैं और कब तक घोषित कर दिये जायेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सहारनपुर में ढमोला नदी से कतिपय बस्तियों में कटान तथा पांव-धोई नदी को बाढ़ सम्बन्धी नियंत्रण योजना

34--श्री सुरेन्द्र कपिल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगर सहारनपुर के मध्य से होकर गुजरने वाली ढमोला नदी जिसमें गत वर्षों से बाढ़ आने से पुरानी शहन-शाही मस्जिद तथा मो0 बेरी बाग तथा बढ़ानपुरा की बस्तियों को कटाव का भारी खतरा हो गया है ? क्या कटाव नियन्त्रण की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, वर्षा ऋतु में सहारनपुर के मध्य में होकर गुजरने वाली ढमोला नदी में अधिक बाढ़ आने के समय प्रश्नगत मस्जिद तथा बस्तियों में कटाव का खतरा होने लगता है । वर्ष 1978 की बाढ़ के पश्चात् इस क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय कटान नहीं हुआ है । कटान नियंत्रण की कोई योजना इस समय पर विचाराधीन नहीं है ।

35--श्री सुरेन्द्र कपिल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगर सहारनपुर के मध्य से होकर गुजरने वाले पांव धोई नदी जिसमें लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने से भारी धन की क्षति होती है, उसके बाढ़ नियन्त्रण की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

ऐसी कोई योजना सिंचाई विभाग के विचाराधीन नहीं है, क्योंकि यह कार्य नगरपालिका, सहारनपुर के अन्तर्गत आता है ।

बलिया जनपद के हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में छात्रों की छात्रवृत्ति की स्वीकृति

36--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री गौरीशंकर भैय्या--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में कितने हरिजन एवं अनुसूचित व जनजाति के छात्रों ने छात्रवृत्ति प्राप्ति के लिए सन् 1981-82 में आवेदन-पत्र दिया है ? इसके लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी तथा विभाग को अब तक कितना रुपया दिया जा चुका है ? बाकी धनराशि का भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्री गुलाब सेहरा--

बलिया जनपद में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के 4,265 आवेदन पत्र एवं पूर्व-दशम् कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों के छात्रवृत्ति हेतु कुल 11,349

आवेदन पत्र 1981–82 में प्राप्त हुए थे। इस जनपद में जनजातियां नहीं पायी जाती हैं। अतः इनके कोई भी आवेदन–पत्र नहीं प्राप्त हुए।

छात्रवृत्ति हेतु दशमोत्तर कक्षाओं के लिए 40,21,950 रुपये की आवश्यकता थी जो उपलब्ध कराई गयी और सभी 4,265 छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया है। इससे अधिक धनराशि की आवश्यकता नहीं थी।

पूर्वदशम कक्षाओं के लिए 8,02,300 रुपये की धनराशि स्वीकृत हुयी। इस धनराशि से 5,103 छात्रों को नवीन एवं 2,415 छात्रों की पूर्व परीक्षा प्रगति के आधार पर छात्रवृत्तियां स्वीकृत की गयी। सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान छात्रों को कर दिया गया है।

श्री जी० बी० पाण्डेय, अवकाश प्राप्त वैयक्तिक सहायक द्वारा मूक बधिर विद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ में अधीक्षक के पद पर कार्य करने हेतु अनुमति

37—श्री भीखा लाल—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण निदेशालय से अवकाश प्राप्त पी० ए० श्री जी० बी० पाण्डेय, मूक बधिर विद्यालय ऐशबाग, लखनऊ (जो शासन द्वारा दिये गये अनुदान पर चलता है और शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है) अधीक्षक के पद पर कार्य करते हैं तथा सरकार से पेंशन प्राप्त करते हैं ? तो क्या उन्होंने इस संस्था में नौकरी करने के लिए शासन से अनुमति प्राप्त की अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो इस नियम विरुद्ध कार्य करने के लिए इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां। निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण के वैयक्तिक सहायक के पद से सेवा–निवृत्त श्री जी० बी० पाण्डेय शासन द्वारा अंशतः अनुदानित मूक बधिर विद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ में अवैतनिक अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें केवल 400 रु० प्रतिमाह मानदेय प्राप्त होता है। चूंकि संस्था स्वैच्छिक है अतः शासन से अनुमति प्राप्त करने का प्रश्न नहीं उठता। इसी आधार पर किसी कार्यवाही का प्रश्न भी नहीं उठता।

मूक बधिर विद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ में लागू नियम

38—श्री भीखा लाल—

क्या समाज कल्याण मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के पहले बुधवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 96 से 99 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि मूक बधिर विद्यालय, लखनऊ शिक्षा विभाग द्वारा स्थायी मान्यता प्राप्त संस्था है ? यदि हां, तो क्या शिक्षा संहिता के नियम संस्था में लागू हैं ? यदि नहीं, तो क्या इससे भिन्न इस संस्था में कोई नियम है ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री गुलाब सेहरा—

शिक्षा विभाग से स्थायी मान्यता प्राप्त होने के कारण इस संस्था में पाठ्यक्रम, परीक्षा आदि के सम्बन्ध में शिक्षा संहिता के नियम लागू हैं किन्तु शिक्षा संहिता की सभी शर्तें शिक्षा विभाग की भांति लागू नहीं हैं। विद्यालय की अपनी एक स्वयं की नियमावली है जिसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है।

गोमती नदी के लामार्टिनियर बन्धे पर बोल्डर पिचिंग का कार्य

39--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोमती नदी के लामार्टिनियर बन्धे पर बोल्डर पिचिंग के कार्य का क्या प्राक्कलन स्वीकृत है ? क्या इतने बड़े कार्य को निविदा आमंत्रित की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी नहीं ।

प्राक्कलन बनाया जा चुका है, जिसके स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है ।

जी हां । किन्तु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई थी ।

लखनऊ खण्ड-2, शारदा नहर, लखनऊ के अन्तर्गत गोमती बांध पर पम्पों की मरम्मत तथा नहरों की सफाई तथा बन्धे पर डाली गयी मिट्टी तथा उनका भुगतान

40--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ खण्ड-2, शारदा नहर, लखनऊ के अन्तर्गत गोमती बांध पर पम्पों के मरम्मत हेतु 12,000 रु० की लागत का अनुबन्ध किया गया है परन्तु भुगतान अब तक लगभग 39,000 रु० का किया जा चुका है और अब कुल भुगतान लगभग 50,000 रु० का किया जा रहा है ? यदि ऐसा है, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

गोमती बांध पर चार पम्पों की मरम्मत के लिए रुपया 49,000 की अनुमानित लागत का अनुबन्ध किया गया था । इसके साथ जो कार्य की मदों का ब्योरा अंकित है, वह एक पंप का रुपया 12,196·75 का है । इस अनुबन्ध के विरुद्ध रुपया 24,129 का ही अभी तक भुगतान हुआ है । कुल कार्य की लागत रुपय 49,363·00 आंकी गई है ।

41--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ खण्ड-2, शारदा नहर, लखनऊ के अन्तर्गत इस वर्ष 1981-82 में नहरों की सफाई के लिए निविदाएं आमंत्रित नहीं की गयीं और कार्य को विभाग द्वारा कराया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

लखनऊ खण्ड-2, शारदा नहर, लखनऊ में कोई नहर नहीं है, केवल कुछ छोटी टेल, राजबहे और छोटी-छोटी माइनरें हैं जिनमें से 88 पर सफाई का कार्य वर्ष 1981-82 में कराया गया । इनमें से 42 के लिये निविदायें आमंत्रित की गई तथा उन सभी में विभागीय दर से ऊंची दरें आईं । इस कारण यह कार्य विभागीय स्वीकृत दरों पर कराये गये । शेष केसेज में कोटेशन मांगे गये ।

42—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ खण्ड–2, शारदा नहर, लखनऊ के अंतर्गत गोमती बन्धे पर ट्रक द्वारा लाई गयी मिट्टी दिखाकर 18 रु0 प्रति घनमीटर की दर से भुगतान माह जुलाई/ अगस्त, 81 में किया गया है ? क्या माह मई, जून, 81 में बन्धे के पास नदी के सपाट में लोकल मिट्टी नहीं थी ? क्या यह सच है कि वही पास में ही सिंचाई खण्ड–3 द्वारा बन रहे नए बन्धे के निर्माण में लोकल मिट्टी नदी के सपाट से 6·50 रु0 प्रति घनमीटर की दर से भुगतान की जा रही है ? क्या रु0 11·50 प्रति घनमीटर की दर से अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खण्ड-2 द्वारा अधिक भुगतान किया गया है ? क्या इस कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । परन्तु बन्धे की मिट्टी के कार्य का भुगतान माह अगस्त, सितम्बर, 81 में रु0 17.15 व रु0 19.40 प्रति घनमीटर की दर से दूरी के अनुपात में विभागीय दर पर किया गया था ।

माह मई जून, 81 में बन्धे के समीप सभी स्थलों पर नदी के सपाट में उपयोग, मिट्टी उपलब्ध नहीं थी, जहां उपलब्ध थी वहां स्थानीय मिट्टी एकत्रित की गई है । सिंचाई खण्ड–3, लखनऊ में स्थानीय मिट्टी की दर रुपया 6.50 प्रति घनमीटर भी दी गई है । अतः अधिक भुगतान का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि दोनों स्थलों के लिए मिट्टी के भुगतान की तुलना नहीं की जा सकती ।

इस कार्य हेतु निविदायें आमंत्रित नहीं की गई थी । इसे आपातकालीन प्रयोग हेतु बताते हुए मिट्टी की आपूर्ति चयन के आधार पर अनुबन्धों द्वारा की गई थी ?

अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खंड–2, शारदा नहर द्वारा गोमती बांध के लिए तुड़वाये गये भवन

43—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोमती बांधों के बीच में पड़ने वाले कितने मकान अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खंड–2 द्वारा तोड़वाये गये ? क्या मकानों के नक्शे तथा प्राक्कलन स्वीकृत कराये गये थे ? तोड़ने से कितना सामान (मलवा) निकला ? इसका प्राक्कलन क्या था ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गोमती बांध के बीच में पड़ने वाले 9 भवनों को अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खंड–2, शारदा नहर, लखनऊ द्वारा तुड़वाये गये थे ।

भवनों के प्राक्कलन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये थे ।

प्रत्येक भवन के टूटने से निकलने वाले मलबे का अलग से प्राक्कलन बनाना आवश्यक नहीं समझा गया था क्योंकि भवनों को जैसे हैं व जहां हैं के आधार पर तोड़ने हेतु निविदा आमन्त्रित करने के पश्चात् बेच दिया गया था ।

जनपद बलिया के ग्राम सभा सुरही सरवनपुर में नलकूप

44--श्री गौरी शंकर भैय्या तथा श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बलिया के ब्लाक सोहांव के ग्राम सभा सुरही सरवनपुर के पूर्व दिशा में महा नलकूप लगाने के लिए बोरिंग का कार्य सन् 1979-80 के मध्य पूरा हो चुका है तथा अभी तक उस पर पम्प सेट विद्युत् कनेक्शन व नाली निर्माण का कार्य नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या मंत्री महोदय इस नलकूप को शीघ्र पूरा कराकर चलाने का आदेश विभाग को देने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद बलिया के ब्लाक सोहांव के ग्राम सभा सुरही सरवनपुर के पूर्व दिशा में कोई भी नलकूप सिंचाई विभाग हेतु छिद्रित नहीं किया गया है। ग्राम सरवनपुर में केन्द्रीय भूजल संस्थान द्वारा नलकूप का छिद्रण किया है। अतः सिंचाई विभाग द्वारा इसे पूर्ण कराने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

क्षेत्रीय प्रबन्धाधिकारी, गोरखपुर द्वारा परिचालकों के पद हेतु चयन

45--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिनांक 26-3-80 से 20-4-84 तक क्षेत्रीय प्रबन्धाधिकारी, गोरखपुर की देख-रेख में परिचालकों के पद हेतु इन्टरव्यू हुआ था उसमें कुल कितने व्यक्ति चयनित हुये और उसमें से कितनों को सेवा में ले लिया गया तथा कितनों को लेना बाकी है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

प्रश्नगत अवधि में 356 अभ्यर्थी परिचालक पद के लिए चयनित किए गए जिसमें से केवल 257 को सेवा का अवसर मिला। दिनांक 15-7-80 को प्रतीक्षा सूची निरस्त कर दिए जाने के कारण अब किसी को भी सेवा में लिया जाना बाकी नहीं है।

आजमगढ़ जनपद के ग्राम सरैना में विशेष अध्याप्ति अधिकारी द्वारा भूमि प्रतिकर का वितरण

46--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के दूसरे बुधवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 109 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा मुआवजा बांटने की कार्यवाही कब प्रारम्भ की गई है तथा कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ग्राम सरैना, परगना व तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ में भूमि का प्रतिकर बांटना विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 2 फरवरी, 1982 का प्रारम्भ किया गया था और दिनांक 30-3-82 तक अन्तिम रूप से भू-स्वामियों को प्रतिकर वितरित कर दिया गया है।

आश्रम पद्धति विकास विद्यालय, ईश्वर शरण आश्रम, इलाहाबाद में लागू नियम तथा कर्मचारियों को वेतन आदि का भुगतान

47--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 2रे बुधवार के लिए निर्धारित ता0 प्र0 17 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आश्रम पद्धति विकास विद्यालय ईश्वर शरण आश्रम, इलाहाबाद में किस परीक्षा तक की पढ़ाई होती है ? क्या यह माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त है ? यदि हां, तो माध्यमिक शिक्षा अधिनियम इस पर लागू न किए जाने के क्या कारण हैं ? समय से वेतन भुगतान न करने के लिए संस्था के प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री गुलाब सेहरा--

आश्रम पद्धति विकास विद्यालय ईश्वर शरण आश्रम, इलाहाबाद में कक्षा 1 से 10 तक की पढ़ाई होती है ।

यह संस्था माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा स्थायी मान्यता प्राप्त है ।

माध्यमिक शिक्षा अधिनियम लागू न होने का कारण यह है कि इस संस्था को शासन द्वारा शत प्रतिशत अनुदान दिया जाता है तथा प्रबन्धाधिकरण का किसी भी प्रकार का कोई अंशदान नहीं रहता है ।

निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण द्वारा अनुदान किस्तों में प्राप्त होता है अतः प्राप्त होने पर ही वेतन आदि का भुगतान विभागीय नियमों के अन्तर्गत जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, इलाहाबाद द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है । सभी कर्मचारियों का अद्यावधिक भुगतान किया जा चुका है ।

संस्था के प्रबन्धाधिकरण का विवाद न्यायालय में है तथा संस्था के भुगतान आदि जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, इलाहाबाद के माध्यम से किये जा रहे हैं ।

प्रगति आश्रम, बालागंज, लखनऊ के स्टोरकीपर, श्री बृजेन्द्र सिंह के विरुद्ध सम्परीक्षा आख्या पर कृत कार्यवाही

48--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ के स्टोरकीपर श्री बृजेन्द्र सिंह के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता के ज्ञापन, दिनांक 14-9-81 तथा 24-11-81 एवं स्टोर से सामान गायब होने की सम्परीक्षा आख्या परीक्षक, स्थानीय निधिलेखा, उ0 प्र0 प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो आरोप क्या हैं तथा गायब सामान का मूल्य क्या है ? सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी हां। परीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या एफ-4913, दिनांक 12-11-81 में 11,545·00 रु0 की कीमत के सामान भण्डार

पंजिका के अनुसार गायब होना सूचित किया गया है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष, अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति, प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ को लिखा गया है कि उत्तरदायी कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

इलाहाबाद जनपद के विकास खण्ड, प्रतापपुर, धनुपुर एवं सादाबाद के राजकीय नलकूपों की मरम्मत पर व्यय की गई धनराशि

49—श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड प्रतापपुर, धनुपुर एवं सैदाबाद के किन-किन राजकीय नलकूपों की नालियों की मरम्मत (मेंटीनेन्स एण्ड रिपेयरिंग द्वारा) कितनी-कितनी धनराशि की लागत से सन् 1980-81 एवं 1981-82 में की गई?

श्री बीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

50—श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री श्याम नारायण तिवारी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

इलाहाबाद के विकास खण्ड, बहरिया में मनसेता नदी पर निर्मित पुलों की मरम्मत

51—श्री राधे श्याम पटेल—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि विकास खण्ड बहरिया, तहसील फूलपुर, जनपद इलाहाबाद में सिसई गांव मार्ग तथा कहला-मऊ आयमा मऊ मार्ग पर सिंचाई विभाग द्वारा मनसेता नदी पर 3 निर्मित पुलों को दोनों तरफ भयानक कटाव से गाड़ियों का गमनागमन अवरुद्ध है? यदि हां, तो इसकी मरम्मत न कराने के क्या कारण हैं? क्या जनहित में अविलम्ब मरम्मत कराने की कृपा करेंगे?

श्री बीर बहादुर सिंह—

जी हां। मनसेता नाले पर निर्मित पुलों के दोनों ओर रेम्पस में वर्षा में कटाव हो गये थे। नाले में पानी के फैलाव के कारण इनकी मरम्मत तुरंत नहीं की जा सकी।

मरम्मत का कार्य प्राथमिकता पर कराया जा रहा है, जिसे शीघ्र पूर्ण कर दिया जायगा।

बाढ़ कार्य खण्ड, देवरिया के ठेकेदार, श्री इन्दर प्रसाद का भुगतान

52—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि जब वे गोरखपुर माह दिसम्बर, 1981 में गये थे तो उस अवसर पर श्री इन्दर प्रसाद ठेकेदार ने अपने भुगतान पाने हेतु एक पत्र दिया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

कथित पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता किन्तु इन्दर प्रसाद ठेकेदार को 920 रु० का भुगतान दिनांक 19-12-81 को बाढ़ कार्य खण्ड, देवरिया द्वारा किया गया है।

पर्वतीय क्षेत्र की जन जातियों के उत्थान के लिए कार्यक्रम

53--श्री बिहारी लाल--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र की जनजातियों के उत्थान के लिए क्या-क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तथा 1981-82 में उक्त कार्यक्रमों के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

पर्वतीय क्षेत्र की जनजातियों के उत्थान के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों तथा उनके लिए वर्ष 1981-82 में स्वीकृत धनराशि का विवरण संलग्न है।

(देखिएं नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 916 पर।)

मऊरानीपुर, झांसी के ग्रामों की सिंचाई हेतु पथराई बांध की योजना

54--श्री भागीरथ--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊरानीपुर (झांसी) में 126 ग्राम सिंचाई से वंचित हैं? क्या इस सम्बन्ध में कोई लिखित अनुरोध किया गया था? क्या इस सम्बन्ध में अभी तक कोई भी साधन जैसे राजकीय नलकूप तथा पथराई नदी पर बांध पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है? इस सम्बन्ध में मन्त्रि परिषद् की झांसी में दिनांक 27-11-80 को शासन के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया था कि उक्त गांव में सिंचाई की व्यवस्था की जाय? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही न होने का क्या कारण है और कब तक कार्यवाही हो जायगी?

श्री वीर बाहदुर सिंह--

जी हां। मऊरानीपुर (झांसी) में सिंचाई की व्यवस्था के विषय में श्री भागीरथ चौधरी (प्रश्नकर्त्ता) का पत्र प्राप्त हुआ था। इस क्षेत्र में नलकूप लगाने के लिए भूगर्भ जल की स्थिति स्पष्ट नहीं है तथा वर्ष 1982-83 में इस क्षेत्र में अन्वेषणात्मक छिद्रण कराया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 1982-83 में पथराई बांध के निर्माण की योजना का अनुमोदन हो गया है तथा इस पर शीघ्र ही कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा। मन्त्रि परिषद् की झांसी बैठक में दिनांक 27-11-80 को सुझाव प्राप्त हुआ था जिसके बारे में ऊपर लिखित कार्यवाही की जा रही है।

राजकीय प्रमाणित संस्था, इलाहाबाद में संवासियों की औरत संख्या एवं वस्त्र, कम्बल तथा भोजन आदि का आवंटन

55--श्री ऊदल--

प्रथम सत्र 82 के 3रे बुधवार के अतारांकित प्र० सं० 20 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि

राजकीय प्रमाणित संस्था इलाहाबाद में सन् 1976-77 से 1981-82 तक कितनी संवासियां प्रत्येक वर्षों में थीं और क्या कम्बल, स्वेटर, चादर, कपड़े जो खरीदे जाते थे वह एक वर्ष के लिए ही होते थे ? इस मामले में, जिसमें 6 वर्षों में ही 8 लाख रु0 किया गया है, जांच न करने का कारण क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा—

राजकीय प्रमाणित संस्था, इलाहाबाद की स्थापना वर्ष 1976-77 के अन्तिम माहों में की गई थी। स्थापना काल के बाद उक्त संस्था में वर्षवार संवासियों की औसत संख्या निम्नवत् थी :—

वर्ष	औसत वर्षवार उपस्थिति
1977-78	124
1978-79	181
1979-80	129
1980-81	168
1981-82	135

विभागीय निर्देशों तथा जेल मैनुअल की धारा 595 के अन्तर्गत सूती कपड़े के प्रयोग की अवधि 6 से 9 माह तथा गरम कपड़े के उपयोग की अवधि 3 वर्ष है। वर्ष 1976-77 से वर्ष 1981-82 तक संवासियों के भरण-पोषण हेतु आवंटित 8 लाख रुपये की धनराशि में संवासियों के वस्त्र, कम्बल तथा भोजन आदि अन्य अनिवार्य सेवायें सम्मिलित हैं। चूंकि वस्त्र आदि का क्रय नियमित रूप से किया गया था अतः इसके जांच कराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

56—श्री बलबीर सिंह—

[4 थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 57 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री वेद प्रकाश, सेवा निवृत्त अधिशासी अभियन्ता की अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति तथा अनन्तिम पेंशन का भुगतान

57—श्री सुरेन्द्र कुमार—

दिनांक 16-9-81 को ता0 प्र0 सं0 16 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवा निवृत्ति अधिकारी को किन तथ्यों के आधार पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित माना जा रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सम्बन्धित अधिकारी को वित्तीय पुस्तिका के मूल नियम 18 के प्राविधानों के अन्तर्गत अनधिकृत रूप से अनुपस्थित माना जा रहा है।

58–श्री सुरेन्द्र कुमार––

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शासन के 15–11–80 के प्रसारित अनन्तिम पेंशन के आदेश अब तक कार्यान्वित क्यों नहीं हुए हैं ? और इस अधिकारी के विरुद्ध जो जांच की जा रही है, उसे सेवा निवृत्ति के लगभग 4 साल बाद किस नियम के अधीन किया जा रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

शासन के 15–11–80 के आदेशों को कार्यान्वित महालेखाकार द्वारा किया जाना है ।

प्रश्नगत अधिकारी के विरुद्ध जांच नहीं है ।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं, एवं धांधलियों की जांच के विषय में विधायकों द्वारा दिया गया ज्ञापन

59–श्री राम आसरे वर्मा––

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के दूसरे बुधवार (दिनांक 27–1–82) के लिए तारांकित प्रश्न संख्या–1 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विधायकों के ज्ञापन दिनांक 5–11–80 20–11–80, 28–11–80 तथा 15–9–81 में उल्लिखित आरोपों की जांच किस दिनांक से आरम्भ हुई, जांच किस स्टेज पर है और जांच के परिणाम से कब तक अवगत करायेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर जनपद में हरिजनों को दी जाने वाली सुविधाओं में अनियमितता के सम्बन्ध में शिकायती–पत्र

60–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद––

जनपद गोरखपुर में छात्रवृत्तियों के पुस्तकीय सहायता व अन्य विभागीय सुविधा, जो हरिजनों को मिलती है उसका खुला लाभ फर्जी हरिजन प्रमाण–पत्र प्रेषित कर अन्य व्यक्तियों द्वारा लेने सम्बन्धी प्रश्नकर्त्ता के निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उ० प्र०, लखनऊ को दिए गए शिकायती–पत्र दिनांक 4–2–82, जिसकी प्राप्ति निदेशालय के अतिरिक्त निदेशक कृते निदेशक करके पत्रांक 761/ ब० स०/विविध /82, लखनऊ, दिनांक 4 फरवरी, 1982 द्वारा की है, पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गुलाब सेहरा––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

61–श्री शेर बहादुर, श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री दूधनाथ राजभर––

[4 थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नैनीताल में निर्माणाधीन जमरानी बांध की प्रगति तथा व्यय

62-श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, 1976 से जिला नैनीताल में बनाए जा रहे जमरानी बांध के निर्माण कार्य पर 1-2-82 तक कितना धन खर्च किया गया और जमरानी बांध का कितना कार्य सम्पन्न हुआ ? प्रतिवर्ष उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन और भत्ते आदि के रूप में कितनी धनराशि देनी पड़ी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जमरानी बांध परियोजना का कार्य दो चरणों में किया जा रहा है। दोनों चरणों के कार्य पर 1-2-1982 तक निम्न व्यय हुआ है :--

प्रथम चरण	रु0 591.50 लाख
द्वितीय चरण	रु0 123.18 लाख
कुल योग ..	714 68 लाख

इस परियोजना के प्रथम चरण के कार्यों के अन्तर्गत वितरण प्रणाली से सम्बन्धित कार्य तथा गोला बैराज, पोषक नहरें, नहरों का सुदृढीकरण तथा गूलों को पक्का करने के कार्य सम्मिलित हैं, का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था। इस चरण के कार्य लगभग समाप्त हो चुके हैं और लगभग 21,000 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन हुआ है।

द्वितीय चरण के अन्तर्गत जलसंचय सम्बन्धी कार्य तथा मुख्य बांध का निर्माण, जिसमें डाईवर्जन टनल स्पिलवे तथा इनटेक स्ट्रक्चर का कार्य सम्मिलित है, का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। इस चरण इस परियोजना के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन और भत्ते पर 1-2-1982 निम्नानुसार व्यय आ है :--

	रु0
1976-77	3,80,900.29
1977-78	12,40,911.40
1978-79	13,79,113.00
1979-80	16,14,216.85
1980-81	18,30,071.09
1981-82 (जनवरी 82 तक)	18,26,642.95
कुल योग ..	82,71,915.58

मिर्जापुर जनपद में ग्राम जोगढ़ (मरचहिया) में पम्प कैनाल लगाये जाने के सम्बन्ध में पत्र

63—श्री रामचरण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने एक पत्र दिनांक 24-12-1981, को ग्राम जोगढ़ (मरचहिया), जनपद मिर्जापुर के सिंचाई हेतु एक पम्प कैनाल लगाये जाने के सम्बन्ध में भेजा था ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री माता प्रसाद, ग्राम धमोलिया, फैजाबाद की तथा कथित रोडवेज बस दुर्घटना में मृत्यु

64—श्री मित्रसेन—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि माता प्रसाद पुत्र करिया, ग्राम धमोलिया की मृत्यु दिनांक 6-12-81 को रोडवेज, फैजाबाद बस नं0 7888 यू0 पी0 एक्स0 से हुई दुर्घटना में हो गयी है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध सं0 261, धारा 204-ए थाना इनायत नगर, फैजाबाद में दर्ज कराई गयी है ? यदि हां, तो मृतक के परिवार व आश्रितों को सरकार द्वारा क्या आर्थिक सहायता की गई और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

थाना इनायत नगर, फैजाबाद में अपराध संख्या 261 धारा 279/304-ए आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत दिनांक 6-12-81 को श्री राम दुलारे पुत्र श्री राम नेवाल, साकिन धमोलिया, थाना इनायतनगर द्वारा कथित बस संख्या यू0 पी0 एक्स0 7887 के चालक के विरुद्ध श्री माता प्रसाद को कुचल कर मारने की रिपोर्ट दर्ज है ।

बस के चालक ने लिखित रूप से बताया है कि उनकी बस से इस प्रका की कोई दुर्घटना नहीं हुई । मामले में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है । उनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तथा दुर्घटना की पुष्टि हो जाने पर ही इस मामले में अगली कार्यवाही संभव हो सकेगी ।

परिवहन निगम के आजमगढ़ क्षेत्र में बैट्री के अभाव के कारण घाटे की जांच

65—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 81 के 4थे बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 42 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल, 1980 से 30 नवम्बर, 1980 तक 2,07,85,850 रुपये के घाटे के लिए कौन से अधिकारी उत्तरदायी थे ? बैट्री के अभाव का क्या कारण सेथ तथा इस कारण 1,14,08,807 रु0 का अधिक डीजल खर्च होने के लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

1 अप्रैल, 1980 से 30 नवम्बर, 1980 तक आजमगढ़ क्षेत्र में बैट्री अभाव के कारण घाटे के सम्बन्ध में एक जांच कमेटी बना दी गयी है, और रिपोर्ट आने पर जिम्मेदारी निर्धारित कर विभागीय कार्यवाही की जायेगी ।

लखनऊ गोरखपुर रोड पर मुमताजनगर कस्बे में परिवहन निगम की बस की दुर्घटना

66—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 10-12-81 को कानपुर से गोरखपुर जाने वाली सड़क परिवहन निगम की बस लखनऊ-गोरखपुर रोड पर स्थित मुमताजनगर कस्बे में ट्रक से टकरा गयी है, और एक व्यक्ति मर गया तथा 17 घायल हो गये हैं ? यदि हाँ तो इसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां । दिनांक 10-12-81 को गोरखपुर क्षेत्र की बस संख्या यू0टी0ए0 9279 की मुमताजनगर कस्बे के पास एक ट्रक से टक्कर हो गई जिसके फलस्वरू एक व्यक्ति का मृत्यु हुई तथा 17 व्यक्ति घायल हुए । गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को चिकित्सा हेतु फैजाबाद जिला चिकित्सालय में भर्ती कर दिया गया। मृत के आश्रितों को मुआवजा दिये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

प्रधानाचार्य, किसान इन्टर कालेज, परशुरामपुर, बस्ती द्वारा छात्रा इन्द्रावती देवी की छात्रवृत्ति तथा अन्य छात्रों की छात्रवृत्ति का भुगतान

67—श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसूफ—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्द्रावती देवी चौधरी पुत्री श्री साहब राम चौधरी, कक्षा-11-12, किसान इन्टर कालेज, परशुरामपुर, बस्ती की पिछड़ी जाति की छात्रवृति रु0 1,348, वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 का भुगतान नहीं किया गया और छात्रा ने छात्रवृत्ति का धन प्राप्त करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी बस्ती एवं मन्त्री हरिजन समाज कल्याण विभाग तथा अन्य अधिकारियों को दिनांक 19-12-79, 13-6-80, 4-7-80, 15-10-80, 15-5-81, 21-8-81 को पत्र प्रेषित किया है ? इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

छात्रा की तरफ से शिकायती-पत्र के आधार पर प्रधानाचार्य, किसान इंटर कालेज, परशुरामपुर बस्ती से छात्रवृत्ति भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर निष्कर्ष निकला कि छात्रा के पिता श्री साहब राम चौधरी ने बॉर रसीद के 300 रुपया के छात्रवृत्ति प्राप्त कर लिया जिसके कारण आगे का भुगतान रोक लिया गया था । इसके अतिरिक्त छात्रा ने पढ़ाई के बाद भी डाकखाने में खोले गये पास-बुक नं0 332162 को संस्था में जमा नहीं किया । साहब राम चौधरी ने बड़ी मुश्किल से 2-2-82 को 300 रुपया की प्राप्ति का स्वीकार किया तथा छात्रा को पास-बुक नं0 332162 भी जमा की

प्रधानाचार्य ने 11-2-82 को 1088 रु0 छात्रवृत्ति का भुगतान उक्त पास-बुक के माध्यम से कर दिया तथा छात्रों को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा पास-बुक सहित सूचित कर दिया गया है ।

68—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि किसान इन्टर कालेज, परशुरामपुर, जिला बस्ती के प्रधानाचार्य ने कितना धन हरिजन तथा पिछड़ी जाति के छात्रों के छात्रवृत्ति के रूप में वर्ष 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1980-81 में निकाला है और किस-किस तारीख में हरिजन एवं पिछड़ी जाति के छात्रों के बचत खाते में जमा किया या छात्रों को किन-किन तारीखों में भुगतान किया ।

श्री गुलाब सेहरा—

प्रधानाचार्य, किसान इन्टर कालेज, परशुरामपुर, जिला बस्ती द्वारा इस छात्रवृति का भुगतान सेन्ट्रल बैंक, परशुरामपुर, बस्ती से चेक द्वारा किया जा चुका है, जिसका विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 917 पर ।)

केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के परिपेक्ष्य में छेदी लाल साथी आयोग की रिपोर्ट

69—श्री बंशीधर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि सार्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री छेदी लाल साथी कमीशन की रिपोर्ट पर सरकार कब तक विचार करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

सार्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के शासन को प्राप्त होने के बाद जनवरी, 1979 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था, जिससे यह संस्तुति मांगी गयी थी कि भारत वर्ष में सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने के लिए क्या माप दण्ड निर्धारित किये जायं और इन वर्गों के उत्थान के लिये क्या उपाय किये जायं । उपरोक्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर दी है जिस पर भारत सरकार द्वारा लिए गये, निर्णय पूरे देश में सम्मान रूप से लागू होंगे । इस परिवेक्ष्य में छेदी लाल साथी आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

70—श्री बंशीधर—

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 81 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

71—श्री गोपी नाथ वर्मा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

दशरथपुर माइनर, टांडा फैजाबाद के निर्माण की जांच

72--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या सिचाई मन्त्री को जानकारी है कि दशरथपुर माइनर टांडा फैजाबाद के निर्माण की जांच के सम्बन्ध में दिनांक 25-3-81 को क्षेत्रीय विधायक द्वारा कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो, क्या जांच कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है ? यदि नहीं, तो जांच पूर्ण न होने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

जी हां, जांच पूर्ण हो चुकी है । दशरथपुर माइनर स्वीकृत समरेखन पर कुलावा नम्बर 57 से ही बनाई जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

73--श्री गोपीनाथ वर्मा--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में कार्यरत अध्यापिकाओं की वार्षिक वेतन वृद्धि, अवकाश वेतन/वेतन भत्ते आदि का बकाया देय भुगतान

74--श्री गोपीनाथ वर्मा--

विधान सभा प्रथम सत्र 82 के 6ठें गुरुवार (24-2-82) के अता0 प्र0 सं0 4 के उत्तर के सम्दर्भ में क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कथित अध्यापिका का नाम क्या है । उनके असन्तोषजनक कार्य हैं होनें की आख्या कब कब किसने दी तथा वार्षिक वेतन वृद्धि के अतिरिक्त अन्य देयों के विवरण क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

देवरिया की ग्राम सभा केशरपुर के सामने करमैनी ड्रेन पर पुल का गण्डक नहर निर्माण खण्ड द्वारा निर्माण तथा डाइवर्जन रोड की मरम्मत

75--श्री रुद्रप्रताप सिंह--

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्यालय देवरिया से बेसही देवरिया जाने वाली सी0 सी0 रोड पर ग्राम सभा केशरपुर के सामने मुख्य सड़क को काट कर जो पुल गंडक नहर निर्माण खंड-6 देवरिया द्वारा बनवाया जा रहा है, वह कब बन कर तैयार हो जायेगा ? क्या वजह है कि आज लगभग 4 माह से डाइवरजन रोड के खराब हालत में होने व उस पर बसों का आवागमन रुक जाने के बावजूद सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उसे ठीक नहीं कराया गया ? क्या भविष्य में मुख्य-मुख्य सड़कों पर निर्मित होने वाले पुलों के निर्माण के पूर्व डाइवरजन रोड को हर हालत में यातायात के लिए उपयुक्त बनाने के आदेश आपके द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दिए जायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मुख्यालय देवरिया से देसही वेवरिया जाने वाली सी0 सी0 रोड पर ग्राम सभा केसरपुर के सामने करमैनी ड्रेन पर गण्डक नहर निर्माण खण्ड-6 देवरिया द्वारा बनाया जा रहा पुल मई, 1982 में पूर्ण हो गया है तथा यातायात के लिए खोल दिया गया है। बरसात के बाद डाइवर्जन रोड की मरम्मत कराई गई तथा फरवरी, 1982 में यातायात के लिए खोल दी गई।

महत्वपूर्ण मुख्य सड़कों पर निर्मित होने वाले पुलों के निर्माण के पूर्व डाइवर्जन रोड को ईटों की सोलिंग लगाकर बनाया जाता है, परन्तु भारी वाहनों के चलने तथा वर्षा के कारण डाइवर्जन रोड खराब हो जाते हैं। फलस्वरूप उन्हें समयानुसार यातायात योग्य मरम्मत करा दिया जाता है।

सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के रिक्त पदों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के अवर अभियन्ता (यांत्रिक) की प्रोन्नति

76--श्री राम आसरे वर्मा, श्री श्यामलाल बाजपेयी, डाक्टर शिवानन्द नौटियाल, श्री जटाशंकर सिंह तथा श्री नन्दकिशोर सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 30 अप्रैल, 1982 को सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के कुल कितने पद हैं ? इनमें से कितने सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता (यांत्रिक) से पदोन्नति प्राप्त अभ्यर्थी हैं ? क्या उक्त पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के कितने पद सहायक अभियन्ता, (यांत्रिक) रिक्त हैं तथा उन पदों पर अवर अभियन्ता (यांत्रिक) की कब तक प्रोन्नति कर दी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

सिंचाई विभाग में 30 अप्रैल, 1982 को सहायक यांत्रिक अभियन्ता के कुल 516 पद हैं।

इनमें से 153 सहायक (यांत्रिक) अभियन्ता, अवर अभियन्ता (यांत्रिक) से पदोन्नति प्राप्त अभ्यर्थी हैं।

प्रोन्नति पदों पर अनुसूचित जाति का आरक्षण राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के शासनादेश संख्या 15/5/73/रा0 एकी0, दिनांक 30 मार्च, 1974 से लागू हुआ। राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के दूसरे शासनादेश संख्या 15/25/73/रा0एकी0, दिनांक 10 मई, 1976 में निहित प्राविधान के अनुसार कोटे के दो पद उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण भरे नहीं गये एवं लगातार तीन वर्षों तक अग्रनीत किए गए अमुक वर्ष बाद आरक्षण मुक्त समझे जायेंगे। उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का प्रतिभाग पूर्ण है।

वर्ष 1982 में अवर अभियन्ता (यांत्रिक) से सहायक यांत्रिक अभियन्ता पद पर 51 प्रोन्नतियां की गई हैं। इनमें से 22 पदों पर कोटे के विरुद्ध प्रोन्नतियां एवं 238 पदों पर अल्पकालीन व्यवस्था में प्रोन्नतियां की गई हैं।

इनमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की संख्या 9 होती है । उपलब्ध एवं पात्र अनुसूचित जाति के समस्त अवर अभियन्ताओं की प्रोन्नति पर विचार किया गया तथा अनुसूचित जाति के उपयुक्त 8 अवर अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पद पर प्रोन्नतियां की गई हैं ।

परिवहन निगम के देवरिया डिपो में खराब बसों के सम्बन्ध में जानकारी

77—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या परिवहन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया डिपो (जनपद देवरिया) में परिवहन निगम की कुल कितनी बसें हैं ? कितनी सड़क पर चल रही हैं, कितनी खराब हैं ? इन खराब बसों के नहीं चलने से नित्य कितने हजार रुपये की हानि निगम को हो रही है तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में गृहमाता के पद पर श्रीमती शिवपती सक्सेना की नियुक्ति

78—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में गृहमाता के पद पर श्रीमती शिवपती सक्सेना की नियुक्ति किस दिनांक को की गई थी और उन्होंने नियुक्ति के समय अपनी आयु एवं शैक्षिक योग्यता के समर्थन में कौन-कौन से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये थे ? यदि श्रीमती सक्सेना ने सेवा में प्रवेश के समय आयु का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया था तो वर्ष 1980-81 में उनसे आयु का प्रमाण-पत्र प्रबन्धाधिकरण द्वारा प्राप्त करने का क्या कारण एवं औचित्य था ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

79-81—श्री गोपीनाथ वर्मा—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाये गये ।]

नरेन्द्र देव इन्टर कालेज, जलालपुर, फैजाबाद के प्रधानाचार्य व प्रबन्धक द्वारा गबन के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

82—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नरेन्द्र देव इंटर कालेज, जलालपुर, फैजाबाद के प्रधानाचार्य व प्रबन्धक द्वारा हरिजन एवं पिछड़ी जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति एवं भवन अनुदान व अध्यापकों के भविष्य निधि की धनराशि गबन किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता द्वारा 20 मार्च, 1982 को कोई शिकायती-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या शिकायती-पत्र के आधार पर जांच कराई गई ? जांच के दौरान सम्बन्धित छात्रों एवं अध्यापकों से

पूछ–तांछ की गई तथा जांच में कितने आरोप सिद्ध पाये गए ? सत्य पाये गए आरोपों के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गांव देवराई, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में मुसहरों के लिए स्वीकृत आवास

83—श्री ऊदल—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 2रे बुधवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 64 के उत्तर के संदर्भ में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव देवराई ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी में जिन 5 मुसहरों के लिए आवास स्वीकृत थे, वे गांव छोड़कर कहां चले गये ? क्या वे गांव छोड़कर नहीं गये और अब भी मौजूद हैं ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट शासन को किस अधिकारी ने भेजी है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सिंचाई विभाग में मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक) लेविल वन प्रमुख अभि यन्ता का पद

84—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियर्स एसोसियेशन, उ० प्र० बहुत दिनों से मांग कर रहा है कि मैकेनिकल इंजीनियर्स में भी लेविल वन प्रमुख अभियन्ता बनाया जाय ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या निर्णय लिया गया ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र माननीय मुख्य मन्त्री को 11 फरवरी, 1982 को लिखा था ? उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक) लेविल वन का पद सृजित कर दिया गया है ।

माननीय मुख्य मन्त्री जी को दिनांक 11 फरवरी, 1982 को प्रश्न कर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र प्राप्त हुआ । मुख्य अभियन्ता यांत्रिक लेविल वन के नव सृजित पद पर चयन की कार्यवाही नियमानुसार प्रगति पर है ।

श्री राजेन्द्र सिंह, भू० पू० बुकिंग क्लर्क द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन पर कृत कार्यवाही

85—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 5वें बुधवार के अता० प्र० सं० 58 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या परिवहन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि किन कारणों से प्रार्थना–पत्र को विधि संगत न होना पाया गया है ? क्या यह सत्य है कि श्री राजेन्द्र सिंह, भू० पू० बुकिंग क्लर्क ने वर्ष 76 में उक्त के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक, लखनऊ के समक्ष तथा बाद में उप प्रधान प्रबन्धक (संचालन) के

समक्ष अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो उस प्रत्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री एच० एल० गोविल, ए० आर० एम०, बस्ती द्वारा आफिस का ताला तोड़कर फाइलें निकालना

86—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, 1978 में बस्ती इ० आर० एम० आफिस का ताला तोड़कर श्री यस० यल० गोविल (ए० आर० एम०) के अध्यक्षता में फाइलें निकाली गयीं थी ? यदि हां, तो उसकी कोई एनवेन्टरी बनवाई गयी थी ? तथा इसके खिलाफ बस्ती कोतवाली में कोई एफ० आई० आर० भी लार्ज हुई थी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

बस्ती डिपों में ए० आर० एम० कार्यालय का ताला नहीं तोड़ा गया श्री राम चन्द्र पान्डेय, कार्यालय सहायक प्रथम द्वारा चार्ज न दिये जाने की दशा में उनके कार्य से सम्बन्धित पत्रादि रखे जाने वाली आलमारी का ताला, श्री एच० एल० गोविल, तत्कालीन ए० आर० एम०, बस्ती की अध्यक्षता में तोड़ा गया जिसकी इन्वेन्टरी लिस्ट भी उनके द्वारा बनवाई गयी थी । इस मामले में कोई एफ० आई० आर०, बस्ती कोतवाली में दर्ज नहीं करवाई गई ?

श्री सुनहरी, निवासी खरिया शिकमी गोहाना, जिला मैनपुरी की मांग पर निर्मित गूल तथा कृषकों का मुआवजा

87—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री सुनहरी, निवासी खेरिया शिकमी गोहना, तहसील जसराना, जनपद मैनपुरी का मांगपत्र सितम्बर, 1981 एवं नवम्बर, 1981 का आपको एवं अभियन्ता नहर डिवीजन हाथरस (अलीगढ़) को प्रश्नकर्ता की संस्तुति के साथ मुआविजा से गूल प्रदान कराने के सम्बन्ध में प्राप्त हुए ? यदि हां, तो अब तक गूल प्रदान की गई ? और कितना रुपया मुआविजा का हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री सुनहरी लाल, निवासी खरिया शिकमी गोहाना, तहसील जसराना, जनपद मैनपुरी के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे । गूल बनवा दी गई है ।

गूल का निर्माण कृषकों के परस्पर सहयोग से हुआ था अतः मुआवजा वितरित नहीं किया गया ।

टांडा कस्बा (नेहरू नगर हाता) में हरिजनों के लिये दुकानों का निर्माण तथा आवंटन

88—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टांडा कस्बा (नेहरू नगर हाता) ठेरुआपुल मेनरोड के पास दलित हरिजनों को रोजगार चलाने हेतु

सन् 1982 में दुकान निर्माण कराकर आवंटन किये जाने हेतु भूमि क्रय की गयी ? यदि हां, तो उक्त निर्माण हेतु क्रय की गयी भूमि का ब्योरेवार विवरण क्या है तथा उक्त दूकानों का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर कब तक हरिजनों को आवंटित की जायेंगी, आवंटन का मापदण्ड क्या होगा ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी हां । गाटा संख्या--209 में से 3,000 वर्ग फीट भूमि का क्रय 40,000 रु० में किया गया है । निर्माण कार्य पूरा होने पर दुकानों का आवंटन अक्टूबर, 1982 में हो जाने की आशा है । सम्बन्धित चयनित विकास खण्ड में निवास करने वाले अनुसूचित जाति के निर्धनता रेखा से नीचे के ऐसे व्यक्ति दुकान प्राप्त करने के पात्र हैं जिनके पास अपनी कोई दुकान न हो और वे कोई कारोबार करना चाहे जिसके लिए उन्हें स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत स्वयं रोजगार की किसी योजना के लिए आर्थिक सहायता दी गई हो ।

श्री नसीर अली, जूनियर फोरमैन (बेला बधुना डिपो, कानपुर) के पेंशन निर्धारण के सम्बन्ध में श्रीमती प्रेमवती तिवारी, राज्य मन्त्री के पत्र

89--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या परिवहन मन्त्री को जानकारी है श्री नसीर अली, जूनियर फोरमैन (बेला बधुना डिपो, कानपुर), जो दिनांक 14-2-1972 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं, के पेंशन का निर्धारण अभी तक नहीं तय किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में राज्य मन्त्री, लखनऊ मंडल (श्रीमती प्रेमवती तिवारी) के पत्र दिनांक 18-1-82 एवं 31-3-82 परिवहन मन्त्री एवं परिवहन सचिव को प्राप्त हुए ? क्या सरकार इस विषय को शीघ्र सम्पन्न कराने का आदेश देगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

श्री नसीर अली जूनियर फोरमैन के पद पर स्थायी नहीं हुए थे अतः पेंशन के पात्र नहीं थे । राज्य मन्त्री जी के पत्र दिनांक 19-1-82 (18-1-1982 नहीं) तथा 31-3-82 प्राप्त हुए । उनमें श्री नसीर अली के स्थायीकरण के बारे में कार्यवाही अपेक्षित थी । ज्ञात हुआ है कि उनकी चरित्र पंजिका में वर्ष 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1970-71 तथा 1971-72 के बारे में प्रतिकूल प्रविष्टियां थी । इसी कारण उन्हें स्थायी नहीं किया गया था ।

शारदा सहायक 38वां खंड बाबतपुर राजबहा, वाराणसी में अध्याप्त भूमि के मुआवजे के सम्बन्ध में श्री मोती लाल, निवासी दारापुर, वाराणसी का पत्र

90--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव दारापुर, परगना कोलअसला, तहसील व जिला वाराणसी के मोती लाल वगैरह की दरखवास्त को प्रश्नकर्ता ने माननीय सिंचाई मंत्री को 12-4-82 को दिया है कि शारदा सहायक 38वां खंड बाबतपुर राजबहा, वाराणसी में मोती लाल वगरह की जमीन गयी है और मुआवजा दूसरों के नाम बनाया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार सही किसानों को मुआवजा दिलवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिह--

जी हां। बाबतपुर राजबहे के निर्माण में पड़ने वाले सम्बन्धित ग्रामों में जिस समय भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही की गयी थी, उस समय ग्राम असवारी में चकबन्दी विभाग द्वारा चकों के धारा-23 का प्रकाशन कर दिया गया था, किन्तु बाद में धारा-52 के प्रकाशन के समय इन नम्बरों में परिवर्तन हो जाने के कारण विवाद उत्पन्न हो गया था। सम्बन्धित काश्तकारों से आपसी समझौता द्वारा नहर निर्माण में अर्जित भूमि का प्रतिकर दिलाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री सीताराम पटेल, मंत्री जिला कम्युनिल्ट पार्टी, जौनपुर का कृषकों, से सिंचाई कर की वसूली के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

91--श्री ऊदल--

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मत्री जिला कम्युनिस्ट पार्टी, जौनपुर सीताराम पटले की दो दरखवास्तें गलत वसूली एवं गलत नहर निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने 13-4-82 को अपने पत्र के साथ उन्हें दी थी ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में कार्यवाही की गयी ? और कार्यवाही का नतीजा क्या हुआ ?

श्री वीर बहादुर सिह--

जी हां।

नरायनपुर राजबहा पर कि0 मी0 1 से 31 [वाराणसी-प्रतापगढ़ रेलवे क्रासिंग तक] खरीफ 1389 फसली में पानी पहुंचाकर सिचाई कराई गई है। इन्द्राज के समय कृषकों के नाम की तस्दीक की गई, जिसके आधार पर खसरा शुदकार में नाम अंकित किया गया है। सींच होने के कारण महसूल लगाया गया है। कुछ क्षेत्र नहर के पानी जाने के पश्चात् अकृषित रह गया ऐसे रकबे में सिचाई का महसूल का छूट देने का निर्णय लिया गया है।

नरायनपुर राजबहे की कुल लम्बाई 72·2 कि0 मी0 है। इस राजबहे के हेड से कि0 मी0 40·00 तक के कार्य को पूरा कराके पानी चलाया जा रहा है।

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम (पूर्वी जोन) में कार्यरत लेखाकारों का स्थायीकरण तथा दक्षता रोक

92--श्री पंचानन राय--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम (पूर्वी जोन) में वर्ष 1961-62 से कार्यरत कितने लेखाकार अब तक अस्थायी हैं ? इनको स्थायी न किए जाने के क्या प्रमुख कारण हैं और इन्हें कब तक स्थायी कर दिया जायेगा ?

श्री बलदेव सिह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है।

93—श्री पंचानन राय—

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम (पूर्वी जोन) में कार्यरत कितने लेखाकारों का दक्षतारोक 1 जून, 1972 से अब तक पार नहीं किया गया है तथा इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय ले लिया जायगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (पूर्वी जोन) में कार्यरत लेखाकारों में से एक को छोड़कर कोई ऐसा लेखाकार नहीं है जिसका दक्षतारोक 1 जून, 1972 से अब तक पार होना शेष है। पूर्वी जोन के वाराणसी क्षेत्र में कार्यरत केवल एक लेखाकार, श्री विनय कुमार सिंह को 1-5-80 से दक्षतारोक पार होना शेष है जिसका कारण क्षेत्रीय प्रबन्धक, वाराणसी से उनकी दक्षतारोक पार करने विषयक संस्तुति एवं सेवा पुस्तिका प्राप्त न होना है। संस्तुति एवं अभिलेख प्रेषित करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। जैसे ही वांछित संस्तुति एवं अभिलेख प्राप्त हो जायेंगे, श्री सिंह को दक्षतारोक स्वीकृत करने सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

आजमगढ़ के हरैया ब्लाक में राजकीय नलकूप लगाए जाने का प्रस्ताव

94—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खंड द्वितीय, आजमगढ़ ने आजमगढ़ के हरैया ब्लाक में 8 राजकीय नलकूप लगाए जाने की संस्तुति अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप खंड, आजमगढ़ को फरवरी, 1982 में की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

नलकूपों के निर्माण कार्य इस वर्ष के विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत आ गया है तथा जिला विकास समिति की संस्तुति से ही नलकूपों के निर्माण के प्रस्ताव जिला प्लान में सम्मिलित किए जाते हैं। आजमगढ़ जनपद के जिला प्लान में वित्तीय वर्ष 1982-83 में राजकीय नलकूप लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्य सड़क परिवहन निगम क्षेत्र, आजमगढ़ में विभिन्न श्रेणी की नियुक्तियों का मापदण्ड

95—श्री पंचानन राय—

या परिवहन मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 4थे बुधवार के लिए नर्धारित अता0 प्र0 सं0 33 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि 282 कर्मचारियों की नियुक्ति का क्या मापदंड निर्धारित किया गया था ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्रामोदय उ0 मा0 विद्यालय, बढ़यापार, गोरखपुर में अनियमित ढंग से भुगतान के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

96—श्री पंचानन राय--

क्या समाज कल्याण मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 4थे बुधवार के लिए निर्धारित अता0प्र0 सं0 36 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि 7,143 रु0 अनियमित तरीके से प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी संस्था अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? अनियमित भुगतान के लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री गुलाब सेहरा--

7,143 रु0 के भुगतान के लिए सम्बन्धित संस्था अधिकारियों तथा तत्कालीन जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

मन्त्री कार्यालय से परिवहन निगम को भेजे जाने वाले पत्र के प्राप्ति हस्ताक्षर के उत्तरदायित्व का निर्धारण

97—श्री पंचानन राय—

क्या परिवहन मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 4थे बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 38 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत पत्र 23-12-80 को परिवहन निगम को किस माध्यम से भेजा गया ? पत्र गायब होने के लिए कौन से कर्मचारी उत्तरदायी हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

दिनांक 23-12-80 का प्रश्नगत पत्र चपरासी द्वारा परिवहन निगम को भेजा गया । चूंकि मन्त्री कार्यालय से जो पत्र निगम को भेजे जाते हैं, उनकी प्राप्ति के हस्ताक्षर लेने की प्रथा नहीं है । ऐसी दशा में किसी भी कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा मैसर्स आटो स्प्रिंग सेल्स, लखनऊ को दिया गया स्प्रिंग लीव्ज का सप्लाई आर्डर

98--श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन ने मैसर्स आटो स्प्रिंग सेल्स, 24-बी सिंगार नगर, लखनऊ को वर्ष 1978 की अन्तिम छमाही में लगभग 17 लाख रुपये के स्प्रिंग लीव्ज की सप्लाई का आर्डर दिया था ? क्या यह भी सही है कि उक्त आर्डर का कुछ अंश उक्त फर्म द्वारा सप्लाई किये जाने के उपरान्त उक्त सप्लाई आर्डर को निरस्त कर दिया गया ? यदि हां, तो बिना कारण बताये कितना माल लेना बन्द कर दिया गया और क्या इन्सपेक्शन रिपोर्ट भी नहीं दी गई ? और क्या इस दिशा में नियमानुकूल कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

99--श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि स्प्रिंग लीव्ज के सही और उपयोगी प्रमाणित करने के सम्बन्ध में कौन-कौन सी परीक्षायें की जाती हैं और किसके माध्यम से ? क्या इसके लिए कोई कार्यशाला प्रदेश में बनाई गई ? यदि हां, तो वह कहां स्थित है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

100--श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम ने वर्ष 1979 से अब तक किन-किन संस्थाओं से स्प्रिंग लीव्ज की खरीदारी की और जिन संस्थाओं ने इसकी आपूर्ति की उनके और मेसर्स आटो स्प्रिंग सेल्स, लखनऊ की दरों में कितना अन्तर है और उक्त अवधि में कितना अधिक धन शासन को इसके लिए देना पड़ा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

101--श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उ० प्र० राजकीय सड़क परिवहन निगम द्वारा बनाये गये खरीद के नियम के अन्तर्गत स्थानीय लघु उद्योगों को कम से कम 15 प्रतिशत मूल वरियता देने का प्राविधान है ? यदि हां, तो किन-किन स्थानीय लघु उद्योगों को स्प्रिंग लीव्ज की सप्लाई के आर्डर वर्ष 1979 से 1982 तक दिये गये ? यदि आर्डर नहीं दिये गये तो इसके लिए कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या सरकार इसकी जांच करा कर उसे दंडित करेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आश्रम पद्धति विकास विद्यालय ईश्वर शरण आश्रम, इलाहाबाद में लागू नियम तथा कर्मचारियों को वेतन आदि का भुगतान

102--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 2रे बुधवार के लिए निर्धारित ता० प्र० सं० 17 के उत्तर के संदर्भ में क्या हरिजन समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आश्रम पद्धति विकास विद्यालय ईश्वर शरण आश्रम, इलाहाबाद में किस परीक्षा तक की पढ़ाई होती है ? क्या यह माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त है ? यदि हां, तो माध्यमिक शिक्षा अधिनियम इस पर लागू न किए जाने के क्या कारण हैं ? समय से वेतन भुगतान न

करने के लिए संस्था के प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री गुलाब सेहरा--

विकास विद्यालय, ईश्वर शरण आश्रम, इलाहाबाद हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा शतप्रतिशत अनुदान पर संचालित है और यहां पर कक्षा 1 से 10 तक की पढ़ाई की व्यवस्था है । यह संस्था माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा स्थायी मान्यता प्राप्त है । विद्यालय में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम केवल कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता, अर्हता एवं तद्नुरूप वेतनमान महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते (राज्य कर्मचारियों के अनुरूप) शिक्षा पाठ्यक्रम एवं पढ़ाये जाने वाले विषयों में लागू है । वर्ष 1981-82 में कुछ माह तक कर्मचारियों को समय से भुगतान नहीं किया गया । फलतः कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन मिलने व छात्रों की शिक्षा में व्यवधान न पड़े, इसको ध्यान में रखते हुये जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, इलाहाबाद के निवर्तन पर अनुदान रख कर नियमित रूप से वेतन दिलाये जाने की व्यवस्था की गई है ?

जनपद आजमगढ़, तहसील सगड़ी में स्थित ग्राम जोयनपुर के राजकीय नलकूप नं0 37 का पुनः निर्माण

103--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 2रे बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 31 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री बतने की कृपा करेंगे कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही कब तक पूरी हो जायगी और प्रश्नगत कूप का पुनः निर्माण कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़ जनपद के सुन्दरपुर गांव में शारदा सहायक नहर पर पुल

104--श्री पंचानन राय--

क्या सिंचाई मन्त्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 3रे बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 46 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि पैदल पुल के औचित्य की पुनः जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

स्कूल के बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष परिस्थितियों में एक पैदल पुल ग्राम सुन्दरपुर में दोहरी घाट लिंक नहर के कि0 मी0 37·925 पर बनाने का निर्णय लिया गया है ।

आजमगढ़ जिले के ग्राम वरडोहा तथा सीवान के निवासियों की सुरक्षा के लिये बांध

105—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में स्थित ग्राम वरडोहा तथा सीवान आदि के नागरिकों की फसल सुरक्षा के लिए बांध बनाए जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दि0 5-4-81 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

आवेदन-पत्र में उल्लिखित बांध एक प्राचीन बांध है, जिसका रख-रखाव सिंचाई विभाग द्वारा नहीं किया जाता है ।

जनपद आजमगढ़ में निर्माणाधीन शारदा सहायक के घोसी राजबहा के मार्ग का अन्तिम निर्धारण एवं सुझावों के परिप्रेक्ष्य मे समरेखन का निरीक्षण

106—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 2रे बुधवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 84 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अधोक्षण अभियन्ता द्वारा 25 फरवरी, 1981 को अन्तिम निर्धारण स्वीकृति किये जाने के पूर्व प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ प्राप्त सुझावों पर विचार हेतु कब किस अधिकारी द्वारा प्रश्नकर्त्ता से सम्पर्क स्थापित किया गया ? यदि नहीं, तो क्या प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 17 अक्तूबर, 1980 में प्राप्त सुझावों के सम्बन्ध में कोई पत्र-व्यवहार किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अधोक्षण अभियन्ता द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 1981 को अन्तिम निर्धारण के पूर्व माननीय प्रश्नकर्ता से सम्पर्क स्थापित नहीं किया गया । माननीय प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये सुझाव स्वत: स्पष्ट थे अत: उनसे सम्पर्क स्थापित करने की आवश्यकता नहीं समझी गई । फिर भी उनके सुझावों के परिप्रेक्ष्य में समरेखन का निरीक्षण सहायक अभियन्ता, तृतीय द्वारा दिनांक 10 फरवरी, 1981 को किया गया । माननीय प्रश्नकर्ता महोदय के सुझावों पर समुचित विचार किया गया परन्तु समरेखन में परिवर्तन करना उचित नहीं पाया गया ।

शारदा नहर के निर्माण हेतु आजमगढ़ जनपद के ग्राम सुरैना के किसानों को अध्याप्त भूमि का मुआवजा

107—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 2रे बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 109 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेष भूमि अध्यापन अधिकारी द्वारा मुआवजा बांटने की कार्यवाही कब प्रारम्भ की गई है तथा कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा मुआवजा बांटने की कार्यवाही दिनांक 2 फरवरी, 1982 को आरम्भ की गई थी और 30 मार्च, 1982 को पूरी हो गई तथा अध्याप्ति भूमि का प्रतिकर वितरित कर दिया गया ।

श्री दीनानाथ, परिचालक तथा बर्डघाट, गोरखपुर के अन्य परिचालकों के विरुद्ध शिकायत

108—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के बर्डघाट के कितने परिचालकों के विरुद्ध जनता व विधायकों ने माह अप्रैल, 1980 से माह नवम्बर, 1981 तक अशिष्ट व्यवहार करने आदि के सम्बन्ध में शिकायत मन्त्री से की है ? क्या इसमें श्री दीनानाथ, परिचालक का भी नाम है ? यदि हां, तो इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त परिचालक को मन्त्री जी ने निलम्बित करने के आदेश दिये थे परन्तु उसे तुरन्त बहाल कर दिया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अर्ध कुम्भ मेले में राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा लगाई गई बसें और प्राइवेट बसों के कारण हुई किराये आदि की हानि

109—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अर्ध कुम्भ मेले के यात्रियों को बाहर से लाने और ले जाने के लिये कुल कितनी बसें कब से कब तक लगाई गयी थीं और यात्रियों से कुल कितना किराया व यात्री-कर आदि प्राप्त हुआ ? क्या यह सही है कि यू० पी० एस० आर० टी० सी० ने बस अड्डा संगम से 5 कि० मी० दूर बनाया था और प्राइवेट बस वाले 25 प्रतिशत कम किराये पर संगम स्थल तक यात्रियों को पहुंचाते थे ? यदि हां, तो इससे सरकारी बसों को कितनी हानि हुई ? और उसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

अर्ध कुम्भ मेला में यात्रियों को बाहर से लाने वाले जाने हेतु दिनांक 17 जनवरी, 1982 से 31 जनवरी, 1982 तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न तिथियों में कुल 1,488 बसें लगायी गईं और यात्रियों से किराये एवं यात्री कर आदि के रूप में लगभग कुल 53,04,668.57 रु० प्राप्त हुआ ।

बस अड्डा मेला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थल पर था ।

निजी बस मालिकान द्वारा 25 प्रतिशत कम किराये लिये जाने की जानकारी निगम को नहीं है । अतः इसके कारण सरकारी बसों को हानि होने का प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सड़क परिवहन निगम के आजमगढ़ रीजन को हुआ घाटा

110—श्री राज कुमार राय—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ रीजन में वर्ष 1982 के जनवरी/फरवरी, मार्च के महीनों में घाटा हुआ है ? यदि हां, तो यह घाटा उपरोक्त तीनों महीनों में अलग-अलग कितना हुआ है और क्यों हुआ है ? क्या शासन उसके निवारण की कोई व्यवस्था कर रहे हैं ? तो क्या ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

आजमगढ़ रीजन में वर्ष 1982 के जनवरी/फरवरी के महीनों में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को क्रमशः 9.30 लाख तथा 7.99 लाख रुपये का घाटा हुआ परन्तु मार्च के माह में 3.01 लाख रुपय का लाभ हुआ। पहले दो महिनों में हानि का प्रमुख कारण संचालन व्यय में वृद्धि होना है। इस प्रकार की हानि को रोकने के लिये संचालन एवं प्रशासनिक व्यय में यथा-संभव कटौती की जा रही है। ईंधन, तेल, स्पेयर पार्ट्स आदि के व्यय को नियन्त्रित एवं नियमित करके संचालन को अधिक कुशल बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री गिरजा शंकर, निवासी ग्राम खीरी कोठा, आजमगढ़ की बस दुर्घटना में हुई मृत्यु की क्षतिपूर्ति

111—श्री राज कुमार राय—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें अप्रैल, 1982 में लछमिनिया बेवा मगर राजभर, ग्राम खीरी कोठा, पो0 मधुवन, जिला आजमगढ़ के लड़के गिरजा शंकर की मृत्यु के कारण हुई क्षति की पूर्ति के लिए प्रश्नकर्त्ता का पत्र उन्हें मिला था ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्षतिपूर्ति न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां। पत्र मिला था। चूंकि पुलिस जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त मृतक ने बस के सामने कूदकर आत्महत्या करनी चाही थी इसलिए क्षतिपूर्ति देय नहीं है।

112—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

113—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

114—श्री हरीशंकर—

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 89 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

115—श्री कुंवर सिंह नेगी—

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 75 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

ग्राम बेल पड़ाव, नैनीताल के कालीगाड़ नाले से भूमि व जानमाल की सुरक्षा हेतु योजना

116--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला नैनीताल, तहसील कालाडुंगी, ग्राम बेलपड़ाव के कालीगाड़ नाले से अपनी भूमि व जान माल की रक्षा के लिए श्रीमती चन्द्रा, डूंगर सिंह आदि लघु कृषकों ने शासन को 1977 में कोई पत्र दिए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या निकट भविष्य में नाले के पानी के उचित बहाव और उक्त कृषकों की जानमाल की सुरक्षा की उचित व्यवस्था होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

वर्ष 1979 में बाढ़ से सुरक्षा हेतु नाले के खुदान की एक योजना बनायी गयी थी परन्तु कई कृषकों के विरोध के कारण उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

उक्त नाले के खुदान की नई योजना बनायी गयी है । इसे तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।

गढ़वाल विकास निगम में नियुक्तियों तथा प्रोन्नतियों में अनुसूचित जाति तथा जनजाति का आरक्षण

117—श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल विकास निगम में विभिन्न संवर्गों की नियुक्तियों में तथा प्रोन्नतियों में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति को नियमानुसार आरक्षण दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

वर्ष 1976 में पर्वतीय विकास निगम से पृथक् होकर गढ़वाल मन्डल विकास निगम की स्थापना हुई थी । पूर्व वर्षों में अनुसूचित जातियों व जन-जातियों का निर्धारित आरक्षण पूरा नहीं किया गया । अब उक्त जातियों का प्रतिनिधित्व पूर्ण होने तक रिक्तियों को इन्हीं जातियों के अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने की कार्यवाही की गई है ।

बस्ती के कतिपय ग्रामों में राजकीय नलकूपों का निर्माण

118--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम भगौसा, विकास खन्ड साथा, ग्राम बनखोडिया, विकास खन्ड साथा तथा ग्राम भगोसा विकास खन्ड साथा में राजकीय नलकूप कब लगाये गये तथा इनसे सिंचाई का कार्य कब प्रारम्भ हुआ ? क्या उन नलकूपों के गूल आदि बनकर पूर्ण हो गये हैं ? यदि हां, तो कब ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जनपद बस्ती में ग्राम भगोसा तथा बनखोडिया विकास खन्ड साथा में दो नलकूलों का छिद्रण क्रमशः माह नवम्बर, 1978 एवं माह दिसम्बर, 1978 में हुआ है । ये नलकूप क्रमशः दिनांक 25-12-81 व 1-4-80 को विद्युतीकरण के उपरांत चालू हो गए हैं । इन पर पक्की एवं कच्ची गूलों का निर्माण कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है ।

फैजाबाद के ब्लाक कटेहरी तथा भीटी में विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत नलकूप आपरेटरों के चुनाव में आरक्षण कोटा

119--श्री जियाराम शुक्ल विकल 'साकेती'--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक कटेहरी तथा ब्लाक भीटी, जिला फैजाबाद में विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत नलकूपों पर आपरेटरों का चुनाव पूरा हो गया है ? क्या इस चुनाव में हरिजनों का आरक्षित कोटा पूरा कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों .

श्री वीर बहादुर सिंह--

(क) जी नहीं ।

(ख) चुनाव में आरक्षित कोटे का पूर्ण ध्यान रक्खा जायेगा ।

हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग निदेशालय में जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी तथा श्रेणी 1 से श्रेणी 4 स्तर के कर्मचारी तथा आरक्षण कोटा

120--श्री सन्त बक्स रावत--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि 31 मार्च, 1982 तक प्रदेश में कुल कितने जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी स्तर के कुल कितने कर्मचारी हैं, उनमें अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति की संख्या कितनी-कितनी है ? क्या आरक्षण पूर्ण है ? यदि नहीं, तो शासन उसे पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री गुलाब सेहरा--

31 मार्च, 1982 तक जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी स्तर के कुल 61 कर्मचारी कार्यरत थे ।

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी स्तर के अनुसूचित जाति के 12 तथा पिछड़ी जाति के 11 अधिकारी थे ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

121--श्री सन्त बक्स रावत--

क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 31 मार्च, 1982 तक निदेशालय, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में श्रेणी 1, 2, 3 व 4 के कुल कितने अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं, उनम से कितने अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के हैं ? क्या सभी श्रेणियों में आरक्षण का कोटा पूर्ण है और उनका प्रत्येक श्रेणी में कितना प्रतिशत है ?

श्री गुलाब सेहरा—

31 मार्च, 1982 तक निदेशालय, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के श्रेणीवार कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनमें अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति तथा उनके प्रतिशत का विवरण निम्नवत् है :—

श्रेणी	कार्यरत	अनुसूचित जाति	प्रतिशत	पिछड़ी जाति	प्रतिशत
1	18	3	17	1	6
2	289	50	17·31	28	10
3	2,589	627	24·21	441	17
4	1,601	446	28·00	241	15

प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी को छोड़कर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में कोटा पूर्ण है ।

सिंचाई विभाग में श्रेणी 3 व 4 के अन्तर्गत कुल कर्मचारी तथा आरक्षण कोटा

122—श्री सन्त बक्स रावत—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 31 मार्च, 1982 तक प्रदेश में सिंचाई विभाग में श्रेणी 3 व 4 के अन्तर्गत कुल कितने कर्मचारी हैं, उनमें से कितने अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के हैं, उनका आरक्षण का प्रतिशत क्या है ? क्या उनका आरक्षण का कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो सरकार उसे पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

श्रेणी 3 व 4 के अन्तर्गत क्रमशः 31,047 व 34,948 कर्मचारी हैं जिनमें से अनुसूचित जाति के क्रमशः 3,275 व 5,032 तथा पिछड़ी जाति के क्रमशः 4,107 व 6,670 हैं, अर्थात् उनका प्रतिशत क्रमशः 11 व 14 तथा 13 व 19 है ।

अनुसूचित जाति का श्रेणी 3 व 4 में तथा पिछड़ी जाति का श्रेणी 3 में आरक्षण कोटा पूरा नहीं है ।

अनुसूचित जाति का श्रेणी 3 व 4 में निर्धारित 18 प्रतिशत कोटा पूर्ण करने के लिए श्रेणी 3 व 4 के पदों में होने वाली रिक्तियों में क्रमशः 25 व 30 प्रतिशत आरक्षण कर दिया गया है ।

वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी, देवरिया के विरुद्ध शिकायत पर अभिलेखों को सील किया जाना

123--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री राम गोविन्द--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी, देवरिया के विरुद्ध जो शिकायत-पत्र दिनांक 29-1-1982 को देकर समस्त अभिलेख सील करने की मांग की थी, वे कागजात सील किए गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां, माननीय विधायक श्री जनार्दन प्रसाद ओझा का पत्र दिनांक 29 जनवरी, 1962 वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी, देवरिया के विरुद्ध प्राप्त हुआ था जिसमें अन्य बातों के साथ गबन से सम्बन्धित अभिलेखों को सील करने की बात कही गयी थी । अभिलेख सील हो चुके हैं ।

गोरखपुर के खजनी ग्राम के निकट बस बाडी बनाने के कारखाने की स्थापना

124--श्रीमती गौरी देवी--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के खजनी नामक स्थान पर बस बाडी बनाने के कारखाने के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो बस बाडी बनाने का कारखाना कब तक खोल दिया जायेगा ? और उस पर क्या लागत आयेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जनपद गोरखपुर में खजनी ग्राम से निकट एक बाडी कार्यशाला, जिसमें केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर द्वारा निष्पादित कुछ कार्य भी कराए जायेंगे, की स्थापना से सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक विचार करने के बाद निगम बोर्ड ने स्वीकृति प्रदान की हैं । इसकी अनुमानित लागत लगभग 30 लाख रुपये हैं । कार्य के पूर्ण होने के अनुमानित समय को अभी बता पाना संभव नहीं है ।

प्राइवेट बसों को अनुबन्धित ढंग से चलाने हेतु विचार

125--श्री राज कुमार राय--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया प्रश्नकर्त्ता के प्रथम सत्र 1982 के 5वें बधवार के लिए उत्तरित अतारांकित प्र0 सं0 59 के उत्तर के सन्दर्भ में बतायेंगे कि जो 100 बसें अनुबन्धित की जानी हैं उनका क्राइटेरिया क्या होगा ? क्या इस समय चेसिस की सुलभता के कारण अनुबन्ध निरस्त भी किए जा सकते हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

126--श्री राजकुमार राय--

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ में स्वीकृत पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की शैक्षिक योग्यता एवं श्री गया प्रसाद कुरील अध्यापक को दिया गया वेतनमान

127--श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री गोपीनाथ वर्मा--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के तीसरे बुधवार के लिए निर्धारित (दिनांक 3-2-82) प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 84 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ के लिए स्वीकृत पदों (प्रधानाचार्य, अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, अध्यापक, विषयवार सहायक अध्यापक) पर नियुक्त व्यक्तियों की शैक्षिक योग्यता क्या है और सम्बन्धित पद हेतु शिक्षा विभाग ने क्या योग्यता निर्धारित की है तथा प्रत्येक पद का स्वीकृत वेतनमान क्या है ? श्री गया प्रसाद कुरील, अध्यापक का वेतन किस वेतनमान से आहरित किया जा रहा है ।

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना संलग्न है ।

श्री गया प्रसाद कुरील का वेतन पुराने वेतनमान रुपया 120-220 से निकाला जा रहा है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 221 पर ।)

प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ की नवगठित प्रबन्ध समिति का चुनाव एवं अनुमोदन तथा वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में जांच एवं आडिट रिपोर्ट की अनुपालन आख्या

128--श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री गोपीनाथ वर्मा--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 3रे बुधवार (दिनांक 3-2-82) के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 83 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट, 1921 के प्राविधानों के अनुसार प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ की प्रबन्ध समिति का सर्वप्रथम गठन कब हुआ ? तथा वर्ष 1970 से 1980 तक कब-कब प्रबन्ध समिति का चुनाव हुआ तथा क्या नवगठित प्रबन्ध समिति का अनुमोदन जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ से नियमानुसार कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

प्रगति आश्रम, बालागंज, लखनऊ की प्रबन्ध समिति अलग नहीं है बल्कि अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति द्वारा यह विद्यालय संचालित है । इसका गठन वर्ष 1952 में हुआ था ।

वर्ष 1970 से 1980 तक प्रत्येक वर्ष प्रबन्ध समिति का चुनाव हुआ । नवगठित प्रबन्ध समिति का अनुमोदन जिला विद्यालय निरीक्षक से नहीं कराया गया योंकि यह विशेष प्रकार की संस्था है और हरिजन कल्याण विभाग से शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त है ।

129—श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री गोपीनाथ वर्मा—

विधान सभा के वर्तमान सत्र 1982 के 5वें बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 24 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 23-12-81 के साथ प्रेषित परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश के पत्रांक 4913, दिनांक 12-11-81 की प्रमाणित प्रतिलिपि उन्हें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन सी वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख है ? सरकार ने उन वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में उक्त स्कूल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां ।

जिन वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है उनका ब्यौरा संलग्न है । इनके बारे में अध्यक्ष, अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति, प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज लखनऊ को जिम्मेदार कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने को लिखा गया है ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 923 पर ।)

130—श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री गोपीनाथ वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 1ले बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 30 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आडिट पार्टी की जांच की आख्या क्या है ? और सम्बन्धित संस्था आडिट रिपोर्ट की अनुपालन आख्या कब तक प्रस्तुत करेगी ?

श्री गुलाब सेहरा—

संस्था का विभागीय संपरीक्षण कराया गया जिसमें संस्था को स्वीकृत अनुदान में रु0 98,374·78 का अमान्य भुगतान पाया गया । इस धनराशि की कटौती संस्था की वर्ष 1981-82 में स्वीकृत वार्षिक अनुदान की अन्तिम किस्त से कर ली गयी है ।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ में शिक्षा संहिता के लागू नियम तथा विषयों में जिला विद्यालय निरीक्षक का परामर्श एवं अनुमोदन से अवमुक्ति

131—श्री दलगंजन सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 59 के उत्तर के सन्दर्भ में हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उल्लिखित शासनादेश के पूर्ण विवरण एवं तथ्य क्या हैं और उनका संवैधानिक आधार क्या है ? क्या शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गयी किसी विज्ञप्ति द्वारा प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागज, लखनऊ को उन विषयों में जिला विद्यालय निरीक्षक का परामर्श एवं अनुमोदन लेने से अवमुक्त कर दिया गया है जिनमें कि ऐसा किया जाना अनिवार्य है ? यदि नहीं, तो शिक्षा संहिता बेसिक शिक्षा अधिनियम, उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट के प्राविधानों का पालन क्यों नहीं कराया गया ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

132--श्री राम चरण सिंह--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

मिर्जापुर में तालर खोरा डीह माइनर का निर्माण

133--श्री रामचरण सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में तालर खोरा डीह माइनर के निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने 16-10-81 को पत्र लिखा था ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त माइनर का निर्माण कार्य क्यों अधूरा पड़ा है ? यह कितनी लागत की योजना थी ? और अब तक कितना रुपया खर्च हो चुका है ? इस योजना की स्वीकृति कब दी गयी ? इसके कब तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य था और अब इस माइनर का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण किया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

मड़िहान शाखा से निकली खोरा डीह अल्पिका का पुनरोद्धार एवं खोरा डीह अल्पिका के टेल से तालर राजवाहे का निर्माण प्रगति में है । खोरा डीह अल्पिका के पुनरुद्धार का कार्य लगभग समाप्त हो गया है । तालर रजबाहे के निर्माण में अवरोध ठेकेदारों द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़ने के कारण हुआ । अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने हेतु कार्यवाही की जा रही है । प्रश्नगत निर्माण कार्य की अनुमानित लागत लभभग रुपये 7.24 लाख है । मार्च, 1982 तक लगभग 2.83 लाख रुपये का व्यय हो चुका है । यह कार्य घाघर नहर आधुनीकरण परियोजना के अन्तर्गत कराया जा रहा है । परियोजना की वित्तीय स्वीकृति वर्ष 1978 में दी गई थी और कार्य को तीन वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य था ।

इस नहर का निर्माण वर्ष 1982-83 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

मिर्जापुर के कतिपय विकास खंडों में गंगा, बेलन तथा अन्य छोटी नदियों पर छोटी पम्प नहर निर्माण के प्रस्ताव

134--श्री रामचरण सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री प्रथम सत्र 1982 के 5वें बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्र० संख्या 25 के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि गंगा, बेलन तथा अन्य छोटी नदियों पर छोटी पम्प नहर के निर्माण प्रस्तावों का प्रारम्भिक परीक्षण किन-किन स्थानों पर किया जा रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद मिर्जापुर के विकास खंड धोरावल, पहाड़ी जलालपुर एवं मड़िहान में गंगा, बेलन तथा अन्य छोटी नदियों पर डी० पी० ए० पी० योजना के अन्तर्गत छोटी पम्प नहर के निर्माण के प्रस्तावों का प्रारम्भिक परीक्षण किया जा रहा है । नदी में जल की उपलब्धता तथा परियोजना की प्राविधिक उपयुक्तता ज्ञात करने के पश्चात् ही आगे कोई कार्यवाही की जा सकेगी ।

फरहदा माइनर का विस्तार

135—श्री रामचरण सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने फरहदा माइनर के विस्तार के सम्बन्ध में उन्हें एक पत्र दिनांक 22-9-81 को लिखा था, उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

फरहदा माइनर की कुल लम्बाई मील 1-2-0 है जिसमें मील 1-0-0 तक माइनर का निर्माण हो चुका है । शेष भाग का निर्माण भूमि का अधिकार प्राप्त होने पर पूर्ण होगा ।

पलिया पावर हाउस लखीमपुर खीरी के लिये अध्याप्त भूमि तथा पावर हाउस का निर्माण

136—श्री गौरी शंकर भैय्या—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पावर हाउस के निर्माण हेतु कस्बा पलिया खास, जनपद लखीमपुर खीरी के कृषकों की जमीन 1962 में सिंचाई विभाग द्वारा अध्यापित की गई थी ? क्या यह सही है कि पावर हाउस का अभी तक निर्माण नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक कार्य पूरा होगा ? यदि नहीं, तो कृषकों को उनकी जमीन वापस कर दी जायेगी जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना-पत्र दिया था ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

भूमि अधिग्रहीत की गयी थी ।

जी नहीं । वर्ष 1957 में पलिया पावर हाउस का निर्माण कराया गया । वर्ष 1961-62 में प्रश्नगत क्षेत्र में विद्युत् विभाग द्वारा विद्युत् लाइन का सृजन कर दिये जाने के बाद पावर हाउस बन्द कर दिया गया । अधिग्रहीत की गयी भूमि में से दिनांक 28-3-78 को 0.7 एकड़ भूमि पलिया पावर हाउस का भवन, स्थायी एवं अस्थायी क्वार्टर्स तथा नलकूप संख्या 6 सिंचाई समूह सहित नगर पालिका पलिया कलां को उक्त क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था किये जाने हेतु हस्तान्तरित कर दी गयी थी । शेष भूमि की विभाग को आवश्यकता है अतः उसके वापस करने का प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद में भ्रष्ट अधिकारियों को इंगित करो आन्दोलन की संघर्ष समिति, द्वारा श्री दिनेश कुमार शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खंड (प्रथम) को इंगित किया जाना

137—श्री गौरी शंकर भैय्या—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में "भ्रष्ट अधिकारियों को इंगित करो आन्दोलन की संघर्ष समिति" द्वारा दिनांक 6-2-82 को अधिशासी

अभियन्ता, नलकूप खंड (प्रथम), फैजाबाद श्री दिनेश कुमार शर्मा को इंगित किया गया है और उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये हैं ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और उन आरोपों की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

138--श्री गौरी शंकर भैय्या--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

श्री अकबर सिंह यादव सेवा-निवृत्त डी० आर० ओ० नहर विभाग, गाजीपुर के प्राविडेन्ट फन्ड का भुगतान

139--श्री सुल्तान सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि श्री अकबर सिंह यादव, डी० आर० ओ० नहर विभाग, गाजीपुर मंडल गाजीपुर से 22-7-71 को कार्यभार से मुक्त हुये और उनके प्रोविडेन्ट फंड का नम्बर डब्लू० एच० 6249 है ? यदि हां, तो अब तक इनको फंड का धन देने में विलम्ब के क्या कारण है ? क्या शासन द्वारा इनको प्रोविडेन्ट फंड दिलाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? क्या गाजीपुर से इनकी सेवा-पंजिका मुख्य लेखाकार को भेजी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री अकबर सिंह यादव, डी० आर० ओ० नहर, दिनांक 22-7-1971 को नहीं बल्कि दिनांक 17-7-1971 को सेवा-निवृत्त हुये थे और इनका प्राविडेंट फंड का नम्बर डब्लू० एच० 6249 नहीं वरन् डब्लू० यू० 6249 है ।

श्री अकबर सिंह यादव ने प्राविडेंट फंड प्राप्ति हेतु फार्म 425-ए भर कर नहीं दिया है जिनके कारण उनके प्राविडेन्ट फंड में जमा धनराशि का भुगतान सम्भव नहीं हो सका है ।

इनकी सेवा-पुस्तिका सिंचाई खंड गाजीपुर में प्राप्त न होने के कारण महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को नहीं भेजी जा सकी है ।

140--श्री गौरी शंकर भैय्या--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

परिवहन निगम के बलिया जनपद डिपो में बसों का विवरण

141--श्रीमती गौरा देवी तथा श्री गौरी शंकर भैय्या--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम के बलिया जनपद के डिपो में कुल कितनी बसें चालू तथा खराब हालत में हैं ? क्या मंत्री महोदय डिपो की बसों के खस्ता हालत का जांच कराकर अच्छी बसें बलिया जनपद में चलाने का कष्ट करेंग ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

बलिया जनपद में दिनांक 11-7-82 को 57 बसें चालू हालत में थीं और 14 बसें मरम्मत के लिए खड़ी थीं जिन्हें आवश्यक मरम्मत कराने के बाद चलाया जा रहा है। बलिया जनपद में चलने वाली बसों में 31 बसें अभी नई हैं क्योंकि ये अभी तक 2 लाख कि0 मी0 के लगभग चली हैं।

मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाले गन्दे पानी से सिंचाई की योजना

142--श्री सरदार सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा तेल शोधक कारखाने से भारी मात्रा में निकलने वाले गंदे पानी की सिंचाई हेतु प्रयोग में लाने के लिए कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक क्रियान्वित हो जायेगी और कितना रकबा शुद्ध किये जल से सिंच सकेगा।

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

योजना के क्रियान्वित होने पर शुद्ध किये गये जल से लगभग 350 एकड़ क्षेत्र खरीफ में तथा 600 एकड़ क्षेत्र रबी में सींच हो सकेगा।

श्री विश्व नाथ मल्ल, अवर अभियन्ता (यांत्रिक), नलकूप खंड भदोही, वाराणसी के स्थानान्तरण आदेश तथा कार्यभार

143--श्री केदार नाथ सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 22-8-80 को मुख्य अभियन्ता नलकूप पूर्व ने श्री विश्वनाथ मल्ल, अवर अभियन्ता, यांत्रिक, नलकूप खंड भदोही, वाराणसी को टेलीग्राम द्वारा नलकूप खंड, बलिया के लिए स्थानान्तरण आदेश भेजे थे ? यदि हां, तो कार्यालय ज्ञाप क्यों नहीं भेजा गया और नलकूप खंड, बलिया के अधिशासी अभियन्ता ने श्री मल्ल को सूचित किया है कि उनके यहां श्री मल्ल के स्थानान्तरण आदेश प्राप्त नहीं हुये हैं और इसी आधार पर श्री मल्ल को कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया ? यदि हां, तो क्या सिंचाई मंत्री जी स्थिति स्पष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। श्री विश्वनाथ मल्ल, अवर अभियंता (यांत्रिक) के स्थानान्तरण आदेश तार द्वारा मुख्य अभियन्ता नलकूप पूर्व ने दिनांक 22-8-80 को नहीं बल्कि दिनांक 19-8-80 को किये थे।

यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता, नलकूप प्रखंड, बलिया ने श्री विश्वनाथ मल्ल अवर अभियन्ता (यांत्रिक) को बताया कि उनके स्थानान्तरण आदेश उक्त प्रखंड में प्राप्त नहीं हुए थे।

144--श्री केदार नाथ सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विश्वनाथ मल्ल, अवर अभियन्ता, यांत्रिक, नलकूप खंड भदोही, वाराणसी से दिनांक 15-9-80 को बिना चार्ज लिये ही उक्त खंड के अधिशासी अभियन्ता ने कार्यशाला का चार्ज ले लिया और कब तक कार्यशाला के सामग्रियों (जाबी) का आदान प्रदान नहीं हुआ ? यदि हां, तो लगभग 40 लाख कीमत की सामग्रियों का जिम्मेदार कौन होगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री विश्वनाथ मल्ल, अवर अभियन्ता (यांत्रिक) द्वारा नलकूप खंड भदोही में कार्यभार न समर्पित किये जाने पर दिनांक 15-9-80 को उनके आवास से चाबी प्राप्त करके कार्यशाला का समस्त कार्यभार तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता ने अपनी उपस्थिति में उनके प्रतिस्थानी को हस्तगत करा दिया था ।

ऐसा राजकीय एवं जनहित को दृष्टिगत रखते हुए किया गया ताकि नलकूपों के रखरखाव एवं मरम्मत के कार्य में व्यवधान न उत्पन्न हो।

अपना चार्ज नियमानुसार न देने तथा सामग्री में पायी गयी कमी की जिम्मेदारी श्री मल्ल की है ।

इलाहाबाद में शारदा सहायक खंड 30 के अन्तर्गत बहरिया-अतनपुर सम्पर्क मार्ग पर पुलिया का निर्माण

145--श्री राधे श्याम पटेल--

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद में शारदा सहायक खंड 30 के अन्तर्गत बारी डी0 वाई0 के 2 1/2 कि0मी0 पर बहरिया-अतनपुर सम्पर्क मार्ग पर पुलिया का निर्माण स्वीकृत है ? यदि हां, तो अभी तक उसके निर्माण न होने के कारण क्या हैं ? क्या सरकार इस पुलिया का तुरन्त निर्माण कराने की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

इस पुलिया का निर्माण किया जा चुका है ।

ग्राम कपसा, इलाहाबाद का नलकूप संख्या--99 का संचालन

146--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप संख्या 99 पी बाके ग्राम कपसा, तहसील फूलपुर, जिला इलाहाबाद कब से और क्यों बन्द पड़ा है ? क्या सिंचाई की आवश्यकता को देखते हुए उसे तत्काल चालू कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

नलकूप संख्या-99 फूलपुर समूह ग्राम कपसा का निकास कम होने के कारण पुनः विकसन करके मार्च, 1982 में चालू किया गया था । उसके पश्चात् भी कूप का निकास स्थिर नहीं है अतः सुचारु रूप से नहीं चल पा रहा है। नलकूप फेल होने की स्थिति में है । नलकूप के सुधार हेतु प्रयत्न किये जा रहे हैं और अगर निकास में सुधार सम्भव नहीं हुआ तो पुनः निर्माण हेतु विचार किया जायेगा ।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार, वित्तीय-अनियमितताओं की वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच एवं कृत कार्यवाही

147---श्री गोपी नाथ वर्मा---

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 1ले बुधवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 51 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वरिष्ठ अधिकारी की जांच आख्या क्या है और सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो उसका क्या कारण है ?

श्री गुलाब सेहरा---

वरिष्ठ अधिकारी की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है जिसके परीक्षणोपरान्त ही आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्रीमती माधुरी पाण्डेय, अध्यापिका, प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज लखनऊ की सेवा समाप्ति के विषय में शिक्षा विभाग के आदेश

148---श्री राम आसरे वर्मा---

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में कार्यरत सहायक अध्यापिका, श्रीमती माधुरी पाण्डेय की सेवा समाप्ति के विषय में शिक्षा अधिकारी, लखनऊ के आदेश दिनांक 28-7-81, 31-8-81, 20-1-82 व 10-2-82 तथा सचिव, उ० प्र० बसिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० के आदेश दिनांक 30-12-81 सहित प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 12-2-82 एवं 15-2-82 निदेशक/सचिव, हरिजन तथा समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उपर्युक्त संदर्भित आदेशों के पूर्ण विवरण क्या हैं और सरकार ने अब तक उन पर क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा---

जी हां ।

आदेश शिक्षा विभाग के श्रीमती माधुरी पाण्डेय, अध्यापिका, प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ की सेवा में पद स्थापित कर उन्हें नियमित करने तथा अद्यावधि अवशेष भुगतान करने विषयक आदेशों के अनुपालन न करने के आधार पर विद्यालय की हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग से मिलने वाले अनुदान को रोकने के सम्बन्ध में है ।

चूंकि श्रीमती माधुरी पाण्डेय ने माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में अपनी याचिका प्रस्तुत कर रखी है, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयोपरान्त ही तदनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

फैजाबाद के टांडा व बसखारी ब्लाक में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत हरिजनों को सहायता

149---श्री गोपीनाथ वर्मा---

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे की टांडा व बसखारी ब्लाक टांडा, जनपद फैजाबाद में 1980-81 से 1981-82 तक कितने निर्बल

वर्ग (हरिजनों) का स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के तहत चयन किया गया ? उक्त चयनित परिवारों को रोजगार चलाने हेतु संबन्धित बैंकों से ऋण भुगतान करा दिया गया ? यदि हां, तो चयनित परिवारों के नाम व पूर्ण पता क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा--

जिला फैजाबाद के टांडा तथा बसखारी विकास खंडों में 1980-81 से 1981-82 तक अनुसूचित जातियों के 389 परिवारों का आर्थिक सहायता हेतु चयन किया गया जिनमें से 279 परिवारों को बैंकों द्वारा ऋण का भुगतान भी कर दिया गया । चयनित परिवारों की सूची संलग्न है† जिसके स्तम्भ 5 में बैंक द्वारा ऋण के भुगतान की तिथि अंकित है ।

फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज में पिकिया नदी एवं टोडी नदी को गहरा करने का सुझाव

150--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा चुनाव क्षेत्र जहांगीरगंज टांडा, जनपद फैजाबाद में पिकिया ड्रेन व पुल निर्माण हेतु 1978-79 में शासन द्वारा धन स्वीकृत किया गया ? यदि हां, तो क्या स्वीकृत धनराशि का उपयोग करके उक्त पुल एवं ड्रेन की सफाई का कार्य पूर्ण किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो स्वीकृत धनराशि में से कितनी धनराशि शेष है ? शेष धनराशि कब तक उपयोग करके अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि उक्त पुल निर्माण के सम्बन्ध में क्षेत्रीय जनता एवं जन प्रतिनिधि द्वारा 1979-1980-81 में शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो क्या शिकायतों की जांच कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । पिकिया नदी इस क्षेत्र में स्थित है । पिकिया ड्रेन व पुल के निर्माण हेतु वर्ष 78-79 में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधायक श्री राम जी राय का 2-7-81 का पत्र प्राप्त हुआ था । इसमें कोई शिकायत नहीं थी बल्कि पिकिया नदी एवं टोडी नदी को गहरा करने के सम्बन्ध में सुझाव था अतः शिकायत की जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता : राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति ने टोडी नदी के पुनरुद्धार का कार्य स्वीकृत किया है । पिकिया नदी को गहरा करने के सम्बन्ध में अमर ताल ड्रेन द्वारा नदी में जल निस्तारण क्षमता पर प्रभाव देखने के पश्चात् पुनः विचार करने का निर्णय लिया गया है ।

---

†छापी नहीं गयी ।

देवरिया के कुर्ना नाले पर लक्ष्मीपुर और हरखौली तथा वरपार छोरिया पर पुल निर्माण

151—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत कुर्ना नाले पर लक्ष्मीपुर और हरखौली तथ वरपार छोरिया के बीच पुल बनाने हेतु प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 20-1-82 उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । कुर्ना नाले पर लक्ष्मीपुर और हरखौली तथा वरपार छोरिया के बीच पुल निर्माण का प्रकरण विचाराधीन है ।

देवरिया में महुआडीह से हाटा तक रोडवेज बस संचालन

152—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत देवरिया-महुआडीह से हाटा तक बस चलाने हेतु प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 20-1-82-परिवहन मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां । सदस्य महोदय का पत्र दिनांक 20-1-1982 प्राप्त हुआ है । मार्ग का कुछ भाग अराष्ट्रीयकृत होने के कारण देवरिया से महुआडीह होते हुए हाटा तक रोडवेज बस चलाया जाना संभव नहीं है ।

153—श्री नन्द किशोर सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]'

देवरिया के ग्राम खेमादेई के रेगुलेटर का निर्माण

154—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खेमादेई एवं ग्राम खरवनिया, विकास क्षेत्र लार, जनपद देवरिया में निर्माणाधीन रगुलेटर अब तक क्यों नहीं पूरा हुआ ? क्या ये निर्माणाधीन रेगुलेटर जून-जुलाई, 1982 के पूर्व बनकर तैयार हो जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ग्राम खेमादेई के रेगुलेटर का कार्य स्थानीय ग्रामीणों एवं काश्तकारों के तीव्र विरोध के कारण प्रारम्भ नहीं कराया जा सका है, क्योंकि वे इस रेगुलेटर को तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत समरेखन के स्थान पर नदी की ओर अन्य स्थल पर बनवाना चाहते हैं । अतः जून/जुलाई, 1982 तक इसका पूर्ण होना सम्भव नहीं है । वर्तमान वर्षाकाल के पश्चात् इसे प्रारम्भ कराने का प्रयास किया जायेगा ।

खरवनिया रेगुलेटर का कार्य पूर्ण हो चुका है ।

परिवहन निगम के फैजाबाद क्षेत्र में श्री पी० एन० श्रीवास्तव, यातायात निरीक्षक को वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी के पद पर प्रोन्नति

155--श्री जयदीप सिंह--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम में यातायात निरीक्षक, प्रथम से वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी के पद पर प्रोन्नति किए जाने का कोई नियम है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो फैजाबाद क्षेत्र में श्री पी० एन० श्रीवास्तव, यातायात निरीक्षक, प्रथम को क्षेत्रीय स्तर पर वरिष्ठ क्षेत्र केन्द्र प्रभारी के पद पर प्रोन्नति किस आधार पर दी गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बरेली जनपद में राजकीय नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र तथा नलकूपों पर व्यय

156--श्री जयदीप सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बरेली में वर्ष 1981-82 में कुल कितने राजकीय नलकूप (सिंचाई विभाग) में कार्यरत थे और इनके द्वारा उपरोक्त समय में जायद, खरीफ और रबी में क्रमशः कुल कितना क्षेत्रफल सिंचित हुआ ? इन ट्यूबवेलों से अधिक सिंचाई प्राप्त करने के लिए कोई उपाय क्या शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या हैं और उन्हें कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद बरेली में वर्ष 1981-82 में दिनांक 1-4-1981 को 298 राजकीय नलकूप सिंचाई में कार्यरत थे और इनके द्वारा उपरोक्त समय में जायद-खरीफ और रबी मे क्रमशः 3,336 हैक्टेयर एवं 8,733 हैक्टेयर सींच हुई । नलकूपों से अधिक सिंचाई प्राप्त करने हेतु विभाग प्रयत्नशील है ।

157--श्री जयदीप सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1981-82 में सामान्य योजना में निर्मित किये गये राजकीय नलकूपों पर बोरिंग पम्प हाउस, समस्त मशीनरी फिटिंग एवं जल वितरण नालियों समेत औसतन प्रति नलकूप कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

गंगा नहर से देहली को जल आपूर्ति से हुई जल की कमी की पूर्ति

158--श्री जयदीप सिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गंगा नहर से देहली की जल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई जा रही पाइप लाइन से कितना जल गंगा नहर से प्रतिदिन लिया जायेगा ? क्या गंगा नहर से लिए जाने वाले जल की पूर्ति

के लिए इस नहर को कहीं अन्यत्र से जल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो पानी की कमी से प्रभावित होने वाले क्षेत्र को कैसे सिंचाई सुविधायें देना प्रस्तावित है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

200 क्यूसेक्स ।

गंगा नहर से लिये जाने वाले जल की पूर्ति रामगंगा जलाशय से होगी ।

बरेली जनपद में कार्यरत तथा निर्माणाधीन राजकीय नलकूप तथा सिंचित क्षेत्र

159--श्री जयदीप सिंह---

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में इस वर्ष कुल कितने राजकीय नलकूप कार्यरत एवं निर्माणाधीन हैं और इनसे क्रमशः कितना क्षेत्रफल इस वर्ष अब तक सिंचित हुआ और कितना अतिरिक्त क्षेत्रफल सिंचित होगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद बरेली में इस वर्ष 1982-83 में दिनांक 1-4-82 को 301 राजकीय नलकूप सिंचाई में कार्यरत थे तथा 18 और नलकूपों का ऊर्जीकरण हुआ था । इन ऊर्जीकृत नलकूपों को सम्मिलित करके 84 नलकूप निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं । उक्त 301 कार्यरत राजकीय नलकूप से खरीफ फसल में [1 अप्रैल, 1982 से जुलाई, 82 तक] 1473 हैक्टेयर क्षेत्रफल सिंचित हुआ है तथा निर्माणाधीन नलकूप सिंचाई में अभी तक कार्यरत नहीं हुये हैं । उपरोक्त 301 कार्यरत नलकूपों से मार्च, 1983 तक लगभग 10500 हैक्टेयर तथा निर्माणाधीन नलकूपों से लगभग 500 हैक्टेयर अतिरिक्त सींच होने की सम्भावना है ।

उ0प्र0 राज्य परिवहन निगम के अधिकारियों द्वारा उपयोग में लाये गये वाहनों पर व्यय

160--श्री जयदीप सिंह--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य परिवहन निगम के अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सरकारी कारों एवं जीपों का अलहदा लेखा-जोखा किस स्तर पर रखा जाता है ? यदि हां, तो वर्ष 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1980-81 एवं 1981-82 में उपरोक्त मद में कितना खर्चा हुआ ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसा लेखा-जोखा रखने की व्यवस्था करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

उ0 प्र0 राज्य परिवहन निगम के अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सरकारी कारों तथा जीपों का लेखा-जोखा क्षेत्रीय स्तर पर रखा जाता है । उक्त मद में हुए व्यय का वर्षवार विवरण निम्नवत् है--

वर्ष	धनराशि
1977-78	23,38,834.53
1978-79	26,09,854.91
1979-80	24,46,560.82
1980-81	28,72,230.01
1981-82	23,94,483.44

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की रात्रि सेवा बसों में सुरक्षा व्यवस्था

161--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उ0 प्र0 रा0 स0 प0 निगम के अन्तर्गत रात्रि सेवा में चलने वाली बसों में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस सेवा देने की व्यवस्था करेगी, जिससे बसों में हो रही डकैतियों को रोका जा सके और यात्रियों को सुरक्षा की निश्चितता मिल सके ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा चलाई जा रही रात्रि बस सेवाओं में 25 प्रतिशत सेवाओं में आर्म्स गार्ड की व्यवस्था है ।

श्री महमूद अली, परिचालक का निलम्बन एवं पुर्नस्थापन

162 --श्री चेतराम गंगवार--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने प्रश्नकर्ता की शिकायत पर दिनांक 19-11-80 को वाहन सं0 यू0 टी0 आई0 5750 के परिचालक (श्री महमूद अली) को निलम्बित करने हेतु अतिरिक्त प्रधान प्रबन्धक (श्री मलकानी) को आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अब श्री महमूद अली को पुनः सेवा में ले लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त परिचालक को कुल कितना दिन का वेतन काट कर बहाल किया गया ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सिंचाई विभाग, गोरखपुर में कार्यरत अधीक्षण अभियन्ताओं के विरुद्ध शिकायतें

163--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर में कार्यरत अधीक्षण अभियन्ता के श्री शेर सिंह बाढ़ एवं ड्रेनेज के श्री नृसिंह एवं श्री ब्रजराज सिंह के विरुद्ध विगत एक वर्ष में कितनी शिकायतें विभाग को मिली ? प्रमुख शिकायतें क्या हैं एवं इनके सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

परिवहन निगम के बरेली क्षेत्र में कतिपय संवर्गों में रिक्तियों की पूर्ति

164--श्री सिकन्दर अली खां--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली क्षेत्र के अन्तर्गत कितने बुकिंग लिपिक/जूनियर लिपिक, यातायात निरीक्षक, प्रथम व द्वितीय, जूनियर स्टेशन प्रभारी, सीनियर स्टेशन प्रभारी, कार्यालय सहायक, ग्रेड प्रथम व द्वितीय के

स्थान कब से रिक्त हैं ? उन स्थानों की पूर्ति क्यों नहीं की गई ? क्या विभागीय कार्य पर इसका असर नहीं पड़ता है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

यातायात निरीक्षक प्रथम के पदों में से केवल एक पद 30-4-82 से रिक्त है । यातायात निरीक्षक द्वितीय का एक पद 6-10-81 से, वरिष्ठ केन्द्रप्रभारी का केवल एक पद 4-2-82 से रिक्त है, कार्यालय सहायक प्रथम के दो पद क्रमशः 28-6-82 तथा 1-8-82 से रिक्त है, कनिष्ठ केन्द्र प्रभारी, कार्यालय सहायक द्वितीय तथा बुकिंग लिपिक के संवर्गों में कोई रिक्ति शेष नहीं है । स्वीकृत जनशक्ति किसी भी क्षेत्र के लिए अधिकतम सीमा इंगित करती हैं । इस परिधि के अन्दर आवश्यकता अनुसार पद भरे जाते हैं ।

उपरोक्त अति अल्पसंख्यक पदों पर तैनाती न होने से बरेली क्षेत्र पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ रहा है ।

165--श्री कुंवर सिंह नगी--

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 76 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

यातायात की सुविधा हेतु प्राइवेट बसों का अनुबन्धन

166-- श्री राजकुमार राय--

क्या परिवहन मंत्री प्रथम सत्र 1982 के 5वें बुधवार के प्रश्न संख्या 59 के सन्दर्भ में कृपया बतायेंगे कि जब प्राइवेट बसों को चलाने और अनुबन्धित करने का विचार शासन ने छोड़ दिया था तो पुनः कुछ बसें कैसे अनुबन्धित कर ली गईं ? क्या जनता की कठिनाइयों व मांग को देखते हुए पुनः पूर्व आधारों पर ही प्राइवेट बसें पूर्ववत् अनुबन्धित करने का विचार मंत्री जी करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

रामपुर जनपद में राजकीय नहरों के रेगुलेशन की जन-प्रतिनिधियों को सूचना

167--श्री जयदीप सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद रामपुर में राजकीय नहरों की बारबन्दी (रेगुलेशन) की सूचना इन नहरों से लाभान्वित होने वाले गांव के प्रधानों एवं अन्य निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों को किस प्रकार से दी जाती है ? क्या शासन को यह जानकारी है कि मौजूदा व्यवस्था की कमी के कारण नहरों का रेगुलेशन नियमानुसार नहीं हो पाती है ? ऐसी दशा में रेगुलेशन की सूचना को एक माह पूर्व लिखित रूप में उपरोक्त जनप्रतिनिधियों को डाक द्वारा पहुंचाने के प्रस्ताव पर क्या शासन विचार करेगा ? यदि हां, तो कब तक इस सम्बन्ध में निर्णय दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रचलित वर्तमान प्रणाली के अनुसार राजकीय नहरों के रेगुलेशन की सूचना गांव के प्रधानों एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को नहीं दी जाती है ।

वैसे हर सप्ताह रेगुलेशन आर्डर की प्रतियां सिंचाई विभाग के तार घर तथा निरीक्षण भवनों के सूचना पट पर चिपका दी जाती हैं जिससे कृषक लाभ उठा सकते हैं ।

नहरों की बारबन्दी (रेगुलेशन) नदियों में जल की उपलब्धता के अनुसार समुचित रूप से की जा रही है ।

रामपुर जनपद की नहरों में जल की मात्रा नदियों में आये हुए जल पर निर्भर करती है जो समय-समय पर बदलती रहती है । इस कारण एक माह पूर्व नहरों में जाने वाले पानी का ठीक अनुमान नहीं हो पाता है, अतः एक माह पहले रेगुलेशन करना संभव नहीं है । इस कठिनाई के कारण, रेगुलेशन आदेश लगभग एक सप्ताह पहले निर्गत किये जाते हैं । अतः रेगुलेशन की सूचना जन-प्रतिनिधियों को एक माह पूर्व भेजना संभव नहीं है ।

168--श्री केदारनाथ सिंह--

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 53 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

फैजाबाद बस स्टेशन कम्पाउन्ड के बाहर बसों को खड़ा किया जाना

169--श्री अकबर हुसैन--

क्या परिवहन मंत्री को विदित है कि फैजाबाद बस स्टेशन पर बसें कपाउन्ड में नहीं आतीं जिसके कारण यात्रियों को धूप में एवं रात्रि में सड़क पर खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है, जबकि यात्रियों की सुविधा के लिये कम्पाउन्ड में शेड पड़ा हुआ है, तो कम्पाउन्ड में बसें खड़ी न करने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

यह सही नहीं है कि बसें फैजाबाद बस स्टेशन के कम्पाउन्ड में नहीं आती हैं । अधिकांश बसें स्टेशन के कम्पाउन्ड में खड़ी होती हैं किन्तु कभी कभी स्थानाभाव के कारण बाहर से आने वाली बसें कम्पाउन्ड के बाहर छायादार पेड़ों के नीचे सड़क पर भी खड़ी कर दी जाती हैं ।

170--श्री केदारनाथ सिंह--

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 54 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

श्री राजेश्वर सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री यदुनाथ सिंह, परिचालक, बलरामपुर को परिवहन निगम में सेवायोजन

171--श्री दिवाकर बिक्रम सिंह--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि श्री यदुनाथ सिंह, परिचालक , बलरामपुर का देहान्त सेवाकाल में अगस्त/सितम्बर, 1976 में हो गया था ? क्या यह भी सत्य है कि उनके पुत्र श्री राजेश्वर सिंह (इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण) वर्ष 1977 से बराबर निगम के नियमों के आधार पर सेवा में लिये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र दे रहा है और श्री राजेश्वर सिंह की नियुक्ति के सम्बन्ध में उनके समस्त कागजात सहित प्रश्नकर्त्ता ने भी एक पत्र श्रीमान प्रबन्धक, उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम को दिनांक 27-4-81

को लिखा था ? यदि हां, तो श्री राजेश्वर सिंह को स्थायी नियुक्ति अब तक प्रदान न करने का कारण क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य --

सूचना एकत्र की जा रही है ।

किला मोहम्मदी ड्रेन पर निगोहा रावो–अहिनिबाद वेकी गंज मार्ग पर पुल निर्माण हेतु प्राक्कलन

172—श्री संत बक्श रावत--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 3 जुलाई, 1981 को सचित्र, सिंचाई विभाग ने किला मोहम्मदी ड्रेन पर निगोहा रावो–अहिनिबाद–वेकी गंज मार्ग पर बाबू खेड़ा के निकट पुल बनाने हेतु आगणन (इस्टीमेट) मांगा था ? यदि हां, तो क्या इस्टीमेट प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो पुल का निर्माण कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

प्राक्कलन बन गया है जिसके स्वीकृत होने एवं धन उपलब्ध हो जाने के उपरांत कार्य किया जा सकेगा ।

बिहार प्रान्त के जोरोदेई तथा भैरवा के बीच यू0 पी0 रोडवेज की बस की डकैतों द्वारा लूट

173--श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 रोडवेज की बस नम्बर यू0 आर0 क्यू0 1610 दिनांक 29–4–1982 को बिहार प्रान्त के जोरोदेई तथा भैरवा के बीच डकैतों द्वारा लूटी गयी ? जिसमें 35 यात्रियों की एक लाख से ऊपर की सम्पत्ति लूटी गयी है ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां, उ0 प्र0 परिवहन निगम की बस संख्या यू0 आर0 क्यू0 1610 को उक्त बस में सवार 6 डकैतों द्वारा बिहार प्रान्त में जोरोदेई–भैरवा के बीच लूट लिया गया । बस में उक्त डकैतों सहित कुल 39 यात्री थे ? लूटी गयी सम्पत्ति का विवरण उपलब्ध नहीं है ।

उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट परिचालक द्वारा बिहार प्रान्त के पुलिस थाना मुफस्सिल, जिला सीवान में दर्ज कराई गयी । मामले में बिहार पुलिस द्वारा जांच की जा रही है ।

जनपद बांदा के लिये नलकूप प्रखण्ड व रिग प्रखन्ड खोलने का प्रस्ताव

174--प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के लिये नलकूप प्रखन्ड एवं रिग्स प्रखन्ड खोलने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद बांदा के नलकूपों तथा पम्प नहरों के अनुरक्षण कार्य हेतु लिफ्ट सिंचाई खंड, बांदा पहले से ही स्थापित है। नलकूपों के निर्माण हेतु जनपद बांदा में एक निर्माण खंड स्थापित करने के आदेश दे दिये गये ह ।

बांदा जनपद में विकास खन्डवार लगाये गये नलकूप तथा विश्व बैंक सहायता से लगने वाले नलकूप

175--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में प्रत्येक विकास खन्डवार कितने ट्यूबवेल किन ग्रामों में लगाए गए ? वर्ष 1982-83 में जनपद में कितने ट्यूबवेल लगाए जाने की योजना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बांदा जनपद में वर्ष 1980-81 व 1981-82 में लगाए गए नलकूपों की विकास खण्डवार स्थिति निम्न प्रकार से है :--

क्रम सं0	विकास खंड का नाम	वर्ष 1980-81 में लगाए गए नलकूपों की सं0	वर्ष 1981-82 में लगाए गए नलकूपों की सं0
1	2	3	4
1	तिंदवारी	21	26
2	जसपुरा	37	16
3	बबेरू	4	8
4	बड़ोखर	8	10
5	कमांसिन	2	7
6	बिसन्डा	1	5
7	महुआ	..	5
	योग	73	77

वर्ष 1982-83 में 25 नलकूप लगाए जाने की योजना है ।

176-प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में विश्व बैंक की सहायता से ट्यूबवेल लगाने का निर्णय हो गया है ? यदि हां, तो वर्ष 1982-83 में विश्व बैंक की सहायता से कितने ट्यूबवेल लगाए जायेंगे ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

बलिया जनपद में अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति

177-श्री गौरी शंकर भैय्या--

क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया में वर्ष 1980-81, 1981-82 में कितने हरिजन एवं अनुसूचित जाति के छात्रों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन-पत्र दिए थे ? इसके लिए अलग-अलग वर्षों में कितनी धनराशि आवंटित की गई थी ? क्या इस आवंटित धनराशि का पूरा उपयोग किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

देवरिया में मछली मारने के धंधे से कतिपय ग्रामों की कृषि योग्य भूमि और फसल को क्षति के सम्बन्ध में पत्र

178-श्री कुबेर भन्डारी तथा श्री श्याम नारायन तिवारी--

क्या सिंचाई मन्त्री को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-8-81 प्राप्त हुआ है जिसमें यह शिकायत की गई है कि अनियमित रूप से कुछ व्यक्ति पडरौना तहसील, जिला देवरिया स्थित सिकटा-बादल पट्टी ड्रेन एवम् पडरौना ड्रेन में मछली मारने के धंधे में कृषकों के कृषि योग्य भूमि और फसल को क्षति पहुंचाया करते हैं जिसमें ग्राम श्रीपतिखोड़, धनौजी, कुमरौटा आदि, परगना सिधुवा जोबना, तहसील पडरौना, जिला देवरिया के अधिक किसानों की क्षति होती है ? यदि हां, तो क्षति को रोकने हेतु शासन कृत कार्यवाही से सदन को अवगत कराएगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

इस पत्र में भलुआ भलुआ खांड नाले का उल्लेख है, किन्तु इसमें सिकटा बादल पट्टी ड्रेन, पडरौना ड्रेन, ग्राम धनौजी व परगना सिधुवा जोबना का कोई जिक्र नहीं किया गया है । उक्त शिकायती पत्र दिनांक 17-8-81 के संदर्भ में जांच किए जाने पर ज्ञात हुआ कि वर्ष 1981 में भलुआ नाले पर मछली मारने के धंधे के लिए कोई बंधा नहीं लगाया गया था, जिससे कृषि योग्य भूमि तथा फसल को क्षति पहुंचती । अतः श्रीपति खोड एवं कुरमौटा (न कि कुमरौटा) ग्राम को किसी क्षति से बचाने एवं रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ के अनुदान स्वीकृति के लिए प्रस्तुत सूचनाएं

179—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ को प्रति वर्ष (वर्ष 1980-81 व 1981-82) अनुदान की धनराशि निर्धारित करते समय किन-किन सूचनाओं को आधार बनाया गया था ? क्या स्कूल में प्रत्येक कक्षा में भर्ती किए जाने वाले छात्रों की संख्य विभाग द्वारा निर्धारित की गई है और उक्त स्वीकृत संख्या के आधार पर छात्रों के भोजन, वस्त्र आदि पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति अनुदान द्वारा की जाती है ? यदि हां, तो प्रत्येक कक्षा के लिए छात्रों की स्वीकृति संख्या क्या है ? क्या स्कूल के सामूहिक उपस्थिति पंजिका के आधार पर छात्रों की संख्या में उक्त दो वर्षों में अन्तर पाया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राम रूप राम, प्रबन्धक, आदर्श हरिजन प्राइमरी पाठशाला पिपरा कछार, आजमगढ़ का पत्र तथा पाठशाला के अनुदान में कटौती

180-181—श्री राजकुमार राय—

क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें राम रूप राम, प्रबन्धक, आदर्श हरिजन प्राइमरी पाठशाला, पिपरा कछार, जनपद आजमगढ़ का पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ मार्च, 1982 में मिला था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्राइमरी पाठशाला (हरिजन), पिपरा कछार, ब्लाक दोहरी घाट, जिला आजमगढ़ को जब 1977, 1978, 1979 में क्रमशः रु0 2,500, 2,500 और 3,125 का अनावर्ती अनुदान दिया गया तो उसे 1980 तथा 1981 में घटा कर क्रमशः रु0 1250 तथा 500 कर दिए जाने का क्या कारण है ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सीतापुर जनपद में शारदा नदी से बाढ़ तथा कटान

182—श्री मुख्तार अनीस—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जनपद में शारदा नदी की बाढ़ से अब तक कितने गांव कट चुके हैं तथा कट रहे हैं ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार को वर्ष 1977 से वर्ष 1981 के दौरान प्रश्नकर्त्ता के कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो बाढ़ तथा कटान की समस्या को रोकने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

183--श्रीमती गौरी देवी---

[4 थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 52 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोरखपुर जनपद में बाढ़ सुरक्षा योजना के अन्तर्गत कतिपय बांधों की सुदृढ़ीकरण, पिचिंग तथा सोलिंग हेतु स्वीकृत धनराशि

184---श्रीमती गौरी देवी---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में बाढ़ सुरक्षा योजना के अन्तर्गत माधोपुर, हावर्ट व मलौनी बांध को (पक्का करने) पिचिंग व सोलिंग के लिए कितना धन स्वीकृत किया गया है ? क्या यह सच है कि मलौनी बांध के पिचिंग व सोलिंग के बाद इसे सड़क हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जाएगा ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

गोरखपुर जनपद में बाढ़ सुरक्षा योजना के अन्तर्गत माधोपुर, हावर्ट तथा मलोनी बांधों के सुदृढ़ीकरण, पिचिंग तथा सोलिंग कार्यों हेतु मुख्य अभियंता समिति द्वारा क्रमशः 41.93 लाख रु0, 48.09 लाख रु0 एवं 48.50 लाख रु0 स्वीकृत किये गये हैं ।

जी नहीं । मलौनी बांध एक बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य है अतः इसे सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

185---श्री गोपीनाथ वर्मा---

[2 रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 118 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

बरियावन बाजार तथा अकबरपुर-शाहगंज पर राज्य कताई मिल पर बस स्टाप

186---श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी तथा श्री प्रियदर्शी जेतली---

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के वर्ष 1980-81 व 1981-82 में अकबरपुर-आजमगढ़ सड़क पर स्थित बरियावन बाजार में स्थायी बस स्टाप व अकबरपुर शाहगंज सड़क पर स्थित राज्य कताई मिल पर प्रत्येक आने-जाने वाली बस को रोकने के लिये लिखा था ? तथा सन् 1982 में स्वयं माननीय मन्त्री ने आर0 एम0 फैजाबाद को उक्त स्थायी बस स्टाप खोलने के लिए कोई आदेश भी किए थे ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

जी हां । इस सम्बन्ध में सदस्य महोदय के कथित पत्र प्राप्त हुये थे ?

बरियावन बाजार में स्थायी बस स्टाप बनाने के आदेश किये गये थे । बरियावन बाजार में दिनांक 9-7-1981 से 21-7-1981 तक टेस्ट बुकिंग

करायी गयी किन्तु निर्धारित मापदण्ड रु0 1000 प्रतिदिन की आय से काफी कम आय प्राप्त होने के कारण बरियावन बाजार में बुकिंग आफिस खोलना संभव नहीं हुआ।

बरियावन बाजार पूर्व से ही फेयर स्टाप है और समस्त बसें बरियावन बाजार में रुकती हैं।

अकबरपुर–शाहगंज मार्ग पर राज्य कताई मिल पर प्रत्येक बस के रोकने के आदेश कर दिये गये हैं और आदेशों का अनुपालन हो रहा है।

चमोली जनपद में कतिपय लिफ्ट सिंचाई योजनाएं तथा इनके लिए अधिप्राप्त भूमि का मुआवजा

187--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली में तिलवाड़ा कोठगी, बमोथ एवं मैठाणा लिफ्ट सिंचाई योजनाएं कब स्वीकृत हुई हैं ? इन पर 1 मई, 1982 तक कितना धन व्यय हुआ है तथा इन योजनाओं के बनाने में काश्तकारों की जो भूमि अधिप्राप्त की गई है उन्हें उसका मुआवजा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यह योजनाएं कब तक पूर्ण रूप से तैयार हो जायेंगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जनपद चमोली में तिलवाड़ा, कोठगी, बमोथा तथा मैठाणा लिफ्ट सिंचाई योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश दिनांक 1-2-1977 द्वारा प्रदान की गयी थी। इन योजनाओं पर 1 मई, 1982 तक रुपया 18,12,953 43 व्यय हुआ है। योजनाओं हेतु काश्तकारों की ली गयी भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है।

भुगतान जिलाधिकारी द्वारा मुआवजे की राशि निर्धारित होने के पश्चात् किया जायेगा। तिलवाड़ा और कोठगी योजनाएं मार्च 1982 तक पूर्ण हो चुकी हैं। शेष दो योजनाएं दिसम्बर, 1982 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

विधान सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन

[समय 12-20 बजे अपराह्न से]

श्री उपाध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 8 के उपनियम (1) के अन्तर्गत श्री राज्यपाल ने अध्यक्ष के निर्वाचन के लिये आज का दिन नियत किया था। उक्त नियम के उपनियम (2) के अन्तर्गत अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए नाम-निर्देशन-पत्र कल दिनांक 24 अगस्त, 1982 को मध्याह्न के पूर्व तक दिये जा सकते थे। निर्धारित समय के भीतर 10 नामनिर्देशन-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से पहला नामनिर्देशन-पत्र श्री सूबेदार सिंह का प्राप्त हुआ जिसके प्रस्तावक श्री अकबाल हुसैन और समर्थक श्री रामहर्ष राय हैं। दूसरा नामनिर्देशन-पत्र श्री जसवन्त सिंह विष्ट का है जिसके प्रस्तावक श्री गौरीशंकर भैय्या और समर्थक श्री दिवाकर विक्रम सिंह एवं श्री फखरे आलम हैं। उक्त दोनों ही नामनिर्देशन दिनांक 24-8-1982 को वापस ले लिये गये। शेष आठ नामनिर्देशन-पत्रों में श्री धर्म सिंह का नाम प्रस्तावित किया गया है। इनके नाम का प्रस्ताव सर्वश्री श्रीपति मिश्र, वासुदेव सिंह, मोहन सिंह, भीखालाल,

सूबेदार सिंह, लोकपति तथा बैजनाथ कुरील द्वारा किया गया है और इनके प्रस्ताव का समर्थन क्रमशः सर्वश्री अम्मार रिजवी, खान गुफरान जहिदी, रियासत हुसैन, हरीकिशन श्री वास्तव, राजेन्द्र कुमार गुप्त, रामसिंह खन्ना, प्रभाकर नाथ द्विवेदी तथा राजेन्द्र सिंह द्वारा किया गया है। उक्त आठों नामनिर्देशन-पत्र वैध हैं। चूंकि एक ही नाम का प्रस्ताव है अतः इसके लिए औपचारिक प्रस्ताव करना आवश्यक नहीं है और मैं माननीय श्री धर्म सिंह को अध्यक्ष पद के लिए सर्व-सम्मति से निर्वाचित किये जाने की घोषणा करता हूं।

(सदन के दोनों पक्षों के सदस्यों की ओर से मेजें थपथपाकर हर्ष व्यक्त किया गया।)

इसके पूर्व कि मैं माननीय नेता सदन एवं माननीय नेता विरोधी दल से निवेदन करूं कि वे माननीय श्री धर्म सिंह को अध्यक्ष पीठ पर लाकर आसीन करायें, मैं माननीय श्री धर्म सिंह को सर्व सम्मति से निर्वाचित किये जाने पर बधाई देता हूं।

श्री धर्म सिंह इस विधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य हैं और विधान सभा के लिए वर्ष 1952 के प्रथम निर्वाचन से वर्ष 1980 के निर्वाचन तक आप प्रायः लगातार केवल वर्ष 1977 के चुनाव को छोड़कर सभी चुनावों में निर्वाचित होते रहे हैं। मैं अपनी ओर से एवं आदरणीय सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उन्हें इस आदरणीय सदन के अध्यक्ष पद के गम्भीर उत्तरदायित्व का निष्पक्षतापूर्वक निर्वहन करने की शक्ति दे और वे एक कुशल, न्यायप्रिय एवं निस्पृह अध्यक्ष सिद्ध हों तथा ऐसी संसदीय परम्पराओं का सृजन करें जिससे देश में लोकतन्त्र और संसदीय प्रणाली के शासन की जड़ें सुदृढ़ हो एवं वे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श उपस्थित करें और उनका सही दिशा में मार्गदर्शन करें।

आशा है आप अपने व्यवहार एवं कार्यकलाप से अध्यक्ष पद की गरिमा बनाये ही न रखेंगे अपितु श्रीवृद्धि भी करेंगे। अब मैं माननीय श्री श्रीपति मिश्र, नेता सदन और माननीय श्री राजेन्द्र सिंह, नेता विरोधी दल से निवेदन करता हूं कि वे माननीय श्री धर्म सिंह को अध्यक्ष पीठ पर लाकर आसीन करें।

(नेता सदन और नेता विरोधी दल ने श्री धर्म सिंह को अध्यक्ष आसन तक पहुंचाया। इसी बीच सदस्यों द्वारा मेजें थपथपायी गयीं और बधाई हो, बधाई हो के नारे लगाये गये।)

(इस समय 12 बजकर 26 मिनट पर अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह पीठासीन हुए)

नव निर्वाचित अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह को बधाई

*मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस सदन के सबसे पुराने सदस्य हैं और सदन की सारी प्रक्रियाओं और कार्यवाहियों से आप पूर्णरूप से अवगत हैं। आपका अनुभव, आपका सदन में इतने दिन तक का कार्य और साथ-साथ प्रशासनिक उत्तरदायित्व जो आपने निर्वहन किया है, वह सब, इस सदन को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्रीपति मिश्र—]

गौरवमय तरीके से चलाने में पूर्ण रूप से इसको गौरव प्रदान करने में, लोकतंत्रीय मर्यादाओं को पालन कराने में सहायक होगा, यह हम सबको विश्वास है । 1952 से निरन्तर आज तक मात्र 1977 के चुनाव को छोड़कर, आप सदैव विजयी हुए और इस सदन के सदस्य हुए । आपने उन परम्पराओं, उन नीतियों के साथ भी कार्य किया है जो आज हम लोगों के लिए आदर्श और अनुकरणीय हैं । सर्वप्रथम पंडित गोविन्द बल्लभ पंत, जिन्होंने यहां का कार्य भार संभाल था, उनके समय में भी आप सभा सचिव की हैसियत से कार्यरत रहे और विभिन्न विभागों में कार्य किया । इसके साथ उपमंत्री और मंत्री की हैसियत से आपने कार्य सम्पन्न किया । आपकी शिक्षा, आपका अनुभव, आपका स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना इस बात का द्योतक है कि आप जनता से जुड़े हुए हैं । आप हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई और निर्माण के जो कार्य हुए हैं, उनसे भी प्रारम्भ से लेकर आज तक जुड़े हुए हैं और सर्वदा इस सदन से जुड़े हुए हैं । ऐसी स्थिति में अध्यक्ष के रूप में, आपको पाकर, हम आश्वस्त हैं और प्रसन्न हैं और मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम आपके सुचारु रूप से कार्य संचालन में सहयोग करेंगे और आपका हर आदेश शिरोधार्य करेंगे और आपके दिशा निर्देशन से हम दिशा लेंगे । हम इन शब्दों के साथ आपका स्वागत करते हैं ।

*श्री राजेन्द्र सिंह—

अध्यक्ष महोदय, आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में और इस माननीय सदन के इतिहास में अनुसूचित जाति में जन्में, आपको अध्यक्ष की पीठ पर देख कर हम सभी गौरवान्वित हुए हैं ।

(मेजें थपथपाई गयीं)

यह उत्तर प्रदेश के विधान सभा के इतिहास में बेमिसाल समय है । श्रीमन्, जैसा कि माननीय नेता सदन ने कहा कि आप इस सदन के सबसे पुराने माननीय सदस्य हैं और आपने विभिन्न नेताओं के समय में, जो कि आज हमारे लिए अनुकरणीय हैं और उसमें एक नाम लिया स्वर्गीय गोविन्द बल्लभ पन्त जी का, लेकिन वह शायद भूल गये कि आपको पहली बार मंत्री पद का गौरव प्राप्त हुआ चौधरी चरण सिंह के शासन में ?

श्री श्रीपति मिश्र—

मैंने प्रथम बार कहा था । यह बात सही है, इसका मैं स्वागत करता हूं ।

श्री मोहन सिंह—

दोनों को ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय नेता सदन को भी पहली बार मंत्री बनने का गौरव चौधरी चरण सिंह के मुख्य मंत्रित्व काल में प्राप्त हुआ । हम सब गौरवान्वित

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और पूरा प्रदेश गौरव अनुभव कर रहा है । श्रीमन्, यह सही है कि आप ज्ञाता हैं, काफी अनुभव है हर चीज का और जहां तक हमारी कार्य-सूची है, नियमावली है, उसका आपको पूरा ज्ञान है । लेकिन प्रजातंत्र के अन्दर यह भी आप जानते हैं, विपक्ष उसकी एक कड़ी होती है । मैं जानता हूं श्रीमन्, कि नियमों में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, उसके तहत नियमों का पालन कराना आपका कर्तव्य है और हम आपको पूरा आश्वासन देते हैं कि नियमों के पालन में विपक्ष का पूरा सहयोग प्राप्त होता रहेगा । लेकिन श्रीमन्, बहुत सी जगहों पर विपक्ष को अपने कर्तव्य पालन करने के लिए आपको नियमों में थोड़ा सा लचीलापन लाना होगा, क्योंकि अपार बहुमत है सत्ता पक्ष का, हम बहुत कम तादाद में हैं । लेकिन प्रदेश की शांति-व्यवस्था, आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने में हमारा पूरा योगदान हो सके और यह माननीय सदन हमारा पूरा योगदान प्राप्त कर सके, श्रीमन्, उसके लिए हम आपसे हमेशा आकांक्षा करेंगे कि हमको संरक्षण प्राप्त करना चाहिए क्योंकि श्रीमन्, इस स्थान के अलावा, माननीय सदन के अलावा विपक्ष के पास दूसरा कोई फोरम नहीं है, जहां वह जनता की भावनाओं को शासन की कार्य-प्रणाली के ऊपर कटाक्ष करने के लिए कुछ कह सके । अध्यक्ष महोदय, हम आपके संरक्षण की कामना करेंगे ।

हम श्रीमन्, इन शब्दों के साथ आपका स्वागत करते हैं । जैसा कि आपके पूर्व अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र ने, मैं उनको बधाई देता हूं, उन्होंने निश्चित तौर से, उस पीठ से विपक्ष को जितना संरक्षण मिलना चाहिए, उतना संरक्षण दिया । श्रीमन्, हम चाहे किसी भी दल से आयें, लेकिन हम सबकी भावनायें देश और प्रदेश को आगे ले जाने की होती हैं । हमारे कार्य की प्रक्रिया में अन्तर हो सकता है, लेकिन हम सबका उद्देश्य देश को उन्नति के शिखर पर ले जाने का होता है । प्रगति करे और उन्नति के पथ पर जाय । इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपका अपने दल की तरफ से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और पुनः बधाई देता हूं । हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कार्य-संचालन एवं प्रदेश को आगे ले जाने के लिए हम पूर्ण सहयोग करेंगे लेकिन आपका संरक्षण हमको अपार बहुमत के सामने अवश्य मिलना चाहिए ताकि प्रदेश की जनता की जिस भावना को हम मुखरित करना चाहते हैं, वह मुखरित कर सकें । जब तक हमको पूर्ण संरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम मुखरित नहीं कर सकेंगे ।

श्री हरीकिशन श्रीवास्तव--

माननीय अध्यक्ष जी, आपको यह सदन अध्यक्ष के रूप में पाकर यह अनुभव कर रहा है कि हमारे हितों की रक्षा आपके द्वारा सदैव होती रहेगी । जो व्यक्ति जहां विकसित होता है, वह कहीं चला जाय लेकिन उसका प्रेम उससे अवश्य रहता है । इस सदन में अभूतपूर्व स्थिति यह है कि नेता सदन और अध्यक्ष दोनों विरोध पक्ष से विकसित हुए हैं । इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि सदन के अन्दर हमें पूरा संरक्षण मिलेगा । मान्यवर, आप हमारे सदन के इस समय सबसे पुराने सदस्य हैं । हमारे ऐसे पुराने नेता जो हमारे सामने एक आदर्श के रूप में हैं; उनके साथ आपको काम करने का अवसर मिला, उनका अनुभव आपके साथ है, मुझे वह अवसर प्राप्त नहीं है । मुझे विश्वास है कि इन अनुभवों के द्वारा आप अध्यक्ष पीठ पर बैठकर अपने कर्तव्यों का सही रूप में पालन कर सकेंगे । मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो शपथ आपने विधान सभा के सदस्य के रूप में हम सब को

[श्री हरी किशन श्रीवास्तव--]

दिलाई थी, उस कर्तव्य का पालन करते हुए इस सदन की गरिमा को लगातार बढ़ाने में आपके निर्देशों का पालन हम करते रहेंगे और सदन के कार्य संचालन में पूरा सहयोग हम देते रहेंगे। मैं अपने दल और अपनी तरफ से आपका स्वागत करता हूं तथा विश्वास करता हूं कि जो भावना हमने व्यक्त की है, उसके अनुकूल हमें संरक्षण मिलता रहेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान के सभी विधान मण्डलों में सबसे बड़े सदन के अध्यक्ष पीठ पर आपको देख कर हम अपने दल की तरफ से आपका हार्दिक अभिनन्दन करते हैं और बधाई देते हैं। इसके अतिरिक्त आपको प्रशासनिक और सब दृष्टिकोण से अनुभव प्राप्त है। हमने इस सदन में अधिष्ठाता के नाते सदन का संचालन करते हुए आपको देखा है। उस अनुभव के आधार पर हमें विश्वास है जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा संसदीय जनतंत्र के सफल संचालन के लिए अध्यक्ष पीठ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जिन भावनाओं के आधार पर हमने पार्टी सिस्टम स्वीकार किया है, इस सदन में उनको हम मुखरित कर सकें, यह आपके हाथ में है। इस आदरणीय सदन के वरिष्ठतम सदस्य के नाते अध्यक्ष पीठ का पद आपके लिए हम सुरक्षित समझते थे। इन शब्दों के साथ मैं अपने दल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि इस आदरणीय सदन के कार्यसंचालन में मेरे दल का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, आज उत्तर प्रदेश की इस विधान सभा को इस बात का फख्र हासिल हुआ कि सब एक मत होकर सत्ता पक्ष और विरोधपक्ष सभी दल एक मत से एक शोषित वर्ग से आने वाले को उसकी मेरिट की अहमियत को सामने रखकर अध्यक्ष पीठ के लिए आपको चुना है। उत्तर प्रदेश ने जगह-जगह कई बार ऐतिहासिक काम किये हैं उनमें से एक काम यह भी किया गया है। परन्तु श्रीमन्, आजकल की जो राजनीति चल रही है और विशेषतौर से जो पिछले दिनों में जिस तरीके से कुछ सूबों के अध्यक्षों के सामने संकट आया और उस समय अध्यक्षों की जो राय होनी चाहिए, वह हासिल हुई, केरल में जैसे पिछली बार अध्यक्ष की कास्टिंग वोट ने कई अहम फैसले कराये। उन चीजों को सामने रखते हुए मैं 1-2 चीजें आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। इस देश के अन्दर जब बिट्ठल भाई पटेल अध्यक्ष बने तो उनके सामने कई बार ऐसे मसले खड़े हुए कि जो अंग्रेज सरकार उस समय कोई ऐसा बिल पारित कराना चाहती थी मेरठ में कांग्रेस के बाद, तो जब उनके सामने वह बिल आया "पब्लिक सेफ्टी एण्ड रिमूवल आफ इंडिया" का बिल आया तो 61-61 के बराबर वोटिंग हुई तो स्व0 पटेल ने अपनी कास्टिंग वोट से उस बिल को गिरा दिया और वह बिल पास नहीं हुआ। उसी तरह जब सर अब्दुल रहीम अध्यक्ष थे तो उन्होंने भी उसी तरीके का काम किया और "नो" की तरफ वोट दिया और अंग्रेज के बिल को गिराया।

अब मैं पं0 जवाहर लाल नेहरू के विचार रखना चाहता हूं कि उन्होंने 1948 मे स्व0 बिट्ठल भाई पटेल की मूर्ति का नकाब कुशाई किया तो उन्होंने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्पीकर के अध्यक्ष के पद के बारे में जो कहा वह मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा कि स्पीकर की पोजीशन व्यक्तिगत नहीं है, स्पीकर पूरे सदन की इज्जत और आजादी की नुमाइन्दगी करते हैं। चूंकि सदन पूरी कौम और नेशन की नुमाइन्दगी करता है इसलिए स्पीकर पूरे कौम और इज्जत का नमूना होना चाहिए। चूंकि दिन प्रतिदिन हम देखते हैं कि अध्यक्ष के सामने बड़ी प्राब्लम सत्ता पक्ष की ओर से आती हैं, इसलिए मैं यही आशा करता हूं कि इस सदन की जिसके अन्तर्गत यह पूरा सदन काम करता है, उसमें और इस सदन में नियम 314 में कुछ ऐसे मामले आते हैं जिसमें आप अपने विवेक से फैसले लें। मैं यही कहकर आशा करता हूं कि नियम 314 का पालन आप अपने विवेक से करेंगे बिना किसी के दबाव और तरफदारी को देखते हुए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी तरफ से और हमारी जनता पार्टी की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा ताकि सदन को चलाने में आपके हाथ मजबूत हों।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, हमारे लिए, विशेष रूप से, हमारे दल के लोगों के लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज एक ऐसा प्रहरी अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हैं जो शोषित और पीड़ित वर्ग से सम्बन्धित हैं। मान्यवर, इस कुर्सी का गौरव, जिस पर आप विराजमान हैं, उसको सुशोभित किया स्व0 राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने, स्व0 आत्मा राम गोविन्द खेर ने, स्व0 मदन मोहन वर्मा विराजमान रहे और उन्होंने जो निर्देश इस पीठ से दिये हैं वह इतिहास में अपनी मिसालें रखते हैं।

मान्यवर, 'चयनिका' जो विधान सभा से प्रकाशित हुई है, इसमें क्या अध्यक्ष के गुण होने चाहिए उनका उल्लेख किया गया है जो मैं सुनाना चाहता हूं कि "एक्सेप्टेड प्रिंसिपिल दैट दि स्पीकर वुड नाट बी गाइडेड बाई दि कन्सिडरेशन आफ फीयर एण्ड फेवर फ्राम दि गवर्नमेंट; दैट ही शुड बी दि सिम्बल आफ स्ट्रिक्ट न्यूटरेलिटी एण्ड ही मस्ट अपहोल्ड दि राइट्स आफ नान आफिसियल मेम्बर्स"

मान्यवर, मैं इसका हिन्दी अनुवाद करना चाहता हूं। यह एक सर्व मान्य सिद्धांत है कि अध्यक्ष सरकारी पक्ष के भय अथवा पक्षपात के प्रलोभन के प्रभाव में आकर कार्य नहीं करेगा। उसे पूर्णरूपेण निष्पक्षता का प्रतीक होना चाहिए और विरोध पक्ष के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। तो मान्यवर, जो नार्म्स निर्धारित किये गये हैं, उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप मान्यवर, अभी तक एक दल के सदस्य थे लेकिन आज से आपका जो दायित्व है, वह भिन्न हो गया है। आप किसी दल के सदस्य आज से नहीं हैं। आज से आप उस स्थान पर बैठे हैं जहां से विरोध पक्ष जो अक्सर कमजोर होता है, उसके संरक्षण का दायित्व आपके कंधों पर है। मैं इसी प्रसंग में कुछ और निवेदन करना चाहता हूं। जब कभी ऐसी स्थिति आई, एक बार ऐसी स्थिति आयी विट्ठल भाई पटेल के समय जब विरोध पक्ष और सत्ता पक्ष के 61-61 मत पड़े, बराबर-बराबर पड़े तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा:

"दैट इन ऐन एक्सट्रा आर्डिनरी मेजर लाइक दिस दि गवर्नमेंट मस्ट परस्यूएड दि हाउस एण्ड गेट ए मेजोरिटी इन इट्स फेवर दि आनरेबिल दि हाउस मेम्बर हैज फेल्ड टू सिक्योर दि ए क्लीयर मेजोरिटी इन हिज फेवर एण्ड

[श्री सूबेदार सिंह--]

कैन नाट ऐक्सपेक्ट दि चेयर टू गिव हिज कास्टिंग वोट इन फेवर आफ दि मोशन। आई देयरफोर गिव माई कास्टिंग वोट फार दि (नोज)

जब 61-61 वोट बराबर पड़े तो उन्होंने अपने विवेक को एक्सरसाइज करते हुए सत्ता पक्ष को वोट न देकर विपक्ष को वोट दिया और एक ऐसी मिसाल देश और लोकतंत्र के सामने रखी जो अपने में कोई मिसाल नहीं रखती। मान्यवर, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भारतीय नेताओं ने उस परंपरा को जारी रखा।

इन पोस्ट इन्डीपेंडेंस पीरियड्स इन्डिया लीडर्स कैरीड देयर ट्रेडीशन्स एण्ड वान्टेड दैट दि चेयर शुड गार्ड दि फ्रीडम एण्ड लिबर्टीज आफ दि हाउस फ्राम एवरी पोसीबल डेन्जर, इवन फ्राम दि डेन्जर आफ एक्जीक्यूटिव्स इनट्रूजन। तो श्रीमन्, यह भी आपका अधिकार है कि जो कार्य पालिका है अगर वह हमारे अधिकारों पर कोई कुठाराघात करती है तो आपका कर्तव्य है कि आप हमको संरक्षण दें।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया शांत रहें।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, इन शब्दों के साथ में अपनी ओर से और अपने दल की ओर से यह निवेदन करता हूं कि हमारा पूरा सहयोग आपको मिलेगा और आप हम लोगों को संरक्षण प्रदान करेंगे। आप एक ऐसे अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे जिससे एक इतिहास बनेगा भविष्य के लिए। मेरी सद्भावना और शुभकामनायें आपके साथ हैं।

श्री भीखा लाल--

अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सबसे गौरवशाली पद पर सर्व सम्मति से निर्वाचित होकर आसीन होने पर हम सभी को प्रसन्नता है। आप इस सदन के वरिष्ठतम सदस्य हैं। 1957 से आपके साथ इस सदन में मुझे भी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने आपकी कार्य प्रणाली सदस्य के रूप में और मन्त्री के रूप में, आपके व्यवहार और मिलनसारी देख करके, हम आपके आचरण से पूरे तौर पर प्रभावित हैं। मान्यवर, आप उस आसन पर विराजमान हैं जिस पर हमारे प्रदेश की बहुत बड़ी विभूतियां आसीन हो चुकी हैं जिनका उल्लेख किया जा चुका है। उनमें से कुछ हमारे बीच में नहीं हैं। इसके अलावा बाबू बनारसी दास, माननीय वासुदेव सिंह जी और हमारे मौजूदा मुख्य मंत्री जो हमारे बीच में आसीन हैं, इस पद पर रह चुके हैं और इन सब की बहुत ही कुशल परम्परायें रही हैं और हमें आशा है कि आप इन परम्पराओं को आगे बढ़ायेंगे। हम विरोध पक्ष के लोग हैं और विरोध पक्ष के अधिकारों की रक्षा करना आपका पीठ का कर्त्तव्य है। माननीय नेता विरोधी दल ने सही कहा कि सदन में विरोध कक्ष की संख्या कम है, लेकिन जनतंत्र में विरोध पक्ष का होना और उसके अधिकारों की रक्षा होना, यह भी बहुत जरूरी है। आप अभी तक शासक दल से संबन्धित रहे हैं, लेकिन अब हमें उम्मीद है कि आप दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, जो इस पीठ की गरिमा है, हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी

ओर से और हमारे दल की ओर से इस सदन को चलाने में नियमानुसार पूरा सहयोग मिलेगा । इन्हीं शब्दों के साथ में आपको पुनः बधाई देता हूं और अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं ।

*श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

माननीय अध्यक्ष जी, अभी मुझसे पूर्व हमारे संबंधित विरोधीदल के नेताओं ने अध्यक्ष पद की गरिमा के लिए, जो विचार व्यक्त किए, उसमें दो-तीन शब्द मैं भी जोड़ना चाहता हूं । अभी स्वर्गीय पुरुषोत्तम दास टन्डन जी का नाम सुना और उनकी मूर्ति भी यहां देखी । लेकिन जब मैं पढ़ता था तो यह सोचता था कि वह कैसे महान पुरुष होंगे और उनकी कुर्सी कैसी होगी लेकिन जब विधायक बना और अध्यक्ष पद की जिम्मेदारियां देखीं और इस तरह आप लोगों के बीच में मुझे दो ढाई वर्ष रहने का ही मौका मिला है । अभी जो माननीय मुख्य मंत्री, भूतपूर्व अध्यक्ष रहे उनसे कई बार वाद-विवाद हुआ । लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि इस सदन में मैं ही सबसे ज्यादा कमजोर हूं पद में भी, वक्ता में भी, शरीर और पढ़े-लिखे होने में भी । फिर भी इस दौरान जो हमने महसूस किया कि देश के अन्दर जो गरीब लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, जो दर-दर मारे-मारे फिरते हैं उन्हें ही हरिजन कहा जाता है, जिनके पास न कपड़ा है, न रोटी है, न नौकरी है और न रहने का मकान है और वह जगह-जगह दुतकारे और मारे जाते हैं । उन्हें ही हरिजन कहा जाता है और ऐसे लोग देश में करोड़ों हैं और हम ऐसे ही लोगों का आदर करते हैं भले ही उन सब ने मुझे निर्वाचित नहीं किया लेकिन मैं इनकी मान्यताओं को मानता हूं और उसके लिए लड़ता भी हूं । मान्यवर, इस पद पर आसीन व्यक्ति को मैं मां मानता हूं और मां कभी भी ताकतवर लड़के का साथ नहीं देती, कमजोर लड़के का साथ हमेशा देती है, इसलिए हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि आप भी कमजोर लोगों की अवश्य सहायता करेंगे . और श्रीमन्, जब आपने शुरू में शपथ दिलाई थी तब मैं गलती से यही समझा था कि आप ही अध्यक्ष होंगे, लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि कुछ दिनों बाद अध्यक्ष का चुनाव होगा । उस समय मुझे मालूम हुआ कि वरिष्ठ होने के नाते शपथ दिलायी है । ईश्वर ने हमारी इच्छा पूरी की और आपको अध्यक्ष बनाया । मुझे उम्मीद है कि अगर कहीं मैं गलत चलता हूं तो मुझ जैसे व्यक्ति को तो आप नियम वगैरह बतायेंगे और समय देंगे ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता सदन, विरोधी दल के नेता और जितने भी दल यहां हैं, उनके नेतागण तथा माननीय सदस्य,

मेरा यह सौभाग्य है कि आपने मुझको यहां पर बैठाया और सभी पार्टी के लोगों ने यहां पर आसीन कराकर जो कृपा की है, उसके लिए मैं अनुगृहीत हूं । माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कहीं । मुझे याद आता है कि जब मैं 1952 में यहां पर चुन कर आया तो मैंने यहां पर माननीय खेर साहब, माननीय मदन मोहन वर्मा जी के कदमों में बैठकर शिक्षा पायी है, जब माननीय टंडन जी थे उस वक्त मैं इस सदन का सदस्य नहीं था । इसके अतिरिक्त, प्रोफेसर वासुदेव सिंह जी, बनारसी दास जी और सबसे बढ़िया बात यह है कि जहां तक इस सदन का सम्बन्ध है माननीय श्रीपति मिश्र जी उस वक्त तक इस सदन में स्पीकर के रूप में कार्य करते रहे जब तक वे मुख्य मंत्री नहीं हो गये । आज वे प्रदेश के मुख्य मन्त्री हैं । इसीलिए मैं ऐसा समझता हूं कि यहां के कार्य के संचालन के लिए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अध्यक्ष--]

जितनी उपयुक्तता और वातावरण हो सकेगा, यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात होगी।

मैंने 1952, 57, 62, 67, 69 और 1974 का समय देखा और 1977 को छोड़कर 1980 को देखा। इस सदन का जहां तक सम्बन्ध है, उसकी एक परम्परा रही है, एक मर्यादा रही है। यह प्रदेश कोई छोटा-मोटा प्रदेश नहीं है, यह भारतवर्ष में सबसे बड़ी एसेम्बली है, सबसे बड़ा सदन है। यहां की मर्यादाओं, परम्पराओं के इतने ऊंचे-ऊंच दिग्गज लोग हुए हैं कि जो कार्य यहां पर होगा उसमें पूरी तरह आपका सहयोग मिलेगा। चुनने के बाद यह परम्परा रही है कि जो अध्यक्ष बनता है, उसका दल से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं होता। उन परम्पराओं का, जिनका इससे पहले माननीय अध्यक्षों ने पालन किया है, मैं भी पूरी तरह से पालन करूंगा और विरोध पक्ष के लोगों को यकीन दिलाता हूं कि हमारे पास एक नियमावली है चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, मुझे नियमों के अनुसार काम करना पड़ता है। कभी-कभी अध्यक्ष को इस तरह की व्यवस्थायें करनी पड़ती हैं कि हो सकता है कि थोड़े समय के लिए बुरी लगें लोग महसूस करें, लेकिन नियमों के अनुसार हम लोगों को कार्य करना पड़ता है। यह हम लोगों की मजबूरियां रही हैं।

इन शब्दों के साथ मैं कुछ और बताना चाहता हूं कि शायद विरोधी दल यह कहना भूल गया कि जब 54-55 के आस-पास माननीय चौधरी चरण सिंह जी थे तो मैं उनका उप मन्त्री भी रहा, सभा सचिव के रूप में भी मैंने कार्य किया। डक्टर सम्पूर्णानन्द जो यहां के मुख्य मंत्री रहे और उसके बाद दूसरे जितने भी मुख्य मंत्री हुए यहां पर बैठकर या शासन में रह कर पूरी तरीके से उनसे दीक्षा ली है और पूरी तरह से सब चीजों को समझा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूं कि यदि मुझे आपका सहयोग मिलता रहेगा, आपका प्रेम मिलता रहेगा, तो इस सदन की जो परम्परायें हैं, उस सीमा में रह कर पूरी तरह से मैं आपको सहयोग देते हुए कार्य करता रहूंगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय नेता सदन का, माननीय नेता विरोधी दल का, माननीय अन्य दलों के नेताओं का तथा माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि आपने मुझे यहां बैठाने के बाद में मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी सौंपी है मैं प्रयत्न करूंगा कि उसे भलीभांति पूरा कर सकूं।

[समय 1 बजे]

बलिया जनपद के ग्राम खानपुर डुमरिया में पड़ी डकैती तथा पुलिस निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम गोविन्द--

गत 21/22 अगस्त, 1982 को रात को बलिया जनपद के खानपुर डुमरिया गांव में दो दर्जन से अधिक सशस्त्र डकैतों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा उसकी पत्नी के दोनों हाथ काटने के बाद लाखों रुपये की सम्पत्ति लूट ले गये डकैती के दौरान डकैतों ने अन्धाधुन्ध गोलियां चलायीं जिससे और कई व्यक्ति घायल हो गये जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया। उस दिन उसी गांव में दो सिपाही हथियार सहित ड्यूटी पर थे। जहां सिपाही रुके थे उसी के बगल वाले घर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में लूट-पाट और हत्या की वारदातें कर रहे थे। उसी गांव में उसी घर के पड़ोस में दो लोगों के पास लाइसेन्सी बन्दूकें हैं। डेढ़ घंटे तक डकैत लूट-पाट करते रहे परन्तु न तो सिपाहियों के द्वारा और न तो लाइसेन्सी बन्दूक वालों के द्वारा ही डकैतों का कोई प्रतिरोध किया गया। यही नहीं, खानपुर डुमरिया गांव के डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर ही तहतवार पुलिस थाना है, परन्तु घंटे भर गोलियां चलने के बाद भी थाने से कोई पुलिस वाला नहीं पहुंचा। दुखद घटना तो यह है कि मृतकों की लाश पूरे दिन उसी गांव में पड़ी रही जिसके पोस्टमार्टम आदि का कार्य पुलिस वालों ने दूसरे दिन कराया। मृतक का पुत्र जब एस0 पी0 से इस घटना के लिए मिला तो उन्होंने यह कहा कि तुमको कोई गवाह तो मिलेगा नहीं, इस वाक्ये में तुम क्यों पड़ते हो। इसके पहले भी उस गांव के तीन-चार किलोमीटर के अन्दर ही एक महीने के अन्दर दो और लूट तथा कत्ल की घटनायें हो चुकी हैं परन्तु शासन की लापरवाही से वहां पर शान्ति व्यवस्था कायम नहीं हो सकी। खानपुर डुमरिया गांव की घटना में कोई गहरा षड़यन्त्र महसूस होता है जिससे पूरे जनपद की जनता में घोर असन्तोष, भय, असुरक्षा, आंतक की भावना व्याप्त हो गयी है।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन से मांग करता हूं कि इस पूरे डकैती हत्या प्रकरण को सी0 आई0 डी0 के द्वारा जांच करायी जाय तथा दोषी पुलिसजनों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाय।

मुजफ्फरनगर जनपद में पशुओं में फैली महामारी तथा दवाओं की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, समस्त मुजफ्फरनगर जनपद में गत एक सप्ताह से पशुओं की भयंकर महामारी फैली हुई है। हजारों गाय, बैल, भैंस गलाघोंटू, खुरपका आदि बीमारियों के शिकार बने हुए हैं। विशेषतौर से विकास खण्ड शामली व कैराना के ग्रामीण आंचलों में इन बीमारियों से अभी तक सैकड़ों पशु मर चुके हैं। विकास खण्डों पर स्थित पशु-चिकित्सालय महामारी का मुकाबला करने के लिए अपर्याप्त एवं अक्षम हैं। इन पशु चिकित्सालयों एवं जिला पशु चिकित्सालय पर जीवनोपयोगी दवाइयों का नितान्त अभाव है। दुर्भाग्य से पशुपालन विभाग द्वारा महामारी को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किये गये और न ही कोई टीके आदि लगाये गये। किसी भी चिकित्सालय में आवश्यक टीके उपलब्ध नहीं हैं। प्रदेश सरकार द्वारा या तो जीवन उपयोगी दवाइयों का प्रबन्ध नहीं किया गया और यदि दवाइयां भेजी गयीं हों तो निश्चित ही यह सभी दवाइयां बाजार में बेच दी गयीं। इसके कारण बहुमूल्य पशु दिन प्रतिदिन रोगग्रस्त हो कर मर रहे हैं। यदि तुरन्त प्रभावी कदम न उठाये गये तो शामली एवं कैराना विकास खण्डों को भयंकर स्थिति का सामना करना पड़ेगा। माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुए मेरा सरकार से आग्रह है कि शामली कैराना विकास खंडों में तुरन्त आवश्यक दवाइओं एवं डाक्टरों का प्रबन्ध करें और जिन अधिकारियों ने टीका आदि लगाने का कार्य समय पर नहीं किया उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश गन्ना संघ के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरिवंश सहाय--

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश गन्ना संघ के उपाध्यक्ष, श्री दिवाकर विक्रम सिंह ने संघ में 10 लाख डेड स्टाक की जांच एवं पड़तालिग, खाद का प्रशासनिक बन्ध रोकने, डेपुटेशन अधिकारियों के हटाने, खाद की सप्लाई में धांधली समाप्त करने, अनियमित नियुक्ति रोकने, क्रय की पड़तालिग करने, आदि की जांच की मांग एवं कार्यवाही शुरू करने का कार्य शुरू किया जिससे अधिकारियों ने इन्हें ही हटाने का कुचक्र शुरू कर दिया। इन अधिकारियों ने प्रबन्ध निदेशक का अधिकार सर्वप्रथम सीमित कर दिया और अन्त में श्री दिवाकर विक्रम सिंह उपाध्यक्ष, गन्ना संघ को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जिससे बाध्य हो कर उन्होंने अपने पद एवं सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।

गन्ना विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण प्रदेश में आज भी गन्ना मिलों में गिर नहीं पाया है। करोड़ों रुपया किसानों का मिलों पर बाकी है, उसकी अदायगी नहीं हो पा रही है। गन्ना विभाग के अधिकांश अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप है। परन्तु उन पर सत्ता पक्ष के वरिष्ठ नेताओं का वरदहस्त है जिसके कारण वे मनमानी कार्यवाही करते जा रहे हैं। गन्ना आयुक्त, गन्ना संघ तथा गन्ना विभाग के सचिव एवं गन्ना विभाग के अधिकांश वरिष्ठ अधिकारियों ने गोल बनाकर गन्ना विभाग को लूटने का कार्य किया है एवं कर रहे हैं। ये अधिकारीगण अपने चमचे अधिकारियों को प्रदेश के विभिन्न चीनी मिलों में रिसीवर, जनरल मैनेजर एवं अन्य महत्वपूर्ण पदों पर बनाये हुए हैं, जो मिलों का दोहन कर इनको पैसा पहुंचाते हैं। पता चला है कि ये अधिकारीगण मन्त्री के आदेश का पालन नहीं करवा रहे हैं। जिससे इस विभाग में अब तक कोई वार्षिक स्थानान्तरण नहीं हुआ है तथा न कोई पदोन्नति हुई है जिससे अधिकारियों तथा कर्मचारियों में चिन्ता व्याप्त है। सभी किंकर्तव्य विमूढ़ बैठे हैं। गन्ना किसान चिन्तित है जिससे विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है।

अस्तु इस माननीय सदन का ध्यान इस गम्भीर संकट की ओर आकर्षित करते हुए माननीय मुख्य मन्त्री से तत्काल हस्तक्षेप कर जन कल्याणकारी कदम उठाने की मांग करता हूं।

जनपद चमोली में खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, जनपद चमोली में काफी समय से खाद्यान्न वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में चावल तथा अन्य आवश्यक खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। लेवी का सीमेन्ट जब से सीमेन्ट की दोहरी नीति लाग हुई है, जिले में बिलकुल नहीं आया, जिससे लोगों को भारी असुविधा हो रही है। कुरमुला से कई वर्षों से फसल की क्षति होने तथा अतिवृष्टि से फसलों को नुकसान होने से खाद्यान्नों की कमी हो गयी है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ओर बाहर से भी नियमित आपूर्ति न होने से भयंकर अन्न संकट उत्पन्न हो गया है जिससे लोगों में भारी असन्तोष, निराशा एवं आक्रोष व्याप्त हो गया है ।

अतएव इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर मैं माननीय खाद्य मन्त्री से निवेदन करता हूं कि शीघ्र ही जनपद चमोली में प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न, सीमेन्ट एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

बरेली जनपद के वकीलों द्वारा पुलिस दुर्व्यवहार के विरुद्ध अदालतों के बहिष्कार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अकबर हुसैन—

महोदय, दिनांक 24 अगस्त, 1982 को बरेली जनपद के सारे वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार कर दिया । ज्ञात हुआ है कि थाना शहमतगंज के एक दारोगा ने एक वकील को बहुत बुरी तरह से मारा-पीटा और पुलिस के इस रवैये के विरोध में सारे वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार कर दिया । यह भी मालूम हुआ है कि जिस वक्त वकील पुलिस के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे थे उसी समय कोतवाली की पुलिस के एक थानेदार ने एक दूसरे वकील को पीटा । वकीलों की यह मांग है कि अदालतों का बहिष्कार जारी रहेगा और 27 अगस्त, 1982 तक अगर थानेदार को निलम्बित नहीं किया गया तथा उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी तब बरेली बद भी होगा । वकीलों के अदालत बहिष्कार से तमाम जिले की जनता जो अपने मुकदमों के समय में शहर आती है, में व्यापक रूप से असन्तोष, अविश्वास उत्पन्न हो गया है और पुलिस की इस तरह की ज्यादतियों से भी जनता में व्यापक रूप से असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गयी है ।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत सदन के माध्यम से माननीय गृह मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

गोरखपुर जनपद के विकास खन्ड बेलघाट में घाघरा नदी से कटान तथा बचाव कार्य में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मारकण्डेय चन्द—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, इस माननीय सदन के माध्यम से, शासन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि गोरखपुर जनपद के विकास खण्ड बेलघाट में घाघरा नदी के तट पर बने हुए लच्छीचक एवं पथरहामित्र के सात घर कट कर नदी में विलीन हो गये । उपरोक्त इन्हीं गांवों के 29 घर गत वर्ष भी नदी में कट कर विलीन हो गये थे । नदी में बाढ़ आने के पूर्व गांव को बचाने के लिए बाढ़ प्रखन्ड द्वारा कोई बचाव कार्य नहीं किया गया और जब कटाव प्रारम्भ हुआ तो फर्जी तौर पर दो लाख रुपये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मारकन्डेय चन्द---]

मूल्य के पत्थर डालना दिखा दिया गया । यह भी बता देना आवश्यक प्रतीत होता है कि गत वर्ष इन्हीं अधिकारियों द्वारा चार लाख रुपये मूल्य के पत्थरों का डाला जाना दिखाया गया है । इस समय इस स्थान पर नियुक्त अवर अभियन्ता फर्जी तौर पर पत्थरों को नदी में डालना दिखा कर सरकारी धन को लूट रहे हैं । दिनांक 17-8-82 को मैं अधिशासी अभियन्ता से साथ कट रहे इन गांवों को देखने गया था । स्थानीय जनता इस स्थान पर नियुक्त अवर अभियन्ता द्वारा किये जा रहे बचाव कार्य से क्षुब्ध है । स्थानीय जनता ने अवर अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता द्वारा किये जा रहे पत्थरों के फर्जी कार्यों के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाया । नदी के कटाव से स्थानीय जनता में अत्यन्त आंतक व्याप्त है तथा अधिकारियों द्वारा किये जा रहे गलत कार्यों से अपने बचाव के सम्बन्ध में निराश हो गई है । मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि तत्काल राज्य के मुख्यालय से उच्चाधिकारियों को भेजकर बचाव काय करने तथा स्थानीय जनता में व्याप्त आतंक को समाप्त करने की दिशा मे प्रभावी कार्यवाही करने की कृपा करें ।

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड में कार्य करने हेतु विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड पर कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार, विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड पर कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खन्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था के प्रशासकीय बोर्ड में कार्य करने हेतु विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, 1956 की धारा 5 के अधीन गठित प्रशासकीय

बोर्ड में उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खन्ड (ख) के अनुसार विधान सभा के तीन सदस्यों, जिनमें एक महिला सदस्य भी होगी, का निर्वाचन करे ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, 1956 की धारा 5 के अधीन गठित प्रशासकीय बोर्ड में उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खन्ड (ख) के अनुसार विधान सभा के तीन सदस्यों, जिनमें एक महिला सदस्या भी होगी, का निर्वाचन करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

[1 बज कर 15 मिनट]

जिला कानपुर देहात के दस्तमपुर गांव में डकैतों द्वारा दस व्यक्तियों की हत्या के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना तथा कार्य स्थगन प्रस्थावों की अन्य सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । इसमें एक सर्वश्री हरी किशन श्रीवास्तव, रेवती रमण सिंह, भीखा लाल, मोतीलाल देहलवी, राम हर्ष राय, प्रदीप कुमार यादव, राजेन्द्र सिंह, रियासत हुसैन, मुख्तार अनीस, अकबाल हुसैन, ख्वाजा हलीम, राजेन्द्र कुमार गुप्त, मोहन सिंह, हुकम सिंह, कुंवर सिंह नेगी, गौरी शंकर भैय्या, गोपीनाथ वर्मा, घनीराम वर्मा की है जिस पर वक्तव्य हेतु निर्देश दिया गया है । यह सूचना दिनांक 27-28 जून, 1982 की रात में जनपद कानपुर देहात के दस्तमपुर ग्राम में डकैतों द्वारा 10 व्यक्तियों की हत्या किए जाने के सम्बन्ध में है । आप एक मिनट में अपनी बात कह दें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अध्यक्ष महोदय, दस्तमपुर में जो हुआ, वह मान्यवर प्रशासनिक असफलता है । उस समय के मुख्य मन्त्री ने प्रशासन को असफलता को स्वीकार किया है और इसीलिए उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया । वहां पर एक रात को डाकू मान्यवर, पहुंचे और वहां जाकर एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी । एक बेचारा गरीब झोपड़े में रहता था, उसने अवाज लगाई तो उसको भी हत्या कर दी गयी । मान्यवर, उस घटना के थोड़े दिन पहले मध्य प्रदेश में मलखान सिंह का समर्पण हुआ और उस समय डाकू मलखान सिंह ने कहा था कि उसका साथी जो मुस्लिम नाम का डाकू था डसने अपने भाई का बदला लेने के लिए समर्पण नहीं किया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि शासन को इस बात की जानकारी मिल गयी थी कि वह मुस्लिम अपने भाई का बदला लेना चाहता है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उस गांव की पूरी सुरक्षा क्यों नहीं की गयी ? वहां पर 2 सिपाहियों की ड्यूटी लगायी गयी । जब यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

घटना होती है तो उसके पूर्व उन सिपाहियों को वहां से हटा लिया जाता है और वहां पर नरसंहार किया गया । उसको आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है ।

उसके बाद उस डाकू का उत्पात हमारे प्रदेश में कम नहीं हुआ है । आज हमारे सामने प्रदेश की शांति व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित है । इसीलिए हम लोगों ने यह प्रस्ताव आज दिया है ।

*श्री मोती लाल देहलवी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, 27-28 जून की रात में...

श्री अध्यक्ष—

आप संक्षेप में कहिए ।

श्री मोती लाल देहलवी—

तो भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी के बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन थे । कानपुर जिले के दस्तमपुर गांव में सामूहिक हत्यायें हुईं । लोमहर्षक घटना हुई । उससे द्रवित होकर भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी को इस्तीफा देना पड़ा । मान्यवर, मैं इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ता हूं । जिस समय दस्तमपुर कान्ड हुआ, उस समय इस समय की शिक्षा मन्त्री माननीया बख्शी जी गृह मन्त्री थी । मान्यवर, यह आवश्यक था कि भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी को इस्तीफा देने के पहले गृह मन्त्री को इस्तीफा देना चाहिए था । लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया । इससे ज्यादा लज्जा, हया, शर्म और हैरत की और क्या बात हो सकती है कि दिल्ली के लोगों ने माननीया भूतपूर्व गृह मन्त्री को आज पुनः शिक्षा मन्त्री का पद भार ग्रहण करा दिया ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप संक्षेप में ही अपनी बात कहें । इधर-उधर की बात न करें ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, मैं आज भी कह रहा हूं कि माननीया शिक्षा मन्त्री और पूरे मन्त्रि मन्डल के लिये यह जरूरी हो गया है कि या तो वे शिक्षा मन्त्री को बर्खास्त करें अगर उनकी आंखों में जरा भी कुछ हो तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था और इस मंत्रि-मंडल में उनको कदापि नहीं बैठना चाहिए था । यह घटना बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी अहमियत इसलिये बढ़ गई है कि इसी घटना को लेकर भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी ने इस्तीफा दिया था । आज भी इसी तरह की घटनायें हो रही हैं और जब तक यह शासन पदासीन रहेगा, तब तक होती रहेगी । मान्यवर, इन्होंने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी हैं कि ऐसी घटनायें बराबर निरन्तर जारी रहेंगी और इसलिये जारी रहेंगी कि इनके लोग डाकुओं को संरक्षण देते हैं, उनका पालन-पोषण करते हैं । आज भी वे डाकू बने हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

आप विषय से बाहर जा रहे हैं ।

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

प्वाइन्ट आफ आर्डर, मान्यवर । मेरे ऊपर चार्ज लगाया गया है और इस्तीफा मांगा गया है...

(व्यवधान)

मैं पलायनवाज नहीं हूं । किसी की धमकी से काम नहीं करूंगी और न इस्तीफा दूंगी । मेरी नेता जब तक मुझसे नहीं कहेंगी, मैं किसी के दबाव में नहीं आऊंगी और हर चीज का सामना करूंगी ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय देहलवी जी, मैंने आपसे दो-तीन बार कहा कि आप विषय से बाहर जा रहे हैं । नियम 56 के अनुसार जो सूचना आपने दी है...

श्री मोती लाल देहलवी--

यह विषय से बाहर नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

जहां तक नियम 56 का सम्बन्ध है उस पर आपको संक्षेप में ही कहना चाहिये तब उस पर निर्णय होना चाहिए ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

अध्यक्ष महोदय, अविलम्बनीय लोक महत्व का जो यह प्रश्न यहां पर उपस्थित हुआ है वह क्यों हुआ है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । इस प्रश्न पर विवाद नहीं होना चाहिए क्योंकि इस घटना होने के बाद यह सदन अभी बैठ रहा है । लोक महत्व की बात यह है कि जनपद कानपुर में एक कुख्यात फूलन देवी नाम की डाकू है । उसका प्रेमी विक्रम मल्लाह कानपुर में मारा गया था और जिस गांव के लोगों ने उसको मारा था उसका नाम बेहमई है । इसलिए बेहमई में फूलनदेवी ने 18 व्यक्तियों की हत्या कर दी क्योंकि उसके प्रेमी विक्रम मल्लाह को मार दिया गया था । उसके उपरान्त जब फूलनदेवी का दूसरा प्रेमी मुस्तकीम दस्तमपुर में मारा गया तो बदला लेने की भावना से उसके भाई मुस्लिम ने गांव में जाकर 10 व्यक्तियों की हत्या कर दी । यह घटना कोई साधारण डकैती, लूटमार, हत्या आदि की नहीं है यह एक असाधारण घटना है और प्रशासन के लिए एक चुनौती है । जहां इस मुस्तकीम को मारा जाना बताया जाता है वहां एक दरोगा ने एक साधारण नागरिक समझ कर उसे रोका, मुस्तकीम ने उस दरोगा को पटक दिया, यदि उस गांव के लोग दरोगा को न बचाते, एन्काउण्टर न आते, तो मुस्तकीम मारा न जाता । उसके बाद पुलिस ने झूठा एनकाउन्टर दिखा कर दस्यु मुस्तकीम को मरवा दिया और उसके बदले में यह 10 व्यक्ति मारे गये ...

श्री अध्यक्ष --

उसकी मेरिट पर आप कृपया न जायं ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस प्रस्ताव को क्यों स्वीकार किया जाय मैं इसके महत्व को बता रहा हूं । यह एक असाधारण समस्या है जिस पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराना आवश्यक है । यह इतनी बड़ी घटना थी कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। पूरी सरकार को हटना पड़ा । अगर ऐसी घटना पर भी आपकी पीठ से चर्चा की इजाजत नहीं होगी तो प्रदेश को कष्ट होगा । यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय नहीं होगा तो क्या जब सारा प्रदेश मार दिया जायेगा तभी वह अविलम्बनीय महत्व का समझा जायेगा ? इसलिये आप इसे स्वीकार कर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

*श्री रियासत हुसैन--

मैं केवल तीन बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा । दस्तमपुर के कांड ने उत्तर प्रदेश में जिसमानी तौर पर भले ही रुस्तम पैदा न किया हो, मगर रूहानी तौर पर माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे रुस्तम को जरूर पैदा किया और हम उनके इस्तीफे के बाद यह उम्मीद जरूर करते थे कि उनका कोई स्टेटमेन्ट यहां आयेगा । वह नहीं आया, इसलिए यह घटना का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है ।

दूसरी बात यह कि जब मलखान सिंह ने सरेन्डर किया तो मुस्लिम नाम के एक डाकू ने सरेन्डर नहीं किया, वह भाग आया । उसने यह एलान किया कि वह तब तक तसल्ली से नहीं बैठेगा जब तक वह मुस्तकीम की हत्या का बदला नहीं ले लेगा । इसके बाद भी कोई इन्तजाम शासन ने नहीं किया । पहले दस्तमपुर में पुलिस लगी हुई थी लेकिन फिर विद्ड्रा कर ली गयी । यह क्यों किया गया ?

तीसरी बात यह कि जिस रात को उसने उस गांव पर हमला किया तो एक परिवार को छोड़ दिया और यह एलान किया कि जब तक वह गंगाचरन के परिवार का सफाया नहीं कर देगा चैन से नहीं बैठेगा और वह यह खुली चुनौती देकर चला गया । इतने दिनों के बाद भी अभी तक वह पकड़ा नहीं गया कभी उसके किसी रिस्तेदार को पकड़ लिया जाता है, कभी उसके फुफेरे भाई को पुलिस पकड़ लेती है, 6 को पकड़ लिया, 7 को पकड़ लिया इसी से यह खुश हो रहे हैं । इस समय इस प्रस्ताव का बहुत महत्व है इसको आप ग्राह्य कीजिए और नियम 56 में चर्चा कराइये ।

श्री भीखालाल—

अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का महत्व जैसा माननीय नेताओं ने बताया, इस बिना पर ज्यादा है कि एक ही रात में 10 आदमियों की सामूहिक हत्या हुई । इस प्रश्न का महत्व इस बिना पर भी है कि मुस्तकीम डाकू को इस गांव वालों ने पकड़ा और उसी गांव के निकट मार दिया गया और उसका भाई जो बाहर था ने एलान किया कि मैं अपने भाई की मौत का बदला लूंगा । सरकार ने पहले हिफाजत के लिए वहां गार्ड लगाई और बाद में उसे हटा कर केवल दो सिपाही वहां रहे लेकिन बाद में वह भी हट गये । मुस्लिम ने मध्य प्रदेश में सरेन्डर करने से इनकार कर दिया और कहा कि हमें अपने भाई की हत्या का बदला

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लेना है । तो वह कहां बदला लेंगे इस बात को सरकार को जानना चाहिये था और कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं की । इस प्रश्न का महत्व इस बिना पर भी बढ़ जाता है कि इतनी भयानक घटना हुई और सरकार शांति व्यवस्था कायम करने में असफल रही । उस असफलता को स्वीकार कर तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया और 21 दिनों तक यहां कोई सरकार नहीं रही । इन सब चीजों को देखते हुए इस कार्यस्थगन के प्रश्न को स्वीकार करें और चर्चा करायें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि इसमें काफी बातें आ गयी हैं ।

(व्यवधान)

श्री रेवती रमण सिंह--

हमने भी दिया है, दो मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

निर्णय यह किया था कि इस प्रस्ताव में पार्टियों के जो भी नेता हैं, सब को सुनने की आज्ञा दे दी जाय । अब सब बोल लिए हैं ।

(व्यवधान)

श्री रेवती रमण सिंह--

बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दो-दो मिनट दे दें ।

(व्यवधान)

या तो स्वीकार कर लें या फिर बोलने की इजाजत दे दें ।

(व्यवधान)

सदन में बोलने नहीं देंगे तो फिर कहां जाकर कहेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपा कर बैठें ।

श्री छत्तर सिंह--

मैंने भी एक दिया था हरिजनों के साथ अत्याचार हो रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपा कर बैठें । इसके अलावा नियम 56 में और भी सूचनायें प्राप्त हुई हैं । श्री गौरी शंकर भैय्या, श्री राम गोविन्द का इसी विषय में है । श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री का बुन्देलखंड तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के सेटड़ी गांव के बाढ़ से घिरे होने के संबंध में है ।

[श्री अध्यक्ष--]

सर्वश्री मित्रसेन यादव, गोपीनाथ वर्मा, राम आसरे वर्मा, मसरूर जाफरी, बंशल बहादुर का जनपद फैजाबाद में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों एवं असामाजिक तत्वों की सांठ-गांठ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

श्री माता प्रसाद पान्डेय का बस्ती जिले में जिला परिषद् के औषधालयों में दवा की आपूर्ति न होने के संबंध में है।

श्री हरिवंश सहाय का देवरिया जिलान्तर्गत सलेमपुर तहसील में दर्जनों गांव नदी में विलीन होने के संबंध में है।

श्री घनीराम वर्मा का जनपद इटावा में भीषण वर्षा से लाखों रुपये का गल्ला बरबाद होने तथा इमारतें गिरने के संबंध में है।

और आठवां श्री छत्तर सिंह का जनपद लखनऊ में ग्राम बेरीसालपुर पुलिस चौकी के हरिजनों के साथ अमानवीय व्यवहार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

मैंने सभी माननीय सदस्यों को सुना।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन--

नियम 56 में एक मिनट हमें सुन लीजिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--]

कृपा करके अब आप बैठें।

(व्यवधान)

चेयर के द्वारा यहां से यह निर्णय लिया गया था कि सभी नेताओं को सुनने की आज्ञा दी जाती है, लेकिन सभी सदस्यों को यदि आज्ञा दी जायगी तो उसमें बहुत समय लगेगा।

(व्यवधान)

श्री गोपी नाथ वर्मा--

मान्यवर, मेरा फैजाबाद के बारे में है उसे सुन लीजिये...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जब अध्यक्ष खड़े हों तो कृपा करके बैठ जायं।

श्री रेवतीरमण सिंह--

नेताओं को सुनकर ही खत्म हो जाएगा तो इस तरह कैसे चलेगा ?

(व्यवधान)

श्री धनी राम वर्मा--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा करके बैठें, आप लोगों को मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं । जो भी (व्यवधान) माननीय सदस्य बिना आज्ञा खड़े होकर बोल रहे हैं, वह कोई भी अंकित नहीं किया जायगा, लिखा नहीं जाएगा . . .

(व्यवधान)

श्री घनीराम वर्मा--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शान्त रहें । अतिवृष्टि के बारे में चर्चा स्वीकृत हो चुकी है और उसके लिए समय निर्धारित है . . .

(व्यवधान)

श्री घनीराम वर्मा--

मेरी समस्या, शासन की उदासीनता और अकर्मण्यता से सम्बन्धित है, वर्षा से नहीं । वहां दो साल से जल निकासी की समस्या का निराकरण नहीं हुआ है ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

आप बैठें, आप बैठ जाएं ।

श्री धनीराम वर्मा--

मैं कैसे बैठ जाऊं, आप कौन होते हैं मुझे बिठाने वाले । आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, इसलिए मैं मान्यवर, आपकी व्यवस्था के खिलाफ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री धनीराम वर्मा सदन त्याग कर चले गये ।)

(व्यवधान)

नोट :--[× × × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री मित्रसेन--

मेरी सूचना तो इस विषय से अलग है, वह तो आप सुन लें, उसे हम लोगों ने सामूहिक रूप से दिया है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 में जो 8 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उसमें से पहली सूचना पर मैंने माननीय सदस्यों को सुना, लेकिन मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूं। केवल वक्तव्य हेतु विषय को मैं स्वीकार करता हूं। बाकी जो सूचनाएं हैं, उनको भी अस्वीकार करता हूं। (व्यवधान) एक बार में एक ही स्वीकार की जा सकती है।

श्री रियासत हुसैन--

दस्तमपुर वाले मामले में आपने क्या निर्णय लिया, वह मेरी समझ में नहीं आया है ? इसके बारे में आप बता दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह विषय इतना गम्भीर है कि केवल वक्तव्य से हम लोगों का समाधान नहीं हो पायेगा।

श्री अध्यक्ष--

अभी केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है, बाद में उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो उसको भी देख लिया जायगा। अब आप बैठिए। मन्त्री जी, इस पर कब वक्तव्य देंगे ?

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

27 तारीख को दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, 27 तारीख इसके वक्तव्य के लिए निर्धारित की जाती है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आप दो घंटे को इस पर चर्चा करा दें, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है।

श्री रियासत हुसैन--

ला एण्ड आर्डर के विषय पर कोई चर्चा यहां नहीं होने वाली है तो इस दस्तमपुर कांड पर कैसे चर्चा होगी ? मान्यवर, ला एण्ड आर्डर के ऊपर हमारी बिजिनेस में कोई चर्चा नहीं है। दस्तमपुर के कांड पर मुख्य मन्त्री और पूरी सरकार इस्तीफा देकर चली गयी। मुख्य मन्त्री का इस सम्बन्ध में कोई स्टेटमेन्ट नहीं आया कि उन्होंने क्यों इस्तीफा दे दिया। मान्यवर, यह इतना प्रमुख विषय है, इस पर आप चर्चा करा दीजिए ?

श्री अध्यक्ष—

इसको वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है । आज 3 बजे कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक हो रही है, उसमें जो भी निर्णय होगा वह सदन को स्वीकार होना चाहिये ।

(व्यवधान)

एक वक्त में एक ही सूचना स्वीकार की जा सकती है ।

श्री मसरूर जाफरी—

[× × ×]

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जो बात माननीय सदस्य कह रहे हैं, वह लिखी नहीं जायेगी ।

(घोर व्यवधान के बीच)

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय ।. . .

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन—

मेरी सूचना सामूहिक रूप से है, उस पर वक्तव्य दिला दीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय मुख्य मन्त्री को बुला लिया है ।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, कुछ संगठनों ने सार्वजनिक स्थानों पर अराजक तत्वों के साथ. . .

(श्री मसरूर जाफरी, गोपीनाथ वर्मा एवं कई अन्य सदस्य एक साथ बोलते रहे जो सुनाई नहीं दिया)

श्री अध्यक्ष—

मैंने उस पर निर्णय दे दिया है, आप कृपया बैठिए ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, फैजाबाद में अराजकता का वातावरण फैला हुआ है । चोरी, डकैती और लूट सब कुछ हो रहा है ।

नोट :—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही में सिम्मिलित दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें, मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं । आप बैठिए ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, आपने जो व्यवस्था दी ह, उसी पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आपने कहा था कि जितनी नियम 56 की सूचनायें हैं, उन पर जितने नेता लोग हैं, उनको आपने सुना है । यह एक ऐसी घटना ह जिस पर सब नेताओं की भले ही राय आ गयी हो लेकिन कुछ माननीय सदस्य व्यक्तिगत रूप से भी कहना चाहते हैं । तो यदि वे नेता नहीं हैं तो क्या उनकी बात नहीं सुनेंगे इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने जो कहा था शायद आपने सुना नहीं । 10-12 माननीय सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर करके दिए हैं । यह अध्यक्ष का काम है कि किसको बुलायें और किसको न बुलायें । वक्तव्य के लिए सरकार को कह दिया गया है । इसके बाद आज 3 बजे कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक होगी, उसमें जो निर्णय होगा आपको सुना दिया जायेगा ।

(व्यवधान)

आप कृपया बैठिए ।

(श्री मित्रसेन व मसरूर जाफरी और कई अन्य सदस्य एक साथ बोलते रहे ।)

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, जो दूसरी सूचना है, वह सामूहिक रूप से है, उस पर सुन लीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

प्रत्येक सदस्य को सुनने की आवश्यकता नहीं है । वक्तव्य के लिए कह दिया गया है, उसके बाद कार्य मन्त्रणा समिति में निर्णय हो जायेगा ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री मसरूर जाफरी--

मान्यवर, जो सामूहिक रूप से है, उसके लिए तो आपने कहा नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपा करके पहले आप बैठें ।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

मान्यवर, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है । फैजाबाद में चोरी और डकैतियां हो रही हैं, शांति-व्यवस्था नाम की कोई चीज वहां पर नहीं ह ।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन--

माननीय, फैजाबाद में सरकस फूंक दिया गया । सैकड़ों डकैतियां फैजाबाद में हो रही हैं ।

(व्यवधान)

श्री गोपी नाथ वर्मा--

माननीय, फैजाबाद में शांति-व्यवस्था बहुत बिगड़ चुकी है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आठ सूचनाएं थीं, एक के विषय को वक्तव्य के लिय स्वीकार कर लिया गया है । सभी सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं । माननीय मन्त्री जी अपना प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत कर दें ।

[समय 1 बजकर 45 मिनट]

पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982†

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा)--

माननीय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय ।

माननीय, यह पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 को लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि प्रदेश की तमाम जगहों से सूचनाएं आ रही थीं कि कुछ व्यक्ति विशेष लोग खुले मैदानों में प्रदर्शन, रैली और ड्रिल कराते हैं (इस समय 1 बजकर 46 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खानगुफरान जाहिदी पीठासीन हुए ।) और श्रीमन्, आर्म्स के साथ और बिना आर्म्स के भी ऐसी रैलियां की जाती हैं, जहां पर शस्त्रों का चलाना, लाठियों का चलाना, यह सार्वजनिक रूप से किया जाता है । श्रीमन्, इससे जनता के बीच में एक भय की आशंका व्याप्त होती है जो उसको दूर करने के लिए 1979 में जनता रिजीम में भी एक शासनादेश निकाला गया था लेकिन वह शासनादेश इतना प्रभावी नहीं था कि उससे सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन, रैली और ड्रिल वगैरह करने का निषेध नहीं हो पाया, उसको इस ऐक्ट में कुछ बढ़ाकर पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 को, उस चीज को कुछ प्रभावी किया गया है जिससे सार्वजनिक रूप से और विशेष रूप से लाठी का, डंडे का, अन्य चीजों का जो प्रदर्शन खुलेआम किया जाता है, शस्त्रों का चलाना सिखाया जाता है, उसके लिए इसमें संशोधन किया गया है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 की जनमत जानने हेतु एक माह तक परिचालित किया जाय ।

---

†दिनांक 27 फरवरी, 1982 को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

माननीय, यह जो मैंने प्रस्ताव किया है कि जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय, इसके पीछे उद्देश्य यह है कि यह जो संशोधन विधेयक पुलिस ऐक्ट में आया है, इस विधेयक को मैं असंवैधानिक समझता हूं। अब माननीय, मेरा कहना यह है कि यह एक ऐसा काला विधेयक है। चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, अगर बिना किसी पूर्वाग्रह से विचार करेंगे और ऐसे लोग इधर-उधर बैठे हैं जिन्हें सिविल लिबर्टी में आस्था है, वह व्यक्ति इस संशोधन विधेयक से कदापि सहमत नहीं होगा। अच्छा होता कि माननीय मंत्री जी इसको पूरा बता देते तो तत्काल आदरणीय सदन स्वतः इसको रिजेक्ट करने की बात कह देता। मैं चुनौती देकर पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, आज अगर प्रदेश में किसी संगठन से वायलेंस का खतरा है, तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी से उसके लिए यह अपेक्षित नहीं था कि कोई श्वेत पत्र सदन में रखते ?

एक श्वेतपत्र सदन में रखते कि ऐसी घटना हो गयी, लोग ड्रिल कर रहे थे लेकिन आशंका की सम्भावना पर कोई नियन्त्रण करना अत्यन्त घृणित, निन्दनीय और जनतंत्र पर कुठाराघात है। मैंने संविधान विरोधी क्यों कहा है ? श्रीमन्, आप संविधान की धारा 19 को देखने का कष्ट करें। इसके (ब) में दिया हुआ है कि सभी नागरिकों को शान्तिपूर्वक निरायुद्ध सम्मेलन की आजादी है। सब को इस बात की आजादी हमारा संविधान देता है कि शान्तिपूर्वक ढंग से वह इकट्ठा हो सकते हैं इसमें माननीय, आयुध की परिभाषा भी की गई है आर्म्स ऐक्ट, 1959 की परिभाषा 2(सी) में दिया गया है।

"आर्म्स" मीन्स आर्टिकिल्स आफ ऐनी डिस्क्रिप्शन डिजाइन्ड आर एडाप्टेड एज वेपन्स फार ओफेन्स आर डिफेन्स एण्ड इनक्लूड्स फायर आर्म्स।

इसमें आर्म्स का तात्पर्य उस हथियार से है जिसका प्रयोग आक्रमण या सुरक्षा के लिये हो और वह हथियार भी इसमें शामिल है जो धारदार या आग्नेयास्त्र हो।

बट डज नाट इनक्लूड आर्टिकिल्स डिजाइन्ड स्लोली गाट डोमेस्टिक आर एग्रीकल्चरल यूजेज सच एज ए लाठी आर ऐन आर्डिनरी वाकिंग स्टिक आर वेपन्स इनकेपेबिल आफ बी यूज्ड अदरवाइज।

लेकिन इसमें लाठी, डंडे या स्टिक आदि नहीं शामिल किया गया है। जो हमारे संविधान की व्यवस्था है उसको यह काले विधेयक को प्रस्तुत करके तोड़ रहे हैं, यह संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। आप पहले आयुध की परिभाषा बदलते। लेकिन इस विधेयक के पास होने से हमारे मौलिक अधिकारों की हत्या होगी। श्रीमन्, इस विधेयक की धारा 2 (ख) क स्पष्टीकरण देखने का कष्ट करें, इस धारा के प्रयोजनार्थ, आयुध से किसी प्रकार का आक्रामक आयुध अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत लाठी, डन्डा, स्टिक और बेलचा भी है।

हमारे संविधान के तहत आर्म्स ऐक्ट में इसकी परिभाषा दी हुई है, आप पहले उस परिभाषा को बदलते लेकिन आपका इरादा गन्दा है, आपने इस विधेयक के जरिये आर्म्स की परिभाषा को बदल दिया और उस गन्दे इरादे से आप संविधान की हत्या करने जा रहे हैं। माननीय, सी0 आर0 पी0 सी0 में यह व्यवस्था है कि कहीं अगर आपको आशंका हो शान्ति व्यवस्था के खतरे की तो 144 लगाई जा सकती है। जिलाधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर जहां भी इस प्रकार की आशंका हो, वहां 144 दफा लगा सकता है। लेकिन यह ऐसा विधेयक आया जो सदा के

लिये दफा 144 लगा देग । आप किसी चीज को कांस्टेन्ट नहीं कर सकते हैं । खतरा है तो आप दफा 144 लगा दीजिये लेकिन हमेशा दफा 144 लगी रहे, यह आप नहीं कर सकते हैं ।

मान्यवर, इसी तरह अनुच्छेद 19 (1) (ग) में देखें कि संघ या संस्था बनाने का अधिकार दिया गया है । उसकी परिभाषा में संस्था या संघ बनाने का अधिकार है और वह शांतिपूर्ण ढंग से काम करेंगे । यदि कोई भी संस्था जो बनी हुई है, आपकी हिम्मत है तो यदि उसके तरीके गलत हैं तो प्रतिबंध लगा दें। उसका प्राविधान है, उसमें दिया गया है कि किसी संस्था की गतिविधियां आपको राजघाती मालूम होती है तो जुडीशियल बाडी के सामने उसको भेज दें और उसकी फाइन्डिंग्स के बाद निर्णय लें जैसा कि मिजोरम में हुआ है, लेकिन उसका पालन नहीं किया ह । इसलिए संस्था या संघ बनाने का अधिकार है ।

मान्यवर, तीसरा अधिकार है धारा 21, फंडामेंटल राइट्स में प्राण और दैहिक स्वाधीनता का संरक्षण--विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर दंडित नहीं किया जा सकता है । इसलिये व्यायाम और कसरत इसलिये करते हैं कि अपने शरीर को सुरक्षित रख सकें और इसलिये कसरत और व्यायाम करने एवं पार्क में घूमने जायेंग तो हमारे ऊपर आप प्रतिबंध लगा देंगे। विधेयक में देखें आयुध के साथ नहीं, बिना हथियार के पार्क में हैं, तो परिभाषा के अंदर अपने घर में ड्रिल कर रहे हैं और आपको आशंका हो जाती है कि वह पड़ोसी को मारने के लिये कर रहे हैं तो प्रतिबंध लगा देंगे चूंकि आपका इरादा गंदा है। इसलिये दूसरे के अच्छे और रचनात्मक कार्यों को बुरी निगाह से देखकर कलुषित न करें ।

मान्यवर, इसी तरह अनुच्छेद 22 (1) में बंदीकरण और निरोध से संरक्षण का उल्लंघन किया गया है । हमको आजादी है कि बिना हमको शो काज नोटिस दिये निरुद्ध नहीं किया जायेगा । हमको संविधान में यह आजादी मिली है । लेकिन इसमें प्राविधान किया है कि जिले का मैजिस्ट्रेट लोक शांति या सुरक्षा के लिये जब कभी आवश्यक समझे, लोक सूचना द्वारा अपने अधिकार से किसी स्थान पर जुलूस में यह प्रतिबंध लगा सकता है और इंडीवीजुअल को नोटिस दे सकता है । लेकिन शो काज नोटिस नहीं दिया है तो उसके सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ है, जिसमें कहा है कि किसी के पास बंदूक का लाइसेंस है तो बिना शो काज नोटिस दिये उसको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। यदि धारा 302 का मुल्जिम है, पकड़ा गया है तो भी उसको तत्काल शो काज नोटिस देंगे । लेकिन अभी व्यवस्था दी गयी है कि बिना शो काज नोटिस दिये, बिना कारण बताये, आदमी को न संदर्भ करने का मौका है किन्तु तत्काल एलान हो गया, जैसा कि पहले बिना आपातकाल की घोषणा किये 25 जून की रात को घोषणा हो गयी, किसी को पता नहीं और 16 तारीख को लोग पकड़े गये । इसमें भी एक रात में जिले के घोषणा कर दिया और शहर के लोग पकड़कर बंद कर दिये गये, इसलिये इसमें शो काज नोटिस मिलनी चाहिये जिसका वह जवाब देगा । इसमें यह नहीं किया गया है कि तत्काल वह आदमी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जायेगा, उसको न्यायिक दंडाधिकारी भी नहीं माना जा रहा है। यदि हम पकड़े जायेंगे तो न्यायालय के सामने तत्काल प्रस्तुत करने का अधिकार होगा लेकिन आप घबड़ाये हैं । आपने इमरजेंसी लगाकर पूरे हिन्दुस्तान को एक कैदखाना बना दिया था । फर्जी, साइक्लोस्टाइल्ड चार्जशीट पर आपने अनेक लोगों को बन्द कर दिया था । लेकिन जिस आदमी ने जानबूझकर कानून तोड़ा, एक सज्जन थे जिन्होंने लालबाग के चौराहे पर सत्याग्रह किया लेकिन आपने दिखाया कि वह चारबाग स्टेशन पर भाषण दे रहे थे । वह उप मंत्री रह चुके हैं । तो मैं कहना चाहता हूं कि आप

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

न्यायपालिका से घबड़ा रहे हैं, उस समय तो आपने उसके दरवाजे बन्द कर दिये थे लेकिन आज घबड़ा रहे हैं। मैंने पूरे संशोधन को पढ़ा इसमें कहीं किसी आदमी को न्यायिक दंडाधिकारी के सामने ले जाने का मौका नहीं दिया गया है, मैजिस्ट्रेट के सामने आप ले जायेंगे जो 6 महीने की सजा या दो हजार रुपये जुरमाना या दोनों की सजा वह दे सकता है। इसकी अपील भी सेशन, डिस्ट्रिक्ट जज या कहां पर की जायगी इसका कोई प्राविधान नहीं है

अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। यह अधिकार आपने किसको दिया है? यह अधिकार पुलिस को दिया है। सब जानते हैं। आज पुलिस कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसी है। इतनी निरंकुश हो गयी है कि वह आपके हाथ से बाहर है। पुलिस के अधिकार असीमित हो गये हैं। किसी व्यक्ति या किसी संस्था के बारे में आपको आशंका हो जाय, चाहे वह लाठी लिये जा रहा हो या बिना आयुध के ड्रिल कर रहा हो तो 3 महीने के लिये निरुद्ध कर दिया जायगा। तो ऐसी पुलिस जिसने फर्जी इन्काउन्टर दिखाकर बदमाश व्यक्तियों को संरक्षण देकर निरपराध लोगों को मारने का कीर्तिमान स्थापित किया है, उसको असीमित अधिकार आप दे रहे हैं।

मान्यवर, देखें समाचार पत्रों को 16 मई का अमृत प्रभात है। उसमें है कि कुशवाहा जी ने आरोप लगाया है कि पुलिस डकैतों के साथ मिलकर काम कर रही है और उनके द्वारा निरपराध लोग जाली मुठभेड़ों में मारे जा रहे हैं। श्री कुशवाहा आज संवाददाताओं को यहां से 56 किलोमीटर दूर बेहटा गांव ले गये जहां डकैतों में मुठभेड़ में एक सब-इंसपेक्टर मारा गया था। मंत्री ने आरोप लगाया कि पुलिस ने, डकैती के शिकार लोगों के अनुसार रिपोर्ट नहीं की और घटनास्थल पर डकैत जो सामान छोड़ गये थे, जिनमें उनके कपड़े भी शामिल हैं और दर्जी की दूकान का लेबिल भी लगा है, उसे रिकार्ड में इसलिये नहीं दिखाया गया है ताकि असली अपराधी को पहचान न हो सके। मान्यवर, ऐसी आपकी पुलिस है। मैं और बताना चाहता हूं कि अभी फूलन देवी की चर्चा हो रही थी। किसी सदस्य ने कहा सदन की फूलन देवी, तो मैं उस आरोप में नहीं जाता। 12 मई के अमृत प्रभात में है। एक महिला को फूलन देवी समझकर पुलिस वाले पकड़ ले गये और लगभग एक महीने अपने पास रखा और एक महीने न जाने कहां-कहां ले जाकर न जाने कितने लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। तो यह है पुलिस आपकी।

(शेम शेम की आवाजें।)

इस पुलिस के सामने न्यायपालिका का कोई सम्मान नहीं है। मैं कई घटनाओं का जिक्र कर चुका हूं। पुलिस के लोग न्यायपालिका के मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में घुसकर लोगों को मारते हैं। हमीरपुर में एक वकील साहब मुकदमा कर रहे थे, पुलिस ने पकड़ा और कोर्ट में मारा। मैजिस्ट्रेट साहब देखते रहे। बाराबंकी में एक पुलिस कर्मी के खिलाफ मैजिस्ट्रेट ने कोई बात कह दी। दूसरे दिन सरकारी वकील और स्वयं एस0 पी0 वहां आ गये और पूरी फोर्स लेकर कोर्ट

को घेर लिया । और शक्ति प्रदर्शन की चेष्टा की कि जज साहब पूरे तरह से प्रभावित हो जायं कि अगर पुलिस के खिलाफ कुछ कहा तो अंजाम सही नहीं होगा । पुलिस के लोग हल्द्वानी में एक न्यायिक दंडाधिकारी के दरवाजे पर पहुंच गये और मारपीट की ।

मान्यवर, अल्मोड़ा वाला मामला हमारे सामने है, जिसने हाथ जोड़कर अपनी जान बचाई । पुलिस की निरंकुशता का एक उदाहरण और हमारे सामने है । एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो सेना के रिटायर्ड और जिनके पास वीरचक्र का मेडल उनको प्राप्त है, जिसे पुलिस ने अपने पैरों से रौंदा । इतना दुःसाहस आज पुलिस का बढ़ गया है । भारत की पुलिस की तारीफ आज यहीं पर नहीं हो रही है मान्यवर, अमरीका के रीगन प्रशासन द्वारा भी तारीफ की गयी है । जो रिपोर्ट यहां के अखबार "आज" में 9 फरवरी को प्रकाशित हुआ है कि "एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में पुलिस खुलेआम अत्याचार करती है, जबकि देश के संविधान में जनता के मौलिक अधिकारों की गारन्टी है । तथा भारत के संविधान में मौलिक मानवाधिकारों, प्रेस की आजादी तथा स्वतंत्र न्यायपालिका की भी गारन्टी है तथापि वहां पुलिस द्वारा उत्पीड़न की घटनाएं आम हैं । मान्यवर, आप पुलिस ऐक्ट की धारा 32 देखें जो पेनाल्टी क्लाज से सम्बन्धित है और धारा 29, 30 और 31 में रोड कंट्रोल, भीड़-भाड़ आदि से सम्बन्धित व जुलूस आदि पर कंट्रोल कि किस जुलूस में कैसा बाजा बजना चाहिये, यह है । लेकिन 32 जो है वह पेनाल्टी का क्लाज है और अगर इसमें कोई अवज्ञा करेगा तो उस पर 100 रु0 तक जुर्माना किया जायेगा और आपने अब यह व्यवस्था कर दी कि जो 29, 30 और 31 में प्राविधान हैं और इसमें यह भी है कि शासन को घोषणा के विपरीत भी कोई लाइसेंस ले सकता है, लेकिन आपने जो 32 में व्यवस्था की है, उसमें लाइसेंस को भी समाप्त कर दिया है । आपकी इस व्यवस्था से निरपराध लोग जो बेचारे किसी क्लब में खेल रहें होंगे और कोई भी दुश्मनीवश शिकायत कर दे तो उन बेचारों की जान और इज्जत खतरे में पड़ जायेगी ।

ऐसा ही एक ऐक्ट केरल सरकार ने भी बनाया है जो यहां के ऐक्ट से काफी भिन्न है । आप देखें केरल पुलिस ऐक्ट, 79 तो मालूम हो जायेगा कि उसमें डी0 एम0 को अधिकार दिये गये हैं कि वह किसी भी ऐसी संदेहात्मक चीज हो उसे रोक सकते हैं, लेकिन वह चीज पहले आई विटनेस पर सिद्ध हुयी होगी । आप कहीं भी देखें, ऐसा ऐक्ट हिन्दुस्तान में कहीं भी नहीं बना सिवाय उत्तर प्रदेश की सरकार को छोड़कर । आपने जो आर्म्स की डिफ्नोशन्स दी हैं और जिनके ऊपर आप चेक लगाने जा रहे हैं । वह मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात है, प्रजातंत्र पर कुठाराघात है, संघ और संस्था बनाने के अधिकारों पर कुठाराघात है, इसीलिये यह काला कानून बना रहे हैं । मेरा कहना है कि इस पर जनता की राय ले लें । अगर जनता फैसला कर लेगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी । जब तक जनता का निर्णय नहीं लिया जायगा तब तक मात्र थोड़े से बहुमत के आधार पर हम आपको यह अधिकार देने को तैयार नहीं हैं और इस बात के लिये भी तैयार नहीं हैं कि पुलिस को इतने असीमित अधिकार दे दिये जायं । इसलिये यह प्रस्ताव रखा है कि इसको जनमत के लिये भेज दिया जाय । मैं समझता हूं कि मेरे इस प्रस्ताव का, जो लोग यहां बैठे हैं, और लोकतंत्र की आस्था के लिये प्रतिबद्ध हैं समर्थन करेंगे ।

*श्री लाल प्रताप सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने पूरे बिल का ध्यान से अध्ययन किया और माननीय गुप्त जी की बातों को भी ध्यानपूर्वक सुना । एक बात की ओर गुप्त जी का ध्यान आकर्षित करूंगा वे दिल पर हाथ रखकर पूछें कि क्या वे वाकई लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं या उनकी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है ?

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

उदाहरण देकर बताइए ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय राजेन्द्र जी, मैं यहां बैठा हूं, आप मेरी तरफ मुखातिब होकर कोई बात कह सकते हैं लेकिन बरायेराज इस तरह की कोई बात नहीं कह सकते हैं ।

श्री लाल प्रताप सिंह--

लोकतंत्र का पौधा बहुत नाजुक होता है ।

(व्यवधान)

आप पूरी बात सुन लें । बहुत दिनों से महसूस किया गया कि कुछ संगठन ऐसे हैं, कुछ जमातें ऐसी हैं जो साम्प्रदायिक तनाव पैदा कर रही हैं, जिनका आधार साम्प्रदायिकता है, जातिवाद है, तंगनजरी है । यह बात उस समय सामने आ गयी जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, पूरा मुल्क इस बात को जानता है...

(व्यवधान)

1948 में यही नहीं कि वे "फादर आफ दि नेशन" थे बल्कि वे सारी दुनिया के सबसे बड़े इन्सान थे ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आप तो रोज हत्या कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री लाल प्रताप सिंह--

आप मेरी बात को सुन लीजिये । मैंने आपका पूरा भाषण सुना है ।

तो उस वक्त से यह महसूस किया गया कि कुछ संगठन ऐसे हैं जो तंगनजरी के रास्ते से गुजरते हैं, अंग्रेजी में उसे फासिस्ट संगठन कहते हैं, नाजी कहते हैं, उग्रवादी कहते हैं । वे कम्युनल टेन्शन पैदा करते हैं । इन पर किस तरह से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रतिबन्ध लगाया जाय। एक बात याद रखिए कि आज लोकतंत्र कहीं पनप नहीं सकता और सेकूलर राज्य की पूरी तरह से स्थापना कहीं नहीं हो सकती है जब तक कि जातिवाद को मुकम्मल तरीके से खत्म नहीं कर देते हैं तब तक मार्डन या आधुनिक राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है। हमारे संविधान का लक्ष्य ही यह है कि सोशलिस्ट और सेक्यूलर राज्य की स्थापना हो परन्तु यह हो नहीं पा रही है।

सरकार तो बहुत ही लिबरल तरीके से चलती चली आ रही है। कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि यह अहसास हो कि यहां की फ्रीडम, यहां की स्वतंत्रता राजनैतिक तरह से लड़ाई लड़ कर आपस में हम उनको समाप्त कर देंगे। जो सरकार लोकतंत्र में विश्वास करती है वह ऐसा काम नहीं कर सकती है। यह सरकार जो आज है यह बहुत ही लिबरल है। इसलिए मुकम्मल तरीके से यह तरीका अख्तियार किया कि इसके लिए कोई कानून बनाया जाय। कुछ हमारी ऐसी जमाते हैं आप स्वयं सोंचे और निष्पक्ष तरीके से अपने दिल से पूछें कि यह संगठन को किसी प्राइवेट तरीके से, कहीं किसी मैदान में लाठी लेकर चलने की क्या जरूरत है। मैं बताता हूं कि उनका मकसद कुछ ऐसा है किसी ने सही कहा है कि मार्चिंग ड्रिल इज टफ। जब आदमी ड्रिल करता है तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है और आदमी उस भाव में फंस कर अपनी सोचने की शक्ति को खो देता है और फासिस्टिज्म के रास्ते पर चल पड़ता है। उनमें मुकम्मल तरीके से नफरत की भावना को बढ़ाया जाता है।

पूरे मुल्क में जो उग्रवादी संगठन हैं, जब से देश स्वतंत्र हुआ है, तब से कितनी घटनायें हुई हैं जमशेदपुर में, बिहार में, पटना में तथा उत्तर प्रदेश में। मैं सोचता हूं कि वाकई कुछ सख्ती जरूर की जानी चाहिए। यह तो कुछ सख्त कदम हुआ ही नहीं। लेकिन कोई सख्त कदम जरूर उठाने पड़ेंगे और उठाये जायेंगे। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह जो बिल आप लाये हैं, यह हाफ हार्टेडिली लाये हैं, यह कम्प्रीहेन्सिव बिल नहीं है। एक बिल पूरे मुकम्मल तरीके से लाया जाना चाहिये था, जो कि नहीं लाया गया है। यह बिल किसी और वजह से नहीं लाया गया है। इस बिल के उद्देश्य और कारण में स्पष्ट किया हुआ है कि "राज्य में कतिपय संगठन बहुधा आयुध लेकर सामूहिक ड्रिल और सामूहिक प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं और ऐसे जलूस और रैलियों का आयोजन करते हैं जिसमें भाग लेने वाले व्यक्ति लाठी ओर अन्य आयुध ले जाते हैं। ऐसे कार्यकलाप से तनाव उत्पन्न होने और परिणामस्वरूप शान्ति भंग होने की सम्भावना रहती है।

इस समय राज्य में ऐसे कार्यकलापों को प्रभावपूर्ण ढंग से रोकने के लिए कोई विधि प्रवृत्त नहीं है। अतएव इस समस्या से निपटने के लिए आवश्यक और प्रभावपूर्ण उपबन्ध बनाने के लिए पुलिस अधिनियम, 1861 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

तदनुसार पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 पुरःस्थापित किया जाता है।

यह बात अपनी जगह पर सही है कि कुछ खास-खास संगठन ऐसे हैं चाहे वे जमायते इस्लामी पार्टी के हों, खाकसार हों, रजाकार हों या हिन्द मुस्लिम संगठन के हों जो इस तरह के कार्य करते हैं और इस तरह से मुल्क में सेकुलरिज्म के खिलाफ नफरत की भावना फैलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मान्यवर, इस बिल को लाने की जरूरत पड़ी। एक बात मैं और निवेदन कर

[श्री लाल प्रताप सिंह--]

है कि संविधान के अन्तर्गत जो हर नागरिक को अपनी सुरक्षा की गारंटी मिली हुई है, उसको खतरा पहुंच सकता है। मैंने बड़े गौर से इस बिल को देखा है। इसके जरिये किसी की सिविल लिबर्टी को खतरा नहीं पहुंचने वाला है। यह तो एक बहुत ही सीधा-सादा ऐक्ट है जो बहुत साधारण तरीके से लाया गया है। जहां तक इसके इनफोर्स करने की मशीनरी का ताल्लुक है, पूरा अधिकार मैजिस्ट्रेट को दिया गया है पुलिस को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि मुकम्मल तरीके से सेकुलर राज्य की स्थापना के लिए कोई सख्त कदम उठाना पड़ता है ताकि मुल्क की सुरक्षा के लिए सेक्यूलर राज्य की स्थापना मुकम्मल तरीके से हो सके। इन शब्दों के साथ मैं पुनः सरकार से आग्रह करता हूं कि इस बिल के पास होने पर सरकार एक काम्प्रहेन्सिव बिल लायेगी।

*श्री मित्रसेन--

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो संशोधन पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। अभी-अभी सिंह साहब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि इसको गौर से देखा जाय। तो उनके देखने का चश्मा अलग है और हम लोगों के देखने का चश्मा अलग है, तब एक सा कैसे दिखलाई पड़ सकता है? कोई भी सरकार हो उसको जनता का नैतिक समर्थन रहना चाहिए। जिस सरकार को जनता का नैतिक समर्थन नहीं होता वह सरकार कमजोर होती है। लेकिन कोई भी सरकार हो, वह केवल कानून के बल पर ही नहीं चला करती। अगर कोई कानून वह लागू करती है तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए ही लाती है। लेकिन कुछ कानून ऐसे भी होते हैं जो लोगों को पुरुषत्व से गिरा कर उसे नामर्द और नपुंसक बना देते हैं। आज गांव-गांव में डकैती होती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि सुरक्षा समितियां बनाइये। लेकिन सुरक्षा समितियां क्या करेंगी, क्या वे ढेले चला-चला कर डकैतों का सामना करेंगी? लाठी, डंडा, बेलचा लेकर भी जब किसी को चलने का अधिकार नहीं हो तो दरअसल यह जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है और यह कानून काला कानून के अन्तर्गत आता है। इसके जरिये अधिकार किसको दे रहे हैं, उस पुलिस को अधिकार दे रहे हैं जो महिलाओं की इज्जत नहीं करती, जो कुवारी लड़कियों की इज्जत नहीं करती जिनके दिल में सड़कों पर तड़पती हुई स्त्रियों के लिए कोई इज्जत नहीं है, उस पुलिस के हाथ में इतना जबरदस्त हथियार दे रहे हैं। पुलिस के बजाय जिला अधिकारी के हाथ में, मैजिस्ट्रेट के हाथ में यह अधिकार देना चाहिये। क्योंकि आज भी देखा जाता है कि पुलिस को आज भी इतने अधिकार प्राप्त हैं कि गांव के गरीब निर्दोष लोग आज भी दफा 109 व अन्य दफाओं की तहत सजा पा जाते हैं।

इनके पास तो कानून 144 ऐसा सफीसियेन्ट है कि जहां भी शान्ति भंग होने की सम्भावना हो, वहां जब चाहे तब यूज कर सकते हैं, उससे लाठी, डंडे और हथियारों पर काबू पा सकते हैं। कानून तो इतना बन गया है कि अगर उसका इम्प्लयमेंटेशन किया जाय और सरकार की एजेंसीज उसका पालन करें तो और किसी कानून की आवश्यकता ही नहीं है। शासन में बने रहने के लिए यह इस काले कानून के जरिये ऐसा प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं कि जबान बन्द करने का कानून इन्होंने नहीं बनाया और बाकी सब कानून इन्होंने बना दिया है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और किताबें भर दी हैं। इस कानून के जरिये हम हिन्दुस्तान की जनता के नैतिक बल और उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं कर सकते हैं। यह कानून सत्ता में आने के बाद इन्होंने सोचा है, इन्होंने यह नहीं सोचा कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी असफलता के कारण अभी इस्तीफा दे चुकी है और जो नई सरकार हमारी गठित हुई, उनके आई० जी० से लेकर गृह सचिव तक आपस में लड़ रहे हैं। गृह सचिव इस्तीफा नहीं देते, गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देते, आई० जी० बदल दिये जाते हैं, गृह सचिव नहीं बदलते हैं। जब पुलिस विभाग में इतने उच्च अधिकारी आपस में लड़ेंगे तो इनकी शान्ति व्यवस्था इन कानूनों से बनेगी ? यह कानून बना रहे हैं कि कोई भी आपस में बैठकर लाठी, डन्डा, ड्रिल आदि नहीं सीख सकता। आप देखते हैं कि देहातों में लोग कुश्ती सीखते हैं, ड्रिल सीखते हैं, छात्र भी इसमें लगे रहते हैं। यह तो पौरुष को जगाने का एक माध्यम है। उस पर भी रोक लगाकर यह हमारे मौलिक अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं। इस कारण मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और संशोधन के प्रस्ताव पर बल प्रदान करता हूं और चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लें या इस विधेयक को वापस ले लें।

*श्री प्रभू नारायण सिंह--

मान्यवर, यह जो पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1983 प्रस्तुत हुआ है, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं और मैं जानता हूं कि हर समझदार और प्रगतिशील साथी यह महसूस करते हैं कि वैसे तो व्यक्तिगत ढंग से हर आदमी को अपनी सुरक्षा का अधिकार है और वह पूरा अधिकार सुरक्षित है लेकिन कुछ लोग समूह में रहने के नाम पर, ठीक है समूह में रहें, उनको रोका नहीं जाता है, लेकिन प्रायः देखा गया है कि राजनीति लोग बालिगों के साथ करते हैं और कुछ ऐसे संगठन हैं जो अपने को सांस्कृतिक संगठन कहते हैं और हैं राजनीतिक संगठन, वे नाबालिगों के साथ राजनीति करते हैं। नाबालिग बच्चों में ऐसे संस्कार भर दिये जाते हैं कि आगे चलकर अगर वह पी०एच०डी० हो जाय, डाक्टर हो जाये, इंजीनियर हो जाय तो उसके संस्कार नहीं बदलते हैं। इसलिये इस पर निश्चय ही प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये। उनको खिलाने के बहाने, उनको विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाने के बहाने जो उनको दिग्भ्रमित किया जाता है, यहां तक कि शिशु मन्दिर चलाये जाते हैं, एक विशेष प्रकार की शिक्षा भी दी जाती है, यह इस जनतन्त्र के लिये, इस देश के लिये कलंक है। मैं हमेशा कहता हूं कि निश्चय ही एक तरह की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिये, हाफ पैंट वालों के लिये अलग शिक्षा व्यवस्था और धोती वालों के लिये अलग शिक्षा व्यवस्था, यह नहीं होना चाहिये। उनके लिये अलग शिक्षा व्यवस्था नहीं होनी चाहिये। जब तक शिशु मन्दिर चलाये जायेंगे, निश्चय ही एक विशेष विचारधारा के लोग पैदा किए जायेंगे। उनकी पढ़ने वाली पाठ्य पुस्तकों को देखें, तो आपको सारी चीज मालूम हो जायेगी।

मैं कहना चाहता हूं कि आज के समाजवादी युग में डेमोक्रेटिक युग में और धर्मनिरपेक्ष युग में जो भावना लोगों की रहनी चाहिये, वह निश्चित रूप से उन लोगों में नहीं रह जाती है। मान्यवर, इससे बहुत ही खतरा उत्पन्न हो जाता है। यह जो बिल लाया गया है निश्चय ही मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राम गोविन्द--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के पास पहले ही से इतनी शक्ति है कि जब वह जिसको चाहे उसको कुछ भी कर सकती है, वह कुछ भी करने में समर्थ है। पुलिस जिसको जब चाहे जेल में ठूंस दे, उस पर कोई पाबन्दी नहीं है। इस विधेयक को लाकर मान्यवर, लाठी डन्डे की रोक लगाने की बात कही गई है। मान्यवर, पुलिस को तो लाठी रखने का अधिकार है। जो उसका चौकीदार होता है, वह लाठी लेकर गांव जाता है और भाला अपने पास रखता है, और वह लोगों को प्रताड़ित करता है।

मान्यवर, आप जानते हैं कि प्राइमरी स्कूल से लेकर मिडिल स्कूल तक वार्षिक उत्सव होते हैं और उनमें लाठी का खेल सिखाने का काम किया जाता है और उस खेल में विद्यार्थियों को अच्छा प्रदर्शन करने पर पुरस्कार भी दिया जाता है। इसी प्रकार से चाहे महाबीरी झन्डा हो या मुसलमानों का ताजिया निकलता हो, उसमें भी लाठी का प्रयोग किया जाता है और आज शासन उस पर प्रतिबन्ध लगा रहा है। मुझे उनकी बुद्धि पर आशंका है। इस बिल को लाकर यह ठीक उसी परिस्थिति में जनता को लाकर खड़ा कर देंगे जब 1975 में इमरजेन्सी लगी थी, उस समय इसी प्रकार के कानूनों के कारण जनता ने इनको शासन से अलग कर दिया था और ये बुरी तरह से हारे थे। मान्यवर, दो साल के बाद इनकी फिर करारी हार होगी और निश्चय ही यह काला कानून इनको हराने का काम करेगा। जब आपको जेल में बन्द किया गया था उस समय आपको भी अनुभव हुआ होगा।

श्री मुख्तार अनीस--

ये 1957 में बन्द हुए थे।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य अपने भाषण में कोई ऐसी बात न कहें। मैं आपका कन्ट्राडिक्शन नहीं करूंगा जो वहां पर बैठकर करता। आप संशोधन पर बोलें।

श्री राम गोविन्द--

मान्यवर, अगर कोई नेता अपने घर में है और पुलिस ने कहा कि तार काटने का काम किया है, पटरी काट रहे थे, इस प्रकार के दोष लगाकर पुलिस ने तमाम निर्दोष लोगों को बन्द किया है। अगर यह विधेयक पास हो जाता है तो लाठी और डन्डा लेकर निकलना मुश्किल हो जायेगा। कुछ लोगों को भ्रमित करके संघ या जनसंघ जैसी संस्थाओं पर कानून व्यवस्था का दुरुपयोग किया जायेगा। मेरा कहना है कि संघ से भी बदतर कांग्रेस पार्टी है जो जातिवाद को बढ़ावा देती है। हिन्दुस्तान में इन्होंने ब्राह्मण जाति को मन्त्री और मुख्य मन्त्री बनने के लिये सबसे पहला काम इस पार्टी ने यहां पर किया है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा साम्प्रदायिक यही पार्टी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और माननीय राजेन्द्र कुमार जी गुप्त द्वारा रखे संशोधन का समर्थन करता हूं ।

[समय 2 बजकर 35 मिनट]

*श्री पंचानन राय--

माननीय, प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करते हुये मुझे यह निवेदन करना है कि जनतन्त्र को अगर खतरा होता है तो उन ताकतों से सबसे पहले होता है जो साम्प्रदायिकता की भावना को बढ़ावा देती हैं या जो जातिवाद के संकीर्ण दायरे में होती हैं । निश्चित रूप से जो यह विधेयक सदन में आज प्रस्तुत हुआ है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने इसे आधे मन से प्रस्तुत किया है । आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें इस तरह की ताकतों के साथ सख्ती से व्यवहार करना चाहिये जो समाज के अन्दर साम्प्रदायिकता का जहर फैला रही हैं और जो जनतन्त्र की जड़ों को झिंझोड़ रहीं हैं । जिस किसी संस्था की तरफ माननीय लाल प्रताप सिंह जी ने और माननीय गुप्ता जी ने इशारा किया है, यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट हो चुका है कि इस तरह की संस्थायें समारे नौजवानों में, हमारे बच्चों में प्रारम्भ से ही साम्प्रदायिक भावना पैदा करती हैं और यही कारण है कि हमेशा हिन्दुस्तान के किसी न किसी हिस्से में साम्प्रदायिक तनाव पैदा होते हैं ।

आज इस बात का उदाहरण देकर पुलिस की निन्दा हो रही कि मुठभेड़ में कुछ ऐसे लोग भी मारे गये हैं जो असामाजिक तत्व नहीं हैं । हमें इस पर भी चिन्ता प्रकट करनी चाहिये कि जो इस तरह के साम्प्रदायिक दंगे होते हैं, जो इस तरह के वाक्यात होते हैं, जो बकवाद होते हैं जिसमें किन्हीं निरपराध लोगों की भी जानें जाती हैं । मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के लोग चाहे वह जमायते इस्लामी के लोग हों, चाहें कोई भी हों, उनका हमारे साम्प्रदायिक सद्भाव पर प्रभाव पड़ता है, उसके लिये कानून में प्राविधान किया जाना चाहिये । पिछले दिनों डाकू उन्मूलन अभियान चला था उसमें जनता ने साथ दिया । यह जो संशोधन हुआ है, उसका सहारा लेकर पुलिस के लिए कहा जा रहा है कि पुलिस ने मुठभेड़ में निरीह जनता को मारा है, अखबार की कटिंग पढ़ी जा रही हैं । यह सरकार बधाई की पात्र है कि इसमें डाकू उन्मूलन अभियान में ऐसे दुर्दान्त दस्युओं को मारा है जिन्होंने जनता में आतंक फैलाया हुआ था । इस तरह से जनता ने चैन की सांस ली ।

(व्यवधान)

माननीय, मैं कहना चाहता हूं कि जब हम एक कानून बनाते हैं प्रदेश को सही रास्ते पर ले जाने के लिये, साम्प्रदायिक सद्भाव पैदा करने के लिये, तो गलत उदाहरण प्रस्तुत करके सदन में उसकी दिशा बदल दी जाय, इसे उचित नहीं कहा जा सकता है । मैं इन शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आपके जरिये मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि इस तरह की ताकतों से वे सख्ती से पेश आयें ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय, दो मिनट का समय चाहूंगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया बैठें ।

(श्री मुख्तार अनीस के नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री सत्यपाल सिंह--

इनके पहले मान्यवर, मैं खड़ा हुआ था बोलने के लिए मुझे मौका मिलना चाहिए ।

(श्री मुख्तार अनीस के बैठ जाने पर ।)

श्री अधिष्ठाता--

अगर माननीय मुख्तार अनीस साहब बैठ गए हैं, तो आप बोल सकते हैं ।

*श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, यह जो विधेयक लाया गया है इस सम्बन्ध में मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं । जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो वह उस युग की पुकार हुआ करती है । एक विद्वान मिस्टर मैंसियावल ने एक बार कहा था--"यू शो मी एनी पीस आफ लेजिस्लेशन आई विल टेल यू वि एरा आफ इट्स प्रोडक्ट" अर्थात् तुम मुझे किसी कानून का टुकड़ा दिखाओ, मैं तुम्हें यह बतला दूंगा कि वह किस युग का बनाया हुआ है । मैं जानना चाहता हूं कि जो कानून माननीय मंत्री जी लाए हैं उसकी आवश्यकता क्या पड़ गयी ? जो आज हमारे प्रदेश में सामूहिक तौर पर हत्यायें और डकैती हो रही हैं अगर उसके लिए वे कोई कानून लाए होते तो अच्छा होता । इस कानून के जरिए तो आप जनता को नपुंसक बनाने जा रहे हैं । इसके पास होने पर तो कोई भी व्यक्ति यदि वह लाठी, डंडा, बेलचा या स्टिक लेकर चलता है या प्रशिक्षण देता है तो उसे आपका दरोगा बन्द कर देगा । जो आपका मकसद था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ या मुस्लिम लीग जैसे संगठनों पर रोक लगाने का, उसको बन्द करने की आपमें हिम्मत नहीं है, उस पर आप रोक नहीं लगा पा रहे हैं । इन सारे प्रशिक्षणों पर रोक लगाकर आप अपने आपको नपुंसक सिद्ध कर रहे हैं ।

हमारे यहां दशहरे का जो त्योहार होता है उसमें इन चीजों का प्रशिक्षण आदि होता है, वह सब बन्द हो जायेगा । आप अनेकों ऐसे कानून बनाते हैं और बनाये हैं जो केवल किताबों में तो कानून बन कर रह गए हैं, पर उनका पालन नहीं हो रहा है । वे कभी लागू नहीं हो पाते । इस कानून से आपकी जो नियत है, वह पूरी होने वाली नहीं है । साम्प्रदायिक शक्तियों पर आप काबू नहीं पा रहे हैं और इस तरह का कानून बना रहे हैं । जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी । इसलिए मैं माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी के संशोधन का समर्थन करता हूं ।

*श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, प्रजातंत्र में साम्प्रदायिकता की जड़ों को समूल नष्ट करने के लिए, प्रदेश को गुन्डों से बचाने के लिए, देश की रक्षा और उसकी अखंडता को बचाने के लिए यह कानून लाया गया है । इसलिए मैं इसका हृदय से समर्थन करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अधिष्ठाता महोदय, एक कहावत है--"चोर की दाढ़ी में तिनका", यह मैं विशेषण के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं, संज्ञा के तौर पर नहीं। इस बिल का उद्देश्य मान्यवर, यह है कि जब लोग प्रदेश की शांति व्यवस्था को, देश की अखंडता को भंग करने के लिए कोई दल या समूह शस्त्र लेकर खतरा उत्पन्न करे, तो यह बिल ऐसे लोगों के रास्ते में रुकावट बनेगा। जब कोई शांति पूर्ण प्रदर्शन हो, समाज में शांति-व्यवस्था बनाए रखनी है तो ऐसे लोगों को इसके समर्थन में आगे आना चाहिए।

मान्यवर, इतिहास साक्षी है इधर कुछ दिन पहले बिहार में एक दंगा हुआ था जिसमें हिन्दू-मुस्लिम सम्प्रदाय के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे और कितने ही बेगुनाह लोगों को जान गयीं। तो उस पर जो इंक्वायरी कमीशन बैठा उसने जो रिपोर्ट दी उसमें आर० एस० एस० के लोग दोषी पाए गए और भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को पार्टी से निष्काषित किया गया। तो अधिष्ठाता महोदय, अगर यह लोग इस बिल का विरोध करें तो यह बात समझ में नहीं आती है जिनके राष्ट्रीय नेता आर० एस० एस० जैसे संगठन को साम्प्रदायिक बताते हैं। इस देश में सदा से इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग कानूनी मुद्दों का फायदा उठाकर इस देश की स्वतन्त्रता और अखंडता को नुकसान पहुंचाते हैं और जिसके लिए वह गुनहगार हैं। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी से कहना चाहता हूं कि इन्क्वायरी कमीशन ने कहा है कि आपका दल साम्प्रदायिकता की भावना फैलाता है और विदेशों से पैसा लेते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

युवक कांग्रेस के नाम पर आप क्या करते हैं....

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार--

चौधरी साहब से पूछ लीजिए जो आपके नेता हैं, उन्होंने भी इसे साम्प्रदायिक कहा है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आपस में बात न करें।

श्री प्रमोद कुमार--

इस बिल के शुरू में लिखा है कि "मैजिस्ट्रेट जब उचित समझेंगे" पुलिस के दरोगा को नहीं कहा गया जब वह उचित समझेंगे। समाज में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस कानून की जरूरत हो तब इसका पालन हो। मैजिस्ट्रेट जब उचित समझेंगे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि ऐसे कुछ दल समाज में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं तो वहां मैजिस्ट्रेट इजाजत देगा कि वह लोग दोषी हैं।

इस बिल के एक और पहलू को नजरअंदाज किया जा रहा है। यह बिल ऐसा नहीं होगा जिसकी अपील नहीं होगी अगर गलत प्रयोग किया गया है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रमोद कुमार---]

तो सेशन जज और फिर उसके बाद हाईकोर्ट में अपील हो सकती है। इन मुद्दों को ध्यान में न रख कर कुछ संगठन जो सिर्फ दो सम्प्रदायों को लड़ाकर जिन्दा रहना चाहते हैं, उनके लिए निश्चितरूप से इसका विरोध करना ठीक है और वह विरोध करेंगे। लेकिन जो चाहते हैं कि प्रजातन्त्र कायम रहे, प्रजातन्त्र में सभी लोगों को बराबर का हक मिले मेरा विश्वास है, वह इसका समर्थन करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अन्त में इस बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि लोकदल के लोग तो इसका समर्थन करेंगे।

*श्री मुख्तार अनीस---

अधिष्ठाता महोदय, यह जो बिल लाया गया है वह प्रत्यक्षरूप में तो ऐसा जाहिर होता है कि यह आर0 एस0 एस0 के विरुद्ध है। आर0 एस0 एस0 का हौआ खड़ाकर यह अपने वोटर्स को खुश करना चाहते हैं लेकिन परोक्षरूप में इसका परिणाम यह होगा कि कोई भी राजनीतिक दल या सामाजिक संगठन के लोग जो व्यवस्था या परिवर्तन चाहते हैं, वह लोग न तो अपनी सभा कर सकेंगे न मीटिंग कर सकेंगे और न सार्वजनिक स्थानों पर अपने कोई कार्यक्रम कर सकेंगे। जब शुभ दिन आयेगा कि सत्ता पक्ष के लोग इधर आकर बैठें तो वे लोग भी ऐसा नहीं कर पायेंगे। क्योंकि आप ऐसा कर रहे हैं। इससे आपके भी प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन होगा।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

श्री मुख्तार अनीस---

यहां पर जो बिल आया है, उसमें क्या है, इसके अन्दर जो ड्रिल और प्रशिक्षण की बात कही गयी है, यह एक बहुत बड़ा मखौल है। बहुत से स्कूल और कालेज ऐसे हैं जहां पर ड्रिल और प्रशिक्षण होता है, स्पोर्ट्स कालेज में होता है। तो उन पर भी यह प्रतिबन्ध लग जायगा। फिर सारे अधिकार आपने जिलाधिकारी को दे दिए हैं। यह जिलाधिकारी किसका आदमी होगा? वह तो आपका ही आदमी होगा, आपके कहने पर चलेगा, जो शासन चाहेगा, उसके अनुरूप वह कार्य करेगा।

उत्तर प्रदेश में शान्ति व्यवस्था की इतनी खराब हालत है कि बहुत से ऐसे शहर हैं जहां पर प्रायः सालों-साल बराबर दफा 144 लगी रहती है, जैसे गाजियाबाद है। दूसरी बात यह है कि कौन सा ऐसा समूह है, समुदाय है, जिसको सुरक्षा के लिए आप डंडा, लाठी, स्टिक और बेलचा ले जाने से रोक रहे हैं। इनके बूढ़े जो बुजुर्ग हैं वह भी कुत्ता मारने के लिए डन्डा रखते होंगे, तो उन पर भी यह प्रतिबन्ध हो जायेगा। जो यह यहां पर पुलिस संशोधन विधेयक लाया गया है उसके पीछे मन्शा यह है कि नागरिक अधिकारों को छीना जाय और देश में आपातकाल को लाया जाए। आपातकाल का पूर्वाभ्यास बिहार से शुरू हो गया है, वहां पर प्रेस बिल लाकर नागरिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है और यहां पर इस पुलिस बिल के द्वारा उसको करने का काम किया गया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है । यह मैं आपके हित में ही कह रहा हूं । आप इससे बाज आइए नहीं तो 77 दोहराया जाएगा और आपकी कोई सुनेगा नहीं ।

(व्यवधान)

जो साम्प्रदायिक संगठन हैं, उनसे लड़ने की यदि आप में इच्छा है और लड़ना चाहते हैं तो आप उनके विचारों से लड़िये । उनसे लड़ने के लिये आप जनआधार और जन चेतना पैदा कीजिए और उनसे लड़ने के लिए साहित्य प्रचारित और प्रसारित कीजिए । लेकिन यह सब आपको करना नहीं है, क्योंकि यह मूढ़ों की जमात है । आप ऐसा बिल ला रहे हैं, जिसमें समस्त नागरिक अधिकारों का हनन हो जाए । मैं इसका घोर विरोध करता हूं ।

श्री दामोदर शर्मा--

मान्यवर, मंत्री जी ने इस आदरणीय सदन में जो पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और जो बुजुर्ग राजेन्द्र कुमार गुप्त हैं, जिनका विश्वास लाठी-डंडे और प्रतिक्रियावादी ताकतों में ही है....

[व्यवधान]

ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर डंडे लेकर चलने के लिए वह बहुत परेशान हैं । मैं इसका एक उदाहरण दे रहा हूं, मंत्री जी ने जो यह विधेयक रखा है, कहा है कि आर० एस० एस० एक ऐसा जमात है....

[व्यवधान]

जिनकी वजह से चाहे वह नेकर पहनकर डंडा लेकर चलते हैं, चाहे सार्वजनिक स्थानों पर ड्रिल करते हैं, लेकिन जो वह सिखाते हैं....

[व्यवधान]

अभी उधर से कहा गया है कि इनकी नेता इन्दिरा गांधी बिरादरीवाद फैलाती हैं लेकिन मैं कहता हूं कि सारा बिरादरीवाद यह आर० एस० एस० वाले ही फैलाते हैं । यह एक ऐसी जमात है जो देश में रहने वाली दो सम्प्रदायों हिन्दू और मुसलमानों दोनों को लड़ाने का बराबर प्रयास किया करती है । इसका एक उदाहरण मेरठ का हमारे सामने है, जहां साम्प्रदायिक शान्ति खतरे में पड़ गयी थी । इनके लोगों को इतने वर्ष बाद-40 बर्ष बाद एक मन्दिर की याद आ गई और एक मजार की हमने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कहा कि 40 साल से वहां मन्दिर ही नहीं था तो क्या जनसंघ वाले या आर० एस० एस० के लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं नेकर पहनकर कोई अलग से जमात या मिलिटरी बनाना चाहते हैं ? इस संशोधन विधेयक के द्वारा उन लोगों पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है जो डंडे चलाना सिखाते हैं ।

[व्यवधान]

मेरा तो जन्म ही कांग्रेस में हुआ । दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि आज जो शिशु मन्दिरों में सिखाया जाता है, हालांकि मैं भी एक लेक्चरार हूं, वह बड़ा ही अशोभनीय है । जिस चेतना और प्रेरणा को हम आने वाली पीढ़ी में जागृत करना चाहते हैं, ये हमारे आर० एस० एस० के लोग इन शिशु मन्दिरों के द्वारा उसको मिटा ही देना चाहते हैं । ये लोग सामन्तवादी और प्रतिक्रियावादी हैं और जो प्रदेश में लाठी और डंडे के बल पर राज करना चाहते हैं, उन लोगों पर इस संशोधन विधेयक के द्वारा प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है । इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मान्यवर, इस संशोधन विधेयक के बारे में मुझे 1-2 बातें ही कहनी हैं। अभी पिछले सत्र में माननीय गृह मंत्री ने बताया था कि हमारे प्रदेश में कोई भी साम्प्रदायिक दल नहीं है और अगर नहीं है तो यह कहकर कि जिस साम्प्रदायिक दल में लाठी डंडों का प्रयोग होता है, उनको ठीक करने लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है। जब तक गृह सचिव और आई० जी० दोनों में टकराव रहेगा कानून-व्यवस्था आप ठीक नहीं कर सकते हैं। उस तरफ आपने बात नहीं की है। इस बिल के माध्यम से 1975 का समय आप प्रदेश में लाना चाहते हैं जिसमें अपने प्रदेश की जनता का गला घोटना चाहते हैं। अतः इस काले विधेयक को लाकर आप प्रदेश की शांति व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते हैं। इसमें आपने पुलिस वालों के मनोबल को बढ़ाने का प्रयास किया है। अतः मैं चाहूंगा कि आप इस संशोधन विधेयक को वापस ले लें और माननीय राजेन्द्र कुमार जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन को मान लें।

*श्री सुरेन्द्र कपिल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो संशोधन विधेयक माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। सबसे पहले मैं सभी साथियों से, जो हिन्दुस्तान के अन्दर समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करते हैं, यह निवेदन करता हूं कि वे इस विधेयक का समर्थन करें चाहे वे इधर बैठने वाले हों या उधर बैठने वाले हों। इस विधेयक में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो कि चूंकि यह सत्तारूढ़ पार्टी ने प्रस्तुत किया है इसलिए इसका विरोध विरोध पक्ष वाले करें। यह सत्तारूढ़ दल का विरोधी या उनका साथ नहीं देता है। अभी यहां पर तिवारी भाई ने कहा था कि हमारी लोकसभा में माननीय चरण सिंह ने यह स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमारे बीच में कुछ साम्प्रदायिक संगठन ऐसे हैं जो लाठी, डंडा या अन्य अस्त्र-शस्त्रों का सहारा लेकर हमारे देश में साम्प्रदायिकता का जहर फैलाना चाहते हैं, आज अगर उनके साथ बैठकर इस विधेयक का विरोध करते हैं, तो समझ से परे की बात है। मान्यवर, इसमें एक बात और है कि जहां हमारे देश में इस तरह के संगठन मौजूद हैं उन संगठनों को तो इस विधेयक से खतरा पैदा हो सकता है, लेकिन जो साम्प्रदायिकवाद के विरोधी हैं, वह लोग अगर इसका विरोध करते हैं, तो यह समझ में नहीं आता है। मेरा अनुरोध है कि जो लोग धर्म निरपेक्षता में अपना विश्वास रखते हैं, वह इस संशोधन विधेयक का आज समर्थन करें। अगर कोई इस विधेयक से संशकित हो, तो उसको सशंकित नहीं होना चाहिए। मेरा उनसे निवेदन है कि यह केवल उनको ही है। इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, इसमें स्टिक शब्द की परिभाषा तो की नहीं है और जो साम्प्रदायिकता और इन सारी चीजों को रोकने के लिए आप एक प्रयास कर रहे हैं, वह आपका प्रयास सफल नहीं होगा जब तक आप कोई ऐसा बिल नहीं लायेंगे, जिससे चौकीदार से लेकर चीफ सेक्रेटरी के डिपार्टमेंट में, उनकी जो नौकरशाही है, उस पर रोक नहीं लगेगी, उस वक्त तक आपका कहीं कोई कारामद मामला नहीं निकलेगा। लिहाजा आप इसको वापस लीजिए। चौकीदार से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक जितने भी आपकी नौकरशाही है, उनके डिपार्टमेंट में जो जाति, धर्म और पार्शिएलिटी है,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब तक इसे आप नहीं निकालेंगे, तब तक आपको कामयाबी नहीं मिल सकती है । इसलिए मान्यवर, मैं कहता हूं कि इसको जनमत के लिए परिचालित कर दिया जाय । इन शब्दों के साथ मैं माननीय गुप्ता जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

[समय 3 बजकर 2 मिनट]

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो संशोधन विधेयक पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं । गुप्त जी ने पार्टी के वशीभूत होकर जरूर कुछ बात कहते हैं, लेकिन गुप्ता जी इसको जरूर वापस लेंगे समाज में अराजकता की स्थिति बढ़ती जा रही है और इस अराजकता को रोकने के लिए इसमें संशोधन करना करूरी है । अभी हमारे एक मित्र बोल रहे थे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे जिस धर्म का कोई प्रदर्शन हो, अगर कोई अन्याय होता है और हमको इसकी सम्भावना हो जाय कि हमको खतरा है, तो पुलिस को यह अधिकार हो जाय कि वह वहां पर संतुलित वातावरण रख सके । एक चोर का भी दल होता है । एक समाज उनका भी होता है, उनको भी क्या छूट दे दें कि यह लाठी-बल्लम लेकर समाज में जो चाहें वह काम करें ? क्या उन पर कोई प्रतिबन्ध न लगाया जाय ? एक तरफ तो हमारे माननीय सदस्य हमेशा जब कोई ऐसी बात होती है, तो पुलिस-पुलिस और इनकाउन्टर की बात करते हैं और जब कोई अच्छे काम को क्रियान्वित करने की बात होती है, तो उस पर कुठाराघात करते हैं। मैं नहीं समझता कि प्रजातंत्रके सामने कौन सा विकल्प ये रखना चाहते हैं । मैं आपके माध्यम से मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इन्हें इस बिल का समर्थन करना चाहिए था, देश के हित में अभी रियासत भाई बोल रहे थे वह सम्मानित सदस्य हैं और पुराने सदस्य हैं । मैं किसी पार्टी विशेष को कुछ नहीं कहन चाहता हूं लेकिन यह कहना चाहता हूं कि जब ऐसा कोई बिल हो जिससे सामाजिक उत्थान हो, नैतिक सुरक्षा हो, तो उसका हम सबको समर्थन करना चाहिये यह ऐसा बिल है जिससे किसी प्रकार का अहित नहीं होगा । ऐसा नहीं है कि 4 आदमी लाठी लेकर अपनी फसल की रखवाली कर रहे हैं तो पुलिस पकड़ कर उनका इंकाउन्टर कर देगी । इससे कोई खतरे की स्थिति पैदा होने वाली नहीं है । लेकिन यदि किसी जगह कोई खतरा उत्पन्न होने वाला होगा तो वहां पुलिस काम करेगी । इसलिये इससे किसी को डरना नहीं चाहिये और सबको इस बिल का समर्थन करना चाहिये मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

*श्री छत्तर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो बिल रखा गया है, यह जन भावना का विरोधी है । किसी कवि ने कहा था लाठी में गुन बहुत हैं सदा राखिये संग गहरी नदी नाला जहां तहां बचावे अंग । इन्होंने इस बिल के द्वारा कवियों को भी झुठला दिया । इनकी भावना तो यह है कि लोगों को लाठी लगेगी, लोग अस्पताल जायेंगे, दवा की जरूरत होगी इससे अच्छा है कि लोग कट्टे और बन्दूक लेकर चलें, गोली लगे और तुरन्त आदमी खत्म हो जाय । इसीलिये यह लाठी को हटाकर गोली को लाने का प्रस्ताव लाये हैं । एक बात और कहना चाहता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री छतर सिंह—]

है कि किसी गांव के किसान को दरोगा ने दफा 117 में बन्द किया और वह देर सबेर लाठी लेकर अपने गांव आ रहे हैं और उस दरोगा ने फिर बन्द कर दिया कि यह तो यह लाठी लेकर आ रहे थे। मान लीजिये पगडंडी पकड़ कर कुछ लोग आ रहे हैं लाठी लेकर और वहां लोग ड्रिल कर रहे हैं तो यह उनको बन्द कर देंगे। मैं माननीय मंत्री जी से इस बात का आग्रह करूंगा कि वह अपने दिमाग पर पुनः जोर डाले और जो यह जन विरोधी विधेयक उन्होंने पेश किया है, इसको वापस लें। ताकि जो लोग लाइसेंस नहीं ले सकते हैं, वह लाठी लेकर चल सकें।

*श्री राज कुमार राय—

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक, 1982 विचार के लिये रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। जहां एक तरफ हमारे संविधान में हमारे मौलिक अधिकारों की गारन्टी है, वहीं दूसरी तरफ उन पर रीजनेबुल रोक लगाने की भी बात कही गई है। जिस समय अपराधिक कार्य बढ़ते जा रहे हों, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार का धर्म हो जाता है कि वह देखें और यदि पुराने कानून नाकाफी हैं तो उसमें संशोधन परिवर्तन और परिवर्धन करके अपने राज्य की जनता के लिये ऐसा प्रयास करें ताकि अमन और चैन कायम रहे। हमारे विरोध पक्ष के भाई ने ला एन्ड आर्डर की स्थिति को सुधारने के लिये कई बार कहा है कि कठोर कार्यवाही होनी चाहिये। हम सब इस बात से सहमत हैं चाहे इस तरफ बैठे हों या उस तरफ बैठे हों। आखिर ला एन्ड आर्डर की स्थिति कैसे ठीक हो इसके लिये सारे तथ्यों का परिवेश में सूक्ष्मा-सूक्ष्म निरीक्षण करना होगा। ताकि जो क्रियाकलाप समाज में हो रहे हैं, उसमें मनोवैज्ञानिक तरीके से परिवर्तन हो। यदि ऐसा सइकोलिजिकल एटमासफियर पैदा होता है जिससे अपराध और जुर्म में बढ़ोत्तरी होने लगे तो यह हमारा सामाजिक कर्तव्य है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का फर्ज हो जाता है कि उसको इंगित करें और सरकार उसके लिये कोई न कोई कानून बनाये।

इस बिल के जरिये जहां ऐसे लोग एकत्रित हो जाते हैं जिनका कोई विशेष उद्देश्य हो और जो अपराधिक नजर आता हो तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को हस्तक्षेप करके दंड देने का अधिकार है। "जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड" तो अगर हमने डी० एम० को अधिकार दिया है तो गलती नहीं की है। यह तो अपने-अपने विवेक की बात है, स्वर्गीय जय प्रकाश नारायण जी ने एक बार कहा था, आर०एस०एस० और जनसंघ की परिभाषा करते हुये कहा था कि यह एक ऐसा हिमखंड है जिसका एक हिस्सा नीचे पानी में है जो दिखाई नहीं देता है वह आर० एस० एस० है और जो हिस्सा हिमखंड का पानी के ऊपर है और दिखायी देता है वह भारतीय जनसंघ है तो डिवाइडिंग लाइन कौन सी है, यह देखने की बात है। यह अपने-अपने विवेक पर आधारित करती है। आज जो चिल्ल पों कर रहे हैं, चाहे वह लोकदल के लोग हों या राज नारायण जी की पार्टी के लोग हों, तो ऐसे कानून बनाने की बात अगर किसी ने की थी तो वह उस वर्ग के लोगों ने की थी। हमने उनकी भावना का पालन किया है। इसलिये मेरा कहना है कि सदन के अंदर इसका खुले शब्दों में समर्थन करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे इस प्रस्ताव पर जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं मैं उनका आभारी हूं। मैं केवल दो तीन बिन्दुओं की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय लाल प्रताप सिंह जी ने पूज्य महात्मा गांधी का नाम लिया। तो उनके पवित्र नाम को आप न लेते तो अच्छा था। यह बात सब जानते हैं कि पूज्य बापू की हत्या दुर्भाग्य से लेकिन आप की पार्टी के सौभाग्य के लिये..

(शोर)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

उसी नाम पर आप वैतरणी पार कर रहे हैं गुप्ता जी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

बापू जी के रूप में वह शक्ति चली गयी, जो आपके द्वारा लूट का माल बांटने की साजिश होती रही है उसको रोकने का वह प्रभावी हथियार चला गया।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

महात्मा गांधी का नाम लेकर ही राजनीति में जी रहे हो, भाई गुप्ता जी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आप उनकी रोज हत्या करते हैं। छोड़िये। मान्यवर, अभी बात आ गयी कि कांग्रेस सरकार की ओर से इस तरह का विधेयक क्यों लाया जा रहा है। अपनी विफलताओं को छिपाने के लिये इस तरह का विधेयक लाया जा रहा है जिससे समाज में अकारण चिंता की स्थिति पैदा हो। मैंने राजभाषा विधेयक पर बोलते हुए कहा था कि इसमें जो प्राविधान किये गये हैं वह 1958–59 में किये जा चुके हैं। लेकिन नाम लेकर ऐसा विधेयक लाया गया जिसमें उर्दू प्रेमियों के हित का सवाल तो है ही नहीं और जो उसके दूसरे पक्ष के लोग सैद्धान्तिक रूप से विरोधी रहे हैं, उनके बीच एक दयनीय स्थिति पैदा हो गयी है। यह स्थिति इस विधेयक के बारे में है, मैंने पहले भी इस ओर इशारा किया था कि आपको कौन सी स्थिति पैदा होते दिखाई दे गयी या कौन सा संकट आपके सामने है जो यह विधेयक आपको लाना पड़ा?

(शोर)

अभी थोड़े दिनों पहले केन्द्रीय सरकार ने गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट में यह कहा है कि समुदायों पर प्रतिबन्ध लगाना सम्भव नहीं है, मान्यवर, यह रिपोर्ट 5–7–82 को प्रकाशित हुई है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि केन्द्र सरकार के पास राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा जमायते इस्लामी जैसे संगठनों के खिलाफ कानूनी छानबीन के लिए पर्याप्त सूचना नहीं है। इसी कारण उस पर प्रतिबन्ध लगाना संभव नहीं है। इसके आगे लिखा है कि इस आशय का स्पष्टीकरण गृह मंत्रालय के कुछ उन गुप्त दस्तावेजों में दिया गया है, जिसे इन संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में चर्चा के लिये तैयार किया गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---]

सरकार पर बार-बार इस संबंध में दबाव पड़ने के कारण उक्त पेशकश की जाती रही है । परन्तु सरकार यह स्पष्ट रूप से कह रही है कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है । एक ओर केन्द्रीय सरकार का कहना यह है और दूसरी ओर आप प्रतिबंध लगाना चाहते हैं । हम तो कहते हैं कि अगर आप में साहस है तो लगाइये । हम आपको रोकते नहीं । हम इस संबंध में कुछ कहते नहीं परन्तु जब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का नाम लिया गया तब कहना पड़ रहा है कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें नौजवानों को एक मार्ग मिलता है, इन नौजवानों का निर्माण करता है और देशभक्त पैदा करता है, जो हर समय राष्ट्र के लिये जान तक देने के लिये तैयार रहता है, लेकिन इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जब सूरज निकलता है तो चोर उचक्के और अपराधिक प्रवृत्ति के लोग उस प्रकाश में आने से डरते हैं ।

(शोर)

न जाने कितने उदाहरण आपको मिलेंगे जिसमें इस संघ की सेवाओं को सराहा गया है ।

(शोर)

और अब प्रदेश में न जाने कितनी घटनाएं घटी उनमें से किसी एक में भी आप राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ का हाथ नहीं पायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार--

जमशेदपुर काण्ड को आप भूल गये उसकी रिपोर्ट में साफ दिया हुआ है कि इस मामले में राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ का पूरा-पूरा हाथ है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह बात बिल्कुल सत्य से परे है और वह रिपोर्ट घुमा फिरा कर सत्ता पक्ष ने अपने कर्मचारियों के बल-बूते पर प्रकाशित की है और वह रिपोर्ट संघ पर केवल लांछन मात्र है । मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना ज्यादा नहीं चाहता क्योंकि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है ।

श्री सतीश अजमानी--

माननीय राजेन्द्र गुप्त ने जैसा कि अभी कहा लेकिन वह यह भूल गये कि जब छवि राम काण्ड....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

अभी एक बात बहुत जोर से कही गयी कि आप मैजिस्ट्रेट पर अविश्वास न कीजिये, कर्मचारियों पर अविश्वास न कीजिये । मैं समझता हूं कि ब्यूरोक्रेसी इसी तरह की होनी चाहिए, उसकी प्रतिबद्धता किसी पार्टी के प्रति नहीं होनी चाहिए, परन्तु यह देश का दुर्भाग्य है कि ब्यूरोक्रेसी को प्रतिबद्ध करके अपने फेवर में इस्तेमाल करते हैं । मेरे सामने फोटोस्टेट कापी है, यह राम कुमार, परियोजना निदेशक, मुख्य अधिकारी मेरठ है, मैं इसको पढ़ता हू ।

श्री अधिष्ठाता—

जब कापी मेरे पास नहीं है, तो आप उसे पढ़ नहीं सकते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं इसकी प्रति आपको दे देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

आपको इसे पहले देना चाहिए था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

अच्छा मान्यवर, मैं इसे पढ़ता नहीं हूं, मैं इसका जिस्ट बताना चाहता हूं इस पर अग्रेतर दिन नियम 301 में चर्चा हो चुकी है । पंचायती राज अधिनियम में व्यवस्था है कि मैजिस्ट्रेट शपथ दिलायेगा । आप मैजिस्ट्रेट के ऊपर भी हावी होकर कैसे काम कराने का प्रयास करते हैं, इसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं । मेरठ के संसद सदस्य हैं, उन्होंने इच्छा प्रकट की कि हम शपथ ग्रहण करायेंगे । श्री शान्ति त्यागी हैं, उनको पत्र गया...

(घोर व्यवधान)

...पत्र में सूचित किया गया कि श्री शान्ति त्यागी शपथ ग्रहण करायेंगे ।

श्री दामोदर शर्मा—

अगर वह पत्र श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी के पास हो तो दिखायें । वह पत्र संशोधित हो चुका है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय दामोदर जी यह बहस का विषय नहीं है, वह तो नाममात्र का जिक्र हुआ है । राजेन्द्र जी, आप सीमित करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जादू वह है जो सर पर चढ़कर बोले । मेरे आरोप की पुष्टि हो गयी । जब पत्र का विरोध हुआ तो उसको संशोधित करके पत्र भेजा गया यानी एक गलती को छिपाने के लिए दूसरी गलती की गयी ।

(व्यवधान)

(श्री दामोदर शर्मा के पुनः खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने पर ।)

श्री अधिष्ठाता—

बिना अनुमति के जो भी सदस्य बोलेंगे, उसे न लिखा जाय । मैं उसे लिखने की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं । यह एक ऐसे विधेयक पर चर्चा हो रही है जो संविधान के खिलाफ है, सिविल लिबर्टीज के खिलाफ है और पौरुष को समाप्त करने वाला है । इससे सम्पूर्ण प्रदेश में पुलिस राज्य हो जायगा, इसलिए मैं बल देता हूं कि जनमत के लिए इसको भेजने की कृपा करें ।

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, भाई राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने इस संशोधन में, जैसे ही शुरू किया तो मुझे लगा मैंने तो इस विधेयक में कहीं भी, आप जिससे सम्बन्धित रहे हैं, उसका जिक्र भी नहीं किया । श्रीमन्, सफाई कौन देता है ? सफाई वही देता है जिसे आप भी जानते हैं कि जब अन्दर गन्दगी हो तभी सफाई देनी पड़ती है । श्रीमन्, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि गुप्ता जी ने भारतीय संविधान का जिक्र किया परन्तु भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं, आदमियों को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उस पर हम कहां रोक कर रहे हैं । सभा करने पर, सम्मेलन करने पर हम कहां रोक लगा रहे हैं ?

अभी गुप्त जी बहुत जोर से बोले । मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हम और आप साथ-साथ रहे हैं । लेकिन 14 फरवरी, 1979 को जब जनता पार्टी का शासन यहां पर था तब एक शासनादेश निकाला गया था, उसमें जिससे कि आप संबन्धित हैं, उसका भी जिक्र किया गया था लेकिन उस दिन आप जोर से नहीं बोले थे । वह शासनादेश श्रीमन्, इनके टाईम का है, हमारा इसमें कुछ नहीं है । होम सेक्रेटरी के हस्ताक्षर से यह शासनादेश निकला है कि

"चूंकि राज्य सरकार की राय में सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है,

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद 162 के अधीन शक्ति का और इस निमित्त समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि किसी व्यक्ति, समुदाय, संस्था, दल या संगठन जैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा किसी सरकारी भू-गृहादि या सार्वजनिक समागम के स्थान में, बिना ऐसे भू-गृहादि का या स्थान पर तत्समय विधिपूर्वक नियंत्रण रखने वाले अधिकारी या व्यक्ति की पूर्व स्वीकृति के, कोई ड्रिल, व्यायाम' रैली या प्रदर्शन (किसी आयुध या अस्त्र को जिसमें लाठी भी सम्मिलित है, सहायता से या उसके बिना) न तो किया जायेगा और न उसका आयोजन किया जायेगा ।"

श्रीमन्, जब हम शासन में नही थे तब आपने यह संशोधन पेश किया है । लिखा है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाने हेतु इसको प्रचलित किया जाय ।

गुप्ता जी भूल गये कि जून, 1980 में आपको जनता ने आपको अपने वोटों से ऐसा कुचला है जब उनके शासनकाल में जिसमें आर० एस० एस० का जिक्र था, उस समय को आप बिल्कुल न भूलें ।

श्रीमन्, मैंने किसी ड्रिल, व्यायाम, रैली, समुदाय, संस्था या संगठन का जिक्र इसमें नहीं किया है । आपने उद्धत किया "आर्म्स ऐक्ट" आप देखिये श्रीमन्, इसमें लाठी या डंडे का कहीं जिक्र नहीं है और इसका जिक्र न होने की वजह से जो आर्म्स ऐक्ट है, इसको आप स्वयं पढ़ें । इसमें लाठी, डंडा या स्टिक या बैंत आदि का कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए शासनादेश प्रभावी नहीं हुआ और इनके मंत्रिमन्डल ने जो निर्णय लिया था वह प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो सका । हमारी ऐसी कोई आदत नहीं है कि हम किसी विशेष संस्था या किसी संस्था को आलोचना करें । जो आप का काम है, वह आप जानें । हम तो ऐसे प्रत्येक संगठन, प्रत्येक समुदाय जो कि शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, शस्त्र चलाना सिखलाते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर रैली करके उन नौजवानों के दिमाग में जहर भरते हैं, उन समस्त संगठनों का विरोध करते हैं और इस निषेधाज्ञा को जारी रखना चाहते हैं ।

इस प्रदेश की जनता को शंकारहित शासन देने की जिम्मेदारी है। हमारे भाई गुप्त जी ने विशेष रूप से आर्म्स ऐक्ट की बात उठाई और कहा कि बिना मजिस्ट्रेट के सामने आये, उसे जेल भेज दिया जायेगा। इस विधेयक में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। जो भी पकड़ा जायेगा, वह मैजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया जायेगा और फिर उसके बारे में मैजिस्ट्रेट जो भी फैसला कर, वह मान्य होगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मूल विधेयक का वह अंश माननीय मन्त्री जी पढ़ कर सुना दें जहां पर किसी के निरुद्ध होने पर न्यायालय में जाने का प्रोसेस दिया हुआ है।

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, मेरा ख्याल है कि दंड देने का जो प्रोसीज्योर है, इस विधेयक से ऐसा लगता है कि अधिसूचना देते समय जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जायेगा और किसी मैजिस्ट्रेट के समक्ष'...

श्री अधिष्ठाता—

समय बहुत कम है, इस पर भी ध्यान दें।

श्री गुलाब सेहरा—

हमारा इतना कहना है कि किसी संगठन विशेष का मैं नाम नहीं लेता, श्रीमन् इस विधेयक का मूल उद्देश्य है कि सार्वजनिक स्थानों पर कुछ लोग, कुछ समुदाय या कुछ संगठन रैली करके लाठियां चलाने का तरीका सिखलाते हैं, डंडे चलाने का तरीका सिखलाते हैं; और तो और, मेरे पास एक किताब है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उसी में से मैं कुछ उद्धृत करना चाहता हूं। वह श्री देशराज गोयल की लिखी हुई है। उसमें है श्री केदार नाथ साहनी, आर० एस० एस०, दिल्ली के सर संचालक के पास एक निमन्त्रण-पत्र जारी हुआ है।

श्री अधिष्ठाता—

जो उद्धरण आप पेश कर रहे हैं वह किताब यहां प्रस्तुत नहीं की गई है, जिसका प्रस्तुत करना लाजिमी है। उसके बाद ही आप उसका जिक्र कर सकते हैं।

श्री गुलाब सेहरा—

मैं अपनी कोई भावना नहीं बता रहा हूं, इन्हीं के आदमी की जो भावना है, उसको मैं उद्धृत कर रहा हूं। श्रीमन्, इसमें लिखा है कि "मैं आपके निमंत्रण-पत्र के आधार पर उस ड्रिल को देखने गया"। बच्चे जरूर खुश हो सकते हैं आपके प्रदर्शन से, आपकी भावना से, आपकी विनम्रता से, आपके आधा झुकने से, लेकिन आपके मन में जो भावना है कानाफूसी की, दंगे कराने की और दुश्मन की पीठ में पीछे से छुरा मारने की....

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण व्यवधान।)

श्रीमन्, इस विधेयक का एक मात्र उद्देश्य है कि ऐसे सारे प्रदर्शन जिसमें लोगों को जो एक आदत होती है भयभीत करने की, सामूहिक रूप से प्रदर्शन करने की, उसका निषेध किया गया है। इसमें कोई संगठन या समुदाय, किसी का

[श्री गुलाब सेहरा---]

जिक्र नहीं है । अगर कोई संगठन सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा लाठी-डंडे का तो उसको रोकने की बात है । श्रीमन् आदेश तो इन्हीं के जमाने का है, उसको हम प्रभावी बना रहे हैं, फिर भी आप हमारी आलोचना कर रहे हैं । हम तो आपके ही काम को पुख्ता कर रहे हैं । मैं राजेन्द्र कुमार गुप्त जी से पूंछना चाहता हूं कि जनमत में काहे को भेजते हो ? जनमत ने तो आपको 1980 में ठुकरा ही दिया है । जनमत ने तो फैसला कर दिया कि इस प्रदेश की जनता की सुरक्षा का सबसे अधिक उत्तरदायित्व हमारी पार्टी पर है । इन शब्दों के साथ मैं राजेन्द्र कुमार गुप्त जी से कहूंगा कि आप बिलकुल न घबरायें । आपके किसी संगठन पर हमारी दृष्टि नहीं है । आप व्यर्थ में हमारी दृष्टि खींच रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय, मैंने अपनी स्पीच के पहले हिस्से में और बाद में भी एक बात पर बार-बार जोर दिया है कि आज ऐसी कौन सी आसन्न परिस्थितियां हैं जिसके कारण आपको यह विधेयक लाना पड़ा ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने के कारण व्यवधान ।)

मैंने गृह मंत्रालय की रिपोर्ट सदन में पेश करके बता दी । अभी माननीय सदस्य ने कहा था कि इस प्रकार का कोई आसन्न संकट नहीं है । तो आज कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री गुलाब सेहरा---

श्रीमन्, आदमी बन्दूक से ही नहीं मर जाता है, डंडे और लाठी से भी मर जाता है । मैं रोज पार्क जाता था, वह पार्क भी मैंने छोड़ दिया । वहां सवेरे जो डंडा घुमाई होती थी तो मुझे डर लगा कि मैं कांग्रेस का अकेला आदमी यहां आता हूं, अगर मुझे पकड़कर डंडा मार दिया तो क्या होगा ? दारुलशफा के पास जो पार्क है । मैं साढ़े 5 बजे उठता था, झंडो सुबह नहीं आता है । उस पार्क में 20 आदमी इकट्ठे होते थे । एक आदमी मुझे बहुत घूरता था । जब मेरा मन सशंकित है तो जो आम जनता का आदमी है वह तो भाग ही खड़ा होगा ।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय श्री राजेन्द्र कुमार जी क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है ।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 को जनमत जानने हेतु एक माह तक परिचालित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में पुलिस अधिनियम, 1861 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तेंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1982 कहा जायेगा ।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे ।

अधिनियम संख्या 5, सन् 1961 में नयी धारा 32-क और 32-ख का बढ़ाया जाना ।

2--उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित पुलिस अधिनियम, 1861 में, धारा 32 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्--

सामूहिक ड्रिल, सामूहिक प्रशिक्षण आदि का प्रतिषेध करने की शक्ति

"32-क--(1) जिले का मजिस्ट्रेट लोक शान्ति या लोक सुरक्षा के परिरक्षण के लिए या लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिए जब कभी वह ऐसा करना आवश्यक समझे, लोक सूचन द्वारा या अलग-अलग व्यक्तियों को निदेशित आदेश द्वारा, अपनी अधिकारिता के भीतर किसी क्षेत्र में किसी स्थान पर किसी जलूस में आयुध ले जाने या--

(क) आयुध लेकर किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का, या

(ख) बिना आयुध के किसी ऐसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का, जहां इस बात की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न हो कि ऐसी ड्रिल या प्रशिक्षण में भाग लेने वालों से जनता या उसके किसी वर्ग में भय या असुरक्षा की भावना का संत्रास होने की संभावना हो,

आयोजन करने या उसमें भाग लेने का प्रतिषेध कर सकेगा।

स्पष्टीकरण :--इस धारा के प्रयोजनार्थ, "आयुध" से किसी प्रकार का आक्रामक आयुध अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत लाठी, डंडा, स्टिक और बेलचा भी है।

(2) इस धारा के अधीन कोई प्रतिषेध तीन मास से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा :

परन्तु यदि राज्य सरकार लोक शान्ति या लोक सुरक्षा के परिरक्षण के लिए या लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझे, तो वह अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकती है कि उपधारा (1) के अधीन जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी की गई लोक सूचना या आदेश उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ऐसी अग्रेतर अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा जो उस दिनांक से छः मास से अधिक न होगी जिस दिनांक को ऐसा निदेश न दिए जाने की स्थिति में वह सूचना या आदेश समाप्त हो गया होता ।

धारा 32-क के अधीन प्रतिषेध के उल्लंघन के लिए शास्ति

32-ख---(1) कोई व्यक्ति जो धारा 32-क के अधीन किए गए किसी प्रतिषेध का उल्लंघन करता है, किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष-सिद्धि पर ऐसी अवधि के कारावास से जो छः मास तक की हो सकती है, या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा ।"

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खन्ड 2 द्वारा मूल अधिनियम में जोड़ी जाने के लिए प्रस्तावित नवीन धारा 32-क को उपधारा (1) (ख) का विरोध करता हूं । मान्यवर, यह संशोधन इसलिए दिया है, मैंने अपने भाषण में तो विस्तार से चर्चा कर दी है, किसी प्रदर्शन में भाग लेने से रोक लग जाती है केरल में भी एक ऐक्ट बनाया गया, जिसका हवाला मैंने दिया है, उसमें भी कोई ड्रिल करने पर रोक नहीं लगाई गई है । यही मेरा संशोधन है ।

श्री गुलाब सेहरा---

यह मान्यवर, मुझे अस्वीकार है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त -

मान्यवर, खन्ड 2 द्वारा मूल अधिनियम में जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नवीन धारा 32-क के स्पष्टीकरण में शब्द 'इस धारा के प्रयोजनार्थ-''आयुर्ध'' से के आगे का अंश निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

'तात्पर्य आर्म्स ऐक्ट, 1958 की धारा 2 (स) में दी गई परिभाषा से होगा ।''

मान्यवर, संविधान में जो भावना प्रकट की गई, यह उसके विपरीत है । एक नई परिभाषा दी जा रही है । यह बड़ी ही निन्दनीय है । आर्म्स ऐक्ट की परिभाषा वही रहनी चाहिए, जो आर्म्स ऐक्ट, 1958 में दी गई है ।

श्री गुलाब सेहरा--

इसको स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खन्ड 2 द्वारा मूल अधिनियम में जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नवीन धारा 32-क के स्पष्टीकरण में शब्द 'इस धारा के प्रयोजनार्थ "आयुर्ध" से' के आगे का अंश निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर निम्न-लिखित रख दिया जाय :

"तात्पर्य आर्म्स ऐक्ट, 1958 की धारा 2 (स) में दी गई परिभाषा से होगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खन्ड 2, खन्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

[समय 3 बजकर 45 मिनट]

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1982 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1982†

*श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, यह सदन उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1982 का अननुमोदन करता है । अधिष्ठाता महोदय, इस अध्यादेश पर बोलने के पहले मैं एक चीज आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले विधान सभा का सत्र हुआ था और उसके बाद यह दूसरा सत्र चल रहा है । मुश्किल से ढाई महीने गुजरने पर ही इनको कौन सी ऐसी आवश्यकता आई कि इन्हें इस अध्यादेश के जरिए गरीब प्रदेश के खजाने से

† दिनांक 28 अगस्त, 1982 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गरीशंकर भट्या]--

50 करोड़ रुपए मांग लिए ? यह जो अध्यादेश है, इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1982 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार 50 करोड़ रुपये की और धनराशि राज्य की संचित निधि में से निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने जो यह कारण दिया है कि पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन विकास सम्बन्धी कार्यकलापों में वृद्धि होने और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अतिरिक्त व्यय की आवश्यकताओं के कारण उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि में जो एक सौ करोड़ रुपए की धनराशि रखी गई थी, वह राज्य के विधान मन्डल द्वारा प्राविकृत किए जाने वाले अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है । अतएव इस निधि में 50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि का विनिश्चय किया गया ।

मान्यवर, 1 अरब रुपया पहले ही प्रदेश की गाढ़ी कमाई का अधिकार इनको मिल चुका है । अब 50 करोड़ रुपया इसके माध्यम से और मांगना चाहते हैं । मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 के 4 (8) में है कि इस अधिनियम के आरम्भ होने पर 4 करोड़ रुपए राज्य सरकार इस निधि में जमा कर देगी । जब यह शुरू में लाया गया था तो 4 करोड़ से प्रदेश का काम चल जाता था । दूसरा संशोधन जब लाया गया तो 2 करोड़ रुपए का प्राविधान और किया गया । यानी आज 6 करोड़ रुपए और मिल रहा है । इस संदर्भ में मैं निवेदन करूंगा कि सन् 57-58 में जब यहां पर अकाल पड़ा था, वैसे तो अकाल आज भी यहां पर है और उस समय विरोधी दलों को सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए जेल भरो आन्दोलन करना पड़ा था ।

लेकिन इससे बड़ा अकाल जब पड़ा था तो उस समय केवल 6 करोड़ की इजाजत दी गई । इसके बाद 1970 में 4 करोड़ की सहायता इन्होंने और ली । 1967-68 में जब सूखा और बाढ़ दोनों आई थी तब 10 करोड़ रुपए से काम चलाया गया था । 1972 में इन्होंने 10 करोड़ और मांगा, 1973 में 10 करोड़ और मांगा, 1974 में 10 करोड़ और मांगा, 1976 में 10 करोड़ और मांगा, 1980 में फिर इन्होंने 40 करोड़ और मांगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश में सबसे भीषण बाढ़ 1947-48 में आई थी और उसके बाद 1978-79 में आई । इतना अधिक रुपया कभी नहीं लिया गया । 1978 से 1980 तक उस समय की हुकूमत ने यह रुपया न लेकर जो खर्चे थे उनमें कटौती करके फिजूल खर्ची समाप्त करके काम चलाया गया ।

इसके अलावा मान्यवर, पिछले बजट में एक अरब रुपया इसलिए लिए गये कि अचानक कोई दैवी आपद आ जाए तो उस पर खर्च किया जा सके । 3 मास बीते हैं, और यह 50 करोड़ की फिर मांग आ गई । यह रुपया सब मंत्रियों के दौरों आदि पर खर्च होता है । कोई मंत्री हैलीकाप्टर से जब सूख क्षेत्र का दौरा करने जाएगा, यह खर्च उसमें से होगा । मैं बलिया जिले का उदाहरण देना चाहता हूं । वहां सहायता के नाम पर जो 100-200 रुपया दिया जाता है, वह इस तरह मिलता है कि पहले जब कोई 25 रुपया दे देता है तब उसका नाम सहायत के लिए सर्टीफाई होकर भेजा जाता है । फिर पार्टी के जो दलाल और चमचे होते हैं, वे उस आदमी को सहायता दिलवाने के लिए ले जाते हैं और 25 रुपया वे उससे ले लेते हैं । इसके बाद कचहरी आदि में कई-कई बार उसे जाना पड़ता है और अन्य कर्मचारियों को खिलाना

पड़ता है । इस प्रकार मुश्किल से आधी रकम उसको घूस में चली जाती है और तभी सहायता की रकम मिल पाती है । सूखे का दौरा करने मंत्री जी जब जाते हैं तो मेवा मिठाई खाकर घूमकर चले जाते हैं । इस तरह से यह रकम खर्च होती है । मुश्किल से आधी रकम सहायता के नाम पर लोगों को मिल पती है ।

अब जहां तक नावें लगाने की बात है कागज पर नावें चला दी जाती हैं और एक-एक गांव में 60, 70 नावें लगा दी जाती हैं लेकिन मौके पर वह नहीं चलती हैं । इसी तरह कुआ खोदने और हैंडपाइप लगाने की बात है, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं हमारे पूर्वांचल में, मेरे क्षेत्र में एक गांव मशीनद गांव है वहां पर तीन कुएं कागज में बने दिखा दिये, मंत्री जी देख भी आये कि कुएं नहीं बने हैं । इसी प्रकार उजियारघाट में डलहौजी के जमाने का एक कुंआ बना था, उसमें सीमेंट लगा दिया और कह दिया कि नया कुंआ बना रहे हैं । मंत्री जी को दरख्वास्त दी जाती है पहले तो हमारे जिले के बहुत सारे मंत्री थे, तो कर्मचारी मंत्री जी के पास जाते हैं बंगले में पता नहीं कौन सी बात करते हैं और उसकी जांच नहीं कराई जाती । तो इस तरह से भारत और उत्तर प्रदेश के गरीब किसानों से एक अरब पहले स्वीकार कराया गया है और 50 करोड़ उसमें से भ्रष्टाचार में चला गया । फिर 50 करोड़ रुपया मांगा जा रहा है । इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूं कि यह अध्यादेश न लाया जाय और जो 50 करोड़ रुपया जो भ्रष्टाचार में जाता है, उसे बचा ले तो काम चल जायेगा । इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अगर 50 करोड़ की आवश्यकता है तो आप मंत्रियों के टी0 ए0, डी0 ए0 में कटौती करिये, उनके जो भोग विलास की सामग्री है, उसमें कटौती करिये तो इससे आपके 50 करोड़ पूरे हो जायेंगे । आप मैजोरिटी में हैं इसे आप पास करा लेंगे लेकिन यह 50 करोड़ रुपये उन्हीं गरीब लोगों से टैक्स लगाकर वसूल किया जायेगा । मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस अध्यादेश की कोई जरूरत नहीं है और इन्हें यह रुपया देने की जरूरत नहीं है और जो एक अरब रुपया लिया है, उससे काम चलायें और जो बाढ़ और सूखे की स्थिति आई है, उससे यह निपट सकते हैं ।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय ।

(इस समय 3 बजकर 57 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, अभी इसके बारे में एक अननुमोदन का संकल्प प्रस्तुत किया गया और उसमें ऐसा लगा जैसे बहुत ही खतरनाक और भयानक चीज सामने रख दी गयी हो । मैं सम्मानित सदस्य से विशेषरूप से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 1950 में एक आकस्मिकता निधि कायम हुई थी उसमें उस समय 4 करोड़ रु0 की धनराशि रखी गयी थी उसके बाद जैसे-जैसे समय आया वृद्धि हुई । आप जानते हैं कि इस तरह का फंड किस लिए कायम किया जाता है । जब कोई प्रदेश में आवश्यकता हो जाय या केन्द्र से कोई सहायता मिले जिसमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अम्मार रिजवी---]

मैचिंग ग्रांट की जरूरत हो तो उस समय इस निधि से पसा लेकर मैचिंग ग्रांट दी जा सके । इस प्रकार को निधि 1950 में हर जगह कायम की गयी और जैसे-जैसे समय बढ़ता गया इस निधि को भी बढ़ाना पड़ा । जो इस प्रकार है यह करोड़ों में है---1951-52 में 77.47, 1961-62 में 241.58, 1971-72 में 815.54, 1981-82 में 2762.98 और 1982-83 में 3336.87 हुआ, जो 4 करोड़ रुपये की धनराशि थी, उसके अनुपात से वह बढ़ी । जैसे-जैसे योजनाएं बढ़ती गई बजट का आकार बढ़ता गया, निधि का बढ़ाना स्वाभाविक था ।

सन् 1952 से लेकर अब तक 100 करोड़ रुपये इस निधि की धनराशि पहुंची हुं । पिछले साल केन्द्र से 98 करोड़ रुपये की हमें सहायता मिली, जो हमें खर्च भी करना था और उसके लिए तुरन्त रुपये का हमें प्राविधान करना था । हमारे पास कोई ऐसा हेड नहीं था, जिसमें से हम इसमें मिलाने के लिए ले सकें । तो उस समय एक आर्डिनेन्स लाया गया और उसमें उसकी धनराशि बढ़ाकर 19 जून, 1982 को 100 करोड़ रुपये से 150 करोड़ रुपये कर दी गयी, ताकि जो 98 करोड़ रुपये केन्द्र से मिले, उसका सही प्रयोग हो सके और वह रुपया केन्द्र से अवश्य लिया जा सके । तो प्रदेश के विकास और तरक्की के लिए आवश्यक है कि इस तरह का कोष, इस तरह की धनराशि रहे और उसमें इतना रुपया रहे कि जब कोई ऐसी बात आ जाए या केन्द्र से रुपयों की कोई जरूरत पड़ जाए तो वह रुपया खर्च किया जा सके । तो अब 50 करोड़ रुपया उसमें बढ़ा दिया गया है । यह आदरणीय सदन के सामने है और उसम से 107 करोड़ रुपया अभी हमने खर्च किया है, बाकी उसमें है । इसके सम्बन्ध में यह कहना कि इससे प्रदेश के विकास पर कुठाराघात होगा, उचित नहीं है यह ऐसा व्यय किया जा रहा है जो विकास के लिए है । इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसकी जरूरत को देखते हुए आप इसे स्वीकार करें । हर सरकार इसको करती है । जिस जमाने में और लोगों की सरकार थी, उस समय भी इसको बढ़ाया गया था । कोई भी सरकार हो, इसको बढ़ाना पड़ेगा । इसलिए, मान्यवर, आपके द्वारा अनुरोध है कि यह जो प्रस्ताव रखा गया है प्रतिवेदन के लिए, वह इसको वापस ले लें और इसको पारित करें ।

*श्री राम गोविन्द---

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1982 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो तीन माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक यहां प्रस्तुत किया है, यह उत्तर प्रदेश के अधिकारियों और राजस्व विभाग के अधिकारियों के दिमाग के दिवालियेपन का साधारण सा नमूना पेश करता है । श्रीमन्, यहां एक परम्परा सी बन गयी है कि हर साल बजट पास होता है, उसी समय विभागों के खर्च के अनुसार बजट बनाने का काम इनके पास नहीं है । और यह करते यह हैं कि अधिक पैसा इस आकस्मिकता निधि से निकालकर इनके अधिकारी विभागीय बजट में खर्च कर देते हैं और उसकी प्रति पूर्ति अनुपूरक बजट के द्वारा करते हैं । इसमें लूट-खसोट की अधिक गुंजायश रहती है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वास्तव में आकस्मिकता निधि तो इसलिये है कि प्रदेश में कोई दैवी आपदा पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, तो उस समय आकस्मिकता निधि से पैसा निकालकर सहायता के रूप में पैसा देने का तुरन्त काम हो सके। लेकिन यहां लूट होती है, दैवी आपदाओं में पैसा देने के बजाए विभागीय बजट में जहां कमी हो जाती है, यहां के अधिकारी आकस्मिकता निधि से पैसा निकाल कर खर्च कर देते हैं और उसका भी सदुपयोग नहीं होता है।

मान्यवर, आप देखें कि सूखे और बाढ़ आने पर लोगों को इस निधि से पैसा निकाल कर देने का काम किया जा सकता है। मैं तो सरकार को चेतावनी देता हूं कि प्रदेश में इस बार भयंकर सूखा पड़ा, कोई किसान वर्षा के अभाव में अपनी बुवायी नहीं कर सका, अपने खेतों की जुताई नहीं कर सका, लेकिन उनको इस धनराशि से क्या दिया गया ? उनको सहायता के नाम पर कुछ भी नहीं दिया गया और कहीं पर भी सूखे की स्थिति नहीं दिखायी गयी। जिलाधिकारियों द्वारा तहसीलदारों से कह दिया जाता है कि वे सूखे की स्थिति ऐसी दिखायें कि जैसे प्रदेश में कोई नुकसान ही नहीं हुआ है। अगर आपको प्रदेश के किसानों की, गरीबों की सहायता नहीं करनी है तो आकस्मिकता निधि में रुपया बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बलिया जिले में सूखे के कारण कहीं भी किसान अपने खेतों में बुआई नहीं कर सके, धान की रोपाई नहीं कर सके और अगर पिछली वर्षा होने के कारण कहीं पर बुआई हो भी गयी तो बाढ़ का प्रकोप आ गया लेकिन सरकार की ओर से इस आकस्मिकता निधि से किसानों की सहायता करने के बजाय पैसा निकाल कर विभागीय बजट में पैसा खर्च कर दिया जाता है जो बिल्कुल गलत है, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए।

जनता पार्टी के शासनकाल में भी बाढ़ आयी और प्रदेश की जनता इस बात की गवाह है कि आकस्मिकता निधि और भारत सरकार की सहायता से जितना पैसा जनता की सहायता के रूप में मिला, वह कभी नहीं मिला। आज इस भयंकर सूखे की स्थिति में भी इस सरकार ने कोई सहायता उन लोगों को नहीं दी है, फिर 50 करोड़ रुपया बढ़ाने की क्या जरूरत है ? अब एक प्रवृत्ति सी बन गयी है कि आकस्मिकता निधि से विभागों के बजटों पर खर्च कर दिया जाता है, मेरा सुझाव है कि इस को बन्द किया जाय और इस निधि से केवल दैवी आपदाओं के समय आप खर्च करें। आप गरीबों को, किसानों को प्रोत्साहन दें जिससे इस धन का सदुपयोग हो सके और यह न हो कि यह रुपया अधिकारियों की पाकेट को भरने के लिए न प्रयोग किया जाय। अपने दिवालिएपन को छुपाने के लिए जो इस आकस्मिकता निधि में अधिक धनराशि बढ़ाने की पुरजोर वकालत करते हैं, यह बिल्कुल गलत है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिए इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो 3 माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे। इन शब्दों के साथ मैं पुनः इसको प्रवर समिति में भेजने की बात का समर्थन करता हूं।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय अध्यक्ष जी, इस विधेयक से और इसके पीछे जो नीयत है, उससे 2 बातें साफ नहीं है। जिस तरह से साफगोई से माननीय मंत्री जी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—]

ने इस विधेयक को यहां पर रखा है, उनके मन में जो ग्रन्थि हैं, वे अपने आप उजागर हो जाती हैं। जो एक अरब रुपया लेने की बात कही गयी है, उसका मैं सरकार से हिसाब चाहता हूं। अगर माननीय मंत्री जो उसका सही-सही हिसाब सदन को दे दें तो 50 करोड़ रुपया क्या अगर 50 अरब रुपया भी इस प्रदेश के विकास के लिए चाहिए तो मैं सहर्ष इस राय का हूंगा कि उनको यह रुपया दे देना चाहिए। मान्यवर, यह पैसा इस प्रदेश के उन गरीब लोगों का है जिनके शरीर पर वस्त्र नहीं है, जिन्हें दोनों टाइम भोजन भी नहीं मिलता। उन्होंने यह पैसा दिया है, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए दिया है। ऐय्यासी के लिए नहीं दिया है। जब मैं यह सब कह रहा हूं, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, मैंने देखा है, गोरखपुर जिले के पास, नेपाल के निकट, बहुत सारे लोग नेपाल के सीमा पर रह कर तस्करी करते हैं, ऐय्यासी करते हैं। इन्होंने जिस तरह से पैसों का दुरुपयोग किया है पिछली बाढ़ के जमाने में, मैं समझता हूं गोरखपुर में ही नहीं, तमाम जिलों में जूते, छाते खरीदे गये, 35, 35 रुपये के छाते खरीदे गये, चारपाइयां खरीदी गयी, सारी खरीद-फरोख्त हुई लेकिन कहीं पर भी बाढ़ में काम करने वाले न चारपायी न जूते पाये और सारा का सारा पैसा ऐडजस्ट कर दिया गया। वह ऐडजस्टमेंट तब किया गया, 31 मार्च को। आज अगर उस फाइल को देखें माननीय मंत्री जी, न किसी को चारपाई मिली और न कोई सामान मिला, बल्कि उस सारे रुपये को कुछ नेताओं ने हड़पा है।

जो 50 करोड़ रुपया आप मांग रहे हैं, अगर अपने कोई दृष्टांत पेश किया होता कि इसका एक-एक पैसा आपत्तिग्रस्त लोगों की भलाई के लिए हमने दिया है या एक दिया सलाई भी देने के लिए हम खर्च करेंगे, तो वह सहर्ष हम अनुरोध आज करते कि दे दिया जाय। लेकिन जिस प्रकार से अपव्यय हुआ है, इस पैसे का इस निधि देने का कोई औचित्य नहीं है। उधर के कुछ लोगों ने कहा कि जनता शासन में भी अपव्यय हुआ है। जनता शासन ने कभी भी इस आकस्मिकता निधि से कभी भी पैसा नहीं लिया है। मैं चाहता हूं मान्यवर, जो आपत्तिग्रस्त लोग है, जो मुसीबत में पड़े हुए लोग हैं, उनकी मदद की जाय। आज भी गोरखपुर जिले में, गर्मी के दिनों में, आदमी जलकर मर गये, लेकिन उनको 100 रुपये भी हम नहीं पहुचा पाये तो हम क्या उम्मीद करें कि जो 50 करोड़ रुपये ले रहे हैं, उनको जरूरतमंद आदमियों को पहुंचायेंगे। अगर आपकी नौकरशाही के तरीके यही हैं, अगर उन पर अंकुश नहीं है, तो इस पैसे का दुरुपयोग उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से पहले दुरुपयोग हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश के गरीब लोगों की खून-पसीने की गाढ़ी-कमाई के पैसे का दुरुपयोग न हो, इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। अगर आप इतने अकर्मण्य हैं, इतने अक्षम हैं कि आप हमको एकाउन्ट नहीं दे सकते, आप हमको आश्वासन दें, लेकिन आश्वासन भी नहीं दे सकते, क्योंकि आश्वासन देने का तो आप में दम नहीं है। यह आप एकाउन्ट दे दें कि 100 करोड़ रुपये जो था, उसको कहां-कहां खर्च किया गया है। जिले के जनप्रतिनिधियों ने इस समस्या की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि उस रुपये को सही आदमियों तक नहीं पहुंचाया गया। हम यह कैसे मान लें आपकी बात को कि आप यह 50 करोड़ रुपये उन आदमियों तक पहुंचायेंगे, जहां पर पहुंचाने की जरूरत है। इसलिए मान्यवर, ऐसी परिस्थितियों में 50 करोड़ नहीं 50 पैसा भी देना इस प्रदेश की जनता के साथ उसकी गाढ़ी कमाई के साथ खिलवाड़ करना होगा।

इसलिए मैं चाहता हूं क्या परेशानी है एक अरब रुपया तो आपके पास है ही। इसको 3 महीने के लिये राय जानने हेतु भेज दें और उसके बाद सदन जो चाहे निर्णय करे।

श्री जयदीप सिंह--

मैं श्रीमन्, आपका अभारी हूं कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। श्रीमन, जब माननीय मंत्री जो ने यह विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया, उसके पहले मेरे मन में थोड़ी सी आशंका थी कि 50 करोड़ की धनराशि अचानक लेने का क्या औचित्य है। किन्तु विधेयक अ ने पर उसके आंकड़ों से स्पष्ट हो गया कि 51-52 में 70 करोड़ के बजट पर 4 करोड़ की धनराशि आकस्मिकता निधि में रखी गई थी जो 6 प्रतिशत आत है। अ ज 33 सौ करोड़ के बजट पर कुल डेढ़ सौ करोड़ है और डेढ़ सौ करोड़ लिमिट नहीं है एक समय पर तो 50 करोड़ रुपया आकस्मिकता निधि के लिये बिल्कुल औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है।

श्रीमन्, अगर आप स्वंय देखें सन् 52 से लेकर आज तक प्रदेश की जनसंख्या कितनी बढ़ गई है, मंहगाई कितनी बढ़ गई है, विकास की योजनायें कितनी बढ़ गयी हैं, इसके अनुसार 50 करोड़ की धनराशि बिल्कुल अधिक नहीं हैं। राज्य आकस्मिकता निधि का उपयोग गलत ढ़ंग से हुआ है या उसके उपयोग के सम्बन्ध में विरोध पक्ष की ओर से कोई सुझाव आया होता तो मैं उसका स्वागत करता। लेकिन केवल इतना कह देना कि इतना पैसा देना ठीक नहीं है, तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। जैसा माननीय मंत्री जो ने विधेयक को प्रस्तुत करते हुए कहा कि अचानक दैवी आपदा आ जाती है और केन्द्र सरकार से हमको सहायता की मांग करनी होती है। एक मिनट के लिये मान लीजिये कि केन्द्र सरकार यह शर्त रख देती है कि जितना पैसा बाढ़ के लिये हम देंगे, उतना ही पैसा राज्य सरकार को देना है। जब बजट में प्राविधान नहीं होगा तो वह पैसा केन्द्र सरकार से कैसे मिलेगा और क्या हम उसका उपयोग कर पायेंगे ? इस पर किसी माननीय सदस्य ने सुझाव नहीं दिया। क्या उस समय अनुपूरक अनुदान लिया जाय और धनराशि का प्राविधान किया जाय, ऐसा सम्भव नहीं है कि समय-समय पर अधिवेशन बुलाकर इस कार्य को किया जा सके। आज से 20 वर्ष पहले सूखा पड़ता था जो जनसंख्या कम होने के कारण और खेती इस प्रकार की थी कि सूखे का असर कम पड़ता था।

आज सूखे पर चर्चा होगी। मेरा निश्चित मत है कि विरोध पक्ष के माननीय सदस्य मांग करेंगे कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को अधिक से अधिक र हत दी ज य। दैवी अ पद के समय विरोध पक्ष मांग करत है कि अधिक से अधिक सह यता दी ज य उद हरण के लिये जिनके मक न गिर गये हैं। तो मैं विरोध पक्ष के म ननीय सदस्यों से ज नन च हत हूं कि सह यता की तो आप अधिक से अधिक मांग करते हैं और जब धन का प्राविधान किया जा रहा तो उसका विरोध अ प क्यों कर रहें हे ? इसलिए इन सारी परिस्थि तियों को देखते हुये मेरा निश्चित मत है और मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं कि आकस्मिकता निधि में 50 करोड़ रुपये की धनराशि दी जाय।

*श्री राम स्वरूप वर्मा—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस विधेयक पर बोलने के लिए अवसर दिया । मुझे अफसोस यह है कि न तो माननीय मंत्री जी ने यह समझा कि आकस्मिकता निधि का तात्पर्य क्या है क्योंकि वह संसदीय मंत्री हैं । वित्त विभाग के तात्पर्य से आकस्मिकता निधि का क्या तात्पर्य है, यह उन्होंने नहीं समझा । उन्होंने कहा कि 98 करोड़ रुपया दिल्ली से आ गया तो उसमें आकस्मिकता निधि में निकालना पड़ा । फर्जी बात है । बाहर से जो भी ग्रांट आती है वह हमारे बजट में कल्पित रहती है, उसके लिए पुरोनिधारित नहीं करना पड़ता । आकस्मिकता निधि का मतलब है कि जो बजट में कल्पना नहीं की जा सकती । अगर कोई सीधी सच्ची सरकार है और उसने सही नियोजन किया है, जिस सरकार की खर्चे पर पकड़ है तो उसके लिए आकस्मिकता निधि एक सैकड़े से ज्यादा नहीं होनी चाहिये । आखिर इतना रुपया आप बजट में प्राविधान करते हैं, सारे खर्चों का नियोजन की सारी आपदायें जो होती हैं उनको गिन लेते हैं । और फिर ऐसे विषय में अगर सरकार को नहीं मालूम है तो मालूम होना चाहिये इसका 10 साल का फसल चक्र है । 3 साल बाढ़, 3 साल सूखा । दो साल मौके पर और दो साल बेमौके पर बरसात होती है ।

हर 7–8 साल अंतर पर सूखा पड़ता है पश्चिमी जिलों में और पूर्वी जिलों में बाढ़ आती है । तो अगर सरकार 50 साल का अध्ययन करेगी तो पता चलेगा कि प्रकृति सूबे में कैसे चलती है । 67–68 में हमारी संविद सरकार थी और तब मैं आपको बता दूं कि 6 अरब का बजट था और 2 करोड़ की आकस्मिकता निधि थी तथा दो करोड़ और लिए थे । और तब सबसे बड़ा सूखा पड़ा था किन्तु 1 प्रतिशत आकस्मिकता निधि से काम चल गया । आप कहते हैं कि डेढ़ अरब का होना चाहिये तो यह कौन सा समीकरण किया है, कौन सी कल्पना आपने की है । हां एक बात जरूर है, अगर आप किसी इकोनामिस्ट से पूछेंगे या किसी अच्छे बजट बनाने वाले से पूछेंगे कि 33 अरब का कुल खर्च है, कुल आय व्ययक है और डेढ़ अरब की आकस्मिकता निधि है तो वह आपको शायद बहुत ही कम अक्ल की संज्ञा देगा । वजह यह है कि जब सारे खर्चों की कल्पना कर ली गयी है तो आकस्मिकता निधि की आवश्यकता बहुत मामूली रह जाती है । एक प्रतिशत से ज्यादा वह हो नहीं सकती । 1967–68 में आकस्मिकता निधि का बजट में प्राविधान कर लिया गया था । एक मद ऐसी आ गयी जिसकी बजट में कल्पना नहीं थी । उस वर्ष हिन्दी को लागू करने के लिए अंग्रेजी के टाइप राइटर्स हटाने पड़े । अगर हर विभाग का थोड़ा–थोड़ा प्रतीक अनुदान हो जाता तो इंतजाम हो जाता क्योंकि एक हजार रुपये का टाइपराइटर मिलता था और 10–5 हजार टाइपराइटर मंगाने में कोई परेशानी नहीं थी । तो उस वर्ष 2 अक्तूबर को, गांधी जी के जन्म दिवस पर उत्तर प्रदेश की संविद सरकार ने निर्णय किया कि सारा काम हिन्दी में होगा, अंग्रेजी में नहीं होगा, बजट में कोई प्रतीक अनुदान की व्यवस्था नहीं थी कि 4 हजार टाइपराइटर खरीदें जायेंगे । तो जब 4 हजार हिन्दी के टाइपराइटर खरीदने की नौबत आई तो हमने आकस्मिकता निधि में 40 लाख रुपये देकर 4 हजार टाइपराइटर खरीद लिए । क्योंकि बजट में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी । और अब आप जरा अपने बजट का अवलोकन करें कि सदन को बता क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं । कल ही अभी अनुपूरक अनुदानें पास हुयी हैं । परिवहन विभाग की अनुदानें पास हुयी हैं एक साढ़े सात लाख रु0 की, दूसरी 2 करोड़ रु0 की और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तीसरी डेढ़ लाख रु0 की ओर यह जो साढ़े सात लाख रु0 अनुपूरक अनुदान किस काम के लिए पास कराया गया, बसों की दुर्घटना आदि के लिए जिसमें पहले से 10 लाख रु0 अनुमानित किया गया था, लेकिन अभी साल पूरा नहीं हुआ साढ़े सात लाख रु0 की और आवश्यकता पड़ गयी । जब आपको अपनी बसों की हालत का ज्ञान था कि 59 बसों में से 40 बसें खराब हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने की हर समय संभावना हो सकती है तो पहले ही साढ़े 17 लाख रु0 की कल्पना कर लिए होते । अगर कोई सही सरकार होती तो सही अनुमान लगाया गया होता या यह साढ़े सात लाख रु0 अपने खर्चों में से निकाल लिया होता, ऐसा यह कर नहीं सकते हैं, तो आकस्मिकता निधि से ले लिया जबकि यह ग्रांट आकस्मिकता निधि में आ ही नहीं सकती है । यह सारी वित्तीय अनियमितायें खुले रूप मे हो रही हैं ।

दूसरी ग्रांट दो करोड़ रु0 दो अफसरों की गाड़ी के लिए व अन्य खर्चों के लिए ले आए । पता नहीं यह इनको कहां से एलहाम हो गया कि दो अफसरों के लिए यह व्यवस्था इसी वर्ष अविलम्ब जुटाई जाए । जब कि यह व्ययस्था भी विभागीय खर्चों से हो सकती थी । जब यह दो करोड़ के ग्रांट की बात आयी थी तो सभी ने साल के अन्त में कहा था कि आप घाटे में जा रहे हैं और अधिकतर आपकी बसें खराब ही चल रही हैं और जबकि लगातार आपको कर-वृद्धि पर कर वृद्धि करना पड़ रहीं है तब भी आपका काम सूचारु रूप से नहीं चल पा रहा है और कोई कर्जा आपको देने को तैयार नहीं है । न ही रेल विभाग न ही एल0 आई0 सी0 से कर्ज मिला और न ही रिजर्व बैंक से कर्जा मिला । इसकी वजह यह है कि जितने घाटे पर आप चल रहे हैं, इसलिए कोई भी कर्ज आपको देने के लिए तैयार नहीं है, अब चूंकि विभाग को चलाना है, प्रतिष्ठा का सवाल है इसलिए कहीं न कहीं से कुछ करना ही पड़ेगा । लेकिन कम से कम खुदा के लिए वित्तीय अनुशासन को तो कायम रखिए और कुछ तो अपने बजट की शुद्धता को बनाये रखिये । इसलिए एक अरब से घटा कर 37 करोड़ कर लें और 50 करोड़ के बढ़ाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता । इसके लिए आकस्मिकता निधि नहीं है । इसलिए यह निवेदन करूंगा कि इसको प्रवर समिति में जाने दें और विचार कर लें । इन शब्दों के साथ ही मैं इसे प्रवर समिति में भेजे जाने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार व्यक्त करने का अवसर दिया । मैं आकस्मिकता निधि में राशि बढ़ाये जाने का इस कारण समर्थन करता हूं कि अचानक हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आती है कि प्रदेश की गरीब जनता को राहत देनी होती है । इसी वर्ष जैसा पूरे पूर्वांचल में देखा, भीषण सूखा पड़ा है, गरीब आदमी त्रस्त है । जब से मैं पैदा हुआ तब से मैंने ऐसा भयंकर सूखा देखा नहीं था ।

(व्यवधान)

हम यह नहीं जानते थे कि इतना भयंकर सूखा होगा । अगर इस मद में धन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री पंचानन राय---]

बढ़ाने की आवश्यकता है तो उसका समर्थन सबको करना चाहिये । इसीलिए आकस्मिकता निधि है कि अगर कहीं बाढ़ आ जाय, सूखा पड़ जाय तो इसका प्रयोग गरीब जनता को राहत देने के लिए किया जा सके । अगर हमारे हाथ में धन होगा तो गरीब आदमी को राहत दे सकते हैं । इस प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करना हमारा कर्त्तव्य है । गरीब आदमी आज दुखी है और सहायता के लिए शासन की तरफ निगाहें लगाये हुये हैं । अगर हम राहत पहुंचाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इसका समर्थन किया जाना चाहिये । मैं कह रहा था कि इसीलिए आकस्मिकता निधि में धन का प्राविधान होता है । अगर हम धन बढ़ाने के लिए विधेयक में संशोधन कर रहे हैं तो यह सरकार उदार है और वह इस प्रदेश की जनता के लिए और दुखी लोगों के लिए धन का प्रबन्ध कर रही है । इसी के साथ ही धन बढ़ाने के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और स्वागत करता हूं ।

श्री विद्यासागर नौटियाल---

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया ।

श्री अध्यक्ष---

आप संक्षेप में कहें ।

श्री विद्यासागर नौटियाल---

जी हां, मान्यवर ।

अगर सत्ता पक्ष की ओर से यह आंकड़े माननीय सदन में पेश हो जाते कि 1980-81 में आकस्मिकता निधि में जो पैसा लिया था, उसमें से उन्हीं वर्षों के सन्दर्भ में कितना पैसा बाढ़ और सूखे से प्रभावित जनता को दिया गया तो हमको इस पर विचार करने में अधिक सुविधा मिलती । राज्य में सूखा पड़ा है और सत्ता पक्ष में प्रतिभा का सूखा पड़ा है । इसीलिये संसदीय कार्य मन्त्री जी को वित्त मन्त्री का कार्य करना पड़ रहा है । वर्ष 1980 में जब जो बाढ़ आयी, तो किसानों को उसका कोई मुआवजा नहीं दिया गया । माननीय पंचानन राय जी कहते हैं कि सरकार के हाथ में ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा राहत दे पायेंगे, यह सोचने का तरीका गलत है ।

आपके पास चाहे कितने ही पैसे हों, आप जनता को राहत नहीं दे देंगे । जनता को राहत तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि आप रेवेन्यू कोड को नहीं बदलेंगे जो कि अंग्रेज बना कर गये हैं, आप उसी पर चल रहे हैं । इसलिये मैं मान्यवर, इसका विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं सत्ता पक्ष से कि अपने रेवेन्यू के नियमों को बदल कर अगर आप जनता को राहत देना चाहते हैं तो दे सकते हैं ।

मेरे जिले के अन्दर 1980 में कई जगहों पर जरवन्ड में, सकलाना में, बुगड्डा में, बडियारगढ़ में, बडेड़ा में जो नुकसान हुआ है, वहां एक पैसा भी मदद के रूप में नहीं दिया गया है जबकि आपके पास पैसा था । सन् 1980 में उत्तरकाशी में, टेहरी में जो नुकसान हुआ उसके लिये कोई राहत नहीं दी गयी । मेरे ख्याल में श्रीमती इन्दिरा गांधी या अरुन नेहरू के लिये मंच लगाने

के लिये पैसों की मांग की जा रही है, पैसा यहां खर्च हो जाता है। अभी तेइस घंटे पूर्व सरकार ने 2 अरब 71 करोड़ रुपये का विनियोग लिया। आज फिर आकस्मिकता निधि से नई धनराशि मांग रहें हैं, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

श्री राम गोविन्द चौधरी, क्या आप इसको वापस ले रहे हैं ?

श्री राम गोविन्द—

मैं इसे वापस नहीं ले रहा हूं।

*श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, अभी सम्मानित सदस्यों ने जिन्होंने इसकी चर्चा में भाग लिया, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। विशेष रूप से राम स्वरूप वर्मा जी का, जिन्होंने कुछ ऐसी विधि बतलाई जिससे कि आने वाले मौसम का पता चल सके। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई ऐसी विद्या है जिससे पता चल सकता है कि आने वाले मौसम में सूखा रहेगा, कार जो खरीदी गयी है उसका एक्सीडेन्ट होगा या नहीं होगा और कितनी गाड़ियों का एक्सीडेन्ट होगा और कितनी का नहीं होगा। मान्यवर, मैं जहां तक समझता हूं कि आप अपने घर का बजट देखें, प्रदेश के बजट की बात छोड़ दीजिये। नामालूम कितने मौके आते हैं कि हम जो घर का एक महीने के बजट बनाते हैं उससे थोड़ा ज्यादा ही खर्च हो जाता है। हो सकता है कि कोई बीमारी आ जाय और उस पर ज्यादा खर्च हो जाय। मान्यवर, कोई इस प्रकार की सूचना भविष्य के लिये एक-एक चीज की मालूम हो यह बात कैसे संभव हो सकती है कि कल कहां किस तरीके से सूखा पड़ जायेगा और कहां वर्षा हो जायेगी किस गाड़ी का एक्सीडेन्ट हो जायेगा।

मैं समझता हूं कि यह हम लोगों की शक्ति से परे है। माननीय राम-स्वरूप वर्मा जी के ही अख्तियार में है यह बात। इसलिये मान्यवर, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है।

श्री रियासत हुसैन—

उसका सम्बन्ध बुद्धि से है, बाल्टी बाबा से नहीं है।

श्री अम्मार रिजवी—

बाल्टी बाबा से है या नहीं है यह तो रियासत साहब स्वयं बता सकते हैं। मान्यवर, 1977-79 के सिर्फ दो मुद्दे मैं बयान करना चाहता हूं कि राज्य सम्पति विभाग में 12 गाड़ियां खरीदी गयी 5 लाख 4 हजार रुपये की। उसके बाद सदस्यों की सुविधा के लिये शासन की तरफ से 1 लाख 24 हजार 8 सौ रुपया लिया गया। यह मैं वह मद पढ़ रहा हूं जिसके बारे में कहा गया है कि उस वक्त आकस्मिकता निधि से कोई पैसा नहीं लिया गया। उसके बाद बिक्रीकर से डीजल गाड़ियों के लिये 8,33,400 रुपया लिया गया। क्यों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अम्मार रिजवी—]

लिया गया, इस सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है । मेरा सिर्फ यह कहना है कि चाहे कोई भी सरकार हो, जब कोई सरकार होगी तो उसको अपना कार्य करना ही होगा, उसके ऊपर प्रेक्टिकल प्राबलम्स आयेंगी तो मान्यवर, उसके लिये आकस्मिकता निधि का होना आवश्यक है । कोई भी सरकार हो, अगर उसको केन्द्र से कुछ ऐसी सहायता मिलती है, जैसे कोई भी दैवी आपदा हो, कहीं बाढ़ आ गयी हो यह कहीं सूखा पड़ गया हो तो उसके लिये भी एक ऐसी धनराशि होनी चाहिये कि जरूरत के अनुसार उससे भी पैसा लिया जा सकेगा माननीय राम स्वरूप वर्मा जी पहले मन्त्री रह चुके हैं, उनका मैं बड़ा आदर करता हूं, उनके मार्गदर्शन की कद्र करता हूं और उनकी विद्वता का भी कायल हूं लेकिन जो बात उन्होंने कही, वह सही बात कही लेकिन मेरी समझ में गलत हो सकती है । उन्होंने कहा कि जो बजट का प्राविधान है, हर बजट के लिये सेंटर में प्राविधान होता है और जो भी रुपया केन्द्र से प्रदेश की राज्य सरकार को मिलता है वह बजट में अंकित होता है ।

मान्यवर, मैंने भी केन्द्र के बजट को देखा है, किसी प्रदेश का नाम कुछ खास चीजों के लिये छोड़ कर नहीं होता बल्कि हेड होता है और उस हेड के अन्दर ही किसी राज्य को पैसा दिया जाता है । कुछ हिस्से में सूखा है, कुछ हिस्से में ज्यादा बारिश हो गयी तो उस हेड के अन्तर्गत हमने एक लम्बा विस्तृत ब्योरा भेजा कि केन्द्र से हमको इतना पैसा मिलना चाहिये । मान लीजिये कि सेंटर से पैसा सेंक्शन हो गया और आपके पास आ गया कि इतना पैसा आपके लिये सेंक्शन हो गया है तो उसके लिये कहीं न कहीं कोई ऐसी निधि आकस्मिकता निधि की तरह की होनी चाहिये जहां से पैसा निकल कर उस आइटम पर खर्च किया जा सके । माननीय राम स्वरूप वर्मा जी भी इस बात को समझते हैं लेकिन वह जगह की बात है । अगर आज वर्मा जी वित्त मन्त्री होते तो वे ही इसके लिये 200 करोड़ रुपये की मांग करते ।

1950 में 77 करोड़ का बजट था जब कि इस वक्त 3,300 करोड़ रुपये का बजट है । अगर उस प्रपोर्शन में देखा जाय तो यह बात बिल्कुल सही है और 150 करोड़ रुपया जो बढ़ाया गया है, वह सही बढ़ाया गया है । 107 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, बाकी नहीं खर्च हुआ । इस तरह से कन्टीजेन्सी से गलत तरीके से पैसा खर्च होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता । यह बात सत्य से परे है । चौधरी साहब ने भी परोक्ष रूप से हमारा समर्थन ही किया है । उनके दिल में भी मेरी बात सही लगती है लेकिन चूंकि विरोध पक्ष में हैं, इसलिये उनका विरोध करना लाजिमी है वरना उधर से निकल कर हटाये जा सकते हैं । इसलिये चौधरी साहब व अन्य माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे इस प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिये अपने अपने प्रस्ताव को वापस ले लें ताकि प्रदेश के विकास में जो धनराशि की कटौती होती है, उसमें रोक लगायी जा सके । इसलिए आपके माध्यम से हमारा अनुरोध है कि इसको पारित करें और संशोधन प्रस्ताव वह वापस ले लें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1982 का अनुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1982 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो तीन माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1982

खंड 2, 3, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1982

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1982 कहा जायगा ।

(2) यह 19 जून, 1982 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1950 की धारा 4 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 की धारा 4 में उपधारा (8) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :--

"(9) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1982 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार पचास करोड़ रुपये की और धनराशि राज्य की संचित निधि में से निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी ।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22 सन् 1982 निरसन और अपवाद

3--(1) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1982 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1982 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1982 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गौरी शंकर भैय्या--

अध्यक्ष महोदय, आईटम 17 के बारे में हम लोगों ने भी एक प्रस्ताव दिया था, हम लोगों का नाम इसमें नहीं जुड़ा है इसलिए आप आदेश दे दें कि हम लोगों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

जिन लोगों ने प्रस्ताव दिया था उनको बोलने की आज्ञा दी गयी । अब यह प्रश्न समाप्त हो गया । आप बैठ जाय ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

[4 बजकर 45 मिनट]

श्री अध्यक्ष--

कार्य मंत्रण समिति नें आज दिनांक 25 अगस्त, 1982 को बैठक में विधान सभा के दिनांक 26 से 30 अगस्त, 1982 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में निर्धारित किये जाने की संस्तुति की है :--

अगस्त, 1982

26--गुरूवार (1) उत्तर प्रदेश के गन्ना काश्तकारों के गन्ना मूल्य के भुगतान बकाया होने के सम्बन्ध में श्री मोहन सिंह द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा--डेढ़ घंटा ।

(2) प्रदेश में अतिवृष्टि से उत्पन्न बाढ़ तथा उसका सामना करने हेतु शासकीय प्रयासों की विफलता के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा--डेढ़ घंटा ।

(3) राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों तथा अभ्यास पुस्तिकाओं के बाजार में उपलब्ध न होने से प्राथमिक कक्षाओं से उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं तक की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–एक घंटा ।

27 शुक्रवार

(1) असरकारी दिवस ।

(2) अपराह्न 5 बजे :

(क) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982 जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किए गये संशोधन पर विचार ।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982 जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किए गए संशोधन पर विचार ।

28 शनिवार
29 रविवार

बैठक नहीं होगी ।

30 सोमवार

(1) श्री मोहन सिंह द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर दो घंटे की चर्चा––

"यह सदन उत्तर प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर घोर चिन्ता व्यक्त करता है, और उसमें सुधार लाने हेतु सुझाव देने के लिए इस सदन की समिति गठित करने का निर्देश देता है ।"

(2) ग्राम कुमिनपुरवा मजरा गुनवा, थाना कर्नेलगंज, जिला गोन्डा में दूधनाथ राजभर नामक अपराधी द्वारा शारदा के घर पर धावा बोलने एवं लूट–मार करने के सम्बन्ध में वक्तव्य एवं चर्चा–एक घंटा ।

(3) दिनांक 27/28 जून, 1982 की रात में जनपद कानपुर देहात के दस्तमपुर ग्राम में डकैतों द्वारा 10 व्यक्तियों की हत्या किए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य एवं चर्चा–एक घंटा ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)––

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिनकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन में दी गई , सहमत है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिशों से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन में दी गई है, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रदेश में सूखे से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा

[समय 4 बजकर 50 मिनट]

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं आज इस प्रदेश की गम्भीर समस्या पर चर्चा करने के लिए शुरूआत कर रहा हूं । हिन्दुस्तान की संसद ने सूखे पर 6 घंटे तक चर्चा की । इस वर्ष इस प्रदेश में 5-6 जिलों को छोड़कर लगभग पूरा उत्तर प्रदेश अवर्षण के कारण अकाल की ओर अग्रसर हो रहा है और सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्ष में इतनी कम वर्षा नहीं हुई है जितनी कम वर्षा इस वर्ष हुई है । वर्ष 1974 में अवर्षण हुआ, उस में जो रिकार्ड किया गया, वह जुलाई के महीने में 74 मिली मीटर वर्षा हुई थी, वर्ष 1979 में जुलाई के महीने में 69 मिली मीटर वर्षा हुई थी, लेकिन इस वर्ष जुलाई के महीने में 54 मिली मीटर वर्षा हुई है, जो 10 वर्ष का रिकार्ड है । आज उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल बोई नहीं जा सकी । पूरे उत्तर प्रदेश में 90 लाख हेक्टेयर भूमि में खरीफ की फसल बोई जाती है । सरकार के ही आंकड़े हैं जिनके अनुसार इस वर्ष धान की फसल 35 लाख हेक्टेयर भूमि पर रापाई की जा सकती है । यह तो सरकारी आंकड़े हैं । मान्यवर, इसका दायरा तो और भी कम होगा । अपेक्षित मात्रा में बरसात न होने के कारण जो फसल बोई गई है, उसके भी पैदा होने की संभावना नहीं है । मुझको आश्चर्य हुआ जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बयान दे रहे थे । और वे कह रहे थे कि हमारे पास कोई बैरोमीटर नहीं है जिससे कि वे पूर्वानुमान कर सकें कि मौसम आगे किस तरह का होगा । मान्यवर, आज से इस वैज्ञानिक युग में किसी भी बुद्धू सरकार से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह यह जान सके कि मौसम कैसा होगा । दुनियां में कई सरकार हैं । आज मौसम विज्ञान बहुत उन्नत हो गया है जिससे यह पूर्वाभास हो जाता है कि इस वर्ष मौसम कैसा होगा । हमारे हिन्दुस्तानी ज्योतिषियों को भी इसका पूर्वाभास हो जाता था किन्तु अब तो विज्ञान बहुत प्रगति कर गया है ।

मान्यवर, मैं अभी पिछली 5 मई को पूर्वी देशों में गया था । मैंने देखा कि थाइलेंड की सरकार अपने देश में इस बात का प्रचार टेलीविजन में कर रही थी कि इस वर्ष उनके यहां कम वर्षा होगी इसलिये किसान पैडी की खेती का काम न करें । इस तरह से वह सरकार सूचित कर रही थी । लेकिन अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपना बुद्धूपना छिपाने के लिये कहती है कि हमारे पास कोई बरोमीटर नहीं है जिससे हम मौसम का अनुमान लगा सक । यह सरकार सूखे के बारे में नहीं बता सकती है, बाढ़ के बारे में बता सकती है । 5 मई को एक बयान में यह कह दिया कि उत्तर प्रदेश में भीषण बाढ़ आने वाली है । जब सूखे की नौबत आती है तो यह सरकार बाढ़ से निपटने की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोहन सिह—]

तैयारी करती है और जब बाढ़ की नौबत आती है तो सूख से निपटने की तैयारी करती है । नतीजा यह होता है कि यह सरकार किसी का भी मुकाबला नहीं कर सकती और इस तरह से प्रदेश की जनता को दुर्भिक्ष के कगार पर खड़ा कर देती है ।

मान्यवर, हमारा कोई राजनीतिक लाभ उठाने की कोई मंशा नहीं है किन्तु प्राकृतिक आपदायें होती हैं उनका मुकाबला करने के लिये सरकार को तत्पर रहना चाहिए । किन्तु उत्तर प्रदेश का सरकार से जो अपेक्षा होनी चाहिए थी, उसमें वह विफल रहा है । इसके लिये केन्द्रीय सरकार से भी पैसा मांगा गया है । 1 अरब 60 करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार ने इसका मुकाबला करने के लिये हमको दिया था लेकिन आपका सरकार कहती है कि जो हमारा अनुमानित नुकसान है वह 7 अरब रुपये का है । जब कि केवल धान की पैदावार 25 लाख टन कम होगी जिसकी कीमत ही 7 अरब रुपया होती है । उसके मुकाबले में दिल्ली से आप केवल 1 अरब 60 करोड़ रुपया ले रहे हैं ।

एक माननीय मन्त्री ने कहा कि गांवों को मिलने वाली बिजली की आपूर्ति में हम दूगुनी वृद्धि कर देगें । मैं कहना चाहता हूं कि आज किसी भी ट्यूबवेल पर 24 घन्टे बिजली नहीं मिल पा रही है । 8-9 घन्टे से ज्यादा बिजली नहीं मिल पाती है । आज आध से अधिक राजकीय नलकूप बेकार पड़ हुये हैं । एक मन्त्री ने कहा कि 15 सौ नलकूप बेकार पड़े हुये हैं और आपके भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, जी विश्वनाथ प्रताप सिह का कहना है कि 35 सौ नलकूप बेकार पड़े हुये हैं । इसके बारे में एक मुंह से सरकार नहीं बोल पाती है कि 35 सौ बेकार पड़े हैं या 15 सौ बेकार पड़े हैं या सब के सब बेकार पड़े हैं । इसके बारे में स्पष्ट बात जनता को बतानी चाहिए और आपको आश्वस्त करना चाहिए कि हर हालत में राजकीय और निजी नलकूपों को 24 घन्टे बिजली की आपूर्ति होगी और जो भी पानी उनको दिया जाय, उसके ट्यूबवेल चलने से उससे किसी भी तरह का कर सरकार नहीं लेगी । इसकी घोषणा करनी चाहिए और पूरे उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करना चाहिए । इसके साथ ही साथ खरीफ की मालगुजारी भी माफ करनी चाहिए, विद्यार्थियों की फीस माफ करनी चाहिए । लेकिन यह बड़े अफसोस की बात है कि सरकार ने अभी तक किसी भी तरह की वसूली के स्थगन की घोषणा नहीं की है । सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में जो रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट है, वह गरीब किसानों का दरवाजा नोचने का काम कर रहा है । वसूली उसी रूप में जारी है । इसके बारे में सरकार को आज ही घोषणा करनी चाहिये ।

गांवों के उन खेतिहर मजदूरों के लिये जिनके पास खेती के कोई साधन नहीं हैं, उनकी पैदावार न होने के कारण उनके सामने रोजगार समस्या पैदा हो गयी है । सरकार को ऐसे लोगों के लिये रोजगार योजना चालू करना चाहिये और वह युद्ध स्तर पर होना चाहिए । छोटे-छोटे लोगों को रोजगार दिलाने की सभी योजनायें जो आपकी इस समय हैं, उनको युद्ध स्तर पर चालू किया जाये, यही कह कर मैं इस चर्चा को आरम्भ करता हूं ।

राजस्व मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील)—

इस वर्ष मान्यवर, वर्षा विलम्ब से आरम्भ हुई । पहले तो मई में जल्दी शुरू हो गयी । मई में जो औसत वर्षा 14.8 थी, उसके मुकाबले में 33.6

[श्रीबैज नाथ कुरील--]

हुई । जून में 97.1 के मुकाबले में 68.4 हुई । जुलाई में 294.7 मिलीमीटर के मुकाबले में 234.7 हुई । अगस्त में 291.6 के मुकाबले में 193.4 हुई । मतलब यह है कि वर्षा कम हुई । देर से शुरू होने के कारण खरीफ की फसल देर से शुरू हुई । लेकिन जिलों से जो सूचना आयी है उसमें यह बताया गया है कि जो नुकसान धान और खरीफ की फसल में हो गया, अब बारिश हो जाने से उतना नुकसान नहीं होगा, कुछ राहत मिला है, जो भयावाह स्थिति प्रारम्भ में थी, अब वह नहीं रह गयी है ।

माननीय मोहन सिंह जी ने कहा कि जब सूखा आता है तो सरकार बाढ़ की तैयारी करती है और जब बाढ़ आती है तो सूखे की तैयारी करती है, सरकार को तो बाढ़ और सूखे दोनों की ही तैयारी करनी पड़ती है । सूखे से निपटने के लिये ही जून में यह आदेश दे दिये गये थे कि नहरों में पानी बराबर उपलब्ध रहे । किसानों को भरपूर पानी मिला है । नहरों की सफाई भी करायी गयी । इसमें हमें सफलता मिली । यह भी आदेश दिये गये कि नलकूपों को बिजली उपलब्ध होती रहे और उसमें भी हमें सफलता मिली । जितनी मिलनी चाहिये थी उतनी नहीं मिली, पर काफी मिली । मैं यह स्वीकार करता हूं कि बहुत से नलकूप जो खराब थे नहीं चले । उनकी मरम्मत के लिये भी प्रयास किया गया । प्राइवेट नलकूपों को भी बिजली दी गयी । जहां जो भी सिचाई के साधन उपलब्ध थे, उनका प्रयोग किया गया और जहां साधन नहीं हैं, हमारे प्रदेश में अभी शत प्रतिशत सिचाई के साधन नहीं हैं ।

बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां सिचाई के साधन सरकारी तौर से नहीं है लोग अपने तरीके से करते हैं । लोगों को काम देने के लिए टेस्ट वर्क शुरू कराया गया है उसके लिए पैसा दिया गया है । हमारे यहां तीन करोड़ रुपया लगभग आवंटित किया गया है । तो इस तरह के काम शुरू किये गये हैं । कुछ जिले ऐसे हैं जहां हमेशा सूखा पड़ता है जैसे मिर्जापुर के कुछ ब्लाक हैं, इलाहाबाद के कुछ ब्लाक हैं, बनारस के कुछ ब्लाक हैं, बांदा के कुछ ब्लाक हैं, कुछ जालौन, ललितपुर, खीरी, सीतापुर आदि के भी कुछ ब्लाक हैं जहां हमेशा कुछ न कुछ पानी की दिक्कत रहती है । यहां पर हमेशा बराबर प्राकृतिक विपदा रहती है उसमें कोई भी सरकार हो, पूरे तरह से प्रयास ही कर सकती है कि जो हमारे पास साधन हैं उनका पूरी क्षमता से उपयोग हो । पहले से ही इस तरह के आदेश जारी कर दिये गये हैं और बहुत सी जगहों पर लोगों को पौध भी सरकारी फार्म से देने के लिए कहा है और लोग ले भी गये हैं ।

जानवरों को पानी की दिक्कत न हो उसके लिए नहरों और ट्यूबवेलों से गांवों के पोखर और तालाब भरे जायं और जमीन में दूसरी चीजें जो बो सकते हैं, उसके लिए भी कहा गया है । कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हाथ पर से काम नहीं कर सकते हैं उनको सहायता देने के लिए भी किया गया है, लोगों को काम देने के लिए सम्पर्क मार्ग बनाने और नहरें साफ कराने का काम किया गया है । तो जो मोहन सिंह जी ने बात कही तथा आगे और भी माननीय सदस्य सुझाव देंगे और अपनी बात कहेंगे, उनका जबाब दूंगा ।

*श्री रेवती रमण सिंह--

अन्यत्र, अभी माननीय राजस्व मन्त्री जी की बात मैंने बड़े गौर से सुनी इससे लगता है कि वह पहले ही हिम्मत हार गये हैं...।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्यों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि संक्षेप में भाषण करें क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं 5, 6 मिनट में अपनी बात कहें ।

श्री रेवती रमण सिंह--

मोहन सिंह जी ने जब कहा कि इतना पानी वर्षा तो उसके उत्तर में उन्होंने कहा नहीं, इस माह इतना पानी वर्षा मानो वह इसका कंपीटीशन कर रहे हों । मान्यवर, 136 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार से मांग रहे हैं कहीं बढ़ आई है कहीं सूखा पड़ा है । मन्त्री जी कह रहे हैं कि अब बेहन लगाया जायेगा ? तो मैं जानना चाहता हूं कि बेहन जुलाई में लगाया जाता है या अब लगाया जयेगा अब वह नहीं लगता है, अब अरहर नहीं लगाई जा सकती । मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो नुकसान होना था वह हो गया, इस समय 50 परसेन्ट जमीन बिना बोये ही पड़ी हुई है, जिसमें धान मक्का या दूसरी फसल नहीं लगी हुई है । प्रदेश में 15 हजार सरकारी ट्यूबवेल हैं उसमें से 10 हजार खराब पड़े हैं और जो 5 हजार चल भी रहे हैं, उनकी नालियां खराब हैं । अगर आपको विश्वास न हो तो इस हाउस की एक समिति बना दी जाय जो 10, 15 दिन में रिपोर्ट दे दे । जो चालू हालत में हैं उनकी हालत खराब है । गांवों में बिजली नहीं जा रही है जो प्राइवेट ट्यूबवेल हैं, उनको तीन-तीन दिन तक बिजली नहीं मिलती है । यह केवल लखनऊ है जहां पर बिजली है बाकी शहरों में चार-चार घंटे बिजली गायब रहती है देहातों में तो तीन चार दिन से बिजली नहीं जा रही है । हालत यह हो गई है कि अब दो ढाई महीने हो गये सूखा शुरू हुए लेकिन आपका एक भी कार्य पूरे प्रदेश में कहीं भी नहीं चल रहा है । न तालाबों न कहीं टेस्ट वर्क चल रहा है और न नहर की खुदाई का काम चल रहा है । आज ढाई रुपये किलो देहातों में आटा बिक रहा है । जो गल्ला आप भेजते हैं उसको भी सब जगह नहीं भेजा है न कहीं चावल मिल रहा है और न गेहूं मिल रहा है । सूखे और भुखमरी की स्थिति पूरे प्रदेश में व्याप्त हो गयी है । इससे बहुत से लोग भूख से मर जायेंगे । निराश्रितों और अपाहिजों के लिए जो गल्ला दिया जाता है, वह भी कहीं नहीं दिया गया है । आज स्थिति बहुत भयावह हो गयी है, जब तक वह सोचेंगे तब तक स्थिति काबू से बाहर हो जायेगी ।

*श्री हरदेव---

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मन्त्री जी ने जो ब्यौरा दिया है सूखे का, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि भारत की वर्षा अनिश्चित है । कहीं होती है और कहीं नहीं होती है । इसके साथ-साथ प्रदेश में सूखे की स्थिति है और उस पर हमें चिन्ता है, इसलिए मैं आपका ध्यान विशेष रूप से अपने क्षेत्र रसड़ा, जिला बलिया की ओर ले जाना चाहता हूं । जो बयान इस सम्बन्ध में मन्त्री जी ने दिया है, वह औसत है । रसड़ा, बलिया में पानी नहीं हुआ, इसलिए लोग दिक्कत में हैं, यहां भी हमारे पास आए हैं । बाढ़ भी थोड़ी वहां है लेकिन वह कृत्रिम है । लेकिन मैं सूखे के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे यहां के बारे में जिलाधिकारी ने हमारी सरकार को गलत रिपोर्ट दे कर नुकसान पहुंचाया है । जिलाधिकारी, बलिया ने कहा है कि आपके क्षेत्र में शारदा परियोजनाओं के 9 पम्प परिवर्तित कर दिए गए हैं, जबकि अब तक उसकी खुदाई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हरदेव---]

भी नहीं हुई है, यह बड़े खेद की बात है कि ऐसी बेबुनियाद बात कही जाए। पानी न बरसने के कारण हमारे रसड़ा में भीषण सूखा है, जिसमें वहां के पीड़ित लोग हमारे कमरे पर आए हुए हैं। जुलाई में बीज बोया जाता है, बेहन पड़ता है, वह सूख गया है और इस समय लोग घर से अनाज खा रहे हैं। आज उनके पास न रोटी है और न रोजगार है, उनके मवेशी भी परेशानी में पड़े हुए हैं। मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की गलत रिपोर्ट पर जिला अधिकारी, बलिया को तुरन्त मुअत्तल किया जाय और रसड़ा तहसील के अन्य अधिकारियों को भी दंडित किया जाय। वहां के लिए तुरन्त अहैतुक सहायता दी जाय, तकावी दी जाय, काम के बदले अनाज दिया जाए।

दूसरी ओर सरकारी देयों की वसूली बन्द की जाय। इस जिले में लगान की वसूली को बन्द किया जाय, उसे माफ किया जाए। बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से की जाय तथा पानी की समुचित व्यवस्था की जाय। अधिक सहायता को गरीबों तक पहुंचाने के लिए सुनिश्चितता की जाय और भूमिहीन तथा हरिजन वर्ग के लोगों को मुफ्त में गल्ला और कपड़ा वितरित किया जाए। यही आपके माध्यम से मेरा निवेदन है और मुझे बड़ी चिन्ता है। यह सही है कि कहीं ज्यादा वर्षा हुयी और कहीं कम लेकिन मुझे अपनी रसड़ा तहसील के बारे में बड़ी चिन्ता है। अगर यहां पर वर्षा हो गयी तो लोग समझते हैं कि सब जगह हो गयी लेकिन आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे तत्काल राहत का काम करें। मैं स्वयं गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों से यहां पर पहुंचा हूं और मैं उनकी तकलीफ को भलीभांति समझता हूं।

(व्यवधान)

श्री गोपी नाथ वर्मा---

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यहां पर सूखे पर चर्चा चल रही है। अधिकतर किसानों पर सूखे का प्रभाव पड़ा है। एक ओर तो सरकार कहती है कि जब सूखे की स्थिति आयेगी तो निपटेंगे, केन्द्रीय सरकार से पैसे की मांग हुयी है। इनका भी एक तरीका है। जब पूरी तरह से बाढ़ आती है तो ये दूसरों की ओर हाथ फैलाते हैं लेकिन जो धन इनको वहां से मिल जाता है वह भी गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। मान्यवर, हमारा जिला सूखे की भयंकर चपेट में है, वहां पर फसलें पूरी तरह से सूख गयी हैं, सारे राजकीय नलकूपों को एवं काश्तकारों को केवल 1 1/2 या 2 घंटे ही विद्युत दे पाते हैं इससे अधिक उन्हें बिजली नहीं मिल पाती है, वहां पर जो नहरें हैं, वे पानी नहीं सप्लाई कर पा रही हैं। पूरी स्थिति बेकन्ट्रोल हो गयी है और जो राहत के नाम पर उनको रुपया मिलता है, वह सरकारी लोगों की जेबों में जायेगा हमारे गरीब किसानों को मिलने वाला नहीं है।

मान्यवर, फैजाबाद के जिलाधीश ने रिपोर्ट भेजी है कि वहां पर 60 प्रतिशत सूखे से प्रभावित हुआ है लेकिन काश्तकारों को न तो मालगुजारी माफ हुयी है, न वहां पर छात्रों की फीस स्थगित हुयी है। शासन की ओर से आदेश न होने की स्थिति में मालगुजारी इस प्रकार से वसूली जा रही है कि अमीन काश्तकारों के घर जाते हैं, और अगर कोई काश्तकार नहीं दे पाता है तो जिलेदार और अमीन द्वारा उसे जेल में बन्द करा दिया जाता है। आज किसान आपसे राहत नहीं मांगते हैं, वे चाहते हैं कि उनकी फसलों के लिए नलकूपों को अबाध बिजली दीजिए, नहरों से पानी दीजिए तब भी ग्रामीण लोग राहत कार्य के कार्य

से सन्तुष्ट होंगे । आप सिर्फ अपनी योजना कागज पर बनाते हैं, पैसा कागज पर देते हैं, आपके सारे काम कागज पर हो जाते हैं । मन्त्री जी का स्टेटमेन्ट कागज पर रह जाता है, काश्तकार को कुछ भी देने में आप असफल रहते हैं । हमारे जनपद फैजाबाद में सूखे से निपटने के लिए आवश्यक है कि 24 घंटे बिजली दी जाय, नहरों से लगातार पानी दिया जाय, काश्तकारों से मालगुजारी की वसूली स्थगित की जाय, जितनी वसूलियां हैं उनको स्थगित किया जाय और सारी फसलों को पानी देने के लिए जिस तरह की नीति आप निर्धारित करें, अपने कलेक्टर को सूचित कर दें ताकि वह अपने जिले के लोगों को यथावत् राहत पहुंचा सकें ।

*श्री मारकण्डेय चन्द--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सूखे एवं अवर्षण के संबंध में चर्चा करने का अवसर दिया । मान्यवर, ऐसी विषम परिस्थिति में इसमें कोई विवाद नहीं है चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विरोध पक्ष के लोग हों यह निर्विवाद सत्य है कि इस प्रदेश में कुछ जिलों को छोड़ कर सूखे की भयंकर स्थिति है । अवर्षण के कारण 15-16 जुलाई तक प्रायः सभी स्थानों पर बरसात नहीं हुई । हर किसान यह जानता है जो गांव से आते हैं, कि जून के लास्ट में धान का बीज पड़ता है और जुलाई 10 तक उसकी रोपाई शुरू हो जाती है । 18 जुलाई तक मेरे पास यह आपके समक्ष तहसील का प्रमाणित रिकार्ड है 18 जुलाई तक गोरखपुर जनपद, बांसगांव तहसील में बारिश हुई । मैं ऐसा सोचता हूं कि सभी माननीय सदस्यों ने अपने यहां की स्थिति से सदन को अवगत कराया ।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा उससे सारा सदन अवगत हो गया कि धान का बीज समय से नहीं पड़ा । उसकी रोपाई नहीं हो सकी । अरहर, धान, मकाई बोई नहीं जा सकी है । माननीय मन्त्री जी ने कहा कि जुलाई के अन्त में कुछ बारिश हुई, जिससे कुछ स्थिति सुधरी । मैं यह कहना चाहता हूं कि जब धान की बोआई नहीं हुई, अरहर की बोआई नहीं हुई, मक्के की बोआई नहीं हुई, तो किस चीज की स्थिति सुधरी ? घास तो जब बारिश होती है, तब वह हरी हो जाती है । जब खेत में कोई फसल, बीज डाला ही नहीं गया तो कौन सी स्थिति सुधरी ?

मान्यवर, माननीय मंत्री जी, अगर आपके पास सूचना न हो मैं प्रमाणित मोहर लगवाकर यह ले आया हूं और तीन साल का और तारीखवाइज, डेटवाइज मेरे पास आंकड़े हैं, जिसमें 18 जुलाई तक गोरखपुर, बांसगांव तहसील, जो इस प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है, उसमें 8 विकास खंड हैं और 4 विधायक वहां से चुनकर आते हैं, वहां की विषमता की स्थिति का अनुमान लगा लीजिये, एक इंच रेलवे लाइन और न नहर वहां पर है । तो ऐसी स्थिति में मैं इस माननीय सदन से अनुरोध करूंगा, माननीय मंत्री जी से भी आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए कि सूखे की भयंकर स्थिति नहीं है । मैं यह अनुरोध करूंगा कि आपको 6 जुलाई को जैसे यह सूचना आई है कि 67 परसेन्ट नुकसान हो चुका है और अगर 67 परसेन्ट नुकसान की रिपोर्ट आ चुकी है और तत्काल आपसे राहत की मांग की गयी और जब तक एक पैसे का राहत का काम नहीं हुआ । तो मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मारकण्डेय चन्द्र--]

से निवेदन करूंगा कि तत्काल युद्ध स्तर पर जितनी सहायता आप कर सकें उन किसानों की करें। एक सबसे बड़ी दयनीय स्थिति उनकी है, जिनके पास केवल हाथ हैं, उनके हाथ व्याकुल हैं। जल्द से जल्द आप टेस्ट वर्क चालू करके उनके पेट की ज्वाला को समाप्त करने के लिए उनको काम दीजिए। जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, उनको फीस की सहायता दीजिए। अभी एक माननीय, सदस्य ने कहा कि सरकारी वसूलियों में कुड़कियां हो रही हैं। इस पर मान्यवर, आप युद्ध स्तर पर काम कीजिए कि ताकि यह जनता समझे कि उनके बुदिन में आप यह सहायता कर रहे हैं। वह जिले से आये हुए आंकड़ों के भ्रमजाल में न पड़ें और आप उनकी सहायता तत्काल मान्यवर, करें।

*श्री अकबाल हुसैन--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस महत्व-पूर्ण चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर दिया। आज इस प्रदेश के करीब-करीब सभी जिले में सूखे का प्रभाव है। जहां तक जनपद गोंडा का सवाल है हमारे यहां ज्यादा से ज्यादा भूमि पर खरीफ की फसल बोयी जाती है। आज तक जो वर्षा हुई है जून, जुलाई और अगस्त के महीने में आज तक इतनी कम वर्षा हुई है कि गोंडा में खरीफ की फसल नहीं बोयी जा सकी। धान की बेलें नहीं लगाई जा सकीं। उसका उपजाऊ पन खत्म हो गया जो बीज डाले गये वह उगे नहीं नमी न होने के कारण। श्रीमन् हमारे पडरौना और गंसड़ी में सरकारी ट्यूबवेल लगे हैं लेकिन वह एक साल से बेकार पड़े हैं उनकी इनरजाइज नहीं किया जा सका, उनको चालू नहीं किया जा सका, अगर प्रदेश की सरकार इस सूखे से चिन्तित होती तो उन ट्यूववेल को चालू करती। नहरों से भी सिचाई का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। जो ट्यूबवेल हैं उनकी नालियां खराब पड़ी हैं, उनसे सिचाई नहीं हो पा रही है। सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने कहा राहत कार्य किया जा रहा है। लेकिन हमारे गोंडा में किसी तरह का कोई टेस्टवर्क नहीं शुरु किया गया न ही ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कोई योजना ली गई है। वहां की गरीब जनता पत्तियां खा रही है।

मान्यवर, गंसड़ी, पचपेड़वा, हरैय्या और पडरौना की स्थिति बहुत खराब है। वहां पर 25 प्रतिशत से ज्यादा भूमि नहीं बोयी जा सकी है। जो बेरन लगाई गय वह सब सूख रही है। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि इसके पूर्व सरकारी देयों की वसूलय बी 30 जून तक होती थी लेकिन इस साल सूखे की इस स्थिति के साथ-साथ वसूली क तारीख सरकार ने 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। आप कहते हैं कि सूखे से प्रदेश की जनता को राहत दे रहें हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से और उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जनपद गोंडा में अविलम्ब राहत कार्य चालू किया जाय, ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वहां पर कार्य शुरू किया। जो ट्यूववेल व नहर खराब पड़ी है उनको तुरन्त ठीक कराकर सिचाई के संसाधन जुटाकर वहां के किसानों को तुरन्त राहत पंचाया जाय।

श्री सोमांश प्रकाश--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सूखे की इस चर्चा में अपने विचार रखने का मौका दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि इस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वर्ष हमारे प्रदेश में सूखे की स्थिति भयावह है और हमारी सरकार की तरफ से जो राहत दी जा रही है, वह किसानों को मिल रही है। लेकिन परिस्थिति बहुत खराब है, प्रदेश का किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे मुजफ्फरनगर में 15 प्रतिशत गन्ने की फसल को नुकसान हुआ है 50 प्रतिशत धान की फसल को नुकसान हुआ है। इसके आगे गेहूं कि फसल को भी नुकसान होने का खतरा है क्योंकि इस वर्ष किसान का गेहूं भीग गया है। बीज की बहुत बड़ी कमी होने जा रही है। आगे बीज का प्रबन्ध कहां से हो, इस पर ध्यान देने की बात है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बिजली बढ़ाई जाय। बिजली के साथ-साथ एक परेशानी ट्रान्सफार्मर की है। बिजली मिल जाती है तो ट्रान्सफार्मर नहीं पहुंच पाते जैसा मेरी अधिकारियों से बातचीत हुई। बिजली और ट्रान्सफार्मर की कमी के कारण किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। जमुना नहर के पानी का स्तर गिर रहा है, इसलिए बिजली और बढ़ायी जाय जिससे सूखे की स्थिति पर काबू पाया जा सके।

इसी के साथ मेरे क्षेत्र के ब्लाक ऊन और दूसरा ब्लाक थाना भवन में सूखे की स्थिति बहुत खराब है, इसलिए निवेदन है कि इस पर ध्यान दिया जाय।

*श्री खैरुल बशर--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वैसे तो सारा प्रदेश सूखे से जल रहा है और उ0 प्र0 से कलकत्ते तक एवं दिल्ली तक धूल उड़ रही है, तो ऐसी हालत में प्रदेश तबाही की कगार पर है। बरसात न होने से हमारे खेत एकदम तबाह हो गये हैं। मन्त्री जी ने कहा कि पानी बरस गया है लेकिन उसके पहले ही धान जल गया है। किसानों ने उस धान को काटकर जानवरों को खिला दिया है। और सरकार ने कहा है कि सूखे का सामना करने के लिए हम तैयार हैं लेकिन सरकार का कोई इंतजाम नहीं है और किसानों को कोई सहायता नहीं पहुंचाई है। इस साल जो भयंकर सूखा पड़ा है वैसा सूखा 20 सालों में नहीं पड़ा था।

जहां तक ट्यूबवेलों की बात है तो बरसात के पहले जो ट्रान्सफार्मर जल गये थे वह आज तक नहीं बदले गये हैं और बिजली विभाग पर सूखे का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। बिजली विभाग बड़ा निकम्मा विभाग हो गया है। हमारे क्षेत्र के फीडर जले हुए हैं दो सालों में 15 गांवों में घूमा तो वहां के लोगों ने बताया कि बिजली नहीं आ रही है। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में ब्लाक परदहां और ब्लाक कोपागंज जो बलिया और गाजीपुर जिले की सीमा से लगे हुए हैं, वहां की भी हालत बहुत खराब है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एकदम तबाही की कगार पर खड़ा है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि किसानों का लगान माफ किया जाय, विद्यार्थियों की फीस माफ की जाय और खाद्यान्न योजना जो बन्द है, उसको चालू किया जाय एवं किसानों से ऋणों की वसूली तत्काल रोकी जाय जिससे किसानों को राहत मिल सके। चूंकि पानी न होने से, वहां नहरें न होने से और 45 ट्यूबवेल बन्द होने से, हमारे यहां सब ट्यूबवेल खराब पड़े हैं, किसानों की सब खेती बेकार हो गयी है और सरकार की तरफ से कोई सहायता न होने से उनकी हालत बहुत खराब है। इसलिए सरकार से मेरी यह भी मांग है कि प्रदेश को सूखा क्षेत्र घोषित किया जाय और किसानों को अनुदान दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं ।

मान्यवर, इस बार मानसून के देर से आने के कारण सूखे की जो समस्या पैदा हो गयी है, जिस पर चर्चा चल रही है, उसमें इस बात को ध्यान में रखते हुये अभी-अभी राज्य आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक पास किया गया है, तो इन दोनों का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है । इस बात का विरोध पक्ष के साथियों को ध्यान रखना चाहिये कि अवर्षण, बाढ़ से जो स्थिति पैदा हो जाती है उसके समाधान के लिये सरकार सजग है । लेकिन यह निश्चित बात है कि साइक्लोन बिड, चक्रपाती हवा की वजह से पानी अब की जून के प्रारम्भ में ही बरस गया इससे सारे किसानों ने अपने बीज खेतों में डाल दिये । लेकिन इसके बाद मानसून न आने की वजह से वर्षा नहीं हुयी । तो किसान का सारे का सारा बीज निकल गया और सारी फसल सूख गयी । जहां तक धान की फसल की बात है तो अर्ली पेडी और लेट पेडी है, लेट पेडी कोई आज बोता नहीं है, अर्ली पैडी बोते हैं । तो जब पानी नहीं बरसा तो पौध को उखाड़ कर खेत में लगाया नहीं जा सका, और वह सूख गयी । जो बाद में वर्षा हुयी तो उसका कोई लाभ नहीं है । गन्ना सूख गया और चारे की फसल भी सूख गयी । तो स्थिति बहुत नाजुक है ऐसी स्थिति में किसान के सामने विकट समस्या पैदा हो गयी है । सरकार का निर्देश है कि चूंकि सूखा है इसलिये लगान या सिंचाई वगैरह की वसूली बन्द कर दी जाय ।

तो मुझे यह कहना है कि यह वसूलियां तो रोक दी जाती हैं लेकिन जो एग्रीकल्चर परपज के लिये, लोन, बैंक लोन लिये जाते हैं, ट्रैक्टर या अन्य कृषि विकास कार्यों के लिये लोन किसानों ने लिया है, वह नहीं रोके जाते हैं । तो जो बड़ी धनराशि खेती के विकास के लिये ली जाती है, भुगतान किसान उत्पादन के हिसाब से करते हैं । जब फसल सूख जायगी या सूखा या अतिवृष्टि हो जायगी तो फसल नष्ट हो जायगी और निश्चित रूप से किसानों के सामने समस्या पैदा होगी और वह लोन अदा नहीं कर सकते हैं । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लगान वगैरह की जो रोक लगायी जाती है उसके साथ-साथ बैंक लोन, कृषि लोन जो लिये गये हैं, उन पर रोक लगायी जानी चाहिये और उनको स्थगित किया जाना चाहिये । सरकार की तरफ से ऐसी स्थिति में जो काम दिये जाते हैं या तकाबी दी जाती है तो उसमें जो पैसा दिया जाता है उसमें ढिलाई हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है । तो मेरा निवेदन है कि इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये और सूखा, बाढ़ की स्थिति में युद्ध स्तर पर तेजी से काम चलाये जाने चाहिये जिससे कि किसानों में असन्तोष न हो सके । इस सिलसिले में बिजली की कमी पड़ रही है । मेरा निवेदन है कि बिजली के मामले में सरकार विशेष रूप से सजग हो जिससे किसानों को राहत मिले । किसान सूखे से त्रस्त हैं उनको निश्चित रूप से राहत दी जानी चाहिये यही मेरा निवेदन है । इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री माता प्रसाद पांडेय--

मान्यवर, जो सदस्य बोलना चाहते हैं तो आप समय बढ़वाकर सबको बुलवा दें ।

*श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो बोलने का अवसर दिया है, उसके लिये आपका मैं आभारी हूं । तो पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों को सुनने के बाद इसमें कोई फर्क नहीं है कि दोनों पक्ष को एक दृष्टि से देख रहे हैं । अगर किसी की निगाह में हरियाली है तो वह माननीय मंत्री जी की निगाह में हरियाली है । वह भूल रहे हैं, जब तक वह मन्त्री हैं तब तक हरियाली है लेकिन जब हट जायेंगे तो सूखे को सूखे की निगाह से देखने लगेंगे । किसान ने ताल तलैयों से पानी लेकर जो खेत बोये थे, वह खेत जल रहे हैं । विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था से आप अवगत हैं । माननीय सदन में बैठे-बैठे अंधकार हो जाता है । प्रदेश की सरकार यहां बैठी है वह आपूर्ति की व्यवस्था जान ले । ट्यूबवेल कैसे चलते हैं, किसान खेत कैसे सींचता होगा । नहर में पानी नहीं है, सरकार बे पानी की हो गयी है, नहर बे पानी की हो गयी है तो खेत कैसे बोये जायेंगे और कैसे काटे जायेंगे, यह सारी परेशानियां किसान के सामने हैं और अब किसान के पास न अनाज रहा और न बीज लेकिन इधर सरकार के पास अनाज भंडारों में पड़ा सड़ रहा है लेकिन इनकी सहायता के लिए सरकार की ओर से अभी तक कोई कदम नहीं उठाये जा रहे हैं इसलिए निवेदन करूंगा कि इस ओर शीघ्र ही ध्यान दें और पूरी तरह किसानों की सहायता करें । माननीय, किसानों के सामने यदि आपने अपनी समस्याओं को बताकर और ऐसे नजरिये से उनको फुसलाना चाहते हैं तो इस तरह किसान के साथ न्याय नहीं होगा बल्कि उसके हक को लूट लेना होगी । भाई मोहन सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं इसके पक्ष पर बल देते हुए कि किसान से सरकारी वसूली रोकी जाए, और छात्रों की फीस माफ की जाए और शीघ्र ही इस आशय के आदेश अधिकारियों को दिये जाएं ।

*श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती'--

अध्यक्ष महोदय, जो इस समय सूखे पर चर्चा हो रही है, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब रबी की फसल खलिहान में ही थी, तभी वर्षा हो गयी जिसके कारण वहां गेहूं पड़े-पड़े सड़ गया और किसी काम के लायक नहीं रहा और गेहूं तो घर तक पहुंच भी नहीं पाया था कि किसानों ने दूसरी ओर पानी देखकर बेहड़ लगा दिया, लेकिन कुछ किसान होशियार थे, जिन्होंने सूझ-बूझ से काम लिया और वह जानते थे कि "पहले वर्षा भर गये ताल, घाघ कहें बरखा को काल ।" वह कहते थे कि वर्षा अब नहीं होगी । तो इस प्रकार गेहूं और धान दोनों चले गये और जिस क्षेत्र में पानी बरसा वहां भयंकर स्थिति है और मेरे क्षेत्र में, पूरी अकबरपुर तहसील में सूखा है, लेकिन उसे अभी सूखा घोषित नहीं किया गया है । माड़ी और कटहरी ब्लाक के अधिकारियों ने जाकर देखा है, लेकिन अभी सूखा घोषित नहीं किया गया है । और माननीय, जहां तक नलकूप का सवाल है, वह अधिकांश खराब है । तिरिया, सिंघरा तथा देहेमा इत्यादि के नलकूप बिलकुल खराब हैं और दो-दो साल से मोटर खराब पड़े हैं और नये कनेक्शन भी काफी समय से नहीं दिये जा रहे हैं और इसके अलावा जो एक विशेषता यह है कि नलकूपों पर जो ओसरा बन्दी पारी बन्दी चलाई गयी है कि जिसकी पारी होगी उसी को पानी मिलेगा और जिसकी पारी है अगर वह पानी नहीं लेना चाहता है तो नलकूप ऐसे ही खड़ा रहता है और जो पानी चाहता है, उसे नहीं मिल पाता है तो यह ओसरा बन्दी समाप्त की जानी चाहिए ताकि जिसको आवश्यकता हो पानी की उसे मिल सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद देता हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री गौरी शंकर भैंय्या--

माननीय अध्यक्ष महोदय, सूखे पर चर्चा हो रही है, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद देता हूं।]

पूरे प्रदेश की बात हो रही थी। सदस्यों ने पूरे प्रदेश की बात कही है। मैं केवल इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि प्रकृति जब डन्डा लेकर खड़ी होती है तो भ्रष्ट मंत्रियों के चेहरे सामने आ जाते हैं। एक बार प्रदेश में सूखा पड़ा और सारी हेकड़ी वीर बहादुर सिंह जी की धरी रह गई। आज के दिन मुख्य मंत्री को आना चाहिए था, विद्युत मंत्री को आना चाहिये था, सिंचाई मंत्री को आना चाहिए था, लेकिन ये तीनों गायब हैं। सूखे में किसी को 1 रु0 दिया, किसी को 2 रु0 दिया, किसी को कम्बल दिया, इसका वितरण देने के लिए सिंचाई मंत्री को और विद्युत् मंत्री को उपस्थित होना चाहिये था।

हमारे जनपद के 80 प्रतिशत भाग में सूखा पड़ा है। जो थोड़ी बहुत फसल बची हुई थी, वह गंगा में अचानक बाढ़ आ जाने से सारी की सारी बह गई।

ब्लाक सोहांव और गड़वार में जिस जमीन पर धान की खेती बोई गई थी, वहां पर नहरों ने काम नहीं किया, ट्यूबवेल ने काम नहीं किया, सारी फसल मुरझा गई और समाप्त हो गई। यही स्थिति मक्का और बाजरा की है। 60 प्रतिशत तक बोई ही नहीं जा सकी है। हनुमानगंज और चिलिकहर में 20 प्रतिशत क्षेत्र में गंगा नदी का पानी चला गया है, फसल समाप्त हो गई है। 80 प्रतिशत फसल का ट्यूबवेल और नहर के काम न करने के कारण नुकसान हुआ है। हनुमानगंज ब्लाक में सूखे का व्यापक प्रभाव है। न नहरें काम कर रही हैं न ट्यूवेल काम कर रहे हैं। विद्युत् विभाग की स्थिति यह है कि जैसे सदन से विद्युत् मंत्री लापता रहते हैं वैसे ही विद्युत् भी लापता रहती है। यह हाल है कि कहीं भी कोई फसल बोई ही नहीं गई। इलाके में अगर कोई फसल बोई गई होगी तो वह बच्चा पाठक, मंत्री जी का इलाका होगा।

मैं मांग करता हूं कि तत्काल सरकार को निर्देश दें कि जो लगान है, उसको माफ करें, सरकारी देयों को स्थगित कर दिया जाय, फीस को माफ कर दिया जाय, उस इलाके को अकाल क्षेत्र घोषित करके युद्ध स्तर पर राहत कार्य किया जाय। अभी कोई भी राहत कार्य हमारे जनपद में नहीं हुआ है। पी0 डब्लू0 डी0 मिनिस्टर आये थे, उन्होंने कहा कि आकस्मिकता निधि दे रहे हैं। 4 महीने से उनको पता था कि सूखा है, पहले सूखे के लिए कोई प्राविधान क्यों नहीं किया ? जब आपने देखा कि मोहन सिंह जी का प्रस्ताव आ रहा है। तो आपने आकस्मिकता निधि में रुपये की मांग कर दी।

*श्रीमती कमला साहनी--

माननीय, सूखे की चर्चा पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं इसके साथ ही साथ में आपको धन्यवाद भी देना चाहती हूं कि आपने आसन ग्रहण करने के बाद महिलाओं की तरफ भी अपना ध्यान दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं शासन का ध्यान अपने बस्ती जनपद की ओर आकर्षित करना चाहती हूं । वैसे प्रदेश में कहीं काफी वर्षा हुई है और कहीं फसल एकदम नष्ट हो गई और कहीं सूखे की स्थिति आ गई है वर्षा न होने के कारण और जिसके कारण जानवर तक मरने की स्थिति में आ गये हैं और मरने लगे हैं, आदमियों की तो क्य. हालत है यह किसी से छिपा नहीं है । बस्ती में खेती भीषण वर्षा के कारण पहले बरबाद हुई और अब सूखे की स्थिति आ गई है पिछले वर्ष भीषण वर्षा हुई और किसानों की फसल जब खलिहान में ही थी वह घर भी नहीं आ पायी थी, वहीं बरबाद हो गई । किसान के बच्चे भूखे मरने लगे । बेचारे किसानों ने कर्जा लेकर फिर रबी की फसल बोयी और अधिकांश फसल भीषण वर्षा के कारण खेतों में ही सड़ गई । उसके बाद खरीफ फसल की बुवाई का समय आ गया । किसी तरह से किसान ने फिर ऋण लेकर खरीफ की फसल बोयी परन्तु वर्षा नहीं हुई और लोगों की खरीफ की फसल खेतों में ही सूख गई।

मान्यवर, बस्ती में नहरों का अभाव है, ट्यूबवेलों का अभाव है, बिजली का अभाव है । हर तरफ मान्यवर, वहां पर अभाव ही अभाव है । मेरी प्रार्थना है कि ऐसी स्थिति में बस्ती जनपद को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की कृपा करें । बस्ती में ट्यूबवेलों के लिए बिजली नहीं मिलती है । कोई-कोई ट्यूबवेलों के लिए तो बिजली की लाइन ही नहीं गई है । मैं माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि बस्ती जनपद में अधिक ट्यूबवेल लगायें ताकि लोगों को और सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो सके और वहां के ट्यूबवेलों को आप बिजली दें ।

ऐसी स्थिति में जब लोगों की रबी और खरीफ की फसल नष्ट हो गई है, लोग अपने बच्चों की फीस नहीं दे सकते हैं तो आप उनके बच्चों की फीस को माफ कीजिए, किसानों के कर्ज को माफ कीजिए और लोगों को राहत देने के लिए तकावी दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि किसान अपने बच्चों का पेट पाल सके और अपने जानवरों की रक्षा कर सके । इसके साथ ही बस्ती में ट्यूबवेलों को बिजली दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए और इसके साथ ही बस्ती जनपद को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए कार्यवाही करने की कृपा करें ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ---

माननीय अध्यक्ष महोदय, सूखा की चर्चा पर आज मुझे भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं । मान्यवर, बस्ती जनपद इस प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है । कभी बस्ती सूखा से ग्रस्त हो जाता है, कभी ज्यादा बारिश हो जाती है । बस्ती इन्हीं विपदाओं से त्रस्त रहता है । फैजाबाद से बस्ती जाने के लिए हरैया तहसील की हालत बहुत दयनीय है । खलीलाबाद तक बांसी की भी हालत बहुत दयनीय है लेकिन मान्यवर, बस्ती के जिलाधिकारी ने अभी तक शासन को वहां की सही स्थिति का ज्ञान नहीं कराया है और बस्ती को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश नहीं की है हरैया के एस0 डी0 एम0 ने उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया तो उनको उन्होंने बहुत डांटा । जिलाधिकारी अपनी वाहवाही के लिए, अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए बस्ती जनपद को सूखाग्रस्त क्षेत्र नहीं बताना चाहते । मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि बस्ती जनपद को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए और भारी पैमाने पर सड़कों का काम व अन्य काम शुरू कराया जाय । ट्यूबवेल के लिए साल-साल भर से वहां बिजली की लाइन नहीं दी गई

[श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--]

हैं । बिजली की जो हालत है, अभी उसके बारे में माननीया सदस्या कह चुकी हैं । वहां भूखमरी की स्थिति आ चुकी है । हम लोग तराई इलाके के हैं जहां--जहां रोपाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन वह भी अभी तक नहीं हो पाई है ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि थोड़ा बहुत जो राहत आप दें उसका सही रूप में वितरण हो जाय, इस बात को आप सुनिश्चित कर लें और इसमें कम से कम सख्ती होनी चाहिए कि इसमें जो भ्रष्टाचार करे, जो उनके हक मारे, उनसे सख्ती से निपटें और बस्ती जनपद को सूखाग्रस्त घोषित करने की मैं मांग करता हूं ।

श्री शम्भूनाथ--

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री जी ने जो रिपोर्ट पढ़ी, उस रिपोर्ट को सुन कर मुझे दुख और आश्चर्य दोनों हुआ । आजमगढ़ जिला उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा सूखाग्रस्त जिला है । मई के महीने में इतना पानी बरसा कि ज्यादा फसल सड़ गयीं । उसके बाद आज तक आजमगढ़ जिले में पानी नहीं बरसा । जहां तक राहत कार्य का सवाल है आज तक वहां कोई राहत कार्य भी शुरू नहीं हुआ है । जहां तक विद्युत का सवाल है, बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बिजली देने की बात कही गई थी लेकिन अक्सर यही सुनने को मिलता है कि ट्रांसफार्मर खराब है, वह बन नहीं सका है या उसके लिए तार व अन्य सामान नहीं मिल रहा है, इसलिए रिपेयरिंग का कार्य नहीं हो पा रहा है । जो ट्रांसफार्मर जल जाते हैं उनको लगाने व तार आदि देने की व्यवस्था विद्युत विभाग को करनी चाहिए ताकि विद्युत की व्यवस्था सुचारुरूप से हो सके ।

तीसरी बात यह है कि आजमगढ़ जनपद को तुरन्त सूखाग्रस्त घोषित करके पूरे जनपद में इस फसल की लगान माफ कर दी जाय और बिजली विभाग, कोआपरेटिव का बकाया व राजस्व विभाग की तरफ से जो बकाया लगान आदि की वसूली है, उसे स्थगित कर दिया जाय । आजमगढ़ जिले में ग्रामीण लोग मजदूरी नहीं कर रहे हैं । कौन मजदूरी कराए किसके पास क्या है धान की फसल जो हुई थी उसे काट-काट कर जानवरों को खिला दिया गया । जो धान बोया गया था उसको भी काट-काट कर जानवरों को खिला दिया गया है । गर्मी पड़ रही है, मनुष्य अपने जीवन से ही आतंकित है । ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत तमाम सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कराया जाय और मजदूरों के लिए मजदूरी की व्यवस्था की जाय ताकि वे अपना पेट भर सकें । और उनको मजदूरी मिल सके । खाद के मुताल्लिक जो भी वसूली हो उन सभी को स्थगित किया जाय ताकि आजमगढ़ जनपद के लोगों को राहत मिल सके । कार्तिक में गेहू की फसल की बोवाई होगी इसलिए आपको चाहिए कि अपने ट्यूबवेल्स को ठीक करें, ट्रांसफर में जहां तार वगैरह नहीं हो, उनको दुरुस्त करावें । नहरें जहां चल रही हैं लेकिन जहां पानी ठीक से पहुंच नहीं पा रहा है, वहां पानी की व्यवस्था करायी जाय । साथ ही साथ गरीब किसानों के लिए मुफ्त गेहू, मुफ्त बीज और खाद की व्यवस्था की जाय, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था की जाय । आजकल आजमगढ़ जनपद की बहुत खराब हालत चल रही है । आजमगढ़ में विकराल स्थिति पैदा हो गई है । मैं चाहूंगा कि तुरन्त वहां राहत कार्य प्रारम्भ किया जाए और सुविधायें दी जाय । जो अधिकारी राहत कार्य में लापरवाही कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय ।

[समय 6 बजे सायं]

श्री सत्यपाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बधाई देते हुए धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। आज उत्तर प्रदेश के काफी जिले सूखे से प्रभावित हो चुके हैं और काफी जिले आज भी प्रभावित हैं। मैं माननीय मन्त्री जी के समक्ष भाषण नहीं करना चाहता हूं, कुछ शिकायतें और सुझाव रखना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी उस पर अवश्य विचार करेंगे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत बरेली मन्डल में हमारे जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत जुलाई के महीने में किसान को अपने धान को बेच डालना चाहिए था और ज्वार और बाजरा बोना चाहिए था। उस समय पानी नहीं बरस रहा था और किसान अपने ट्यूबवेल, पम्पिंग सेट और कुए के जरिए सिचाई कर रहा था। उस समय मन्त्री जी की सरकार राहत के नाम पर इस बात पर जुटी हुई थी कि कितने ही बकायेदारों को बकाए के नाम पर 15-15 दिन जेल में बन्द कराया। पिछले दो महीने के अन्दर अपने केवल बरेली जिले में ही नहीं, बल्कि पूरे बरेली मन्डल में तमाम लोगों के लाइसेन्स रद्द करके मालखाने में जमा करा लिया। यह आपने राहत का काम किया है।

आप जैसे पुराने मन्त्री को कम से कम इतना जागरूक और सहृदय होना चाहिए था कि जो जनता सूखे से प्रभावित थी और आप जिनकी रक्षा नहीं कर पा रहे थे, उनको कुछ मदद करते लेकिन उस समय आपने, वह लोग जो छोटे-छोटे हथियार रखते थे, उन हथियारों को भी जमा करा लिया। इसलिए मैं मन्त्री जी से आग्रह करता हूं कि जो बकाया अदा न कर पाने के कारण अपने हथियार जब्त कराए हैं, उनके हथियार आप फौरन वापस करायें। इससे बड़ी दूसरी कलंक की बात नहीं हो सकती है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जिन किसानों ने अपने पैसे से डीजल वगैरह खरीद कर किसी तरह से फसलों को बोया, समय पर नहीं बो पाये, आज उनको खाद देने का वक्त है। आप उनको खाद सब्सिडाइज्ड रेट्स पर उपलब्ध करायें। मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि आप स्कूल के बच्चों की फीस बिल्कुल माफ कराइए और अन्त में मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके अपने मौसम विभाग को सतर्क करें और वैज्ञानिक बनाएं ताकि आपको पता लग सके कि किस वक्त आपके प्रदेश में सूखा आने वाला है, किस वक्त बाढ़ आने वाली है। न कि आप मूकदर्शक बने बैठे हैं कि जब कुछ होगा तब देखा जायेगा। आपका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि आज जो जनता त्राहि-त्राहि कर रही है, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत मुसीबत है, वहां विशेषकर सुविधायें दी जायें और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां अब वर्षा हो चुकी है लेकिन वहां के लोग प्रभावित हो चुके हैं, उनको सुविधायें दी जायें और आपके जो अधिकारी जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप कार्यवाही करिये।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने प्रस्तुत सूखे की चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है, इसके साथ ही साथ श्री मोहन सिंह का आभारी हूं कि शायद आज यह पहला विषय है जो उन्होंने प्रस्तुत किया है जो राजनैतिक दृष्टि से नहीं बल्कि जनहित के लिए उपयोगी है। जहां तक सूखे का विषय है, प्रदेश का शायद ही कोई जिला हो जो सूखे से प्रभावित न हो। मेरा जनपद उन जनपदों में से है जहां पर नहर की योजना नहीं है केवल सरकारी नलकूप और प्राइवेट नलकूपों के सहारे सिंचाई होती है। अधिक अच्छा होता यदि

[श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय---]

आज इस समय सिंचाई मंत्री जी भी उपस्थित होते । जहां तक सूखे से निबटने की बात है माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह उसके लिए तैयार हैं । मैं इसका स्वागत करता हूं और इसके साथ ही साथ जो कुछ तजुर्बा हासिल हुआ है, उसके आधार पर मैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । जब पिछली बार बाढ़ आयी तो जो राहत दी गई उसमें बहुत गड़बड़ी हुई है । जो अनुदान दिया गया है वह समय पर नहीं दिया गया है । प्रधानों का चुनाव जब हुआ, तब उनको अनुदान दिया गया । जो लोग पाने के हकदार थे, उनको नहीं मिला । जो भी राहत दी जाये वह समय से दी जाए, ऐसी पूरे व्यवस्था होनी चाहिए । यदि किसी व्यक्ति का, जो राहत पाने का अधिकारी है, और समय से नहीं मिल पाती है । तो उसका वास्तविक राहत नहीं मिल पाती हैं सूखे के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं और कुछ सुझाव भी रखना चाहता हूं और उनके शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं एक तो मान्यवर, सूखाग्रस्त क्षेत्रों से रिपोर्ट जिलाधिकारियों के माध्यम से शीघ्र मंगायी जाये । जहां पर सूखा है वहां पर कोई न कोई टेस्ट वर्क शीघ्र चालू किया जाना चाहिए । मान्यवर, मैं अपने जिले गोंडा की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । गोंडा जिले का उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र जो सूखे से बहुत ही ग्रसित है । जो वसूली है उसको स्थगित किया जाना चाहिए । एल0 डी0 बी0 बैंक या कोआपरेटिव बैंक की वसूली को स्थगित किया जाय । जहां पर किसी का बकाया हो, उसको स्थगित किया जाय । जहां पर लोगों को बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाया है, वहां पर लोगों को शीघ्र कनेक्शन दिए जाय । इन शब्दों के साथ मैं अपना आभार प्रकट करता हूं ।

श्री जमुना प्रसाद---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण मसले पर मुझे अपन विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, इस वर्ष मानसून के देर से आने से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गयी है । मान्यवर, मैं बाराबंकी जिले से आता हूं । 24-3-82 को मेरे जिले में भीषण ओला गिरा है जिसको देखने के लिए माननीय मंत्री जी गए थे । ओला डेढ़ फीट की ऊंचाई का गिरा था । माननीय मंत्री जी ने राहत के कार्य के लिए कुछ धन दिया था । अधिकारी एक बार तो क्षेत्र में गए परन्तु फिर दुबारा वह नहीं गए । दूसरी ओर जब खरीफ की फसल बोने का समय हुआ तो पानी ही नहीं बरसा जिसके कारण न तो धान की रोपाई हो सकी और न बोआई हो सकी । इसलिये मेरा क्षेत्र पूरी तरह से प्रभावित है और 75 प्रतिशत लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं ।

मेरे क्षेत्र में शारदा सहायक परियोजना की नहर है जिससे कि उसके पूर्वी क्षेत्र में पानी दिया जाता है लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है । वहां पर कोई ट्यूबवेल भी नहीं है । सीतापुर से अटहरा तथा कुर्सी माइनरें आती हैं लेकिन वे माइनरें बिलकुल सूखी पड़ी हुई हैं । उनमें पानी नहीं आता है जिससे कि सिंचाई नहीं हो पाती है । इसलिये मैं मांग करता हूं कि इस विषय पर गम्भीरता से विचार करके बाराबंकी जिले को सूखाग्रस्त घोषित करके वहां राहत कार्य किये जायं । मेरा मन्त्री जी से अनुग्रह है कि वे किसानों की फसलों का मुआवजा दें । हमारी तहसील फतेहपुर में सूखे का बहुत प्रभाव पड़ा है । दरियाबाद में समानान्तर एक नहर आती है जिसमें माह जुलाई में

धान बुवाई के समय भी बिल्कुल पानी नहीं दिया गया जिससे वहां पर धान की बोआई नहीं हो पायी है । इस तरह से मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है । मेरा क्षेत्र मुख्यतः धान और गेहूं पैदा करने वाला क्षेत्र है । इससे हमारे किसानों का नुकसान हुआ है । वहां पर ट्यूबवेलों को बिजली देने की व्यवस्था भी नहीं है । सरदारगंज में एक सरकारी ट्यूबवेल है, जिसमें एक दिन भी आपने बिजली नहीं दी है । इसलिये मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे यहां राहत कार्य पहुंचायें ।

*श्री परमात्मा प्रसाद सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रदेश में पड़े सूखे पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर, यह जो प्रदेश के अन्दर सूखा पड़ा है इसने भयंकर दुर्भिक्ष का रूप धारण कर लिया है । इस पर सोचने और समझने का मौका नहीं है, विचार करने की बात नहीं है बल्कि वहां पर राहत कार्य पहुंचाने की बात होनी चाहिए । दर-असल सोचने की बात तो यह है कि हम इस सूखे से कैसे लड़ें, कैसे इसका सामना किया जाय । पूरे सूबे में अधिक से अधिक 10-15 फीसदी फसल है उन पर सिंचाई की व्यवस्था की जानी चाहिए । विभाग की कार्य प्रणाली ऐसी है कि जिसकी खराबी की और सुस्ती की कोई सीमा नहीं है । हमारे जिले में जो नलकूप हैं मेरे पास 14 नलकूपों की सूची मौजूद है जिन्होंने कि पी० एल० फार्म भरकर कम्प्लीट करके बिजली दफ्तर को भेज दिया है किन्तु अभी तक उनको बिजली नहीं दी गई है । साथ ही नहरों में जो पानी की क्षमता है, उसको बढ़ाया जाय, साथ ही नहरों में जो पानी डाला जाता है, वह भी बढ़ाया जाय । जो वसूली किसानों से होती है, उसको रोक दिया जाय और दूसरे राहत के कार्य प्रदेश के अन्दर चालू कर दिये जायं ।

मान्यवर, प्रदेश के 86 प्रतिशत लोग खेती पर आधारित हैं और केवल 20/25 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके पास खेती ज्यादा है बाकी सब छोटे किसान हैं जिनके पास 10 फीसदी भी खेती नहीं है जो कि मजदूरी करके अपनी रोटी चलाते हैं । इसलिये मैं चाहता हूं कि जो उनके बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, उनकी फीस माफ होनी चाहिए । यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

(श्री मोहन सिंह का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, हमें भी अपने जिले के बारे में बोलने का मौका दें ।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने के लिये समय की मांग करने लगे) ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

इसके लिये जो समय निर्धारित हुआ था उसके अनुसार मैंने सबको मौका दिया है ।

(व्यवधान)

(श्री मोहन सिंह का नाम पुकारे जाने तथा कई सदस्यों द्वारा समय बढ़ाने की मांग करने पर)

श्री राजेन्द्र सिंह--

अध्यक्ष महोदय, दोनों तरफ के माननीय सदस्यों की यह मांग है कि कुछ समय बढ़ा दिया जाय । मैं चाहता हूं आधा घंटा का समय और बढ़ा दिया जाय ।

मुख्य मन्त्री (श्री श्रीपति मिश्र)--

मैं माननीय नेता, विरोधी दल की इच्छा का स्वागत करता हूं, आप आधा घंटे का समय बढ़ा दें ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, आधा घंटे का समय इसके लिये बढ़ाया जाता है ।

*श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मैं मान्यवर, आपका अभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया । यह सूखा त्रेता युग में भी पड़ता था, महाराज जनक के समय भी पड़ा, अकबर के समय में भी पड़ा, और सन् 1948 में भी पड़ा । जापान में भी सूखा पड़ा । जब वहां पर सूखा पड़ा तो वहां इससे निपटने के लिये एक पंचवर्षीय योजना बनायी गयी । हमारे यहां इन 35 वर्षों में भी देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बन सका ।

मैं पर्वतीय जिलों की सूखे की स्थिति के बारे में बतलाना चाहता हूं । गत वर्ष भी हमारे यहां सारी खरीफ की फसल नष्ट हो गयी थी । इस वर्ष भी नष्ट हो गयी । जब हमारे मुख्य मन्त्री जी हमारे यहां गये थे तो वहां की स्थिति देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ गये थे । वे आंसू बहाकर चले आये । आंधी में लाखों पेड़ उखड़ गये, स्कूलों की छतें उड़ गयीं, कई मकान धराशायी हो गये ।

पर्वतीय क्षेत्र में सितम्बर के महीने में गेहूं की बोवायी होती है । मगर वहां के लिये बीज तक का इन्तजाम नहीं किया गया है । कम से कम वहां बीज उपलब्ध करा दिया जाय । हमारे क्षेत्र में दो प्रकार का कीड़ा फसलों में लगा है जो पत्तियों को खा रहा है । एक नये प्रकार का कीड़ा फसल को नष्ट कर रहा है । इधर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये ।

जो हमारे यहां नहरें हैं, वे भी सूखी पड़ी हैं । अगर उनमें पानी रहे तो निचले क्षेत्रों में सिंचाई हो सकती है माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सूखे के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सम्बन्ध में एक मीटिंग भी बुलायी थी और यह आदेश दिये थे कि इस सम्बन्ध में युद्ध स्तर पर कार्य होना चाहिये, मगर हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं हो रहा है। हमने अपने यहां के एस0 डी0 एम0 और डी0 एम0 तक से कहा कि एक तरफ तो युद्ध स्तर पर काम करने की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ आपकी नहरें बन्जर पड़ी हुई हैं। मगर हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। जन प्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जाती है। जब हम लिख कर कोई चीज देते हैं, तो वह उसी कागज की तरह फेंक दिया जाता है जैसे कि टट्टी में रखे हुये कागज को पोछ कर फेंक दिया जाता है। उसका नतीजा यह होता है कि आज तक जितने भी सुझाव हम लोग देते हैं, आये दिन आप देखते हैं रोज यहां पर सरकारी विभागों की आलोचनायें होती हैं, उन सुझावों पर अमल नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

जो सुझाव यहां पर दिये गये हैं, उन पर माननीय मुख्य मन्त्री जी ध्यान देने का कष्ट करें। इन शब्दों के साथ में कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए तुरन्त राहत के कार्य चलायें और वहां सारी सुविधा प्रदान करें।

श्री श्रीपति मिश्र--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा कि दोनों तरफ के माननीय सदस्य सूखे के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। मेरे पास जो सूचनायें हैं उनसे और जो विचार यहां पर व्यक्त किये जा रहे हैं, उनमें भिन्नता प्रदर्शित हो रही है। जहां तक मेरी सूचना है उसके अनुसार मई में पानी अधिक वर्षा जो असामयिक था, इसके बाद जून में पानी कम बरसा और जुलाई के प्रथम सप्ताह में भी कम वर्षा, जुलाई, अगस्त में कुछ पानी बरसा जिसकी वजह से वह स्थिति जो भयानकता की थी, कम हो गयी और उतनी भयावह नहीं रह गयी जितनी कि अगर पानी नहीं बरसता तो हो जाती। लेकिन फिर भी समय से रोपाई और बुआई न होने के कारण नुकसान हर क्षेत्र में हुआ है और जहां तक जानवरों के चारे का सवाल है, उसमें थोड़ा बहुत पानी बरसने से चारे का उतना नुकसान नहीं हुआ और किसी न किसी तरह चारा हुआ है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि जो हमारी सूचनायें हैं और जो आप सूचना दे रहे हैं, दोनों को देखकर जहां आपकी सूचना से हमारी सूचना में भिन्नता होगी उसे देखकर उसके सम्बन्ध में उचित कार्यवाही, जो करनी होगी, करेंगे।

तत्काल जो राहत कार्य का निर्णय लिया गया है, वह मैं नहीं समझता कि बहुत काफी है लेकिन तब भी शासन ने हर स्थिति को देख कर जो निर्णय सम्भव हैं, केवल उनको मैं आपके समक्ष रखकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

इस समय सूखे से जितने क्षेत्र प्रभावित हैं उनमें सरकारी देयों की वसूलयाबी में उत्पीड़न की परिभाषा में जेल ले जाना था, उसमें कुर्की भी जोड़ दी गयी है अर्थात् उत्पीड़न में जेल और कुर्की दोनों जोड़ दिये गये हैं क्योंकि अभी तक जेल ले जाना उत्पीड़न आता था कुर्की उत्पीड़न नहीं मानते थे तो कुर्की को भी स्पष्ट कर दिया गया है, यह नहीं करेंगे।

श्री मोहन सिंह--

इससे क्या होगा ।

श्री श्रीपति मिश्र--

अधिक अन्न उपजाओ, राष्ट्रीय प्रसार योजना में सीमांत कृषकों से जितनी वसूलयाबी थी, वह पूर्णतया माफ कर दी गयी है, यह करीब 16 करोड़ रुपये की थी ।

रोजगार देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण योजना में 40 जिलों में 6 करोड़ रुपये इस सम्बन्ध में दिये गये हैं और जहां 50 परसेंट से ज्यादा हानि हुई है वहां कृषि देयों की वसूलयाबी तुरंत स्थगित की जा रही है और पूरी रिपोर्ट आने पर नियमानुसार माफी भी करेंगे । माननीय मोहन सिंह ने कहा इससे क्या हुआ तो मैंने पहले ही कहा सीमा के अन्तर्गत जितना कुछ किया जा सकता है किया गया है इसके पश्चात् जब स्थिति का आकलन पुनः होगा और उसके अनुसार किया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

मैं एक चीज यह जानना चाहता हूं कि जो बीज खाक हो गया है, जो बीज की शार्टेज आने वाली है और जिसके बारे में गवर्नमेंट स्टेट फार्मों और यूनिवर्सिटियों ने भी कह दिया है कि हमारे पास भीगे बीज के अलावा बीज नहीं उपलब्ध होगा, तो क्या आप उसके लिए कोई प्रबन्ध कर रहे हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

उसके लिए समुचित बीज प्रदान किया जाय, इसकी व्यवस्था की जा रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मुख्य मंत्री जी ने बताया कि कृषि देयों की वसूली रोक दी गई है, इस पर मैंने व्यक्तिगत वार्ता भी की है, उन पर इसके अलावा बैंक और कोआपरेटिव बैंक की भी बड़ी भारी रिकवरी है, जो कि रुकी नहीं है, तो क्या इसके साथ-साथ मुख्य मंत्री जी बैंकों की रिकवरी भी रोकने की व्यवस्था करेंगे जैसा कि पूर्ववर्ती वर्षों में ऐसा किया जा चुका है ? दूसरी बात यह है कि देयों की वसूली रोकने का आदेश कर दिया गया है, लेकिन जो एस0 डी0 एम0 हैं उनके लिए वसूली का कोटा बंधा हुआ है, उसमें जब तक उनको ढील न दी जाय यह कैसे होगा ? वह कहते हैं कि वह आदर्श अपनी जगह पर है हमें तो अपनी एडवर्स एन्ट्री बचाने के लिए पूरी कार्यवाही करनी ही पड़ेगी । तो इन दोनों बातों पर आप बता दें ।

श्री श्रीपति मिश्र--

वसूली रोकने में कृषि सम्बन्धी देयों में कोआपरेटिव का शामिल है, दूसरे ऋण बैंक के शामिल नहीं हैं । इसके अलावा आपने जो दूसरा प्रश्न उठाया है कि एस0 डी0 एम0 का कोटा है, तो कोटा हो चाहे न हो, चाहे उनका पूरा हो या न हो, जो आदेश गये हैं, उनका पालन होगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपा करके अब आप बैठिए।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूं। सवाल यह है कि अब मात्र स्थिति ही बतानी है और बाकी तो करीब-करीब ठीक हो गया है। मैं श्रीमन्, आपके माध्यम से एक शब्द कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने जो सदन में बयान दिया है, हम लोगों के लिए काफी है। मैं एक परिस्थिति की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा और मंत्री जी से आग्रह करूंग कि देवरिया जनपद का दक्षिणांचल बिल्कुल बर्बाद हो गया है और उत्तरांचल की स्थिति यह है कि रुपये में चार आने वर्षा अवश्य हुई है। वहां का काश्तकार एक मात्र गन्ने पर बेस करता है और उसके गन्ने का पेमेन्ट का फरवरी तक का बकाया है....

श्री अध्यक्ष--

गन्ने पर चर्चा अलग से होगी, इसकी यहां पर आवश्यकता नहीं है, तभी आप कहियेगा।

(व्यवधान)

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वसूली के सम्बन्ध में अगर किसानों का पेमेन्ट नहीं होता है, तो उनके पास कोई साधन नहीं है जिससे वह अपना भुगतान कर सकें। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कृषकों की पर्चियां ले ली जायं। सरकार ने उनका उत्पीड़न तो समाप्त कर दिया है, यह खुशी की बात है। अन्त में मैं आपको पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

(व्यवधान)

(श्री मोहन सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, फिर मुझे आपने मौका नहीं दिया। मैं ही आपका कोपभाजन हो गया हूं।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं सभी माननीय सदस्यों का पक्ष और विपक्ष के लोगों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण बहस में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। माननीय मुख्य मंत्री इस बहस में हस्तक्षेप करके चले गये और शासन की ओर, से जो सीमित घोषणा हुई है, वह हम लोगों को सन्तोष देने वाली नहीं है। मैं राजस्व मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आज से कुछ दिन पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसका दायित्व अपने सहयोगी मंत्रियों को दिया है कि वह सूखे का आंकलन अपने मंडलीय स्तर पर करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहन सिंह---]

इस संदर्भ में, मैं विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि यदि आप सूखे पर अफसरशाही के आकलन पर निर्भर करेंगे तो उसी प्रकार से आप राहत कार्य करेंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आंकड़े इकट्ठा करते समय जन-प्रतिनिधियों की साझेदारी होनी चाहिए। मुझे अफसोस है कि जिन मंत्रियों को मंडलीय स्तर पर रखा था, उन्होंने सूखे के सम्बन्ध में एक भी वहां के विधायकों की मीटिंग नहीं की। मेरी प्रार्थना है कि मंडलीय स्तर पर और जिला स्तर पर जन-प्रतिनिधियों की एक बैठक होनी चाहिए जिसमें जिले के जिम्मेदार अधिकारी भी हों और दोनों पक्षों की राय से जिले की सूखे की स्थिति से शासन को अवगत कराया जाय।

मंत्री जी ने बताया कि दैवी आपदाओं के लिए 10 करोड़ 80 लाख रुपया दिया है। यह धनराशि बहुत सीमित है, इसको उन्हें बढ़ाना चाहिए और मुझे आशा है कि इसको देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अब आपने आकस्मिकता निधि में धनराशि की सीमा भी बढ़ा ली है।

इन चन्द सुझावों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि ग्रामीण विकास योजना के लिए आप अतिरिक्त धन आवंटित कीजिए जैसे सड़कों के निर्माण के लिए, पुलियों के निर्माण के लिए, वृक्षारोपण के कार्यक्रम के लिए। यदि इस काम को आप त्वरित गति से नहीं करेंगे तो आपके आंकड़े कुछ भी कहें, प्रदेश में भुखमरी की स्थिति शीघ्र पैदा हो जायेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बैजनाथ कुरील---

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस चर्चा में 22 माननीय सदस्यों ने भाग लिया, मैं उन सब का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए जिनसे शासन को लाभ मिलेगा।

इस चर्चा में मुख्यतया कुछ बिन्दु उभर कर, जो आये हैं, वे ये हैं। एक तो यह है कि सिंचाई के साधन सुनिश्चित किए जायं। इसमें कोई दो राय नहीं है और इसकी चिन्ता पहले से थी और नहरों और ट्यूबवेलों को चलवाने का पूरा प्रयास किया गया है लेकिन फिर भी अभी उसमें जो कमी है उसको ठीक करने के लिए पूरा प्रयास तेजी से किया जायेगा।

दूसरा बिन्दु वसूली के लिये आया है। उसके बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने आपके सामने अपना बयान दिया है और उसने आश्वासन जो दिया है सदन में, वह पूरा किया जायेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। वह तो रहेगा बराबर लेकिन वसूली जो है, वह पहले भी बाढ़ के कारण कभी सूखे के कारण स्थगित होती रही है। उससे किसानों के ऊपर बोझ पड़ता रहा है। पहले भी कई बार स्थगित हुयी है और फिर जब काश्तकारों से ली जाती है तो अधिक बोझ पड़ता है। इस समय मैं बता दूं कि 61 करोड़ 47 लाख रुपया सिंचाई और रेवेन्यू का शुद्ध देय है और 30 जून तक जो हमने वसूल किया है वह 29 करोड़ 6 लाख रुपया है। मेरा कहना यह है कि वसूली स्थगित होती रही है। पिछली बार जहां पर ओला वृष्टि से 50 प्रतिशत से ज्यादा हानि हुयी थी, वहां पर वसूली स्थगित हुयी थी और जो दूसरे देय हैं, बैंकों आदि के, उनके लिए भी यह कहा गया था कि उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं करेंगे।

श्री माता प्रसाद पांडेय---

आप एग्रीकल्चर ड्यूज पर ब्याज लेते है।

श्री बंजनाथ कुरील—

हमारा जो रेवेन्यू का देय है जिसे हम स्थगित करते हैं, उस पर ब्याज नहीं लेते हैं। लेकिन बैंक के जो पैसे स्थगित होते हैं, उसमें ब्याज चलता रहता है। रेवेन्यु के देय जो है, उसमें ब्याज नहीं चलता है। यह जो वसूली है, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने आश्वासन दिया है, उससे बाहर मैं नहीं जा सकता। दूसरी जो चिन्ता है, वह बीज है। यह सही बात है कि अगर वह भीगा गेहूं बोया गया, तो उसका जर्मीनेशन ठीक नहीं होगा। यह शासन का कर्तव्य है, शासन इस ओर पूरा प्रयास करेगा कि किसानों को अच्छा बीज वह उपलब्ध करायेगा। यह शासन घोषणा करता है। तीसरी बात यह है कि राहत के जो कार्य हैं, वह ठीक प्रकार से सभी जगह पर प्रारम्भ नहीं हुए हैं। अभी माननीय मोहन सिंह ने सुझाव दिया है और भी माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि राहत के कार्य जहां पर शुरू हों, तो जो जनप्रतिनिधि हों, उनको भी कांफीडेंस में लिया जाय। इसका मैं आदेश करूंगा कि जहां पर राहत का कार्य किया जाय, वहां पर माननीय सदस्यों को कांफीडेंस में लिया जाय। यह बात कही गयी कि बन्दूकें जमा कराई गयीं। यह मेरी नालेज में नहीं है। यह किसी अन्य वजह से जमा करायी गयी होगी।

श्री सत्यपाल सिंह—

वसूली के सम्बन्ध में बन्दूकें जमा कराई गयीं।

श्री रियासत हुसैन—

हर जिले में सूखा राहत कोष खोल दिया गया है।

श्री बैजनाथ कुरील—

वसूली के सम्बन्ध में जो आर्म्स लिए गए हैं, वह तुरन्त वापस करा ये जायेंगे। एक बात और कही गई कि छात्रों की फीस माफी के लिए, इसके सम्बन्ध में मैं, माननीय शिक्षा मन्त्री जी से कहूंगा, वह इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगी और भी जो सुझाव आये हैं, बहुत से जो मौलिक सुझाव हैं, उसको गम्भीरता से शासन उसका फायदा उठायेगा, इसमें कोई शक नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

61 करोड़ रुपया जो बकाया रह गया है किसानों का, क्या इस बात का आप आश्वासन देंगे कि उसमें किसी भी किस्म की वसूलयाबी के लिए किसी प्रकार का आदेश तहसील को नहीं जायगा ?

श्री बैजनाथ कुरील—

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो आश्वासन दे दिया, उसके खिलाफ तो हम नहीं जा सकते।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

जो ट्यूबवेल्स हैं और नान-पेमेंट करने की वजह से उनके कनेक्शन काट दिये गये हैं तो उनको कितना धन देने पर वह दुबारा जुड़वा दिये जायेंगे। इसमें अभी तक आधा धन देने की व्यवस्था है। क्या चौथाई धन देने पर आप उसको जोड़वा देंगे ?

श्री बंजनाथ कुरील--

एक वक्त था कि मैं सेन्ट्रल गवर्नमेंट में था और इर्रीगेशन, पावर मिनिस्ट्री में था। उस वक्त मैंने यह किया था कि कनेक्शन न काटे जायं और जो पैसा बकाया है, उसको उसकी फसल से वसूल किया जाय, क्योंकि कनेक्शन काट देंगे तो फसल कहां से पैदा होगी और फसल नहीं पैदा होगी, तो वसूली कहां से होगी। मैं बिजली विभाग से यह प्रार्थना करूंगा कि कनेक्शन दे दिये जायं, ताकि अनाज पैदा हो।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 की 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इसमें से पहली सूचना श्रीमती गौरी देवी, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री गौरी शंकर भैय्या, श्री रियासत हुसैन, श्री माता प्रसाद पांडेय की गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित छात्रों को 30 प्रतिशत प्राप्तांक में कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इसको मैंने स्वीकार किया है और 27 तारीख वक्तव्य के लिए निर्धारित किया है। शेष सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं।

इलाहाबाद में पुलिस की पिटाई से एक छात्र की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा)--

दिनांक 15 अगस्त, 1982 को प्रातः थानाध्यक्ष जार्जटाउन ने इस आशय की सूचना अंकित कि की बीती रात को जब वे पुलिस दल के साथ गश्त पर थे तो उन्हें यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ सशस्त्र अपराधी इण्डियन प्रेस के समीप अपराध करने के उद्देश्य से एकत्रित हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष पुलिस दल सहित उक्त स्थान पर पहुंचे और यह आश्वस्त हो जाने पर कि एकत्र कुछ व्यक्ति अपराध करने की योजना बना रहे हैं, थानाध्यक्ष ने उन्हें आत्म-समर्पण करने हेतु ललकारा। इस पर एक व्यक्ति ने जिसने बाद में अपना नाम महेन्द्र कुमार त्रिपाठी बतलाया, ने थानाध्यक्ष पर फायर किया किन्तु वे बाल-बाल बच गए। एक अन्य व्यक्ति ने उप निरीक्षक, श्री सुरेन्द्र सिंह पर प्रहार किया। पुलिस ने मौके पर तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और चार व्यक्ति भागने में सफल हुए। गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से देशी तमन्चे आदि बरामद किए गए। इस सूचना के आधार पर थाना जार्ज टाउन में धारा 399/402/307 भा0 दं0 वि0 व 25 आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत 7 नामांकित व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किए गए।

दिनांक 15 अगस्त, 1982 को ही घायल व्यक्तियों का डाक्टरी मुआयना कराया गया व श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी (जो स्थानीय कालेज के बी0 ए0 का छात्र था) को डाक्टर ने उपचार हेतु भर्ती कर लिया। दिनांक 20 अगस्त, 1982 को प्रातः लगभग 7.20 बजे श्री त्रिपाठी की अस्पताल में मृत्यु हो गई। फलस्वरूप छात्रों में उत्तेजना फैल गई और उन्होंने तीन बसों को पथराव कर क्षतिग्रस्त किया। इसके पूर्व दिनांक 19 अगस्त, 1982 को स्थानीय सी0 एम0 पी0 डिग्री कालेज के छात्रों ने परिवहन निगम की एक बस को रोककर पथराव कर क्षति पहुंचाई तथा उसे जलाने का असफल प्रयास किया। इन हिंसात्मक घटनाओं के सम्बन्ध में धारा 147/435/427/323 भा0 दं0 वि0

के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया एवं 10 छात्रों को गिरफ्तार किया गया ।

पोस्टमार्टम के उपरान्त लगभग 4.30 बजे अस्पताल से शव यात्रा आरम्भ हुई परन्तु छात्र मृतक का शव जिलाधिकारी के निवास स्थान पर ले गए और दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की । जिला मजिस्ट्रेट ने उनको सूचित किया कि उप निरीक्षक को निलम्बित किया जा चुका है और घटना के सम्बन्ध में मजिस्ट्रीयल जांच के आदेश दिए जा चुके हैं परन्तु छात्र हटने के लिए तैयार नहीं हुए जब कि मृतक के परिवार वाले शव को अन्तिम क्रिया हेतु ले जाना चाहते थे । बाध्य होकर 43 छात्रों को गिरफ्तार किया गया ।

जिला मजिस्ट्रेट को मृतक के पिता द्वारा दिये प्रार्थना पत्र के आधार पर कर्नलगंज थाने में पुलिस उप निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह व अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध धारा 304/342/218 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत एक अभियोग पंजीकृत करके उप निरीक्षक को गिरफ्तार किया गया, जो दिनांक 23 अगस्त, 1982 को न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा हुआ । थानाध्यक्ष को प्रत्यावर्तित करके स्थानान्तरण किया जा चुका है ।

दिनांक 23 अगस्त, 1982 को छात्रों द्वारा एक बन्द का आयोजन किया गया जिसके दौरान वाहनों को क्षति पहुंचाने की छिटपुट घटनायें हुई व 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया ।

जिला मजिस्ट्रेट के निवास पर पकड़े गए 43 छात्र व बन्द के दौरान पकड़े गए व्यक्तियों को रिहा किया जा चुका है ।

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद इलाहाबाद में स्थिति नियन्त्रण में है ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, जब इस घटना की जानकारी 20 तारीख को विधान सभा चल रही थी, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र यूनियन का नेता श्री अविनाश पाण्डे शुक्ल ने मुझको फोन पर बताया और मैं उसी दिन इलाहाबाद चला गया । मन्त्री जी ने जो महेन्द्र कुमार त्रिपाठी छात्र की गिरफ्तारी की घटना जो बताई है, वह एकदम फर्जी और असत्य है । वास्तविकता यह है कि श्री त्रिपाठी को अपने निवास से रात के 12 बजे जब वह सो रहा था तो पुलिस उसको उठाकर थाने ले गयी और वहां मारा-पीटा । जब वह मरने के नजदीक हो चुका था तो उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया । जब 20 तारीख को 11 बजे तक उस छात्र की लाश लेकर जिलाधीश का जब छात्रों ने घेराव कर रखा था तो उस समय डी0 एम0 ने संयम से काम लिया लेकिन, जिस दरोगा ने यह काम किया है, वह लड़कों को जान से मारने का अभ्यस्त है क्योंकि इसी तरह की एक और घटना इस दरोगा ने पहले की थी, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो कहा गया है कि इंडियन प्रेस के पास उस लड़के ने फायर किया तो क्या इस लड़के के बारे में इस घटना से पूर्व भी कोई अभियोग पुलिस के किसी थाने और किसी रेकार्ड में किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत लिखाई गयी है ? इंडियन प्रेस ऐसी जगह पर है जहां अभियुक्तों के खड़े होने और दरोगा के इंतजार करने का अवसर नहीं रहता है और वहां से यह गिरफ्तारी दिखाते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस छात्र को पुलिस ने जान से मार कर हत्या कर दी उसके बारे में क्या पहले उसका कोई आपराधिक रेकार्ड उपलब्ध है ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, स्थानीय पुलिस रेकार्ड के अनुसार महेन्द्र कुमार त्रिपाठी व्यक्ति अ0 सं0 205 अ/1981 धारा 147/148/149/307/323/324 भा0 दं0 वि0 थाना सराय इनायत, जनपद इलाहाबाद में अभियुक्त था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि मृतक के पिता ने कोई पत्र लिखा है, यदि हां, तो वह क्या है ? जिससे पता चलेगा कि पुलिस ने क्या-क्या अत्याचार उस छात्र पर किये हैं ?

श्री गुलाब सेहरा—

पत्र में पहले उन्होंने अपना परिचय दिया है । उसके बाद घटना का क्रम इस प्रकार है :—

"मेरा लड़का, महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, बी0 ए0, द्वितीय वर्ष, सी0 एम0 पी0 डिग्री कालेज में पढ़ता था । दिनांक 14-8-82 की शाम को मेरा लड़का जानसेनगंज चौराहे पर दवा लेने गया हुआ था और वहीं पर अपने मित्र से बातचीत कर रहा था । इसी दरम्यान मेरे लड़के को पुलिस वाले पकड़ कर ले गये और उसको इतना बुरी तरह से मारा-पीटा कि उसका जीवन खतरे में पड़ गया है । तब जार्ज टाऊन के एस0 आई0, श्री सुरेन्द्र सिंह वगैरह ने एक फर्जी मुकदमा दिखाकर उसे बन्द कर दिया जिस समय से मेरे लड़के को निर्दयतापूर्वक मारा पीटा गया है, यह बराबर बेहोश चलता रहा है और दिनांक 20-8-82 को सुबह अपनी अंतिम सांसों के साथ स्वरूप रानी चिकित्सालय के आकस्मिक चिकित्सा विभाग के पलंग पर डाक्टरों के अथक प्रयास के बावजूद उसने अपना दम तोड़ दिया ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उसको किस वक्त गिरफ्तार किया गया और हवालात में बंद करने या थाने ले जाने के समय श्री त्रिपाठी के कितनी चोटें दिखलायी गयीं हैं, जिसकी वजह से उनको शफाखाने में दाखिल करना पड़ा ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, मैं इसको पढ़े दे रहा हूं । मृत्यु से पूर्व की चोटें हैं :

1—मल्टीपिल छिले का निशान 2″ × 2″ बांयें कोहनी के पास ।

2—छिले का निशान 2″ × $\frac{1}{2}$″ बांये हाथ के पीछे ।

3—छिले हुए निशान के चारों ओर नीलगू निशान भी हैं 3″ × 1/2″ बांयें जांघ पर ऊपर से 6″ नीचे ।

4—मल्टीपिल छिला हुआ नीलगू निशान 2″ × 1. 2″ बांये बटक पर ।

5—छिला हुआ नीलगू निशान 2″ × 1/2″ बांयें जांघ के पीछे वाले हिस्से में घुटने से 7″ इंच ऊपर । इसी प्रकार से 14-15 इंजरीज का विवरण है ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, यह सारी की सारी इंजरीज सिंपिल हैं। इनका साधारण उपचार होकर अस्पताल से छोड़ा जा सकता था परन्तु इनको अस्पताल में भर्ती किया गया और 5 दिन बाद श्री त्रिपाठी मर गये। तो पोस्ट मार्टम रिपोर्ट क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, इंजरीज दो प्रकार की हैं। एक तो आंतरिक और दूसरी बाहर की। बाहर की मैंने बतलाया। आंतरिक चोटें इस प्रकार हैं :--

1--फ्रैक्चर सिहरके बेसे पर।

2--खोपड़ी के अन्दर नस फटने से खून जमा हुआ मिला।

3--खोपड़ी के आगे की तरफ भी एक फ्रैक्चर मिला। यह पोस्ट-मार्टम की रिपोर्ट है।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, सेहरा जी ने जो रिपोर्ट पढ़ी है उससे साफ जाहिर है कि जो मामला आप बता रहे हैं, वह नहीं है। इस लड़के को चौराहे से पकड़ कर ले जाया गया और मारा गया जिससे वह मर गया। आपको मालूम होगा कि इसी थानेदार ने एक साल पहले आनापुर में एक लड़के को मारा था। उसके पिता से इसकी दुश्मनी चल रही थी। तो जो यह लड़का मर गया तो क्या उसका डाइंग डिक्लेरेशन कराया गया ?

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, डाइंग डिक्लेरेशन की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

डाइंग डिक्लेरेशन की सूचना होनी चाहिए।

श्री गुलाब सेहरा--

इस बात की सूचना नहीं है कि किसी मैजिस्ट्रेट ने उनका डाइंग डिक्लेरेशन लिया।

श्री हुकम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो जानकारी चाहता हूं। एक तो यह कि वह छात्र अस्पताल में कब भरती हुआ और जिस वक्त वह भरती हुआ तो वह अपने होश में था या बेहोश और दूसरी जानकारी मान्यवर, मैं यह चाहूंगा कि 399 और 402 में आपने मुकदमा कायम किया है और 302 और 399 के जो मुकदमें कायम किए गये हैं, इसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, सभी जानते हैं यह मुकदमें झूठे होते हैं, फर्जी। हां, एक मुकदमा आपने जो 323 का जरूर दायर किया है वह उसके खिलाफ है चोरी-डकैती आदि के संबन्ध में, लेकिन वह छात्र ऐसा था नहीं, जिस से साफ मालूम होता है कि यह मुकदमा उसके खिलाफ फर्जी दायर किया गया है, तो क्या उसकी जांच हुयी और उस प्रकरण को भी जांच में शामिल किया गया है ? और यदि नहीं, तो क्या अब शामिल करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

मैजेस्ट्रियल जांच हो रही है अभी, इसलिए माननीय सदस्य जो चाहते हैं इतना, वह जांच के अन्तर्गत है ।

(शोर)

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । मेरा पहला प्रश्न था कि जब छात्र अस्पताल में भर्ती किया गया था तो वह होश में था या बेहोश ? और अगर वह होश में होता तो आहंग डिक्लेरेशन उसका होना चाहिए ।

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, जब वह छात्र अस्पताल लाया गया तो उसकी सीरियस कंडीशन थी डाक्टरों ने यह महसूस किया और कहा कि इनको भर्ती कर लिया जाए ।

(व्यवधान)

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

मान्यवर, जिस दरोगा द्वारा यह केस हुआ है, मंत्री जी के वक्तव्य से ज्ञात हुआ कि उस दरोगा को निलम्बित कर दिया गया है, क्या यह दण्ड पर्याप्त है कि जिस दरोगा ने गलत ढंग से छात्र को फंसाकर उसको बर्बरता पूर्वक पीटा और उसकी हत्या कर दी तो क्या उस दरोगा को धारा 302 के अन्तर्गत मुकिजम बनाकर माननीय मंत्री जी बंद कराने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

उस इंसपेक्टर के विरुद्ध 304 और 342 और 218 के अन्तर्गत मुकदमा दायर हो गया है और उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और श्रीमन्, हमारी ओर से जो उस मृतक के पिता ने प्रार्थना-पत्र दिया था, के आधार पर निलम्बित कर दिया गया और साथ ही उप निरीक्षक को भी गिरफ्तार किया गया ।

श्री राम गोविन्द—

माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जब यह लोग दल बनाकर अपराध करने के उद्देश्य से बैठे थे, तो इसकी सूचना किस व्यक्ति ने पहले दी कि यह अपराधी किस काम को करने के लिए यहां बैठे हैं ? यह सूचना किसके द्वारा मिली ? और किस थाने को दी गई ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, जो एफ० आई० आर० लिखाई गई, वह थानाध्यक्ष श्री एस० जी० शर्मा द्वारा जार्जटाऊन, जिला इलाहाबाद में लिखवाई गई ।

श्री हुकम सिंह—

यह सर्वविदित है कि 399 धारा लिखी जाती रही है । मैंने जो जानकारी चाही थी, वह यह थी कि जिस वक्त उस छात्र को अस्पताल में भर्ती किया गया,

क्या वह होश में था या बेहोश था ? अगर होश में था, तो उसका डाइंग डिक्लेरेशन न कराने का क्या कारण है ?

श्री गुलाब सेहरा--

जिस वक्त उसे अस्पताल ले गये, वह होश में था।

श्री अध्यक्ष--

इस पर काफी प्रश्न हो चुके हैं अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 7 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
25 अगस्त, 1982

विधान सभा

عطاء طرابلس الدولي

नत्थी "क"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 757 पर ।)

ब्लाक परसपुर, तहसील तरबगंज, जनपद गोंडा के तरबगंज शाखा नहर से प्रभावित ग्रामों की सूची :

क्रमांक	नाम ग्राम
1	2
1	अन्दूपुर
2	अमईपुर
3	करैला
4	कुपनी
5	खजुरी निधि
6	त्यौरासी
7	धनूही
8	धमरैया
9	नीरपुर ख्याल
10	पूरे पाण्डेय
11	प्योली
12	बकसैला
13	विशनुपुर खुर्द
14	भैंसहा
15	मलाव
16	मंगुरा
17	लोहंगपुर
18	सुसण्डा
19	सालपुर पाठक
20	सहजौरा
21	ठठिया मठिया
22	ठकुरापुर

1	2
23	तुलसीपुर
24	दुंगोड़वा
25	धनखर
26	दूल्हापुर सरहर
27	धानीगांव
28	नरायनपुर मर्दन
29	परसी गोंडा
30	बेलवा नोहर
31	शालपुर धौताल
32	सुभागपुर
33	करनपुर
34	खरगूपुर
35	गोगिंया
36	चांदपुर
37	डोमा अहलाद
38	डोमा कल्पी
39	सरैचौबेय
40	सेमरी
41	ज्ञानपुर
42	चांदपुर कटौनी
43	उतरौला
44	कुड़ियांव
45	खरथरी
46	गुरेहटी
47	चंगेरी
48	चरौहा
49	जरौली

1	2
50	डेहरासि
51	धनौरा
52	नरदा
53	परसपुर
54	पुरैना
55	विशनपुर कलां
56	मझौरा
57	मधईपुर खाण्डेराय
58	मोहेना
59	सरैया नान्हू
60	सिगरिया
61	हरवीटांड़
62	अलीपुर खाण्डेराय
63	खैरा
64	गजसिंहपुर
65	दुरौनी
66	पूरे तिवारी
67	पूरे लाली
68	बेनुवा
69	मरचौर
70	सकरौर
71	हरदयासपुर
72	गुरसड़ी
73	रायपुर
74	नरायनपुर चौसाही
75	बसन्तपुर
76	नन्दौर
77	बलमतथर

1	2	3
78	परेटा	
79	बुबाई	
80	मोहम्मदपुर	
81	मधईपुर कुर्मी	
82	बिहूरी	
83	आंडा	
84	अकोहरी	
85	राजा	
86	भंरोवंज	

सत्यमेव जयते

ब्लाक करनैलगंज, तहसील तरबगंज, जनपद गोण्डा के तरबगंज शाखा महर से प्रभावित ग्रामों की सूची

क्रम संख्या	नाम ग्राम
1	कुम्हरौरा
2	करनैलगंज
3	कादीपुर
4	कुम्हरघढ़ी
5	बिनारी
6	परौरी
7	बुबरास
8	चकरौत
9	पाण्डेचौरा
10	हीरापुर शाहपुर
11	नरायनपुर मौझा
12	पिपरी
13	सकरौरा
14	करनैलगंज।
15	कस्बा
16	सोसामऊ
17	बसन्तपुर
18	मनिहारी
19	सकरौरा

उत्तर प्रदेश सरकार सत्यमेव जयते

नत्थी "ख"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–53 का उत्तर पीछे पृष्ठ 773 पर)

कार्यक्रमों का विवरण

क्रम–संख्या	योजना का नाम	1981–82 में स्वीकृत धनराशि (रु0 लाखों में)
1	जनजाति उत्थान हेतु कृषि एवं बागवानी	1·00
2	,, ,, द्रव्य दायक फसल	2·00
3	,, ,, पुनर्वास	1·00
4	,, ,, गृह निर्माण	9·00
5	,, ,, कुटीर उद्योग	3·00
6	पर्वतीय क्षेत्र के पांच ट्राइबल ब्लाक्स में कुटीर उद्योग, कृषि एवं बागवानी हेतु अनुदान	9·00
7	राजी विकास योजना आवास निर्माण हेतु	0·24
8	स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की शिक्षा हेतु प्राइमरी पाठशालाओं के रख–रखाव के लिए अनुदान	2·60
9	अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान	1·75
10	जनजाति छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण योजना	..
11	भोटिया जनजाति के उत्थान हेतु विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों के रख–रखाव सम्बन्धी योजना	1.70
12	काशीपुर जनजाति छात्रावास	0.72
13	भोटिया जनजाति के कल्याणार्थ विशेष योजना	5·80
14	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन	27·26
15	दशमोत्तर छात्रवृत्ति	9·17
16	पूर्वदशम् छात्रवृत्ति	10·00
17	पूर्वदशम् शुल्क क्षतिपूर्ति	0·93
18	पूर्वदशम् टेक्निकल विषयों के साथ अध्ययन करने वाले छात्रों को अनावर्तीय सहायता	0·33
19	दशमोत्तर चिकित्सा अभियंत्रण में अनुवर्तीय सहायता	0·03
20	शिल्प कला प्रशिक्षण	0·04
21	5 टी0 डी0 ब्लाक्स में कक्षा 9 व 10 में छात्रवृत्ति	1·00
22	जनजाति के व्यक्तियों को साक्षात्कार हेतु यात्रा भत्ता	0·03
23	शिल्प कला प्रशिक्षण योजना पिछड़े जौनसारियों हेतु	1·00

अनुबन्ध

अनुबन्ध

अनुबन्ध

1	2	3	4	5	6	7
1978-79	..	..	..	12-12-78	3,920.00	
				15-12-78	5,880 00	..
				26-12-78	1,176. 00	..
..	..	..	..	..	..	..
					31,056.00	14,280·00
..	..	..	..	..	..	..
1979-80	42,686.00	14,280.00	56,966. 00	3-4-79	4,392.00	..
				7-4-79	6,048.00	..
				14-4-79	5,320. 00	..
				21-4-79	852.00	..
				24-4-79	3,870.00	..
				25-4-79	1,728.00	..
				5-5-79	2,674.00	..
				11-9-79	1,926.00	..
				12-9-79	1,398·00	..
				26-9-79	1,210.00	..
				4-10-79	1,080.00	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

				25-10-79	2,700.00	
				28-2-80	4,374.00	
				1-3-80	486.00	
				6-3-80	384.00	
				7-3-80	180.00	
				11-3-80	246.00	
				13-3-80	729.00	
				14-3-80	384.00	
				18-3-80	432.00	
				31-3-80	4,800.00	
1	2	3	4	5	45,212.00	11,754.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
1980-81.00	31,668.00	11,754.00	43,422.00	23-4-80	11,320.00	
				3-6-80	10,508.00	
				20-7-80	1,134.00	
				24-7-80	2,160.00	
				25-7-80	972.00	
				26-7-80	108.00	
				31-7-80	756.00	
				10-12-80	7,776.00	
				19-12-80	744.00	
				1-1-80	1,128.00	
				7-1-80	4,000.00	
					40,606.00	2,816.00

2816 जो वर्ष 80-81 अवशेष हैं को वर्ष 81-82 में वितरण किया जा चुका है ।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 127 का उत्तर पीछे पृष्ठ 718 पर।)

क्रम संख्या	कर्मचारियों का नाम	पद	शैक्षिक योग्यता	निर्धारित शैक्षिक योग्यता	विषय	वेतनक्रम
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह	प्रधानाचार्य	बी0एस0सी0, बी0एड0	प्रशि0 स्नातक एवं 4 साल का शैक्षणिक अनुभव	..	450–850
2	श्री शिवराज सिंह	सहायक अधीक्षक	आई0 एस0 ए0 जी0	आई0एस–सी0, ए0जी0	कृषि	230–380
3	श्रीमती सुमन श्रीवास्तव	सहायक अध्यापिका	बी0 ए0, एम0 एड0	प्रशिक्षित स्नातक	अर्थ0	300–550
4	श्री जय प्रकाश सिंह	सहायक अध्यापक	बी0ए0, बी0 एड0	तदेव	नाग0शा0	तदेव
5	श्री छोटे लाल श्रीवास्तव	तदेव	बी0ए0, एल0 टी0	तदेव	हिन्दी, संस्कृत	तदेव
6	श्री राना रविनंदन राठौर	तदेव	एम0 एस–सी0, बी0 एड0	तदेव	विज्ञान	तदेव
7	श्रीमती सर्वजीत कौर	सहायक अध्यापिका	बी0 एस0 एफ0 ए0	आई0 जी0 डी0 बाम्बे	आर्ट कला	230–380
8	श्री संतोष कुमार राना	खेल अध्यापक	बी0 ए0 (सी0 पी0 एड0)	इंटर (सी0पी0एड0)	खेल कद	250–425

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
9	श्री जवाहर लाल शर्मा	सहायक अध्यापक	आई0 एस0 एजी0	हाई स्कूल 2 (ब्रुडवर्क)	डिप्लोमा काष्ठकला	230–380
10	श्री दिग्विजय नाथ सिंह	संगीत अध्यापक	बी0 ए0 बी0 म्यूज0 (गायन वादन आई0 जी0 डी0 बाम्बे)	..	संगीत	230–380
11	श्री राम चन्द्र मिश्र	विज्ञान अध्यापक	एम0ए, बी0एड0	इंटर सी0 टी0	विज्ञान (जू0)	230–380
12	कु0 सुष्मा श्रीवास्तव	सहायक (जू0 वि0)	एम0 एस0 डब्लू0 बी0 एड0	तदेव	..	200–320
13	कु0 सुमन सक्सेना	तदेव	बी0 ए0 सी0 टी0	तदेव	..	तदेव
14	कु0 माधुरी सिंह	तदेव	बी0 ए0 बी0 एड0	तदेव	..	तदेव
15	श्री प्रेम नारायन पान्डेय	सहायक अध्यापक	बी0 एस–सी0, बी0 एड0	हाई स्कूल,	..	तदेव
16	श्रीमती गायत्री मिश्रा	सहायक अध्यापिका	बी0ए0 एच0 टी0 सी0	हाई स्कूल बी0टी0 सी0	..	185–265
17	श्रीमती पदमा श्रीवास्तव	तदेव	हाई स्कूल एच0 टी0 सी0	हाई स्कूल बी0टी0 सी0	..	185–265
18	श्री गया प्रसाद कुरील	सहायक अध्यापक	कक्षा 8 पास0, आई0 टी0 आई0	कक्षा 8 पास, आई0टी0 आई0	चर्मकला	120–220 (पुराना वेतन मान)

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 129 का उत्तर पीछे पृष्ठ 799 पर)

परिशिष्ट

क्रम-संख्या	वर्ष	संपरीक्षा आख्या से अनुच्छेद	गायब वस्तुओं का विवरण	दर	धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
				रु0	रु0	
1	1979–80	9121	46 कम्बल	48·90 प्रति कंबल	2,243·43	मुख्य भंडार पंजी में समय-समय पर क्रय किये गये कुल कम्बलों का योग 356 था जिन्हें वितरण सूची के माध्यम से विभिन्न छात्रों को वितरित किया गया। कुल वितरित कम्बलों की संख्या 233, इसके अतिरिक्त 80 कंबल जीर्ण हो जाने के कारण अध्यक्ष के आदेश से जमा किये गये थे। (इस प्रकार 230+80=310) कुल 310 कंबलों का लेखा ही संपरीक्षा में उपलब्ध किया गया। भंडार पंजी तथा वितरण सूची में कंबलों का भंडार शेष नहीं था अतएव 356–310=46 कंबल गायब थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
2	1979–80	8131	392 स्वेटर	23·50	9,22·00	मुख्य भंडार पंजी के अनुसार समय–समय पर क्रय किये गये स्वेटरों की कुल संख्या 526 थी जो गृह माता को वितरण हेतु दे दिये गये थे संपरीक्षा में कुल 34 स्वेटरों का वितरण ही दिखाया गया शेष 392 स्वेटरों का न तो वितरण दिखाया गया और न ही वितरण पंजी में उन्हें अवशेष दर्शाया गया था ।
			5 थाली नयी	5·01	25·05	
			1 थाली पुरानी	5·01	5·01	
			4 मग्गा छोटा	3·50	14·00	मुख्य भंडार पंजी तथा वितरण पंजी के मध्य में
			2 दरी नई	19·72	38·54	सामग्रियां भी गायब पाई गयीं ।
					11,545·00	
3	1970–71	6 (ख) (1)	3 लाइफब्वाय साबुन की बट्टियां	..	..	31 अगस्त, 1970 को मख्य भंडार पंजी के अनुसार 76 लाइफब्वाय साबुन की बट्टियां थी 38 बट्टियों के वितरण के पश्चात् भंडार को शून्य प्रदर्शित किया गया था । इस प्रकार साबुन की 8 बट्टियां गायब हुई थीं ।
4	1968–69	5 (ख)	128 पुस्तकें	..	..	वर्ष 1968–69 में तत्कालीन पुस्तकालय प्रभारी अध्यापिका को 128 पुस्तकें चार्ज में नहीं प्राप्त हुईं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

5	1964–65	8 (सी)	18 थाली 31 लोटा 118 कटोरी 114 गिलास 9 कल्छी 15 बेडकारपेट 250 चद्दर	..	..	मई, 1964 को किये गये वार्षिक सत्यापन में वस्तुयें गायब पाई गई थीं। संबंधित भंडार पंजियों के उपलब्ध न हो सकने के कारण उनके क्रय की दरें आदि ज्ञात नहीं की जा सकी हैं।
6	1961–62	6 सी (11)	1 थाली 12 लोटा 15 गिलास 18 कटोरा			वर्ष 1961–62 में भंडार पंजी में रखे गये भंडारों के सत्यापन के परिणाम से उनके गायब होने की स्थिति संपरीक्षा से ज्ञात हुई थी। संबंधित भंडार पंजियों के उपलब्ध न होने से इनके क्रय की दरें आदि ज्ञात नहीं की जा सकी हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा